राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-7] नवम् विधान सभा के सातवें सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या-7

शनिवार,

26 सितम्बर, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से केवलादेव पक्षी उद्यान (घना) में प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने के संबंध में।

(2) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले की केन्द्रीय सहकारी बैंक के संचालकों के चुनाव के दौरान सालूराम मेघवाल का कथित अपहरण करने की घटना की जांच करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर स्टेशन पर एक बालिका के साथ पुलिस हैड कांस्टेबल द्वारा बलात्कार करने की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है-

(1) श्री गोविन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर में असामाजिक तत्वों द्वारा सम्भ्रांत मासूम बालिकाओं की अश्लील तस्वीरें खींचने तथा इस प्रकरण की समुचित जांच प्रशासन द्वारा नहीं करने से वहां की जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि अनुसंधान से इस प्रकरण में कुल 17 अभियुक्तों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाया गया है जिनमें से अभियुक्त इसरत अली, मोईज्जुला उर्फ पुत्तन, नसीम

(श्री अध्यक्ष)

उर्फ टारजन, परवेज अंसारी, फारूख चिश्ती, पुरुषोत्तम, कैलाश सोनी व हरीश तोलानी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 292, 292 ए, 384, 354, 500, 509, 366, 376, 377, 201, 120 (बी) आई. पी. सी. व धारा 3 इंडीसेन्ट रिप्रजेन्टेशन ऑफ वूमेन अधिनियम दिनांक 4-9-92 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रकरण का अनुसंधान धारा 173 (8) जा. फो. के प्रावधानों के अनुसार जारी है। इस काण्ड की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने जांच कर प्रकरण पंजीबद्ध करवाया। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही कर मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिसके कारण अजमेर जिले की जनता में किसी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है।

(2) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली में चोरी, तस्करी, हत्या व अपहरण की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि कोटपूतली तहसील के दोनों थानों पर अब तक हत्या के 6 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं जिनमें से 4 अभियोगों का चालान किया जा चुका है एवं 2 अभियोग अघटित पाये गये हैं। चोरी के 46 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं जिनमें से 7 अभियोग अघटित पाये गये हैं, 18 अभियोगों में माल, मुलजिम का पता नहीं चल पाया एवं 14 अभियोगों में चालान किया जा चुका है। फरारी के कुल 6 अभियोग दर्ज हुए हैं जिनमें से 4 घटनाएं असत्य पाई गई हैं। एक घटना में अभी तक अभियुक्तों का पता नहीं चल पाया है जिसका अन्वेषण जारी है तथा एक अभियोग में चालान प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य गुर्जर साहब को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के भी राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हुए हैं :–

(1) श्री रामस्वरूप मीणा व चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति/जन जाति के अभियन्ताओं की पदोन्नति एवं पदस्थापन में अनियमितताएं किये जाने के संबंध में। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना बहुत विस्तृत है, माननीय सदस्य अवलोकन कर सकते हैं। उक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अत. इस पर बोलने की अनुमति देने में असमर्थ हूं, बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(2) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंग केनाल की लिंक नहर के अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करवाये जाने के संबंध में। माननीय सदस्य इस विषय पर पृथक से बोल चुके हैं। अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(3) श्री बिरधाराम चौधरी व चार

(श्री अध्यक्ष)

अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम स चर्चा हो चुकी है। अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(4) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के निकट चौमू कस्बे में मई-जून माह में मिलावटी तेल बेचने से हुई जनहानि व इस प्रकरण की समुचित जांच न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनाएं

(1) श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर नगर में पेयजल वितरण व्यवस्था से आम नागरिकों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती तेज कंवर बाई पत्नी श्री सत्यनारायण सिंह, निवासी छापरवाड़ा थाना दूदू की जला कर कथित हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री बृजराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के सांगोद तहसील मुख्यालय पर असिस्टेंट कलक्टर कोर्ट सृजित करने के संबंध में।

(4) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड सवाई माधोपुर में कार्यरत एक मिस्त्री द्वारा किये गये कथित भ्रष्ट अनैतिक कार्यों की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ जिला चूरू की विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने हेतु विद्युत विभाग को एक नया ट्रक और जीप उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(6) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर स्थित मानसिक रोग चिकित्सालय के विस्तार व उसमें अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमीन खां सदस्य विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर में बढ़ती हुई रेती व सिवाय चक भूमियों पर अवैध कब्जों से पशुपालकों को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में।

(8) श्री हजारीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि विज्ञान केन्द्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर के

(श्री अध्यक्ष)

श्मशानों का उचित रख-रखाव न होने तथा वहां आवश्यक सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले की तहसील जायल में कतिपय सड़कों का निर्माण हो जाने के उपरान्त भी ठेके की राशि व मजदूरी का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कार्यरत इंजीनियरों की न्यायोचित मांगों को न मानने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री दिलसुखराय चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील नावां जिला नागौर में व्यवसायियों द्वारा जमीन खरीद कर नमक उद्योग शुरू करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर जिले के ग्राम पूरण एवं दातवाड़ा के सिंचाई बांधों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री भरोसीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर में किसानों को डी. ए. पी. खाद उपलब्ध नहीं होने से हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में।

(15) श्री गुलाब सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से क्रय-विक्रय सहकारी समिति, रायपुर जिला पाली के चुनावों में कथित अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी 295 का था....

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी 295 के दो-तीन दे रखे थे, एक का भी नम्बर नहीं आया....

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है 295 का, बहुत ही महत्वपूर्ण मसले, गम्भीर मसले थे उनके बारे में अब तक नहीं आया....

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी 295 का दिया था पर कोई व्यवस्था नहीं मिली....

श्री घासीलाल चौपड़ा : व्यवस्था नहीं दी। दो रोज से, तीन रोज से नम्बर नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, 295 के 15 मैंने आज लगाये हैं बाकी पेण्डिंग हैं, वह लग जायेंगे। पेण्डिंग हैं। अब एक दिन में इससे ज्यादा....आपका भी है।

एक माननीय सदस्य : हमारा तो एक भी नहीं ग्राया माननीय ग्रध्यक्ष महोदय....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका भी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह बहुत ही गम्भीर मसला है साहब....(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने 16 तारीख को प्रथम दिन तो नियम 131 के ग्रन्तर्गत लगाया था, एक मेरा मसला था रेफरल ग्रस्पताल का....

श्री ग्रध्यक्ष : 131 का ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : जी हां सर, ग्रौर दूसरा मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था वह 17 तारीख को लगाया था वह पुलिस के सम्बन्ध में था....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका स्थगन किस बारे में था ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : उनके जवाब ग्रा गये श्रीमन् ग्राज उनको लगाग्रो।

श्री ग्रध्यक्ष : हाँ, वह जवाब ग्रा गया था लेकिन चूंकि ग्राज व्यवस्थाएं शुरू में देनी थी तो सब के जवाब दिये नहीं जा सकते थे इसलिए सोमवार को मिल जायेंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : वह तो ग्राप कल, परसों दोनों दिन लगायें।

श्री ग्रध्यक्ष हां, सोमवार को मिल जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा पानी की समस्या के लिए था श्रीमन् बहुत ही गम्भीर मसला था....

श्री ग्रध्यक्ष : हां, वह लग जायेगा।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : ग्रध्यक्ष महोदय....

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद (झुंझुनू): ग्रध्यक्ष महोदय....

श्री ग्रध्यक्ष : माहिर ग्राजाद जी।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : ग्रध्यक्ष महोदय, राजस्थान के चूरू कस्बे में उस्मान गनी नामक एक व्यक्ति की पुलिस की हिरासत में मौत हो गई ग्रौर इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सरकारी उप मुख्य सचेतक महोदय को वहां भेजा भी था। कई तरीके की भ्रांतियां व चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकार ने कुछ पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए निलम्बित भी किया है। दूसरे पक्ष के लोग कोई बंद ग्रौर ग्राह्वान भी कर रहे हैं। मैं ग्रापके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या वस्तुस्थिति है उससे वह ग्रवगत कराये। प्रदेश के साम्प्रदायिक सद्भाव को खतरा पैदा नहीं हो इसके लिए सरकार क्या एहतियाती कदम उठा रही है, उसकी भी सदन को जानकारी दे।

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजिए। श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर : ग्रध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती मदन कौर)

मैंने 16 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह जानना चाहा था कि शिक्षकों का बहुत बड़ा भारी अभाव है, तीन महीने हो गये शिक्षा सत्र को चालू हुए और अभी तक भी शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कोई कार्यवाही सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। पूरा साल, पिछला साल निकल गया, उस समय भी अध्यापक नहीं थे, इस साल भी नहीं हैं, तो बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और 10 दिन हो जाने के बाद भी कोई सूचना सरकार से नहीं आये, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : चन्द्रभान जी।

डा चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान) .. यह तो राष्ट्रीय एकता की पहचान है और मैं तो माननीय अध्यक्षजी से निवेदन करूंगा कि सर्व सम्मति से प्रस्ताव करें, यह भारत छोड़ो आन्दोलन की स्वर्ण जयन्ती है, सब लोग गांधी टोपियां धारण करें। स्वामीजी हैं, राष्ट्रीय एकता निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वह आये थे सवेरे मेरे पास। उन्होंने कहा कि आप पहन कर जाइये और अन्य विधायकों से भी अनुरोध कीजिए।

श्री केदारनाथ शर्मा : टोपी के साथ अण्डर वियर, वह भी खद्दर का होना चाहिए....(व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान : अभी झुंझनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने चूरू के सम्बन्ध में एक निवेदन किया है, चूरू से मेरा क्षेत्र बिसाऊ....(व्यवधान)....बिसाऊ कस्बा भी चूरू के बहुत नजदीक है। वहां के दो-तीन लोग कल मुझे मिले थे। वहां पर तनाव की स्थिति है। धारा 144 लगी हुई है, आपसे इतना ही अनुरोध है कि माननीय गृह मंत्रीजी स्थिति स्पष्ट करें। तीन लोगों को आपने निलम्बित किया और जिनकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई, तीन लोगों को निलम्बित किया और कुछ लोग किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं करता, कुछ लोग वहां पर फिजूल का तनाव पैदा कर रहे हैं और जिन लोगों ने पुलिस कस्टडी में मौत की, जो इसके जिम्मेदार हैं, उन सिपाहियों को और उन थानेदार महोदय को वापिस रीइंस्टेट करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उप मुख्य सचेतक महोदय, जो वहां के विधायक हैं और यहां के इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के मंत्रीजी भी शायद हैं, ऐसा अखबार में वक्तव्य आया है, तो मेरा आपके माध्यम से इतना ही अनुरोध है कि माननीय गृह मंत्रीजी स्थिति स्पष्ट करें। इस तनाव को खत्म करें अन्यथा चूरू में जो तनाव है उसका असर मेरे क्षेत्र में पड़ेगा और दूसरे प्रदेश के लिए भी साम्प्रदायिक सद्भाव को खतरा हो सकता है।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री देवीसिंह भाटी, राज्य मंत्री, (पशुपालन) को सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री देवीसिंह भाटी,

(श्री अध्यक्ष)

पशुपालन राज्य मंत्री ने अस्वस्थता के कारण वर्तमान सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

पंडितजी ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, चूरू के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, वहां पर जो घटना हुई और उस घटना के सम्बन्ध में उस व्यक्ति को केवल पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद में उस्मान गनी के जब सीने में दर्द हुआ तो उसको हॉस्पिटल भेजा गया और हॉस्पिटल जाते ही वह कार्डियेक फेलिओर (हार्ट फेलियोर) से उसकी डैथ हो गयी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गयी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि सीवियर कार्डियेक अटैक की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। इसलिए यह कहना कि पुलिस कस्टडी में और पुलिस की यातनाओं से उसकी डैथ हुई है, यह सही नहीं है और तनाव जिस रूप में दोनों सम्प्रदायों के बीच में उत्पन्न हुआ, इसके लिए उप सचेतकजी को वहां भेजा और आज की स्थिति की मैंने भी जानकारी की, कल रात को ही डी. आई जी. से बात करके। अब वहां शान्ति है और जिन पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया गया है उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और धारा 302 के अन्तर्गत जो मुकदमा दर्ज किया है उसका अनुसंधान भी किया जा रहा है और अगर सही पाया गया तो कार्यवाही करेंगे। मौजूदा ....(व्यवधान)....

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनट, मैं पूरा कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा हालत में वहां पर स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गयी है। दोनों सम्प्रदाय भी इस बात से संतुष्ट हैं बल्कि अब यह मांग कर रहे हैं कि 144 जो वहां लगायी है उसको हम विदड्रा कर लें। और आपने अखबार में पढ़ा होगा, पहली बार वहां की जनता ने पुलिस के पक्ष में प्रदर्शन किया है....

डा. चन्द्रभान : करवाया गया है, किया नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : इन निर्दोष सिपाहियों को जिनको सस्पैण्ड किया गया है, उनको बहाल किया जाय। इसलिए यह बात कहना कि वहां बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं या तनाव बढ़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां शान्ति है और शान्ति स्थापित करने के लिए भेजा था। अब शान्ति है वहां।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी....(व्यवधान)....एक बार मेरे पास चिट आई है उनको बुलवा लूं....(व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव .. (व्यवधान)... मेरा इसमें स्थगन प्रस्ताव था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैं बुलवा रहा हूं.... (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा इस सिलसिले में स्थगन प्रस्ताव था, चूरू के सिलसिले में ...

श्री अध्यक्ष : यह बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय, जो कुछ कहा वह स्टेटमेण्ट की तारीख में आता है, नम्बर एक। जब आप इसकी अनुमति लेकर यहां बोले हैं और इन्होंने संक्षिप्त रूप से चूरू की घटना पर प्रकाश डाला है तो हमारा अधिकार उनसे कुछ प्रश्न पूछने का बन जाता है। मैं आपकी अनुमति से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप मुझे अनुमति दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप दे रहे हैं अनुमति मुझे ? मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर है इसलिए आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : हां, मैं दे रहा हूं। पहला जवाब तो यह है कि यह स्टेटमेण्ट की तारीख में नहीं आता। माननीय सदस्यों ने केवल वहां की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही थी कि अब वहां स्थिति क्या है। उन्होंने बता दिया है कि अभी वहां शान्ति है और जो भी, सुन तो लीजिए आप ...

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा इस पर एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : आज ही।

श्री हेतराम बेनीवाल : स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था यह दी थी कि इसका जवाब सरकार से मांगा गया है।

श्री दिग्विजय सिंह : जवाब दे दिया है .. (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा सवाल क्या है, सुनो, बिल्कुल जवाब आ गया, इसका मतलब यह है कि (व्यवधान)....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर जवाब दे दिया, यह एनलिस्ट हो गया तो आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए....(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ....दोनों पक्षों को वहां बुला कर शान्ति कमेटी की मीटिंग कीजिए... (व्यवधान) ... स्पष्टीकरण और बयान आना चाहिए।

श्री हेतराम बेनीवाल :....(व्यवधान) ....मैं यही कह रहा हूं....(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : वह चुप क्यों हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इसे स्टेटमेण्ट कह रहे हैं तो फिर जवाब दिलवायें ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अभी आपका स्थगन प्रस्ताव, सुन तो लीजिए पहले, आपका जो स्थगन प्रस्ताव था उसका जवाब हमने मांगा है, शायद जवाब अभी भेज दिया है, तो मैं देख लूंगा। कल, परसों हो जायेगा, कौनसी आज ही समाप्त होने वाली है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है। मैं इसमें सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, दिया है तो मैंने अभी, मेरी व्यवस्था के बाद में आया है जवाब। मैंने देखा नहीं है। जवाब देख कर के फिर उस बारे में आपको बता दूंगा जो करना है। श्री मदन लाल सैनी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, जब गृह मंत्रीजी ने कहा कि हमने ...

श्री अध्यक्ष : अब आप सुन तो लीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सरकारी उप मुख्य सचेतकजी को वहां भेजा था इन्होंने दोनों पक्षों की शान्ति समिति की बैठक भी करायी है, वह भी कुछ कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब इनका एडजोर्नमेण्ट मोशन आयेगा उसमें देख लेंगे। हां, आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कल्याण सिंह जी कालवी की मौत के बारे में वैसी बात आयी है, इसलिए इसकी जांच करवायी जाय। उनकी मौत का सही पता लगाया जाय।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले में.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आप फिर अब अपनी पुरानी आदत पर आ गये हैं। मैं फिर आपको कहता हूं, आप पुरानी आदत पर आ गये हैं....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : नवभारत टाइम्स में आया है, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप, प्लीज बैठ जाइये, आप बैठ जाइये।

श्री मदन लाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 18.9.92 को खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट के आस-पास के किसानों ने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को लेकर वहां हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया, शान्तिपूर्वक प्रदर्शन और कोपर प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में पुलिस ने जिस निर्ममता के साथ लाठी चार्ज किया है और 70-70, 80-80 वर्ष के....

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल सही है, सही है।

श्री मदन लाल सैनी : और बूढ़े लोगों को वहां मारा गया है। उनमें कुछ बच्चे थे, उन बच्चों को इस प्रकार से सड़कों पर घसीटा गया है और समाचार पत्रों में भी यह बड़े हैडिंग्स में समाचार छपा है और उसके कारण से राज्य सरकार की जन

(श्री मदनलाल सैनी)

विरोधी कार्यवाही के कारण से वहां जो डी. वाई. एस. पी. लगे हैं उनको ईमानदारी का बड़ा नशा है, उसके कारण से कोपर प्रोजेक्ट के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने कर्मचारियों को वहां से नौकरी से निकालने के नोटिस दिये हैं। अखबार में छपा है और प्रतिदिन इस प्रकार की जो कार्यवाही आ रही है, इस पर जांच होनी चाहिए कि पुलिस अधिकारियों ने किन परिस्थियों में लाठी चार्ज किया, अश्रु गैस के गोले उन पर छोड़े गये और 70-70 वर्ष के बूढ़ों को इस प्रकार से घसीटने की क्या आवश्यकता थी और क्या वहां पर मजदूर और किसान इतने प्रवोकेटेड थे कि वहां शांति और व्यवस्था भंग हो रही थी और कोपर प्रोजेक्ट के सामने शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, कोई प्रदर्शन भी नहीं था, कोई नारेबाजी भी नहीं थी और मैनेजमेण्ट से आग्रह कर रहे थे कि उनसे बातचीत की जाय। इस बातचीत करने को भी वहां का मैनेजमेण्ट तैयार नहीं था, इसके कारण से वे धरने पर बैठे। धरने पर बैठे इस प्रकार के हजारों नागरिकों पर पुलिस की एक तरह से ज्यादती हैं, इसकी जांच करवायी जानी चाहिये। यही मेरा माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर वह अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष : श्री हजारी जी।.... (व्यवधान)....खेतड़ी के एम. एल. ए. बोल रहे हैं। वह खेतड़ी के हैं, उनको बोलने दीजिए।

डा. चन्द्रभान : वह बोलें, अच्छी बात है....

श्री अध्यक्ष : पहले मैंने उनका नाम पुकार लिया है।

श्री हजारी लाल (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, 18-9-92 को किसान और मजदूर अपना शांति पूर्वक आन्दोलन कर रहे थे और एक सभा को सम्बोधित कर रहे थे, उसमें वहां के कार्यकर्ता और किसान थे, उनकी मुख्य मांगें वहां के पॉल्युशन और पानी को लेकर थी। इसके लिए वहां के काश्तकार दुखी थे और अपनी जायज मांग को लेकर वहां पर धरना दिये बैठे हुए थे। इस समय वहां का पूरा पुलिस प्रशासन यहां तक कि आपका मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी वहां पर अन्दर बैठा हुआ था और यह घटना वहां के मुंसिफ मजिस्ट्रेट के सामने हुई है। यह बड़े★खेद की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना की जांच करवायी जाय और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिलाया जाय। इसके साथ ही भले-भले आदमियों को पकड़ा गया है, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, 307 की धारा लगा के उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है। जो आज तक बंद हैं और आपका प्रशासन यह कहता है कि किसी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर, आज जिले में कम से कम 5–6 आदमी गिरफ्तार हैं और कम से कम 100-200 आदमी इस तरह से छुपे हुए हैं कि उनको पुलिस पकड़ने की कोशिश में है। मेरा निवेदन है कि उनको पुलिस हिरासत से छुड़वाया जाय, उनके मुकदमे

★शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री हजारीलाल)

वापस उठाये जांय अन्यथा इस आन्दोलन को लेकर हम आपके सामने निवेदन करना चाहते हैं कि इस खेतड़ी के आन्दोलन को हम शांत नहीं होने देंगे और इस आन्दोलन के लिये तन, मन, धन और जान से लगातार लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आन्दोलन में कितने ही लोग गिरफ्तार हों, कितनी ही गोलियां चलें, आपका प्रशासन कितनी ही कुव्यवस्था वहां पर करे, हम हमारा हक लेकर रहेंगे और हक के लिये लड़ाई लड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। चन्द्रभानजी।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष जी, 18 तारीख को मीटिंग थी, मैनेजमेंट ने पुलिस से मिलकर उनकी मीटिंग में बाधा डालने के लिये चारों तरफ व्हीकल्स आना जाना बंद कर दिये। जिस दिन आपस में नेगोसियेशन हुए उसी दिन जो चेयरमेन है उस काम्पलेक्स का, कापर काम्पलेक्स का, वह खुद नहीं बैठा। बात फेल हो गयी। ना तो कोई धारा 144 क्लेम की, ना कोई इत्तिला दी, एक साथ अश्रु गैस और लाठीचार्ज शुरू हो गया। आप ताज्जुब करोगे, अध्यक्ष जी, 90 साल, 80 साल के बूढ़े आदमियों को मारा गया। जब वह पर्चा देने गये तो पर्चा नहीं लिया। एक दफा पर्चा उनका ले लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ 307 की कार्यवाही की। तीन आदमी गिरफ्तार कर लिये। मेडिकल रिपोर्ट उनकी होने नहीं दी और उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसलिये अशांति है। अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, स्टेटमेंट आ जाय।

श्री अध्यक्ष : सोमवार को गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे। सोमवार को स्टेटमेंट देंगे.... (व्यवधान) सोमवार को स्टेटमेंट आ रहा है, अब आप क्या बोल रहे हैं? अब स्टेटमेंट दे रही है सरकार, फिर डबल-डबल बहस करोगे आप। उस वक्त फिर आप बहस करोगे। अब आप चन्द्रभानजी, प्लीज। देखिये, मैंने जब कह दिया सोमवार को स्टेटमेंट दे रही है सरकार, उस दिन बहस कर लेना आप। श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि कल अखबारों में मुख्य मंत्रीजी ने अजमेर में जो अश्लील छाया चित्र कांड हुआ है उसके सम्बन्ध में निन्दा की है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली की इस तरह की कार्यवाहियों का वर्णन देकर शायद यह समझाने की कोशिश की है, इस तरह के कांड जैसा अजमेर में हुआ है, पूरे हिन्दुस्तान में होते रहते हैं। उसको बिलिटिल करने की, कम करने की कोशिश की है इसका मुझे दुख है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैंने नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : कम नहीं वह तो ज्यादा हो रहे हैं उसमें चिन्ता व्यक्त की थी। यहां नहीं और जगह भी हो रहे हैं इसकी चिन्ता की थी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि इस कांड के सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी हमारे अजमेर गये और पुलिस लाइन में

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

उन्होंने पत्रकारों के सम्मुख यह बयान दिया कि मैंने वह अश्लील चित्र देखे हैं, जब तक कोई आदमी आकर, पीड़ित व्यक्ति आकर एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कराता हम इस बात पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। यह अफसरों की, डी. आई. जी., एस. पी., सबकी मौजूदगी में आपका बयान हुआ है। इसके बाद अजमेर में हड़ताल हुई, अजमेर बंद हुआ और जब वहां प्रेशर बिल्ट अप हुआ तब जाकर इनको निवारक नजरबंदी कानून में बंद किया गया और इस पर कार्यवाही की गयी। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी के बयान से दो बातें हुई। एक तो जो अभियुक्त थे उनको एक मौका मिल गया कि उन्होंने अपने सबूत नष्ट कर दिये, दूसरा जो अपराधी थे, मुख्य रूप से जो मुख्य सरगना थे वह यहां से भागने में सफल हो गये और नतीजा यह है कि अधूरा चालान गृह विभाग को पेश करना पड़ा। इस सम्बन्ध में एक और उदाहरण देकर जो साक्ष्य नष्ट हुए हैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। जे पी. टूरिस्ट होटल के नाम से पुष्कर में एक होटल है, उसका उद्घाटन हमारे मंत्रिमण्डल के एक सदस्य ने किया है, उसके ऊपर जो छापा मारा गया है, आप ताज्जुब करेंगे कि इस बयान के बाद उसने अपना जो रजिस्टर है विजिटर्स का, वह रजिस्टर भी गायब कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप नाम बताइये, किस मंत्री जी ने किया।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : तो यह आप सोच लीजिए। वह रजिस्टर उन्होंने गायब कर दिया। उस रजिस्टर में उन लोगों के नाम थे जिन्होंने वहां इन बच्चियों को ले जाकर ऐशो आराम किया था, अश्लील बातें की थीं। इस तरीके से सरकार इस कांड को सही तरीके से टेकल करने में असफल रही है। मैं निवेदन करूंगा मुख्य मंत्री जी से कि इसकी ब्लू फिल्में भी बनी हैं। गृह मंत्री जी के बयान के बाद वह ब्लू फिल्में जो कि बताते हैं बम्बई से होकर अरब कंट्रीज में, दूसरे देशों में जाती थी वह फिल्में भी नष्ट कर दी गयीं और वह सारे सबूत नष्ट कर दिये गये। इसलिये जो कार्यवाही हुई है, ठीक है, जो लोग पकड़े गये हैं वह वास्तव में हैं लेकिन इसके अलावा अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें लिप्त हैं, उनके बारे में बराबर अखबारों में भी आ रहा है और एक पत्रकार की हत्या भी इसी सिलसिले में हो गयी। इस सिलसिले में गृह विभाग के दो डी. आई. जी के भी नाम आ रहे हैं जो अजमेर में एस. पी. रहे हुए हैं वह भी इसमें शामिल हैं और डी. आई जी. बनने के बाद भी वह टाइम बेटाइम अजमेर इस सम्बन्ध में जाते रहे हैं, लोगों ने अपने बयानों में भी कहा है कि वह यहां आते रहते हैं। तो इन बातों की जानकारी होते हुए भी यह जो मोटे-मोटे आदमी थे, वी. आई. पीज थे, बड़े अफसर थे और जो दूसरे लोग थे उनको एक मौका मिल गया कि उन्होंने अपना इससे पल्ला बिल्कुल दूर कर लिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकरण की मैं उम्मीद करता हूं मुख्य मंत्री जी से, वह नाम अखबारों में आ गये हैं, मेरे मुंह से गंदे शब्द न निकलवा कर....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको जानकारी है, गोविन्द सिंह जी, आप बता नहीं रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं यही समझता हूं कि आप सारे माननीय सदस्य अखबार पढ़ते हैं और माननीय सदस्यों को उन नामों की जानकारी है....

अनेक माननीय सदस्य : आप बताओ नाम।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : तो मैं मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसमें अजमेर के हर व्यक्ति के ऊपर यह बात छाई हुई है कि यह भी शामिल हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, और भी हो सकते हैं, वहां के और दूसरे लोग भी हो सकते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इसकी कोई न्यायिक जांच करवा लें ताकि इस तरह के कांड, जो अजमेर में हुआ है, आप कह रहे हैं दिल्ली में भी हो रहे हैं, इस तरह के कांड और नहीं हों और अप्रत्यक्ष तौर से जिन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया है उन लोगों को भी रिकार्ड पर लाया जा सके। इसके लिये कोई ज्युडिशियल इंक्वायरी या रेवेन्यू बोर्ड के किसी बड़े अफसर से आप इस सम्बन्ध में जांच करायें, मेरी यही मांग है।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका एडजोर्नमेंट मोशन नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एडजोर्नमेंट मोशन नहीं है, अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण मसला सदन के सामने आ गया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्न यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह कांड अपनी जगह है, सरकार ने कार्यवाही की भी है लेकिन जो माननीय सदस्य ने सदन को अवगत कराया कि गृह मंत्री ने चित्र देखने के पश्चात् यह कहा कि एक फार्मल रिपोर्ट जब तक नहीं आयेगी तब तक हम कार्यवाही नहीं करेंगे, यह एक बड़ी लीगल पोजिशन है, अध्यक्ष महोदय। होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं....

श्री अध्यक्ष : अब आप इसमें क्या कहना चाहते हैं ?... (व्यवधान) उसके बाद केस दर्ज हो गया, चालान हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं नहीं, यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय। यह प्रश्न नहीं है Application of his responsibilities and duties.

श्री अध्यक्ष : उससे क्या होगा ? केस दर्ज हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, बाद में दर्ज हुआ है।

श्री अध्यक्ष : हां तो बाद में हो गया ना। केस तो दर्ज हो गया। चालान हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरी प्रार्थना यह है, अध्यक्ष महोदय, इसकी गम्भीरता को, यह समझने का कष्ट करें....

श्री अध्यक्ष : यह तो सामान्य बात है, कोई भी कहेगा कि एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह सामान्य बात नहीं है । नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह सामान्य बात नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : काग्नीजेबल आफेन्स की सूचना मिल गयी....

श्री सुरेन्द्र व्यास : सूचना मिलना मात्र होम मिनिस्टर का (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये । अब क्या कह रहे हैं, हो गयी बात तो । (व्यवधान) यह कोई डिबेट का सवाल तो है नहीं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं नहीं, डिबेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दो सेन्टेन्स बोलूंगा । आपको, अध्यक्ष महोदय, लीगल पोजिशन अर्ज कर रहा हूं मैं ।

श्री अध्यक्ष : अब यह कानून हमेशा आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं करते हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कोर्ट का सवाल नहीं है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : यह हाई कोर्ट थोड़े ही है । क्यों आप कानून लाते हैं हर बात के लिये ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई भी पुलिस आफिसर को....

श्री अध्यक्ष : देखिये, लीगल यहां कोई मतलब नहीं है । आपने जो एक बात कही, जो उन्होंने कही उसको रिपीट कर रहे हैं आप । अब उसके लिए होम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं तो सुन लीजिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर की ड्यूटी लॉ से ही बनती है, बिना लॉ के ड्यूटी नहीं बनती है । सी. आर. पी. सी. के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : फिर वही आप सी. आर. पी. सी. ला रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एक सेन्टेन्स सुनना पड़ेगा आपको । अध्यक्ष महोदय, अगर काग्नीजेबल आफेन्स की रिपोर्ट, ओरल रिपोर्ट भी....

श्री अध्यक्ष : फिर वही लीगल बात आ गयी ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप लीगल कहकर टालना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोर्ट नहीं है, न कोई यहां कानून साइट किये जाते हैं....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं सिर्फ दो सैन्टेन्स बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष : तो होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं देते आप । हो गयी बात ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोलेंगे कैसे, मैं कुछ अर्ज करूंगा जब ही तो बोलेंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपका एडजोर्नमेंट मोशन नहीं था, मैंने आपको

(श्री अध्यक्ष)

अलाउ नहीं किया। अब आप बैठिये। वह तो हो गया, आपने कह दिया। प्लीज व्यास जी, Accammodate me, please. आपने जो बात कहनी थी, कह दी। अब होम मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिये आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : काग्नीजेबल ओफेन्स की सूचना हो गयी। सूचना हो गयी तो इनको काग्नीजेंस लेना चाहिये। साफ बात यह है।

श्री अध्यक्ष : अब आपको जवाब दे रहे हैं, सुनिये : वह जब जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिये ना। बोल रहे हैं वह।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात कही कि मैंने पत्रकारों से कहा कि आप एफ. आई. आर. दर्ज करायें। पत्रकार जब मुझसे मिले मैं एक फंक्शन के अन्दर गया था, उस फंक्शन के अन्दर उन्होंने यह जिक्र किया कि साहब, आपको अश्लील फोटो कांड का, जो अजमेर में हुआ है उसका मालूम है कि नहीं। मैंने कहा, इसके ऊपर आलरेडी पुलिस के अन्दर केस रजिस्टर हो चुका है और आपके पास में कोई और अधिक जानकारी हो तो आप भी पुलिस के अन्दर इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। यह मैंने कही थी, इसकी बात हुई थी।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह डिबेट का नहीं है No, I won't allow.

डिबेट नहीं है। श्री श्रीकिशन सोनगरा (अनुपस्थित) श्री मदन दिलावर। आप बिराजिये। श्री हेतराम।.... (व्यवधान) श्री हेतराम। बोलिये अब आप, वह तो बोलते रहेंगे। श्री हेतराम।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, उस समय केस दर्ज नहीं हुआ था, 15। में उनको गिरफ्तार किया था.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इतने सीनियर मैम्बर हैं, यहां पर डिबेट नहीं हो सकती इस पर। आपको मैंने अपनी बात कहने का मौका दे दिया। उन्होंने अपनी बात कह दी। अब डिबेट नहीं होगी इस पर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी गलत बयान दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात, तो उसका मतलब क्या है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उन्होंने यह कहा कि कोई दर्ज नहीं करेंगे मुकदमा जब तक हमारे पास कोई आता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। बिराजिये। देखिये, पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में कई परम्पराएं हैं उसमें एक परम्परा यह भी है कि जब इस हाउस में कोई माननीय सदस्य किसी मंत्री या किसी के खिलाफ कुछ कहता है तो वह जो स्टेटमेंट देते हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिये, उस पर डिबेट नहीं होती, उसका निर्णय नहीं होता। तो इन्होने अपनी बात कह दी। You should accept it. जो होम मिनिस्टर ने कहा है उसको हम को स्वीकार कर लेना चाहिये, यह परम्परा है। अब इस पर फर्दर डिबेट की गुंजाइश नहीं है। श्री हेतराम।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक ही सवाल है, एफ. आई. आर. कौन से तारीख को दर्ज किया गया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Don't waste time.

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक क्लैरीफिकेशन तो देंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : किस बात का क्लैरीफीकेशन मांग रहे हैं ? On what motion ? There is no motion before me. I will not allow anybody. I have simply asked him to speak for two minutes and he has consumed the time. There is no motion before me. How can I allow you ?

श्री हेतराम जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : विषय की गम्भीरता को समझिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : समझ गया मैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, केवल यह बता दें कि एफ. आई आर. कब रजिस्टर कर ली और होम मिनिस्टर ने कब स्टेटमेंट दिया ? होम मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट पहले दिया या बाद में ? अध्यक्ष महोदय, इसके महत्व को समझिये। सदन के अन्दर एक गम्भीर प्रकरण आ गया है और गृह मंत्रीजी अपने दायित्व से.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हेत राम जी, बोलिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले व्यवस्था कराइये हाउस में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो आप किसी और तरह से बहस कराइये न इसमें। Bring some other motion This is not the way. आप अगर बहस ही कराना चाहते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिये एक तरीका है। आपने एक स्थगन प्रस्ताव दिया, आपको जवाब मिल गया, आपने कहा कि दो मिनट फर्दर क्लेरीफीकेशन लेना चाहता हूं, मैंने आप को मौका दे दिया। अब इसके और तरीके हैं। देखिये, यह आपकी व्यवस्था है, पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस है, इसमें :

श्री गुलाब सिंह शक्तावत, राज्य मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण किये जाने के पश्चात् श्री मोहम्मद गफ्फार अली एवं श्री योगेन्द्र हांडा ने कुछ मुद्दों पर अग्रेतर स्पष्टीकरण कराने का प्रयास किया, जिस के लिये आसन से अनुमति नहीं दी गई। इसी विषय पर मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी द्वारा स्थिति स्पष्ट करने पर श्री योगेंद्र नाथ हांडा ने औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत किया कि उन्हें बोलने का अवसर न देकर सदन के नेता को सफाई देने का अवसर दिया गया है, वह किस अधिकार के अन्तर्गत बोल रहे हैं। इस सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष ने निम्नांकित व्यवस्था दी :

व्यक्तिगत आरोपों के बारे में सम्बन्धित मंत्री अथवा सदस्य द्वारा उनका मात्र खंडन किया जाना पर्याप्त है। श्री हेतराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव हाउस में दिया था वास्तव में जो सत्ता में लोग बैठे हैं जिस तरह से व्यापारियों से सम्बन्ध उनके रहे हैं, उसका पूरा पर्दाफाश करता हूं। राजस्थान में जयपुर के पास में, जयपुर से 30 किलोमीटर दूर 4 महीने से जहरीला तेल बिकता रहा। अप्रेल के महीने में इसमें पहला केस आया वह जो महिला अस्पताल में भर्ती हुई उसको यहां से इस एस. एम. एस. हास्पिटल में भर्ती करवाया गया और एस.एम.एस. हास्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां और केसेज हुए और एकदम 150-200 केसेज हुए। जिन केसेज में शिकायत पाई गई और उसके बाद इस पर जो हमारा प्रशासन है, उसकी आंख खुली। प्रशासन की आंख नहीं खुली। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन ने यह कोशिश की कि उस मामले को दबा दिया जाये। इस तरह का मामला जिसमें जनता के जीवन से खिलवाड़ किया जावे। इस तरह का तेल जो बेचा गया उसकी रिपोर्ट तो जून के महीने में जाकर मिली। जून के महीने में जाकर जांच करके यह पाया गया कि तेल जो सरसों का तेल है। उसके अन्दर सत्यानाशी का तेल मिला दिया गया। जो सत्यानाशी का तेल साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है, वह साबुन बनाने का तेल उन तेलों में मिलाया गया। इसके बारे में सबसे पहले जो प्रशासन ने काम किया वह यह किया कि उन्होंने 40 सेम्पल लिये और 40 में से तकरीबन सब सेम्पल में वह तेल पाया गया। इसका मतलब चौमूं में जो तेल है उसका चौमूं में उत्पादन नहीं होता। सत्यानाशी का उत्पादन भी कहीं और जगह होता है और तेल कहीं और जगह से आया और जयपुर में उस चौमूं के अन्दर भी यह सरसों का तेल आया, वह भी और जगह से आया। इन तेलों को मिलाया गया और मिलाने के बाद उस तेल को बेचा गया। जो मुकदमें दर्ज हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, उसे मुकदमें में यहां से जो इन्सपेक्टर गया जांच करने के लिए, और डाक्टर गये, उन्होंने भी यह हशअप करने की कोशिश की कि उनके सेम्पल गायब कर दिये जायें। उनकी जमानत कराने के लिए 4 जो मेम्बर हैं। उन चार आदमियों को उसमें से गिरफ्तार किया गया। बाकी सारे लोगों पर कोई मुकदमा नहीं बनाया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके तीन महीने बाद यह जो घटना हुई यहां, इसके तीन महीने बाद यही तेल पदमपुर की मण्डियों में जो गंगानगर जिले में है, वहां भी इसी तरह का तेल मिलावट का तेल पाया गया। इसका मतलब यह है कि यह तेल जो है, इसका व्यापार राजस्थान की कई मण्डियों में और कई शहरों में हो रहा है और उसकी जांच से एक बात का प्रश्न उठता है कि क्या राजस्थान सरकार का जो खाद्य विभाग है उसके इंस्पेक्टर, इन्फोर्समेण्ट इन्सपेक्टर हैं, उन्होंने उनकी जांच की, उनके बारे में कोई रिकार्ड बनाया या मन्थली उनकी जांच शहरों के अन्दर जो तेल बिकता है उसमें कभी होती है और दूसरा सवाल यह उठता है, राजस्थान के फूड इंस्पेक्टर्स का। क्या राजस्थान के अन्दर जो फूड इंस्पेक्टर हैं वे जो खाद्य तेल हैं या खाद्य पदार्थ हैं, उनकी कोई जांच

(श्री हेतराम बेनीवाल)

रेगुलरली, महीना या दो महीने में करते हैं। इस सारी घटना से ऐसा जाहिर होता है कि यह सारा का सारा मामला सिर्फ उन इन्सपेक्टरों का और इन्फोर्समेण्ट इंस्पेक्टरों, ऑफिसर्स हैं उनकी मिलीजुली साजिश से एक नकली कार्यवाही जो रजिस्टर में दर्ज हुई है वही हुआ है। वास्तव में इसकी सैंटिंग कहीं नहीं हुई और एक बात यह साबित करती है कि उस केस में जो 60 महिलाएं अस्पताल में भर्ती हुई। जिन 60 महिलाओं के बारे में हिन्दुस्तान की पार्लियामेण्ट में भी प्रस्ताव रखा और वहां पर मंत्रीजी ने जवाब दिया, उसका वो जवाब यह दे रहे हैं कि 60 महिलाओं के जो गर्भ थे, उनके बारे में डिफोर्मेटी हुई। 160 ऐसे आदमी, 160 के अन्दर ऐसे लोग भर्ती हुए जिनमें अपंग होने के चांसेज थे तो इस तरह के बड़े केस में किसी भी तरह से राज्य सरकार ने चुस्ती से कदम नहीं उठाकर उस केस को हुशअप करने की कोशिश की। इसमें निश्चित तौर से मेरा इल्जाम है कि उन व्यापारियों में से सत्ताधारी पार्टी के लोगों के सम्बन्ध थे कि सत्ताधारी पार्टी उन व्यापारियों से मिली हुई थी। व्यापारी सत्ताधारी पार्टी के थे इसलिए सारे केसेज के अन्दर उन 40 का चालान नहीं हुआ सिर्फ 4 लोगों के चालान हुए और 4 लोगों को भी गिरफ्तार करके उनकी जमानत करवाने के प्रयत्न कर लिये गये तो इससे मुझे लगता है कि सारा मामला, प्रकरण ऐसा है कि जिसमें जांच इस विभाग द्वारा होनी चाहिए और आइन्दा माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो खाद्य तेल जितने भी हैं। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भरोसा नहीं है कि उसका असर, उस जहरीले पदार्थ का असर हो, वह उसी वक्त में हो, क्योंकि इस घटना से पता लगा है कि अप्रैल में जिन्होंने तेल खाया उनकी मृत्यु जाकर एक महिने बाद, डेढ़ महिने बाद हुई। डाक्टर्स ने रिपोर्ट दी है, एस. एम एस. वालों ने कि इस औरत ने जो तेल था वह जहरीला तेल खाया था तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो अधिकारी वहां जांच करने गये, जो इन्फोर्समेण्ट ऑफिसर उस इलाके का था और जिस फूड इन्सपेक्टर ने और हैल्थ डिपार्टमेण्ट के अधिकारियों ने उन सेम्पलों की जांच की और उसको हुशअप करने की कोशिश की उनके खिलाफ कदम उठाये जायें यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल जी यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी दुःखद घटना है कि चौमूं के अन्दर खाने के तेल के नाम पर ऐसा तेल दिया गया, ऐसे तेल की बिक्री की गई जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था और यह सिलसिला जब पकड़ में आया उसके कई दिनों पहले से इस अखाद्य तेल की बिक्री वहां हो रही थी। हमारी जानकारी में यह भी आया है कि आमेर थाने में, चौमूं थाने में और चंदवाजी थाने में इस तरह के अखाद्य तेल को पुलिस ने पकड़ा। चौमूं थाने में और

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

चंदबाजी थाने में इस तरह से अखाद्य तेल को पुलिस ने पकड़ा और पैसे के बलबूते पर उनको वापस छोड़ दिया गया।.... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस तेल के खाने से लोग बीमार हुए और वे राजकीय चिकित्सालय चौमूं, राजकीय चिकित्सालय कालाडेरा, राजकीय चिकित्सालय जाहोता में अपने उपचार के लिए भर्ती हुए। सैंकड़ों की तादाद में नहीं हजारों की तादाद में मरीजों ने दवा लेना चालू किया और कुछ मरीज सवाई मानसिंह अस्पताल में भी पहुंचे। सारी जांच होने के बाद, विश्लेषण होने के बाद प्रभारी डाक्टरों ने इस बीमारी को लाइलाज बता दिया और पैरों में सूजन जिस ढंग से लोग अपंग हुए उससे लोगों में आक्रोश फैला। चौमूं विधान सभा क्षेत्र और आमेर विधान सभा क्षेत्र के जनता दल कार्यकर्ता और कांग्रेस आई के कार्यकर्त्ताओं ने तहसील चौमूं के सामने भूख हड़ताल पर बैठकर ज्ञापन दिया, आमरण अनशन किया। करीब दस दिन तक आमरण अनशन चलता रहा। जिला प्रशासन से जिलाधीश जयपुर और एस. पी. ग्रामीण, दोनों वहां दसवें दिन गये। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य डा. हरिसिंह जी भी थे, मैं भी मौजूद था। जिला प्रशासन ने आमरण अनशन पर बैठे लोगों को आश्वस्त किया कि इसमें जो भी व्यक्ति अभियुक्त होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और इस अखाद्य तेल के कारण से जो बीमार हुए हैं, उनकी चिकित्सा के लिए इस तरह से हम कोई एक कार्ड बनायेंगे। उनकी चौमूं और जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में फ्री ऑफ चार्ज हम इलाज के लिए व्यवस्था करेंगे। मैंने इस सिलसिले में माननीय गृहमंत्री जी से भी दो बार वार्ता की। आपने मुझे आश्वस्त किया कि हम उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करवायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस अखाद्य तेल से कितने लोग प्रभावित हुए हैं, मैं निश्चित तौर से, मेरी जानकारी के अनुसार फोर फिगर से कम व्यक्ति प्रभावित नहीं हुए। अखबारों में कभी 17, कभी 61 और कभी 120 महिलाओं के समय पूर्व प्रसव हुआ, गर्भपात हुआ और वह बच्चे जिनको इस दुनिया में आना था, इस दुनिया को देखना था, वह अपने समय से पूर्व जन्म लेकर मौत के द्वार पर पहुंच गये....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ऐसी दुखद घटना, यह कोई किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं है। मेरा किसी पर आरोप भी नहीं है लेकिन मैं इतना निश्चित तौर से कहना चाहूंगा कि हमारे वर्तमान की जो राजनीति है, उसमें एक इतना ओछापन और मैं कहूंगा कि इतनी गिरावट आ चुकी है कि किसी भी मामले को अगर वास्तविकता के लिए कहा जाता है तो उसको राजनैतिक दृष्टिकोण से आंका जाता है। मैं निश्चित तौर से इस मामले में मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके दल के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता लोग कुछ लोगों को बचाने की दृष्टि से गये थे और मुझे

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

यह जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्रीजी ने जिस ढंग से उनको ताड़ना दी, उनको वहां से भगाया, निश्चित तौर से यह सराहनीय कदम है, लेकिन मैं साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि जो मुख्य अभियुक्त थे उसमें, वह अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जहां तक मुख्य अभियुक्तों का सवाल है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, मैं किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से गिरावट में आकर नहीं, किसी को बदनाम करने की दृष्टि से नहीं, लेकिन तीन मुख्य अभियुक्त मिस्टर पटवारी, मिस्टर कामदार और मिस्टर रावत, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मिस्टर रावत कांग्रेस आई का कार्यकर्ता है। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : है तो गिरफ्तार कीजिए। उनके ऊपर मुकदमा चलाओ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इस घटनाक्रम में मैं किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से गिरावट के रूप में कोई बात नहीं कहूंगा और जो दूसरे मुख्य अभियुक्त माने जाते हैं, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों पदाधिकारी हैं। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : इनको गिरफ्तार करो।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र सदन के माननीय सदस्यों से विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करें जिससे किसी का....

सुश्री पुष्पा जैन : आप दे रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं बैठ जाऊं फिर। मैं बैठ जाऊं यह कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : रामेश्वर जी, मेरे ख्याल से 10 मिनट हो गये हैं आपको। अब आपकी बात तो सारी आ गई। आप आगे क्या मांग करना चाहते हैं, कर लीजिए। हो गई बात आपकी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि हाड़ोता ग्राम का एक ऐसा परिवार जिसके मदनलाल अग्रवाल की औरत प्रभाती देवी, जिसकी आयु 45 वर्ष है और जो सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती हुई, मृत्यु प्रमाण पत्र से ताईद है कि इस बीमारी से सवाई मानसिंह अस्पताल में मृत्यु हुई और अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि इस परिवार के बाकी बचे जितने सदस्य हैं, शायद ऐसा नहीं हो, भगवान करे कि उनमें से कोई मुश्किल से बच पाये। इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के कृषि मंत्री जब आगे दौरे पर जा रहे थे, उनको चौमू में यह सूचना मिली, वह उस ग्राम में जाकर इस परिवारजन से मिले भी, उनको सांत्वना भी दी। मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि मुझे जो जानकारी है अध्यक्ष महोदय, जब मैंने जिलाधीश महोदय से, एस. पी.

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

ग्रामीण से यह निवेदन किया कि मुझे जानकारी मिली है कि आमेर थाने से इस तरह के अखाद्य तेल को पकड़ा और दस हजार रुपये की रिश्वत के आधार पर उन्हें छोड़ दिया गया, निश्चित तौर से एस. पी. ग्रामीण और जिलाधीश जयपुर ने उसमें तत्परता से काम करके और मुझे भी बताया कि यह संभव है क्या ? मैंने कहा मुझे ऐसी जानकारी है, संभवत: मुझे भी नजर नहीं आता है लेकिन मुझे पुख्ता जानकारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो पुलिस के अधिकारी जो अभी जांच कर रहे हैं उन्होंने जब यह जांच की तो पाया गया कि आमेर थाने में निश्चित तौर से इस अखाद्य तेल को पकड़ा गया और पैसे के बलबूते पर उनको छोड़ दिया गया। चौमूं थाने वालों ने भी उनको पकड़ा और छोड़ा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहूंगा कि मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेण्ट के चाहे खाद्य इंसपेक्टर हो, चाहे और कोई हो, हम क्यों खाद्य इंसपेक्टर की बात करें। जहां तक सी. एम. एच. ओ., डिप्टी सी. एम. एच. ओ. हैं उन्होंने खुद ने उस खाद्य इंसपेक्टर की मार्फत लाखों रुपया लेकर जो असली सैम्पल थे, उन असली सैम्पल को परिवर्तित किया और जो इसके सबूत थे, उनको नष्ट करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, जितना रिकार्ड राजकीय चिकित्सालय में था सी. एम. एच. ओ. और डिप्टी सी. एम. एच. ओ. ने उस रिकार्ड को वहां से रिमूव करने की कोशिश की। सी. आई. डी. के जो लोग इसकी जांच कर रहे हैं, उनको रिकार्ड मिल नहीं सके, ताकि वह इसमें कहीं जाल में नहीं फंस सके, इस तरह की कोशिश भी मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेण्ट ने की। जहां तक....

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये 20 मिनट हो गये हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर ..

श्री अध्यक्ष : अब यह सारी इनफोर्मेशन पुलिस को दे देना आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर मामला है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मामले दर्ज किये गये, प्रशासन ने या पुलिस ने इस तरह की कोशिश की कि इन मुख्य अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही न हो। उन्होंने कई लाख रुपया कमाया होगा लेकिन कोई सैकड़ों या हजारों व्यक्तियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया होगा। काले धन को अगर अपने को बचाने में कहीं पैसे का व्यय करें और शासन, प्रशासन की हैल्थ अगर लेते हैं तो इससे बड़ी कोई दुखद घटना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले को लेकर चौमूं और आमेर विधान सभा क्षेत्र में एक तरह से भयंकर आतंक का रूप ले लिया है। लोग भयभीत हैं कि हमारा परिवार बचेगा या समाप्त होगा। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन में बिराजे हैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि मुख्य अभियुक्त

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

जो किसी भी दल के हों, प्रथम तो मैं राजनीतिक दलों से यह कहना चाहूंगा कि कम से कम उनमें इतना साहस होना चाहिए कि जैसे ही यह घटनाएं हुई, जैसे ही जानकारी में आया ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पर निलम्बित करना चाहिये और मैं मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि इस दु:खद घटना के बारे में आपने शायद जांच भी करवायी है, जांच में कई लोगों को दोषी भी चाहे अधिकारियों को या मुख्य अभियुक्तों को पाया होगा। मेरी मांग है कि इनको जो भी हो उनको तुरन्त गिरफ्तार कराया जाय और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय और जो इस अखाद्य तेल के खाने से लोगों को नुकसान पहुंचा है उनके स्वास्थ्य परीक्षण और उनके इलाज के लिये मदद करायी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार क्या कुछ भी नहीं कहेगी। ऐसी घटना में कुछ नहीं कहेगी क्या सरकार ?

श्री हेतराम बेनीवाल : सरकार कुछ तो बोले।

श्री अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं सरकार सुन तो रही है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस काण्ड के लिये उन गरीबों की तरफ से इस सदन के ऊपर आपसे न्याय की भीख मांगता हूं।

श्री नत्थी सिंह : वहां पर तेल से....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह मामला चौमूं और...

श्री बुलाकीदास कल्ला : कई मर गये, बीमार हो गये। इस संबंध में सरकार को जवाब तो देना चाहिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस दु:खद घटना के लिये आपके माध्यम से न्याय की भीख मांगता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को....(व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान : इसका रिप्लाई तो दिलवायें।

श्री हेतराम बेनीवाल : गृह मंत्रीजी, खाद्य मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले....(व्यवधान) हमारी भावनाओं को इस तरह से ठेस नहीं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस मिलावटी तेल के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। मैं भी उनकी चिन्ता में अपने आपको भागीदार बनाता हूं। यह बात सही है कि मिलावट के कारण से कई बार अप्रत्याशित हानि हो जाती है। इस संबंध

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं इसके सिवाय कुछ नहीं कह सकता कि इसकी पूरी जांच करवायें, कौन-कौन दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। इस संबंध में एक जगह नहीं कई थानों में कई मुकदमे बने, सारे मामलों का अनुसंधान जारी है। मैं सदन को इतना ही विश्वास दे सकता हूं, चाहे राजनैतिक दल किसी भी पार्टी का कोई सदस्य हो वह जिसने भी अपराध किया है वह निश्चित उस अपराध से बच नहीं सकता। मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा इसमें कई अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी चल रही है, कइयों को हटाया भी है, निलम्बित भी किया है। अगर पहले जानकारी मिलती तो इस संबंध में पत्रावली लेकर मैं सारी जानकारी आपके सामने दे सकता था लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें यह तेल कहीं बाहर से आता है। अब तक की जानकारी के अनुसार यह तेल दिल्ली से आता है। वहां पर साबुन बनाने के कारखानों के लिये तेल का उपयोग किया जाता है। उस टैंकर में इस तेल को जहां पूरा खाली करना पड़ता है वहां पूरा खाली नहीं करते उसमें कुछ बचा कर ले आते हैं और बचा कर लाकर चाहे जयपुर से दिल्ली का रास्ता हो, चाहे जयपुर से और कहीं का रास्ता हो वह छोटी-छोटी होटलों के ऊपर इस तेल को देते हैं। इस बात की जानकारी इस घटना के पहले और दो-तीन दिन पहले मुझे मिली थी कि चन्दवाजी में इस प्रकार का तेल निकाल कर दुकानदारों को बेचा जाता है। मैंने उसी समय इसकी जांच आरम्भ करवा दी, जांच आरम्भ करवाने के बाद जब यह चौमूं की घटना की जानकारी मिली तो यह संदर्भ एक सा ही मिला कि इस प्रकार का तेल चंदवाजी से आया है और जगह-जगह उसका वितरण किया गया है। लोगों ने उसका उपयोग किया और उसके दुष्परिणाम डाक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जैसा आप बता रहे थे वह दुष्परिणाम भी हुये हैं। लेकिन आप यह विश्वास रखकर चले कि कोई भी इसमें दोषी होगा चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बाकी के लोग हों उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना निवेदन है कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ से आप स्टेटमेण्ट आज या जब भी आप सारी फाइलें देख कर इसी सदन को दिलायें। सारे फैक्ट्स के साथ, किन-किन के खिलाफ कार्यवाही की, किन-किन के खिलाफ कार्यवाही करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसी सदन में....

श्री अध्यक्ष : हां, इस पर विचार कर लेंगे। बोलिये श्री मदन दिलावर जी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्रीमती तेज कंवर बाई निवासी छापरवाड़ा (दूदू) की जलाकर कथित हत्या

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिता की उपस्थिति में

(श्री मदन दिलावर)

पुत्री को जीवित जलाकर मार देने का जघन्य कृत्य ग्राम छापरवाड़ा थाना दूदू जिला जयपुर में दिनांक 13 मई, 1992 को घटित हो गया और राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकटस्थ होने के उपरान्त भी हत्यारों के विरुद्ध कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई।

घटना का वृतान्त इस प्रकार है कि तलवंडी कोटा निवासी श्री रामेश्वर सिंह चौहान की पुत्री श्रीमती तेज कंवर बाई का विवाह 5 मई, 92 को छापरवाड़ा थाना दूदू निवासी श्री सत्यनारायण सिंह पुत्र श्री रतन सिंह राजपूत के साथ धूमधाम से सम्पन्न हुआ था और दिनांक 9 मई, 1992 को श्री रामेश्वर सिंह चौहान अपनी छोटी पुत्री सुश्री अनिता कंवर के साथ श्रीमती तेज कंवर बाई को विदा करवाने छापरवाड़ा गये। वहां पहुंचने पर श्रीमती तेज कंवर बाई ने अपने पिता व बहिन को अन्तर्मन की व्यथा सुनाते हुये बताया कि मेर ससुराल पक्ष के स्त्री पुरुष मुझे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और दहेज के रूप में फ्रीज, कूलर एवं ट्रक इत्यादि की मांग करते हैं। अपनी पुत्री को विदा करवाने आये पिता को घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही कई प्रकार की आशंकायें होने लगीं और यह अनिष्ट की आशंका 13 मई, 1992 की रात्रि में नवविवाहिता श्रीमती तेजकंवर बाई के जीवित शरीर की मिट्टी के तेल से होली जलाने की पाशविक क्रियान्विति तक आ पहुंची।

श्रीमती तेजकंवर बाई जलने से पीड़ित होकर चिल्ला-चिल्ला कर सहायता के लिये पुकार रही थी कि पापा मेरे को जलाया जा रहा है, मेरे को जलाया जा रहा है। बाहर पिता सहायता को क्रंदन कर इधर-उधर हाथ पैर मार रहे थे किन्तु दहेज लोभी दानवों ने असहाय पिता व तेजकंवर की छोटी बहिन अनिता कंवर को बलपूर्वक रोक लिया। जब तेज कंवर बाई दौड़ कर बाहर आई तो उसके ज्येष्ठ श्री भंवरसिंह द्वारा कुल्हाड़ी का सिर पर वार कर धराशायी कर दिया तथा घटनास्थल से सम्पूर्ण साक्ष्य व निशान नेस्तनाबूद कर दिये। इसके बाद श्री रामेश्वर सिंह अपनी पुत्री अनिता के साथ जान बचाकर नहीं भागते तो एक और अप्रिय और अमानवीय कृत्य घटित हो जाता।

उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरान्त श्री सत्यनारायण सिंह व उसके माता पिता, भाइयों, भाभियों एवं अन्य परिजनों द्वारा घटना से संबंधित तथ्यों को मिटा कर श्रीमती तेज कंवर बाई को अधजली स्थिति में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में 19 मई, 1992 को भर्ती कराया और उन्तीस दिन तक जीवन मृत्यु से संघर्षरत नवोढ़ा, जिसने वैवाहिक जीवन के अर्थों व आनन्दिन जीवन से सम्पूर्ण साक्षात्कार भी नहीं किया था ने 11 जून, 92 को नश्वर देह का परित्याग कर परमात्मा में विलीनीकरण कर लिया।

घटना के बाद जान बचा कर भागे पिता ने दूदू थाने में पहुंच कर सम्पूर्ण प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई, किन्तु श्री सत्यनारायण सिंह के परिजनों ने अपने पुलिस विभाग में कार्यरत होने का अनुचित लाभ उठाकर कोई कार्यवाही नहीं होने दी और अभागा पिता श्री रामेश्वर सिंह चौहान तब से ही दहेज हत्या के

(श्री मदन दिलावर)

घृणित कृत्य की उच्च स्तरीय जांच करवा कर दोषियों को दण्डित करवाने की प्रशासन व सरकार से पत्रों के माध्यम से गुहार कर चुका है किन्तु आज तक भी आशाजनक कार्यवाही नहीं हो पाई है। अपितु अपराधीगण प्रत्यक्षदर्शी अनीता कंवर व श्री रामेश्वर सिंह चौहान एवं उनके परिजनों को जान माल की क्षति पहुंचाने में प्रयत्नरत है।

प्रजातन्त्र के पावन प्रांगण में दहेज हत्याओं का घृणित एवं जानलेवा दौर दौरा और कुंभकर्णी निद्रा निमग्न नौकरशाही कब तक असहाय एवं पीड़ित दरिद्र नारायण को स्वतंत्र एवं उन्मुक्त वातावरण में जीने का मार्ग प्रशस्त कर पायेंगी ? भविष्य के गर्त में छिपे इन प्रश्नों का प्रत्युत्तर समय के प्रवाह की किस धारा में मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजराज मीणा।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

राजनैतिक दलों का कोड आफ कण्डक्ट

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : अध्यक्ष जी, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। 23-24 को दिल्ली में आगस्ट मीटिंग हुई। लोक सभा के माननीय स्पीकर ने इसको कन्वीन किया। दल के प्रिसाइडिंग आफिसर, अपोजीशन लीडर, व्हिप्स और लेजिस्लेचर और पार्लियामेण्टेरिअन वहां इकट्ठे हुये। कुछ कन्सेंसस बनाया गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में और राज्यपाल के अभिभाषण में कोई किसी प्रकार की बाधा न हो। नम्बर-एक, क्वेश्चन आवर बहुत ही एक्स्ट्रा आर्डिनरी हो तभी एडजोर्न किया जाय। नम्बर-दो, आम तौर पर असेम्बली के सेशन 110 दिन से कम न हों।

(12.00 मध्याह्न)

तीसरी बात, जो सैक्रेटेरिएट असेम्बलीज के हैं उनको किसी हद तक कोई न कोई आॅटोनाॅमी दी जाय फाइनेंशल मैटर्स में। एक मीटिंग और कन्वीन की गयी थी सब कमेटी की, उसने भी कुछ फैसले किये थे। चूंकि आप आये हो, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से, आप से कि कोड आफ कण्डक्ट का जो आपने दिया है, यहां की पोलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बुलाकर राजस्थान में आप शुरूआत करिये कि पार्टीज कोड आफ कण्डक्ट कायम कर दें, ताकि वहां जो कन्सेंसस हुई उसके मुताबिक काम हो।

(12.03 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस कान्फ्रेंस में जो निर्णय लिये गये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा ने सारी पोलिटिकल पार्टीज से निवेदन किया है कि वे अपना कोड आफ कण्डक्ट बनाएं। सारी पार्टीज कोड आफ कण्डक्ट बना लेंगी, उसके बाद उसको किस प्रकार से लागू

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया जाय, कैसे चालू किया जाय, उसके बारे में विचार हो सकता है।

श्री केदारनाथ शर्मा : 100-110 दिन से कम कोई असैम्बलीज के सैशंस की सिटिंग न हों, इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जितना काम होगा उसके लिए जितना विधान सभा का समय पर्याप्त होगा, निश्चित रूप से चलेगी।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप एकमात्र मुख्य मंत्री थे जो इस सम्मेलन में गये, इस बात की तो हमें खुशी है। अकेले गये और कोई नहीं था, इतने आप रैस्पांसिव थे। तो आप यह तो कहिये कि 60 दिन से कम तो सिटिंग होंगी ही नहीं, जो मिनिमम है। 110 दिन, 120 दिन जितनी हो जायं, उतनी सही, पर 60 दिन से कम तो सिटिंग होंगी नहीं, यह तो आप एनश्योर कर ही दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सारे प्रकरण के ऊपर जब निर्णय लिया जाएगा, तभी इस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अपने यहां एक जनरल परपजेज कमेटी बनी हुई है, जो मुद्दे वहां पर उठें उन सबके बारे में उस कमेटी में विचार कर निर्णय कर लिया जाय। उसमें सारी पार्टियों के नेता लोग हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोड ऑफ कण्डक्ट के मामले में मैं चाहूंगा कि अपनी पार्टी के लिए पण्डित जी अपने नेताओं को कहें कि वे भी कोड ऑफ कण्डक्ट बना लें। यह समस्या उसी पार्टी की आ रही है, बाकी सब पार्टियां कोड आफ कण्डक्ट बना लेंगी। आप अपनी पार्टी के नेताओं को कहें कि वे भी कोड आफ कण्डक्ट बनाने की प्रक्रिया में शामिल हों।

श्री केदारनाथ शर्मा : जनता दल की जो भी बची-खुची पार्टी है उसकी तरफ से आपके वायदा करता हूं कि ऐसा कोड आफ कण्डक्ट बना लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसी हौच-पौच पार्टी में आप रहते ही क्यों हों ?

श्री केदारनाथ शर्मा : हौच-पौच नहीं, बची खुची।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप खुद ही मान रहे हैं कि हौच-पौच पार्टी है।

श्री केदारनाथ शर्मा : हौच-पौच नहीं कह रहा हूं, जो बची खुची है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बची-खुची या हौचपौच का मतलब एक ही है।

श्री नत्थीसिंह : अभी बची-खुची है, और पता नहीं कितनी रहेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नेता महोदय, हौच-पौच और बची-खुची में बहुत अन्तर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो थोड़े दिनों के मेहमान हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जैसी भी पार्टी है, बची खुची भी। बची-खुची पार्टी के जितने सदस्य हैं, कितने दिन तक आपके साथ हैं, उस विषय को छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी बची हुई है उसका तो कोड आफ कण्डक्ट बना लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजराज मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख सांगोद तहसील मुख्यालय पर असिस्टेन्ट कलक्टर न्यायालय

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नियम 295 के अन्तर्गत कोटा जिले के सांगोद तहसील मुख्यालय पर असिस्टेण्ट कोर्ट सृजित करने के सन्दर्भ में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि कोटा जिले में सांगोद तहसील मुख्यालय का क्षेत्र, जो कोटा से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित है, रामगंजमण्डी सब डिवीजन के अन्तर्गत आता है। रामगंजमण्डी सांगोद से करीब 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उप जिला कलक्टर, रामगंजमण्डी सप्ताह में दो दिन राजस्व मामले निपटाने के लिए सांगोद तहसील मुख्यालय पर कैम्प कोर्ट करते हैं। सांगोद तहसील के राजस्व मुकदमों की संख्या करीब 900 है। उप जिला कलक्टर, रामगंजमण्डी के अधीन विचाराधीन राजस्व मामलों में दो तिहाई मुकदमे सांगोद तहसील के हैं। रामगंजमण्डी खनन क्षेत्र होने के कारण तथा बड़ा कस्बा होने के कारण उप जिला कलक्टर कानून और व्यवस्था में अधिकांश समय व्यस्त रहते हैं तथा कैम्प कोर्ट में नहीं आ पाते हैं। बरसात के दिनों में रामगंजमण्डी व सांगोद के बीच में स्थित काली सिंध व उजाड़ नदी में बाढ़ आ जाने के कारण वे कैम्प कोर्ट में नहीं पहुंच पाते हैं, इससे कई दिनों तक कैम्प कोर्ट की कार्यवाही एडजार्न होती रहती है। जब आधे से ज्यादा मुकदमे सांगोद क्षेत्र के हैं तो केवल मात्र दो दिन में मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पाता है। राजस्व मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पाने के कारण मुकदमों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है तथा सांगोद क्षत्र के काश्तकारों को काफी परेशानी हो रही है। सांगोद तहसील क्षेत्र में सावन-भादों परियोजना एवं हरिश्चन्द्र सागर परियोजना की नहरों से सिंचाई होती है, इस कारण सारा क्षेत्र कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत आता है।

सांगोद तहसील क्षेत्र सिंचित क्षेत्र होने के कारण रामगंजमण्डी सब डिवीजन में अधिकांश सीलिंग मुकदमे सांगोद तहसील के हैं। सांगोद क्षेत्र के बढ़ते हुए मुकदमों की संख्या एवं न्याय मिलने में होने वाले विलम्ब तथा मुकदमों के निस्तारण की स्थिति को देखते हुए सांगोद तहसील मुख्यालय पर असिस्टैण्ट कलक्टर कोर्ट का सृजन करना अत्यन्त आवश्यक है। सांगोद में मुन्सिफ न्यायालय स्थित है तथा बार एसोसिएशन की सुविधा भी उपलब्ध है, अतः जन हित में सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलाने के लिए असिस्टैण्ट कलक्टर कोर्ट का सृजन किया जाय तथा काश्तकारों को राहत पहुंचायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन लाल सैनी।

श्री रूपसिंह मिस्त्री, सिंचाई विभाग सवाई माधोपुर का आचरण

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सवाईमाधोपुर के अन्तर्गत श्री रूपसिंह मिस्त्री ने सिंचाई विभाग उप खण्ड, सवाई माधोपुर में प्रारम्भ में दिनांक 12 अप्रैल, 1967 को डाकनर के पद पर कार्य करना प्रारम्भ किया। श्री रूपसिंह ने अपनी जन्म तिथि सेवाभिलेख में 9.9.1954 अंकित करायी थी और शैक्षणिक योग्यता सातवीं कक्षा अंकित करायी थी। श्रीमान रूपसिंह की वृत्ति रिकार्ड में हेराफेरी कर न केवल अनुचित लाभ अर्जित करने की रही है अपितु राज कोष के दुरुपयोग के भी कई प्रकरण सामने आये हैं।

श्री रूपसिंह ने 18-?-1957 प्रथम नियुक्ति के समय अपनी आयु 9-9-1954 के स्थान पर सर्विस बुक में फर्जी जन्म तिथि 15-9-1950 अंकित करवा दी, क्योंकि 1954 की जन्म तिथि के कारण वह सेवा में नहीं लिया जा सकता था तथा तथा नियुक्ति अवैध हो जाती। इसी प्रकार रूपसिंह ने अपनी शैक्षणिक योग्यता में सातवीं पास के स्थान पर वरिष्ठता सूची एवं सेवा पुस्तिका में मिडिल पास होना अंकित करवाकर अनुचित पदोन्नति का लाभ लिया है। यही नहीं, श्री रूपसिंह को 1981 में जब पदोन्नति मिस्त्री के पद पर दी गयी तो उस समय आठवीं पास तो थे ही नहीं, लेकिन 1972 से मिस्त्री की ग्रेड का एरियर करीब 50,000 रुपये एरियर प्राप्त कर विभाग को धोखा दिया। इन्हीं आरोपों के आधार पर विभाग ने अपने आदेश दिनांक 28-9-1991 द्वारा उसे निलम्बित कर दिया तथा एक चार्ज शीट दी। एक विस्तृत आरोप पत्र भी रूपसिंह को दिया और जांच कार्य प्रारम्भ किया। प्राथमिक जांच अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सवाईमाधोपुर ने की और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट 6-2-1992 को अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई वृत्त, जयपुर को भेजकर रूपसिंह को सर्विस से पृथक करने की सिफारिश की।

श्री रूपसिंह के प्रभाव में आकर अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई वृत्त, जयपुर ने कार्यवाही को लम्बित करने की नीयत अपनायी, जिस मुख्य अभियन्ता को शिकायत करने पर उन्होंने दिनांक 23-5-1992 को अधीक्षण अभियन्ता को एक पत्र लिखकर तुरन्त कार्यवाही कर अवगत कराने का निर्देश दिया। इसके बाद भी अधीक्षण अभियंता द्वारा कोईकार्यवाही न किये जाने के कारण 4-7-1992 को मुख्य अभियन्ता द्वारा एक पत्र अधीक्षण अभियन्ता को पुनः शीघ्र जांच करने हेतु लिखा। तत्कालीन सिंचाई मन्त्री व पूर्व सचिव, सिंचाई विभाग ने भी इसी प्रकार के निर्देश दिये थे। श्री रूपसिंह अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ शराब पीकर दंगा करने का अभ्यस्त भी है। इसके विरुद्ध पुलिस में प्रभावित व्यक्तियों व विभाग ने रिपोर्ट 6-12-1990 को दर्ज करायी है। श्री रूपसिंह की अल्प आयु होने के बाद भी सर्विस में आने के बाद अनेक सम्पत्तियां खड़ी करना व सवाईमाधोपुर में भव्य भवन

(श्री मदनलाल सैनी)

का निर्माण, इसके द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार की पुष्टि करता है।

ऐसे भ्रष्ट अनैतिक कार्यों में लिप्त कर्मचारी के कारनामों की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही न कर उसको अधिकारियों द्वारा बचाने की कार्यवाही के कारण विशेष उल्लेख कर रहा हूं। मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र हो ताकि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू की विद्युत व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम नाई।

श्री किशनाराम नाई (श्रीडूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ जिला चूरू के बंजड़ क्षेत्र से सम्बन्धित है और करीब 60 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। इस विधान सभा क्षेत्र में रेतीला फर्श होने के कारण विद्युत विभाग को अपना कार्य सफलतापूर्वक करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय विभाग के पास वर्ष 1965 के मॉडल का एक ट्रक तथा वर्ष 1967 मॉडल की एक जीप हैं। उक्त दोनों गाड़ियां पिछले काफी वर्षों से कार्यरत नहीं हैं। जिला चूरू की 7 विधान सभा क्षेत्रों में से 6 को नये ट्रक अथवा जीप विभाग द्वारा दे दिये गये हैं जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बार-बार मांग करने के बावजूद भी नई गाड़ी नहीं दी गई है जिस कारण से विभाग का कार्य लगभग ठप्प सा पड़ा है। यह वहां की जनता के साथ अन्याय है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र को तत्काल नये मॉडल का एक ट्रक एवं एक जीप आवंटित की जावे ताकि विद्युत संकट को काफी हद तक निपटा जा सके। कई दूरदराज की विद्युत लाइनों के खम्बे लम्बे, समय से टूटे अथवा गिरे पड़े हैं, कई ट्रांसफार्मर्स जले अथवा खराब पड़े हैं। उन्हें उक्त साधनों के जरिये से तत्काल ठीक कराया जा सकेगा।

जोधपुर शहर के मानसिक चिकित्सालय का विस्तार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत जोधपुर शहर की जल योजनाओं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर में जल आपूर्ति एवं जल प्रदाय योजनाओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपको मानसिक रोग चिकित्सालय के विस्तार एवं अतिरिक्त सुविधाओं के सम्बन्ध में बोलना है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैंने कल यह दिया था। इसलिये मेरे को यह ध्यान है।

श्री उपाध्यक्ष : जब अध्यक्षजी व्यवस्था देते हैं, उस समय किस विषय पर बोलेंगे, यह बता दिया जाता है। खैर, आप बोलिये।....(व्यवधान) नहीं मानसिक रोग के ऊपर बोलना पड़ेगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर का मानसिक रोग चिकित्सालय राजस्थान में मानसिक रोगियों का सबसे पुराना अस्पताल है। इसकी स्थापना 1940 में हुई तथा जयपुर मानसिक चिकित्सालय की स्थापना 1942 में हुई परन्तु जोधपुर स्थित अस्पताल की ओर आजादी के बाद विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसके फलस्वरूप वर्तमान में इसमें केवल 85 शैयाएं हैं। लगभग 4-5 वर्ष पूर्व जोधपुर मानसिक चिकित्सालय के साथ में सटे वार्ड तथा आउटडोर का निर्माण नशामुक्ति केन्द्र के लिये किया गया।

जोधपुर शहर में स्थित मानसिक चिकित्सालय राजस्थान की एक तिहाई जनसंख्या (1.5 करोड़) की सेवाएं प्रदान करता है परन्तु उस अनुपात में शय्याओं की कमी है। 1964 के बाद इस अस्पताल में शैयाओं की बढ़ोतरी न होने से कई रोगियों को भर्ती की सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। अत: मेरा सुझाव है कि न केवल जनसंख्या की दृष्टि से बल्कि बच्चों और वृद्धों, मुजरिम मानसिक रोगियों को अलग अलग रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 30 शय्याओं के वार्ड का निर्माण शीघ्र किया जाना चाहिये। इलाज के आधुनिकतम मानवीय तथा तकनीकी दृष्टि से कम से कम दस कमरे का एक पारिवारिक वार्ड अवश्य बनना चाहिये।

जोधपुर शहर में कई उपेक्षित, लावारिस मानसिक रोगियों को सड़कों और गलियों में अमानवीय स्थिति में बैठे व घूमते नजर आते हैं। इस प्रकार के रोगी परिवार व समाज से तिरस्कृत व उपेक्षित रहते हैं बल्कि उनकी चिकित्सा भी नहीं होती। इस प्रकार के रोगियों की चिकित्सा का दायित्व राज्य सरकार का है। अत: पचास शय्याओं का एक पुनर्वास केन्द्र नव-अध्ययन चिकित्सालय जोधपुर में बनाया जाय। इससे ऐसे रोगियों का समुचित इलाज करके उनको काम धन्धे में लगाया जाय। इस प्रकार से रोगी समाज पर बोझ न बनकर आत्मनिर्भर बनें। पुनर्वास केन्द्र बनाने से समाज में ऐसे रोगियों की न केवल न्यूसेंस वैल्यू समाप्त होगी बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी एक बहुत बड़ी सेवा होगी।

जोधपुर शहर में शराब, अफीम, भांग तथा तम्बाकू इत्यादि पदार्थों का व्यसन बहुत है। शहर में एक प्रतिशत शराब तथा दो प्रतिशत व्यक्ति अफीम का व्यसन करते हैं। गांवों में अफीम का व्यसन 12 प्रतिशत तथा शराब का व्यसन लगभग 7 प्रतिशत व्यक्ति करते हैं। व्यसन छुड़ाने के लिये राज्य सरकार द्वारा नशामुक्ति केन्द्र मेडिकल कालेज के अन्तर्गत नव अध्ययन चिकित्सालय में बनाया गया था परन्तु आज स्थिति यह है कि इसका न तो कोई अलग अस्तित्व है बल्कि बजट, स्टाफ, फर्नीचर, मशीनरी, उपकरण इत्यादि भी स्वीकृत नहीं किये गये हैं। यह कैसी विडम्बना है कि सरकार स्वयंसेवी संगठनों को (विशेषकर भारत सरकार) मुक्तहस्त से व्यसन छुड़ाने में सहायता कर रही हैं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

और उसका सारा श्रेय इन स्वयंसेवी संगठनों को मिलता है। सरकारी क्षेत्र में अधिक सक्षम तथा कर्तव्यनिष्ठ प्रतिभाएं उपलब्ध हैं जिनका सरकार पूरा उपयोग नहीं करती है बल्कि यह स्वयं सेवी संस्था ही इसका पूरा-पूरा लाभ उठा रही हैं।

अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र की सम्बन्धित संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करें। इस बीच राज्य सरकार नशामुक्ति केन्द्र जोधपुर को अलग बजट, स्टाफ, फर्नीचर, मशीनरी उपकरण तथा अन्य साधन सुविधाएं उपलब्ध कराये और इनका श्रेय प्राप्त करे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार इस पर पूरा ध्यान देगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां।

बाड़मेर में बढ़ती हुई रेत एवं अतिक्रमण

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत जनहित में विशेष उल्लेख है। उपाध्यक्ष महोदय. निवेदन है कि राजस्थान के सीमावर्ती रेगिस्तानी जिला बाड़मेर में बढ़ती हुई रेती से व सिवायचक भूमियों पर अनाप-शनाप अवैध कब्जा होने से एक तो रेती बढ़ रही है और दूसरे पशुपालक क्षेत्र में सेवण घास का खात्मा भी हो रहा है। सरकार बार-बार कब्जों का नियमन करती रहती है और एलाट भी करती है जिससे पशुपालक लोगों के लिए एक मुसीबत खड़ी हो रही है। इससे पशु धन्धा बन्द हो जायेगा और लाखों लोगों में भयंकर बेरोजगारी आने वाले वर्षों में हो जायेगी। आज भी जिला बाड़मेर की तहसील चौहटन-बाड़मेर, गुढामालानी के पशुपालक तहसील शिव की सब-तहसील गड़रा रोड़ के क्षेत्रों में है और यह हमेशा के अनुसार जुलाई से दिसम्बर तक यहां रहकर जनवरी में वापस अपने अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। जिससे स्थानीय पशुपालकों में भारी झगड़े हो जाते हैं और पीने के पानी का संकट भी खड़ा हो जाता है।

अतः सरकार से निवेदन है कि सिवायचक भूमि को इस हालत में पड़त रखी जानी चाहिये। नहीं तो जगह जगह पर सरकारी जमीनों पर कब्जे करके बाद में नियमन के दावे कराते हैं और ऐसा सभी पटवारी लोग करा देते हैं जो गरीब पशुपालकों के साथ अन्याय होगा। तहसील शिव के पटवार मण्डल रोहड़ी, दराभा, खुन्दरा एव दाभड़ में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी खातेदारी की जमीनों को पड़त छोड़ रखा है और सरकारी जमीनों पर नियमन की उम्मीद के कारण कब्जा कर रखा है। इसलिये इस पटवारी की हरकतों को जल्दी प्रशासन रोकने का प्रयत्न करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हजारीलाल गुर्जर।

खेतड़ी में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना

श्री हजारी लाल गुर्जर (खेतड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में कृषि विज्ञान केन्द्र खुलवाने बाबत मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री हजारीलाल गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनू जिले में करीब एक वर्ष पूर्व ग्राम आबूसर में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के आदेश हो चुके हैं लेकिन आबूसर गांव में भूमि पर्याप्त नहीं है। केवल एक जोहड़ है जो मवेशियों के पीने के पानी और चारे के काम आता है ग्रामवासी अपने पशुधन को जिंदा रखने के लिये जोहड़ जगह का विरोध कर रहे हैं और कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं खोलने दे रहे हैं।

मैं आपसे विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस कृषि विज्ञान केन्द्र को आप खेतड़ी में खोलने का श्रम करें। इस हेतु हम खेतड़ीवासी आपको हमारे बबाई, प्रतापपुरा, गारडाता व पपुरना के गांवों में जितनी भूमि की आवश्यकता होगी उतनी ही भूमि आपके इस केन्द्र को उपलब्ध करा सकते हैं। इस हेतु किसी प्रकार का कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा।

आपसे मेरा पुरजोर निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियों में कृषि में पैदा हुए रोग, भूमि की जांच फसल के लिये करने हेतु तथा अनाज को अधिक पैदा करने के महत्व को देखते हुए इस कृषि विज्ञान जो झुंझुनूं जिले में हैं, इस केन्द्र को लैप्स नहीं होने देकर इस गांव में खुलाने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा। (अनुपस्थित)।

श्री मोहनलाल बारूपाल।

तहसील जायल में सड़क निर्माण कार्य की राशि का भुगतान

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्रीजी का ग्राम छाजोली, तहसील जायल जिला नागौर में पधारने का कार्यक्रम था, परन्तु भरतपुर में दंगे के कारण छाजोली नहीं पधार पाये। माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्वागतार्थ छाजोली से डेह तथा बुरड़ी में कई जगह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठेके पर सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया गया मगर काफी समय निकल जाने के बाद भी ठेकेदारों का कार्य का भुगतान नहीं किया गया है जिससे कई मजदूरों का भुगतान भी बकाया है।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जायल तहसील के ग्राम मातासुके रोहड़ी नाड़ी का 30 हजार रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।

मैं आपके माध्यम से एक छोटीसी कविता सुना देता हूं, काफी दिनों से लोग कह रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : इसी बकाया के सम्बन्ध में सुनाना। पैसे बकाया हैं इसी के सम्बन्ध में सुनाना।

श्री मोहनलाल बारूपाल : बकाया के सम्बन्ध में ही सुनाऊंगा। हमारे लोग कहते

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

हैं कि कविता सुनाइए साहब, क्या सुनाऊं साहब, हमारा परिवार था, वह न्यारा-न्यारा बंट गया। हम पहले तो 55 आदमी थे, रह गए 29 और अब 29 में से 13 चले गए अब रह गए 16, क्या कविता सुनाऊं।

महात्माजी कहते हैं कि "आगे बेरो, लारे खाड़, ठाकर खावे बाढ़, माढ़।" भूल गई रंग-राग, भूल गई छकड़ी, तीन बात याद रही तेल, लूण, लकड़ी।"

महात्मा जलन्धरदासजी कहते हैं कि–

"खेलो चोरस रखो बगल में
जीती बाजी हारो क्या ?
और जुबान जैसी प्यारी जगत में,
और जुबान जैसी खारी क्या ?

महात्मा गोरखनाथजी कहते हैं कि –

"साधु होकर चेली रखता
वह साधु तप धारी क्या ?
और विधवा नारी फिर इत्र लगावे
तो उसने आत्मा मारी क्या ?
ब्राह्मण होकर वेद नहीं जाने,
तो वह ब्राह्मण व्रत धारी क्या ?
और वेदी होकर वेद नहीं जाने,
वह वेद धारी क्या ?

खेलो चोरस रखो बगल में
जीती बाजी हारी क्या।
और जुवान जैसी प्यारी जगत में,
जुबान जैसी खारी क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री मोहनलाल बारूपाल : यह पूरी थोड़े ही हो गई।

"मित्र होकर करे बुराई।"

आप मेरे मित्र हैं और फिर मेरी बुराई करें, फिर मित्र क्या। इसलिए

"मित्र होकर करे बुराई
उसकी मित्रता क्या ?
और अपने पति को जहर पिलादे
वह पतिव्रता नारी क्या ?
जिस नगरी में दया धर्म नहीं,
उस नगरी में रहना क्या।
कहे मच्छन्दर सुनिए गोरख
नहीं माने जिसे कहना क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिए।

श्री मोहनलाल बारूपाल : एक कड़ी और है।

श्री उपाध्यक्ष : कविता कम्प्लीट हो गई। अब आप बिराजिए।

श्री मोहनलाल बारूपाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक कड़ी और है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दीजिए।

श्री मोहनलाल बारूपाल : महापुरुषों का वचन सुनिए आप। मेरे कोई काम काज कराने की कोई बात नहीं है।

कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि–

"देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव।
रूखा-सूखा खाईके, ठंडा पानी पीव।"

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य जन्म में आकर तो भला काम करना चाहिए।

"मनुष्य जन्म पाइके सुख करसी दोय।
अन्त समय जब आएगा तो याद
करेगा कोय।"

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बढ़िया। माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह जी।

विद्युत मण्डल में कार्यरत इंजीनियर्स की मांगें

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहूंगी कि दिसम्बर, 1991 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कार्यरत अभियन्ताओं की संघर्ष समिति ने विद्युत मण्डल प्रशासन व राज्य सरकार के समक्ष निम्नलिखित दो सूत्रीय मांग-पत्र प्रस्तुत किया था, जो निम्न प्रकार से था–

(1) प्रदेश में आज विद्युत मांग व उपलब्धता के बीच बढ़ती खाई को कम करने के लिए स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं का कार्य विद्युत मण्डल अपने अभियन्ताओं से तुरन्त प्रभाव से चालू करवाएं।

(2) अभियन्ताओं की कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए अन्य पड़ोसी राज्यों के विद्युत अभियन्ताओं की भांति समयबद्ध वेतन शृंखला दी जाए। इन्हीं दो मांगों को लेकर दिनांक 23 अप्रैल, 1992 से राजस्थान के 4000 बिजली इंजीनियर्स ने हड़ताल की, परन्तु हड़ताल से पूर्व ही राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व रेशमा जैसे कानून लगाकर आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया जबकि भारतीय जनता पार्टी तथा खास तौर से मुख्य मंत्री, माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत हमेशा से इन काले कानूनों की निंदा करते रहे हैं। हड़ताल के दौरान भी सरकार ने वही निन्दनीय और अप्रजातांत्रिक तौर तरीके अपनाए जो इससे पहले की सरकारें नहीं अपनाती थीं। इस सरकार के दमनात्मक तौर तरीकों ने अंग्रेजों और सामन्ती राज के दमन को याद दिला दिया। हड़ताल के दौरान ही माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ राजनेताओं के एक प्रतिनिधि मण्डल को यह आश्वासन दिया था कि आंदोलन यदि वापस लिया जाता है तो मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। साथ ही दमनात्मक कार्यवाहियां वापस ले ली जाएंगी।

लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विद्युत मण्डल ने एक भी दमनात्मक कदम वापस नहीं लिया है जिनमें निम्नलिखित कदम हैं :–

(1) 41 प्रोबेशनरी कनिष्ठ अभियन्ताओं को सेवा मुक्त किया था उनको वापस सेवा में नहीं लिया गया है।

(2) हड़ताल के दौरान दर्ज किए गए मुकदमें वापस नहीं लिए गए हैं।

(3) संघर्ष समिति के केन्द्रीय नेतृत्व सहित सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं के स्थानान्तरण प्रदेश भर से सैंकड़ों की संख्या में किए गए हैं।

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

(4) हड़ताल में शामिल अभियन्ताओं को चार्जशीट देकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का दौर जारी है।

(5) हड़ताल खत्म होने के बावजूद सैंकड़ों अभियन्ताओं को एक माह से अधिक समय तक ड्यूटी पर नहीं लिया गया तथा उस अवधि का वेतन आज तक नहीं दिया गया है।

(6) सैंकड़ों अभियन्ताओं के स्थानान्तरण के दिन से ही उनको उपलब्ध सरकारी आवास का चार गुना किराया वसूल किया गया है। उतना ही नहीं बदले की भावना से ग्रसित होकर समिति के संयोजक, श्री बी. एस. मील को सेवा से पृथक किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो यह एक दुर्भाग्य पूर्ण और अप्रजातांत्रिक कदम होगा जिसे रोके जाने के लिए तमाम प्रजातांत्रिक और भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की हामी भरने वाली यह सरकार विद्युत मण्डल प्रशासन के इस कुकृत्य को क्रियान्वयन करने से पहले रोके अन्यथा परिणाम बुरे होंगे।

मैं यहां यह जानकारी देना चाहती हूं कि यह मान्यता प्राप्त इंजीनियर एसोसियेशन है. इसकी संघर्ष समिति ने पहले प्रदर्शन, फिर धरना व एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने के बाद चार महीने बाद जब संघर्ष समिति के पास कोई रास्ता नहीं बचा तब संघर्ष समिति को हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा।

मैं विद्युत मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से....(व्यवधान)....

श्री रतनाराम चौधरी : दोनों ही नहीं हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विराजमान हैं और सदन बैठा हुआ है, मैं समझती हूं कि मेरी भावना से अवगत करा देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपील करती हूं कि वे अपना प्रभावी हस्तक्षेप करते हुए विद्युत मण्डल पर दबाव डालें कि बिजली इंजीनियर्स की दो न्यायोचित मांगों पर विचार करते हुए तमाम दमन के कदम वापस लेने की मेहरबानी करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिलसुख राय चौधरी।....(व्यवधान)....

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य मंत्री ही क्या, कैबिनेट के 5–7 मंत्री बैठे हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आर. एस. ई. बी. के राज्य मंत्री बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इतना पेचीदा मुद्दा आपने उठाया है उसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी ही दे सकते हैं। बाकी सुन सब रहे हैं यहां।

श्रीमती सुमित्रासिंह : राज्य मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अधिकार तो है पर अलग-अलग है।

नावां (नागौर) में नमक उद्योग से उत्पन्न स्थिति

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत तहसील नावा जिला नागौर में व्यवसाइयों द्वारा जमीनें खरीद कर नमक बनाने के उद्योग शुरू करने के बाबत।

तहसील नावां जिला नागौर में काफी बड़े क्षेत्र में व्यवसाइयों द्वारा जमीनें खरीद कर नमक बनाने का उद्योग शुरू किया था जिसमें कि राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार स्वीकृति नहीं लेने से काफी व्यक्तियों के दण्ड एवं जुर्माने किये गये हैं। इसके पश्चात् नमक निर्माण करने वाले उद्यमियों द्वारा नियमानुसार सिंचित कृषि भूमि को नमक विनिर्माण प्रयोजन के लिये रूपान्तरण हेतु जिलाधीश नागौर के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। इन प्रार्थना पत्रों का जिलाधीश नागौर के यहां करीबन 12 महीने के पश्चात् रेवेन्यू विभाग राजस्थान सरकार को जयपुर भेजा गया था। रेवेन्यू विभाग राजस्थान सरकार के पास पांच-छः महीने से फाइलें पड़ी रहें। वापस नियमों में संशोधन करके राजस्थान भू-राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये परिवर्तन के लिये नियम 1992 के द्वारा जिलाधीश नागौर को भेज दी तथा जिलाधीश ने इन फाइलों को नमक विनिर्माण के लिये अकृषि प्रयोजन के लिये मंजूरी नहीं देकर राजस्व संशोधन 1992 के स्पष्टीकरण के लिये एक पत्र रेवेन्यू विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को भेज दिया था। लेकिन उस पत्र का स्पष्टीकरण वापस नहीं जाने से तहसीलदार नावां एवं रेवेन्यू विभाग जयपुर के नमक व्यवसाइयों द्वारा बार-बार आना पड़ रहा है तथा जब तक इस कृषि भूमि का नमक विनिर्माण के लिये अकृषि प्रयोजन के लिये रूपान्तरण नहीं होने से काफी आर्थिक नुकसान लगातार हो रहा है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव से माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित अविलम्ब इन नमक व्यवसाइयों की सिंचित रूपान्तरण के लिये कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनाराम।

ग्राम पूरण (सांतरू) एवं दानवाड़ा जिला जालौर के सिंचाई बांधों को अतिवृष्टि से क्षति

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का ध्यान 295 द्वारा ग्राम पूरण (सांतरू) दातवाड़ा के तीनों सिंचाई के बांध विभाग की लापरवाही एवं गलत पानी का निकास से करोड़ों रुपयों की हानि बाबत।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि अभी कुछ दिनों पहले जालौर जिले में अतिवृष्टि से ग्राम पूरण में जो सिंचाई का बांध बना हुआ था उनका विभाग द्वारा पानी का गलत निकास रखा गया जिससे पानी का ओवर फ्लो हो गया और बांध में रेती भर गई पूरे बांध में एक बूंद पानी नहीं रहा। सारा का सारा पानी काश्तकार के बेरे, कुएँ जो पक्के बने हुये थे तथा कुओं की जमीन जो कीमती थी सारी की सारी नष्ट कर दी गई तथा जमीन में खड्डा 15-15,

(श्री रतनाराम चौधरी)

20–20 फुट गहरा हो गया तथा सारी जमीन पर करीब पांच-पांच तथा दस-दस फुट रेत जम गई ये वे कुऐं तथा बेरों की संख्या करीबन 50 है और करोड़ों रुपयों की जमीन से काश्तकारों को हाथ धोना पड़ा। इन तमाम लोगों ने जिलाधीश जालौर को भी रिपोर्ट दी तथा जिलाधीश ने मौका भी देखा है।

तथा तहसीलदार भीनमाल ने भी मौके की रिपोर्ट बनाई है। हलका पटवारी ने भी सारे काश्तकारों के नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार भीनमाल एवं श्री जिलाधीश जालौर को दी है जो करीबन 30 लाख का नुकसान बताया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस बांध को लोगों की राय के अनुसार पुनः या तो मजबूत बांधा जाय और ठीक तरह से निकास रखा जाय तथा बांध में आई हुई रेत को पूरी तरह हटाई जाय नहीं तो यह बांध जनहित में तोड़ दिया जाये तथा जो काश्तकारों के बेरे नष्ट हो गये हैं तथा जावां में खड्डे तथा रेत आ गई है वो पूरी राज्य सरकार द्वारा हटाई जाने की व्यवस्था करावें तथा कुऐं एवं पम्पिंगसेट तथा बिजली के मीटर वगैरह का नुकसान हुआ है उन काश्तकारों को पूरी सहायता की राशि दी जाये।

अत कृपया जल्दी ही जिलाधीश जालौर से पूरी रिपोर्ट मंगवाई जाकर अतीशीघ्र आदेश प्रदान कर काश्तकारों को राहत पहुंचाई जाय जैसा कि अभी गुजरात सरकार ने काश्तकारों को सहायता की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं 1990 में तीनों बांध पहले भी फूट गये थे। सन् 1990 में मैं जब से इस विधान सभा में आया हूं तब से मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान, लिखित में भी कई बार लिखकर दिया और मंत्री जी ने विभाग को कोई निर्देश नहीं दिये ...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रतनराम चौधरी : विभाग की लापरवाही के कारण और गलत तरह से बांध बंधने के कारण करोड़ों रुपयों की जमीन और जायदाद से काश्तकारों को हाथ धोना पड़ रहा है। आप भी काश्तकार हैं। जब अपनी जमीन और जायदाद से हाथ धो जाता है तो काश्तकार बिल्कुल खाली रह जाता है। मैं गुजरात का पड़ौसी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय गुजरात में जो बाढ़ में जमीनें खराब हुई थी उन काश्तकारों की जमीन पर जो रेती आई उसको गुजरात सरकार ने अपने ट्रेक्टरों द्वारा हटाई थी और जिनके खेत नष्ट हो गये थे उनको हर्जाना दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री भरोसी लाल जी।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए राजस्थान सरकार को आप निर्देश दें कि जो काश्तकारों के कुऐं खराब हो गये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यवस्था का उल्लघंन कर रहे हैं, बिराजिये।

श्री रतनाराम चौधरी : सरकार उनको उचित मुआवजा देवे। उनकी जमीन को ठीक करवाने के आदेश दें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाइये चौधरी साहब, अंकित नहीं होगा आपका।

श्री रतनाराम चौधरी : ××××

श्री उपाध्यक्ष : जितना कहना था उतना कह चुके।

श्री रतनाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बहुत कुछ कह दिया आपने।

माननीय चौधरी साहब बिराजिये मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक इन सारी समस्याओं के बारे में मेरे से मिले थे और जब यह मेरे से मिले और किसान प्रतिनिधिमण्डल के साथ मिले, मैंने इन्हें आश्वस्त किया था कि नियमानुसार जो भी कार्यवाही की जायेगी वह अवश्य की जायेगी और टूटे हुये बांधों के बारे में जो इन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मैंने मेरे विभाग से टिप्पणी मंगवा ली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ×××को विश्वास दिलाता हूं कि यथा सम्भव इन साधनों के अनुसार उनकी मांग पूरी करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरोसीलाल जी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बाघ परियोजना का लगा है मैंने भी एक....

श्री उपाध्यक्ष : आ जायेगा वह भी, माननीय सदस्य इन्ट्रप्ट मत करिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं कह रहा हूं कि मैंने काल अटेन्शन इसी सम्बन्ध में दिया था। मेरा नाम नहीं है। कृपा करके सम्मिलित कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : हो जायेगा जब आयेगा तब। माननीय भरोसी लाल जी।.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्यों नहीं है। इस पर व्यवस्था दीजिये आप। एक पक्षीय तो चलता नहीं है। आसन को सबका ध्यान रहता है।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा भी 295 का था। प्रक्रिया है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष जी से जाकर मिल लीजिये आज नहीं तो कल लग जायेगा....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, अन्याय हो रहा है हमारे साथ।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के समय आप सवाल कर सकते थे। अब आप कह रहे हैं, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। माननीय भरोसी लाल जी।....(व्यवधान)

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामनारायण वर्मा : हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। आप जस्टिस दिलवाइये। किसी तरह इनजस्टिस हमारे साथ होता है तो....(व्यवधान) एस. सी. के.....

श्री उपाध्यक्ष : सदन में एस. टी. और एस. सी. होता है क्या ? माननीय भरोसी लाल जी बोलिये....(व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : मैं कुम्हेर काण्ड में शामिल नहीं हूं जो एस सी. का मेरे ऊपर लांछन लगा रहे....(व्यवधान)

श्री भरोसीलाल : हम एस. सी. के है हमको तो बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एस. सी. के हैं हमको तो बोलने दीजिये।

तहसील हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर में किसानों को डी. ए. पी. खाद

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के नियम 295 तहसील हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर में किसानों को डी. ए. पी. खाद उपलब्ध नहीं होने से कठिनाई होने के सम्बन्ध में।

महोदय, तहसील हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर के काश्तकारों को सरसों की फसल बोने के लिये डी. ए पी खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है तथा उप निदेशक कृषि विभाग हिण्डौन के ऑफिसों में कृषि प्रसार अधिकारी एवं उप निदेशक मिलते नहीं है। काश्तकार डी. ए. पी. खाद के परमिटों के लिये उप निदेशक ऑफिस में हजारों की संख्या में चक्कर लगा रहे हैं लेकिन ऑफिस में कोई अधिकारी नहीं मिलता है। कुछ परमिट डी. ए. पी. खाद के दिये भी गये हैं तो दुकानदारों ने परमिट का खाद नहीं दिया है। किसान दुकानों पर जाते हैं तो दुकानें बन्द मिलती है जिससे किसान की सरसों की फसल की बुवाई लेट हो रही है। दुकानदारों ने पुरानी रेट का स्टाक दिनांक 24.8.92 की सरकार की बढ़ी हुई दर के कारण स्टाक खत्म कर रखे हैं तथा ब्लेक में किसानों को पांच सौ रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से लेना पड़ रहा है जबकि एफ. सी. आई. के गोदामों में पेरादीप का 186 टन खाद सरदार ब्राण्ड एवं नर्बदा का 230 टन खाद पुरानी रेट का रखा हुआ है फिर भी किसानों को खाद नहीं मिलने से त्राहि-त्राहि मची हुई है। उप निदेशक कृषि विभाग हिण्डौन द्वारा दुकानों को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं दिये गये हैं जिससे दुकान पर नई रेट का खाद उपलब्ध करा सके तो पुरानी डी ए. पी. खाद को दुकानदारों ने कृषि विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से छुपा रखा है। उनके गोदामों पर छापे मारे जावें तथा किसानों को अविलम्बनीय खाद उपलब्ध कराया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : भरोसीलाल जी इस पर चर्चा हो चुकी है। श्री श्रीकिशन सोनगरा।

अजमेर नगर में पेयजल वितरण व्यवस्था

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर का जल

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

संकट सर्वविदित है, जनता की समस्या उस समय और बढ़ जाती है जब पानी प्रतिदिन बिना प्रेशर के दिया जाता है उसके कारण शहर के चार दीवार के भीतर बसी घनी आबादी जो तीन-तीन मंजिलों के मकान में रहती है ऊपरी मंजिलों में पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच पाती है यह हाल एक दिन का नहीं प्रतिदिन का है। कुछ बस्तियों की बसावट इतनी सकड़ी गली में है कि वहाँ पानी के टैंकर व गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाती हैं इस कारण इन्हें दो रुपये कावड़ में पानी भरवाना पड़ता है जो आर्थिक रूप से अत्यन्त कष्टदायक है जो आम उपभोक्ता के बूते के बाहर है। ऐसी बस्तियां हैं होली दड़ा, नसिंग गली, खटोलापोल, मोदियाना गली, मुंदड़ी मोहल्ला, पन्नीग्राम चौक, खादीम मौहल्ला, लंगर खाने की गली, चाह अरहर इमाम बाड़ा, लाखन कोटड़ी, बिहारी गंज, भगवानगंज, जौन्सिगंज, गड्डी गलियाना आदि क्षेत्र काफी प्रभावित हैं। इस प्रकार शहर के अधिकांश आबादी पानी के प्रेशर के अभाव में काफी परेशान है। विशेष प्रयास कर इसका शीघ्र निदान करायें।

इस वर्ष अजमेर शहर के जल वितरण के मुख्य स्रोत फाईसागर में वर्षा का नाम मात्र पानी आया है और यह काफी खाली है इससे लगता है कि अजमेर शहर के लिये आगामी गर्मी के पूर्व ही जल संकट का भी कहर आने वाला है। बीसलपुर योजना को शीघ्र पूरा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है अतः इस हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराकर युद्ध स्तर पर यह कार्य पूरा कराया जावे अथवा अजमेर शहर की जल आपूर्ति सुचारू बनी रहे इस हेतु अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की योजना शीघ्र बनाकर इसकी क्रियान्विति तुरन्त प्रभाव से कराई जाकर हम आगामी जल संकट का मुकाबला कर सकेंगे। राज्य सरकार से हमें पूर्ण आशा है कि शहर में पानी प्रेशर के साथ व पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की उचित व्यवस्था करेगी वह आगामी जल संकट को ध्यान में रखते हुए शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था पर कार्यवाही प्रारम्भ कर समस्या का समाधान करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह (अनुस्थित)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

खूंटखेड़ा गांव, थाना बयाना जिला भरतपुर के निवासी नीके गुजर की नाबालिग लड़की का अपहरण

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हरि सिंह (महुआ) एवं श्री रामस्वरूप सदस्य, विधान सभा माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनतन्त्र में भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की 4-5 अक्टूबर, 1991 को जो कान्फ्रेंन्स हुई थी गवरमेण्ट आफ इण्डिया में उसके आधार पर जो निर्णय लिये गये इनके पद भरे जायें। राजस्थान में ऐसी जगह पर जहां गवरमेन्ट का नामीनी है और उसके इण्टरव्यू हों उस

(श्री रामनारायण वर्मा)

जगह भी गवर्नमेण्ट नामीनी इसलिए नियुक्त नहीं कर रहे हैं ताकि वहां शिडयूल्ड कास्ट के लोगों के इन्टरव्यू नहीं हों। राजस्थान विश्व विद्यालय में यही हालत है उप-कुलसचिवों का इण्टरव्यू 25 तारीख को है। इसको पिछले दिनों रखा गया 15 दिन पहले और क्योंकि वह गवर्नमेण्ट का नामीनी नहीं था उनको सारा का सारा पोस्टपोन कर दिया गया इण्टरव्यु और दूसरे लोगों की फीस भरी जा रही है। इससे यह साबित होता है, हालांकि यह सरकार क्या चाहती है लेकिन इससे यह साबित होता है कि आदिवासी हरिजनों के साथ इस तरह से....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये अब आप.... माननीय हरिसिंह जी .. आप कह चुके हैं बिराजिये अब आप....कोई नियम नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है...आप पुराने सदस्य हैं....सदन में कोई नियम और कायदा कानून भी है....(व्यवधान)....रिकार्ड नहीं किया जाये।

श्री रामनारायण वर्मा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, दिनांक 14–4–92 को थाना बयाना जिला भरतपुर स्थित गांव खूटेखेड़ा (नगला-फागना) के निवासी नीके गुर्जर की नाबालिग लड़की राजवन्ती का अपहरण हुआ और 5½ महीने के बावजूद भी लड़की की बरामदगी नहीं हुई और न ही किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। इस ओर मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री जी।

श्री दिग्विजयसिंह (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 14-4-92 को थाना बयाना जिला भरतपुर पर अ.सं. 175/92 धारा 147, 323, 452, 366 भादसं. के अन्तर्गत श्री पुखराज, गुजर, निवासी नगला फागुना खूटाखेड़ा की इस रिपोर्ट पर पंजीबद्ध हुआ कि वह अपने माता-पिता, भाई-बहिनों के साथ सो रहा था तो रात्रि में देवीसिंह, भगवानसिंह, भैरूंसिंह, ओपत, रामरतन, महाराजसिंह, बहादुर गुजर निवासी पाजीपुर व अमरसिंह, जगन गुजर निवासी जसोरा एवं लवन, जगन, करतार थाना डांग घर पर आये उसको व उसके पिता व भाई के साथ लाठियों से मारपीट कर उसकी बहिन राजवंती उम्र 17 साल को अपहरण कर ले गये।

अभियोग पंजीबद्ध कर थानाधिकारी बयाना द्वारा अनुसन्धान प्रारम्भ किया। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर अपहरण की गई लड़की राजवन्ती व अभियुक्तों की तलाश एवं पतारसी के प्रयास किये। दिनांक 14-4-92 को गाजीपुर में तलाश की गई। अभियुक्तों के थाना डांग क्षेत्र में होने की सूचना मिलने पर दिनांक 20-4-92 व 21-4-92 को दबिश दी गई। दिनांक

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री दिग्विजयसिंह)

21 व 24 मई, 1992 को ग्राम बिजुरा थाना महावीरजी, ग्राम केसरी थाना नादोती, ग्राम गाजीपुर थाना मासलपुर में दबिश दी गई। दिनांक 1.6-92 से 12-6-92 तक कुम्हेर काण्ड के फलस्वरूप जिला पुलिस को कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने में व्यस्त रहने के बावजूद भी दिनांक 9-6-92 को ग्राम ताली थाना मासपुर व 10-6-92 को ग्राम नगला फागूना थाना बयाना में दबिशें दी गई। दिनांक 22-6-92 को श्रीमान् उपमहानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज के द्वारा अपहरण की गई लड़की की बरामदगी व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए आदेश एवं निर्देश देने पर अधिकारी व 100 जवानों का अतिरिक्त जाप्ता थाना बयाना भेजा गया जो थानाधिकारी बयाना के नेतृत्व में 8–10 ग्रामों के सभी सम्भावित स्थानों पर अपहृत लड़की एवं अभियुक्तों की तलाश की गई एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई व पूछताछ हेतु कुछ व्यक्तियों को साथ लाना चाहा तो गुर्जर समाज के भारी मात्रा में लोगों द्वारा प्रतिरोध कर झगड़े की सम्भावना उत्पन्न कर दी। पुलिस द्वारा बड़े संयम से गम्भीरतम स्थिति पर नियन्त्रण किया गया।

अभियुक्तों द्वारा अपनी अग्रिम जमानत करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्रों की सुनवाई के सम्बन्ध में अभियोग पत्रावलि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दिनांक 26-7-92 से 12-9-92 तक विचाराधीन रही। इस कारण से अन्वेषणात्मक कार्यवाही नहीं हो सकी। दिनांक 16 व 17-9-92 को नगला फागुना व गाजीपुर में अभियुक्तों की तलाश के लिए दबिश दी गई। परन्तु अभी तक अभियुक्तों व अपहृत लड़की के बारे में कोई ठोस पता नहीं चल पाया है।

एक उल्लेखनीय है कि अन्वेषण में यह भी पाया गया है कि कुमारी राजवन्ती की सगाई सियाराम नामक लड़के के साथ की गई थी परन्तु उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसका भाई देवीसिंह जो 40-50 वर्ष की उम्र का है, इस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता है और विवाह के लिए लड़की के परिजनों पर दबाव भी दिया। लड़की के परिजन इस बात पर कुछ सहमत भी हो गये परन्तु इस सहमति की क्रियान्विति नहीं होने के कारण देवीसिंह और उसके दल के सदस्यों के द्वारा यह घटना कायम की गई। इस घटना को लेकर गुर्जर समाज दो भागों में विभक्त हो रहा है जिसमें एक पक्ष उसकी लड़की शादी देवीसिंह के साथ कराना चाहता है और दूसरा पक्ष इस घटना के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयत्नशील है। गुर्जर समाज के दोनों पक्षों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है, इसके कारण भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लड़की की बरामदगी नहीं हो पा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं उस लड़की की बरामदगी के लिए पुलिस द्वारा हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 25-9-92 को गांव खूंटखेड़ा तहसील बयाना में 25 गांवों का गुजर समाज की होने वाली पंचायत में कोई निर्णय नहीं हो सका। कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस सजग

(श्री दिग्विजयसिंह)

है व स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। बरामदगी हेतु पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध कर रहा हूं जैसा कि आपने स्टेटमेंट दिया है, आपकी जानकारी में भी यह बात वहां के पुलिस विभाग और अधिकारियों द्वारा लाई गई है कि खूंटखेड़ा गांव में नीके गूजर की लड़की राजवन्ती की मंगनी मासलपुर थाने के अन्तर्गत गांव गाजीपुर के सियाराम गूजर के साथ होनी थी। सियाराम की डेथ हो गई और डेथ होने के बाद में सियाराम का बड़ा भाई जिसकी उम्र 45–50 वर्ष है, वह उस लड़की के पिता नीकेराम को इस बात के लिए बाध्य करता रहा है कि छोटा भाई मर गया है तो मेरे साथ शादी कर दो। लड़की के बाप ने लड़की की उम्र और लड़के की उम्र में बहुत बड़ा अन्तराल होने से उन्हें मना कर दिया कि अगर आपसे शादी करनी होती तो मैं पूर्व में ही आपको नहीं छोड़ता। आप लड़की के हम उम्र नहीं थे इसलिए मैंने रिश्ता आपके छोटे भाई से किया था और आपने हँस-हँस के लिया था।

मान्यवर, यह बात नहीं मानने पर दिनांक 14-4-92 को देवीसिंह नामक गाजीपुर का यह व्यक्ति 20–25 आदमियों को साथ लेकर गिरोहबंद हो करके बयाना के पुलिस अधिकारियों से पूर्व में बातचीत करके तब खूंटखेड़ा गांव में रात के एक बजे उन्होंने हमला किया। गृह मंत्रीजी, आपसे अनुरोध करूंगा कि जो एफ.आई. आर. दर्ज करवाई गई है, यह एफ.आई. आर. डिक्टेटेड बाई दी सब इन्सपेक्टर आफ पुलिस बयाना और जिसे पुखराज नामक लड़के के एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है, उसके दस्तखत करवाये। सच्ची घटना यह है कि उन आदमियों ने आपके गांव में हवाई फायर किये हैं, बन्दूकें चलाई हैं, लोगों को एलान किया है कि यह हमारे और नीके गूजर के बीच का झगड़ा है। यह लड़की हमारी मांग है, इस लड़की को हम ले जायेंगे और बीच में कोई व्यक्ति व्यवधान करेगा तो उसको मौत के घाट उतार दिया जायेगा। यह एलान करके वो ले गये थे। लड़की के भाई और बाप को उन्होंने सोते हुए को काटा, उनके हाथ-पैर काट दिये हथियारों से और लड़की को जबरन जबरदस्ती उठाकर के ले गये। इस घटना की रिपोर्ट 14-4-92 को प्रातःकाल पुखराज नामक नीके गूजर के छोटे लड़के ने थाने में जाकर दर्ज करवाई लेकिन उसमें डकैती का केस नहीं बनाया, इन्टेंसली डकैती के केस को अवाइड किया गया और मात्र 366 की धारा लगाकर एक केस बनाया गया लेकिन उसके बाद में इसका जो हश्र हुआ है, मान्यवर, आपके खुद के स्टेटमेंट से यह साफ जाहिर होता है कि 14-4-92 को घटना हुई और पुलिस जा रही है 17-4-92 को, तीन दिन बाद में लड़की का पीछा करने के लिए, जबकि प्रातःकाल ही पुलिस को पता चल गया कि उनके यहां रिपोर्ट दर्ज हो गई। डी.वाई.एस.पी. वहां रहते हैं। उनके पास पर्याप्त फोर्स थी तो क्यों नहीं सूचना मिलते ही पीछा किया गया था लेकिन पीछा क्यों करते

(श्री हरिसिंह)

क्योंकि वे पैसे खाये हुए बैठे थे। उन्होंने उनको निर्भीक कर रखा था।

मान्यवर, पूरे 15 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैं स्वयं भरतपुर डी.आई.जी. रेंज से मिला, एस.पी. साहब से मिला, एडिशनल एस. पी. साहब से मिला और मुझे उन्होंने उचित कार्यवाही करने का मात्र थोथा आश्वासन दिया लेकिन कार्यवाही नहीं हुई।

मान्यवर, उनकी सबकी कार्यवाही देखने के बाद मैं स्वयं 21-5-92 को आपकी सेवा में हाजिर हुआ और मैंने खुद ने गृह मंत्रीजी के पास में अपने दस्तखतशुदा प्रार्थना-पत्र दिया कि यहां बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। नाबालिग लड़की 14 वर्ष की, उस लड़की के साथ में निरन्तर बलात्कार किया गया है। दर्जी को उठाकर ले गये और न तो सरकार संवेदनशील है और न सरकार का प्रशासन इस ओर संवेदनशील है और या तो उन्होंने दिमाग में यह बना लिया है कि गुर्जर में इस तरह की घटना घटती रहती है, गुर्जर इन्सान नहीं जानवर है। उनकी धर्मपत्नी, बहू-बेटी की अगर इज्जत लुटती है और प्रशासन सोता है तो इससे ज्यादा+++ स्थिति प्रशासन के पास में और दूसरी क्या हो सकती है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से जो गृह मंत्रीजी ने आदेश दिया था, एस.पी. भरतपुर को, उसकी दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं :—

"S.P. Bharatpur.

Immediate action be taken. It is surprising that no action in this case has been initiated. The culprit and the girl be recovered within a fortnight, and let me have a compliance report." गृह मंत्री महोदय, इसके बाद में आपको एक कम्प्लाइंस रिपोर्ट नहीं मिली, न टेलीफोन पर सूचना दी और न आपको लिखित में सूचना दी और आपको यह आदेश 20-5-92 को एस. पी. साहब के पास में पहुंचा। जब एक महीने तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो मैं स्वयं डी.जी. की सेवा में हाजिर हुआ और डी. जी. साहब के यहां लड़की के भाई पुखराज से एक प्रार्थना-पत्र मैंने दिलवाया और जिस पर डी.जी. साहब ने आदेश दिया, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से दो लाइन पढ़कर सुना दूं :—

"D.I.G., Range Bharatpur.

The applicant has tried everywhere to get his minor sister recovered. The M.L.A. Mahua and the applicant are convinced that S.H.O. Bayana is misbehaving. They allege that the S.H.O. is asking for bribe to recover the girl". और उन्होंने साथ ही यह लिखा कि 24 तारीख को मैं भरतपुर आ रहा हूं और पूरी कम्प्रेहेन्सिव रिपोर्ट मुझे मिलनी चाहिये। 22 तारीख को पुलिस 100 आदमियों को लेकर गई। पुलिस मुल्जिम नहीं लाई। जैसा आपने स्टेटमेंट में पढ़ा है

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

कि वहां पर गुर्जर जाति के लोगों को पुलिस ने रोक दिया, लोग तो भाग गये थे और पुलिस वहां से दो महिलाओं को पकड़ लाई। एक तो वह जो लड़का अपहरण करके ले गया है, उनके ताऊ के लड़के की बहू थी जो इस लड़की की कजिन सिस्टर, उसको पकड़ लाई और एक थी उसकी चचिया सास उसको पकड़ लाई और पुलिस वहां से लाकर के सूरोड़ थाने में उन औरतों को लाकर बैठा दिया। करीब 60-65 आदमी पुलिस थाने में ट्रेक्टर में बैठकर आये, थाने के ऊपर उन्होंने वारदात की, खिड़कियां तोड़ दी, जबरन दोनों औरतों को पकड़कर ले गये और इसके लिए पुलिस ने आज तक कोई रिपोर्ट अपने यहां दर्ज नहीं की कि थाने में यह बारदात हुई और आपको गलत बयानी करने के लिए इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन में अधिकारियों ने मुगालते में डाला है कि वहां पर कोई पुरुष अपराधियों को या और किसी आदमियों को जांच करने के लिए पकड़ कर ला रही है, निरपराध महिलाओं को पकड़ कर लाई लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि आज तक पुलिस ने थाना की घटना का जिक्र तक नहीं किया, उसकी कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की, जबकि थाने की सलाखें तोड़ी गई। पुलिस भयभीत है, उपाध्यक्ष महोदय, वहां नहीं जा रही है। मैं तब होम मिनिस्टर साहब से और डी. जी. साहब से मिला और अन्तिम गुहार लेकर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की सेवा में हाजिर हुआ। मैंने मुख्य मंत्री महोदय के पास लिखित प्रार्थना-पत्र दिया। मुख्य मंत्री महोदय से कहा कि वहां बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। उन्होंने मेरी बात पर सहमति जाहिर की, उन्होंने कहा कि मदद करेंगे, लड़की बरामद करवा दूंगा लेकिन साढ़े पांच महीने हो गये उपाध्यक्ष महोदय, जो तारीखें रिकवरी की है और वहां पर दबिश देने की जो बतलाई है, उनके पूरा एक-एक माह का अन्तराल है और दो महीने तक पुलिस यह बहाने लेकर बैठी रही कि फाइल तो हाई कोर्ट गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि गृह मंत्रीजी, इस लड़की को करौली में ले जाकर उसका एफिडेविट फर्जी करवाया और पुलिस कहती है कि पता नहीं चला। इस लड़की को धौलपुर ले जा करके मेडिकल सर्टिफिकेट झूठा बनवाया गया कि लड़की बालिग है और फिर पुलिस कहती है कि लड़की का पता नहीं चला....

(1.00 म. प.)

ये दोनों काम पुलिस की मिलीभगत से अपराधियोंने करवाये हैं और अफसोस की बात तो यह है कि मेरे बार-बार गुहार करने के बाद भी, हर स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों आदि सबसे मिलता रहा हूं लेकिन थानेदार ने बयान लेने के लिए कदम नहीं रखा। उन्होंने कहा कि यह जो आदेश ला रहे हो उसको तकिये के नीचे सिरहाने रखकर सो जाओ, मैं देखता हूं तुम क्या कर लोगे? मैंने जो पैसा लिया है वो पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। लड़की के भाई से उसने कहा कि तुमको पैसा देना पड़ेगा। मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं कि 3 हजार

(श्री हरिसिंह)

रुपये डी.एस.पी, बयाना ने, 3 हजार रामस्वरूप यादव एस.एच.ओ. ने और 2 हजार रुपये ए.एस.आई. ने इस लड़की के बाप और भाई से लिए हैं और यह विश्वास दिलाया था कि तुमको लड़की बरामद करके दे देंगे। इससे ज्यादा जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता और इससे ज्यादा सरकार की संवेदनहीनता का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक नाबालिग लड़की के साथ निरन्तर साढ़े पांच महीने से बलात्कार किया जा रहा है और उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। भ्रष्टाचार मिटाने का थोथा नारा देने वाली सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि पैसा ले ले करके बेगुनाह अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार करवा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज राजस्थान के सर्वोच्च सदन में इस विश्वास के साथ में गुहार कर रहा हूं कि सरकार आज अपनी संवेदनहीनता छोड़कर संवेदनशील बने और गुर्जरों को जानवर न समझे। हमारी भी भावनाएं हैं हमारी भी बहन-बेटियां हैं और उनकी इज्जत है। अगर और 2–4 महीने इस लड़की को बरामद नहीं किया गया तो मुझे कहते हुए★ खेद है इस बच्ची की गोद में लाला होगा और यह कहने में हमको★ खेद होगा कि आखिर यह बच्चा किसका है ? शादी तो नहीं की माँ–बाप ने, पीले हाथ तो नहीं किए, सप्तपदी तो नहीं की। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी व गृहमंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हू, हाथ जोड़कर विनती है कि हमको मानव समझिए और उस लड़की को मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर आप रिकवर करवाकर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी कहेंगे क्या ? बहुत कह दिया इन्होंने। इनका भी नाम है।........ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव खूंटेखेड़ा का मामला जो सदन में चर्चित है वह बहुत ही गंभीर मामला है। नाबालिग लड़की के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया है। ऐसे केस अन्य जातियों में भी होते हैं। यह गुर्जरों में ही नहीं मीणाओं में भी इस प्रकार के केस दर्ज हुए हैं। थाना हिण्डौन में भी इस प्रकार के केस दर्ज हुए थे, एक थाना देई में भी केस दर्ज हुए थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाबालिग लड़की चाहे किसी की भी हो उसके जीवन का उत्तरदायित्व हमारे पर होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से, मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह लड़की किसी गुर्जर की नहीं वह लड़की हम सभी की बहन है और उसके साथ जो कुछ किया गया है उसका पता लगाना चाहिए और पुलिस प्रशासन ने जितनी भी लापरवाही की है, चाहे वो थानेदार हो, चाहे कोई डी.एस.पी. हो, कोई भी हो उन सबके

★ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किये गये।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और कम से कम जिन लोगों ने गृह मंत्रीजी के आदेश के बावजूद, मुख्यमंत्रीजी के ध्यान में लाने के बावजूद भी लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार के केस जो प्रायः गांवों में होते हैं, कई बार अदालतों से लड़कियों को उठाकर लाया गया है, ऐसी वारदात होती रहती हैं इसलिए इनमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ माननीय गृमंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आप सख्त से सख्त कार्यवाही करें और जो इस प्रकार के तत्व हैं जो लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं उनको आप तुरन्त अरेस्ट करवायें ताकि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही न हो। भविष्य में इस प्रकार नाबालिग लड़कियां जिनके साथ बलात्कार भी किया जाता है, न जाने उनके साथ क्या-क्या होता है इसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप जो इस प्रकार के केस हो रहे है उनमें सख्त से सख्त कदम उठावें और उन लड़कियों को बरामद करवायें। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृहमंत्रीजी।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तथ्य उठाये हैं और जो नई जानकारी दी है उसके संबंध में मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं पहले तो मैं यह बतलाना चाहूंगा कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की हो ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि पुलिस ने 3-4 दफा इन गांवों में दबिश भी दी... ....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं गृह मंत्रीजी, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : सारी बात कहेंगे गुर्जर साहब, बिराजिए।

श्री परसादी लाल मीणा : लड़की को बरामद तो नहीं किया। क्या किया पुलिस ने ? उपाध्यक्ष महोदय, कितना +++ विषय है यह।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाह रहे हैं क्या ? पहले सुन लीजिए।

श्री परसादी लाल मीणा : पुलिस ने क्या किया अब तक ? हम यह नहीं सुनना चाहते कि पुलिस ने यह किया। हम यह चाहते हैं कि पुलिस ने ठोस कार्यवाही क्या की ? कितने लोगों को गिरफ्तार किया ? क्या-क्या उनकी संपत्तियां कुर्क की, उनका क्या आना-जाना बन्द हो गया, क्या मुल्जिम उसी गांव में हैं, लड़की कहां पर है ? इसकी जानकारी ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप थोड़ा सुन लीजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या सुन लेंगे इसमें ?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत जल्दी उत्तेजित हो

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री दिग्विजयसिंह)

जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक दम से ही उफान क्यों आ जाता है ?

श्री परसादीलाल मीणा : क्या मजाल है कि पुलिस चाहे और लड़की बरामद नहीं हो यदि पुलिस की मिलीभगत नहीं हो तो? 5 महीने में लड़की बरामद नहीं हो सके ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इस बात को बहुत गम्भीरता से ले रहा हूं और गम्भीरता से लेते हुए एक बात कह रहा हूं। आप थोड़ा सुनने की क्षमता तो रखो । मैं इस बात को मानता हूं कि अब तक जो मुल्जिम गिरफ्तार होने चाहिये थी और जैसा महूआ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा व गम्भीर बात जो आपने बतलाई कि चुपचाप जाकर उनका धौलपुर के अन्दर मेडिकल मुआयना भी करा लिया गया और इस प्रकार की बात जो आपने यहां कही है वह निश्चित रूप से गंभीर मामला है। मैं इस सारे मामले को देखते हुए मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि यह उच्च न्यायालय में 26.7.92 से 12.9.92 तक विचाराधीन रही और इस दरम्यान में उन्होंने इंटरिम बेल भी उनकी ली थी और उसमें यह आदेश दिया था कि आप 12 तारीख को उस लड़की को प्रस्तुत कर देंगे। उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया तो उनकी इंटरिम बेल खारिज हो गई और खारिज होने के बाद वह केस वापस पुलिस में हो गया और हमने इसकी तत्परता से कार्यवाही के लिए पुलिस को भी निर्देश दे दिये कि इस लड़की को बरामद किया जाय, मुल्जिम को भी पकड़ें और जो आपने नये तथ्य दिए हैं तो मैं समझता हूं कि इस सारे मामले को मैं सी. आई. डी. से जांच कराने के लिए दे देता हूं ताकि सी. आई. डी. इसकी सारी जांच करके और जो मुल्जिम हैं और जो आपने तथ्य दिये हैं....

श्री परसादी लाल मीणा : सी. आई. डी. से कराओ या और किसी से कराओ लेकिन... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : जो आपने नए तथ्य बतलाए हैं वे भी सामने आ जायेंगे और उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हरिसिंह जी इस बात को जानते हैं कि यह जो स्थित है वह 2 समुदाय का मामला नहीं है। यह आपस का एक ही समुदाय का है।

श्री हरिसिंह : फिर क्या हो गया ?

श्री दिग्विजय सिंह : असल में देखा जाय तो यह वहां पर मूछों की लड़ाई है। मूछों की लड़ाई की वजह से यह है और कोई कारण नहीं है।

श्री हरिसिंह : मूछ की लड़ाई बताते हो। आप तो लड़की बरामद करा दो। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आपको पुलिस ने गुमराह किया है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं पुलिस इस संबंध में 3 महीने के अंदर कार्यवाही करके उस लड़की को बरामद कर लेगी और दूसरा, आपने जो तथ्य बताए हैं उनकी जांच करायेंगे और जिस एस. एच ओ. ने गलती की है उसको भी सजा दे दी जायेगी और सी. आई. डी. से इसकी मैं जांच कराऊंगा।

श्री हरिसिंह : आप सी. आई. डी. से किसकी जांच करवा रहे हो ? आपने स्पष्ट नहीं किया है ?....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 3 महीने में तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो जायेगा ?

श्री रामनारायण वर्मा : नाबालिग लड़की कब तक बरामद हो जायेगी आपके स्टेटमेंट में यह स्पष्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आश्वासन दिया है जल्दी से जल्दी।

श्री हरिसिंह : आश्वासन क्या होता है ? 5 महीने तो हो गये।

श्री परसादी लाल मीणा : आश्वासन क्या होता है ? आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आप बताइये कि कब तक आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे। आश्वासन से क्या होगा ?

श्री रामनारायण वर्मा : जिन लोगों ने मुल्जिमों को शेल्टर किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री परसादी लाल मीणा : पुलिस मिली हुई है वे आश्वासनों से क्या होगा ? यदि पुलिस मिली हुई नहीं होती तो आज तक मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए जाते।

श्री उपाध्यक्ष : ये सारे फैक्ट्स आ चुके हैं। हरिसिंह जी सारे तथ्य ले आये हैं। कोई भी तथ्य बाकी नहीं रहा है। बिराजिए आप।...(व्यवधान)...

श्री परसादी लाल मीणा : पुलिस वहां जाती नहीं उनके घरों पर और लड़की वहां पर है, मुलजिम सारे अपने घरों पर रहते हैं, पुलिस उन से मिली हुई है, गिरफ्तार नहीं करना चाहती....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्री परसादी लाल मीणा : क्या बिराजें।

श्री उपाध्यक्ष : आश्वासन हो गया, बिराजिये आप....(व्यवधान)....नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय श्री जुबेर खान, ईश्वर लाल सैनी, राजेन्द्र पारीक, बुलाकीदास कल्ला, रामनारायण वर्मा, यदुनाथ सिंह....(व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जिन मुलजिमान ने शेल्टर दी है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है आप इतना बता दीजिए। जो व्यक्ति शेल्टर दे रहे हैं असली मुलजिमों को....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतक जी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : जिन आदमियों ने मुलजिमान को शेल्टर दी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं आपने अपना रोष जो बताना था जो बातें कहनी थी, कह दी....

श्री रामनारायण वर्मा : रोष नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने आश्वासन दे दिया है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कोई आश्वासन नहीं है....

श्री रामनारायण वर्मा : रोष नहीं है, अफसरों को बचाने के लिए कार्यवाही की गई है, अफसरों को बचाने के लिए कार्यवाही की जा रही है... (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंह ने सदन कूप में खड़े सदस्य श्री हरिसिंह एवं श्री परसादी लाल मीणा को वापस अपनी सीट पर ले जाकर बैठाया)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने भी इसे गम्भीर लिया है...

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं, नहीं लिया है बिल्कुल।

श्री उपाध्यक्ष : इसे कोई हल्के-फुल्के नहीं लिया है, गम्भीरता से दिया है आश्वासन....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : लड़की को बरामद करवाइये, मुलजिमों को गिरफ्तार करवाइये, मूछों का सवाल है, कह दिया गृह मंत्री जी ने, नहीं चाहिए स्टेटमेंट....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सुनिये। गृह मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री परसादी लाल मीणा ; सारे सदस्यों की मानहानि हुई है, एक समाज की मानहानि हुई है। इन्होंने कह दिया कि मूछों का सवाल है। यह गृह मंत्री जी को कहते हुए शोभा नहीं देता है। हम लड़की की बरामदगी चाहते हैं और उन मुलजिमान की गिरफ्तारी चाहते हैं कि वह गिरफ्तारी कब तक की जायेगी....

श्री प्रकाशचन्द बेरवा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, छह महीने हो गये, उन अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की जा रही है, क्यों आप उनको बचा रहे हैं... (व्यवधान)

(1.10 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि आप इतने उत्तेजित न हों, मेरा कोई दुराग्रह नहीं है या पूर्वाग्रह नहीं है इस बात का, आप चाहेंगे जिस अधिकारी से उसकी जांच करवा लूंगा और जो भी... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : जांच क्या करवानी है, जांच कोई बाकी नहीं रही। जांच क्या करवायेंगे आप, आप यह क्यों नहीं कहते, कब तक मुलजिमों को अरेस्ट करवायेंगे, लड़की बरामद होनी चाहिए.... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप बात तो सुनिये। अब आप बात तो सुन नहीं रहे हैं, मैंने कह दिया....

श्री परसादी लाल मीणा : ★ खेद की बात है गृह मंत्री जी, क्या टाइम हुआ है इस लड़की को उठाकर ले गये, पांच महीने पहले....

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने कहा है पहले ही, मैंने आपसे कहा है कि तीन महीने के अन्दर-अन्दर... (व्यवधान)

★ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री परसादी लाल मीणा : पांच महीने हो गये.... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : इस लड़की को, मुलजिमान को पकड़ लिया जायेगा ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : पांच महीने हो गये हैं....

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : एक साल बाद में तो बच्चा-बच्ची पैदा हो जायेगा, एक साल बाद में बच्चा-बच्ची, नौ महीने हो जायेंगे.... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आपने कह दिया मूंछ का सवाल है, पंचायत हुई.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। प्लीज प्लीज सिट डाउन....

श्री परसादी लाल मीणा : और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर आप खड़े हो गये हैं। सुन लीजिए पहले।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बैठ जाइये।

श्री दिग्विजय सिंह : प्रद्युम्न सिंह जी, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप इनको पूरा कर लेने दीजिए। सुनिये।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद ने स्वीकार किया, मैंने कहा, यह फाइल उच्च न्यायालय में 26.7.92 से 12.9.92 तक रही और यहां पर उन्होंने इन्टरिम बेल इस शर्त पर ली थी कि आप लड़की को प्रोड्यूस कर देंगे, उन्होंने जब नहीं की तो उनकी इन्टरिम बेल खारिज हो गई और अब यह फाइल वापस पुलिस में कार्यवाही के लिए आ गई। मैंने यह भी कहा कि मैं इस सम्बन्ध के अन्दर अगर वह अधिकारी, जो भी इस में जांच कर रहे हैं, वह इसमें मिले हुए हैं तो दूसरे अधिकारियों को लगा कर तीन माह के अन्दर-अन्दर उस लड़की को और उन अभियुक्तों को पकड़ लेने की कार्यवाही कर लेंगे.... (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा, अब आप एक मिनट बिराजिये। प्लीज एक मिनट। मैं जरा उनसे खुद ही बात कर लेता हूं। हरिसिंह जी, आपने जो मुझे कहा था वह सारी बात आ गई ?

श्री हरिसिंह : नहीं, वह सारी बात तो आ गई ...

श्री अध्यक्ष : आ गई ना ?

श्री हरिसिंह : नहीं, वह सारी बात तो आ गई, मेरा थोड़ा सा वह है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, देखिये आपने यह....

श्री हरिसिंह : आप चेयर पर नहीं थे, मेरा निवेदन सुन लो। मुझे आशंका यह है कि यह सी. आई. डी. में फाइल ले जाने की बात कर रहे हैं..

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, अब आपकी आशंकाओं का निराकरण ही तो कर सकते हैं....

श्री हरिसिंह : नहीं, सी. आई. डी. में फाइल नहीं ले जावें, मेरी मांग नहीं है। मैं नहीं देना चाहता सी आई. डी. को फाइल, यह डी. आई. जी. भरतपुर रेंज की जिम्मेदारी डालें....

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है।

श्री हरिसिंह : और उनसे कहें कि आप लड़की बरामद करके दें।

श्री अध्यक्ष : पहले देखिये, इस सम्बन्ध में जो आपने और राय दी है, देखिये, आपने मुझे यह कहा था कि इस मामले में यदि तुरंत एक्शन करने के लिए सरकार एक्टिव नहीं हुई तो वहां पर लोग इकट्ठे होकर अपने हाथ में कानून को लेने की स्थिति में हैं—

श्री हरिसिंह : बिल्कुल सही है।

श्री अध्यक्ष : यह कहा है न आपने....,

श्री हरिसिंह : जी।

श्री अध्यक्ष : तो इस सम्बन्ध में आपकी बात सारी आ गई। अब आप इस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी से मिलकर जो आप चाहते हैं कि जिससे लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर बिगड़े नहीं, वह स्टेप ले लेंगे।

श्री हरिसिंह : आपकी छत्रछाया में मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आपके सामने बैठे हैं ....

श्री अध्यक्ष : वह ले लेंगे। जब इन्होंने आपकी हर बात मान ली....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : यह तो लड़की बरामद कराना चाहते हैं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब आप क्यों खड़े हो रहे हैं, आप से संबंधित नहीं है, जिनसे संबंधित है मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं। आप इसको इश्यू क्यों बना रहे हैं, इश्यू क्यों बना रहे हैं, बात तो मैं...

श्री बुलाकीदास कल्ला : इश्यू नहीं बनायें, छह महीने तक अधिकारी कार्यवाही नहीं करेंगे....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप इसमें इन्टरेस्टेड हैं कि काम होना चाहिए था यह इश्यू बनाने में हैं। तो बात तो वह हो रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरा एक निवेदन सुनेंगे अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : सुनाइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इसमें यह कहना है, उत्तेजना का कारण यह है, नामजद मुलजिम किये गये....

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : और, जानकारी में थे. इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जानकारी में था। दो चीजें हो गई इसके अन्दर। सारे तथ्य होने के बावजूद न जाने किन कारणों से मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं करके और लड़की को बरामद नहीं किया। बहुत क्लियर है मंत्री महोदय के स्टेटमेंट से और मंत्री महोदय, स्वयं इस बात को मान रहे हैं। उत्तेजना का कारण श्रीमन् यह है कि लड़की बरामद आज दिन तक नहीं की गई। हाई कोर्ट का प्ली ले लिया कि हाई कोर्ट ने फाइल मंगा ली। अब किसी की कुआरी लड़की अगर बरामद नहीं हो, अध्यक्ष महोदय, आप उनका दर्द, तकलीफ और सामाजिक जो तमाम, सामाजिक हमारे ऊपर छींटाकशी और जो समाज में बदनामी होती है उसको आप समझ सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध यह है कि माननीय मंत्री महोदय,यह निश्चित है कि इसके अन्दर आपका होम डिपार्टमेंट है, मेरे पास भी रहा, मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दिया है उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां के इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर और सर्किल ऑफिसर, दोनों की इसमें गफलत और मिलीभगत है। आप कृपया डी. आई. जी. रेंज को पाबंद करें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें आप। यह आश्वासन दे दीजिए आप और हमें भरोसा है, आप चूंकि शील्ड नहीं करना चाहते....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर और सर्किल ऑफिसर के खिलाफ आप डिसीप्लीनरी एक्शन लें। आपको निश्चित रूप से लेना चाहिये, जिससे कि पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसी चीजों की और वहां के डी. आई. जी. को आप पाबंद करें कृपया, यहां से इन्सट्रक्शन दें कि समयबद्ध करें, दस दिन, और फिर सबको मालूम है कि लड़की कहां है, कौन ले गये हैं, थोड़ी भी सख्ती करेंगे तो लड़की आ जायेगी और इससे सरकार की भी छवि उज्ज्वल होगी और वहां एक सामाजिक तनाव बन रहा है और यह छोटे-छोटे तनाव किसी दिन बहुत बड़े खून-खराबे का रूप ले लेते हैं, इससे आप बच जायेंगे। यही मेरा आपसे अनुरोध है श्रीमन् आप क्या कहना चाहते हैं, आप कह दें, इसके बारे में।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूं और निश्चित रूप से मैं डी. आई. जी. को इस सम्बन्ध में आदेश दे दूंगा....

श्री अध्यक्ष : पाबंद कर देंगे, ठीक है।

श्री दिग्विजय सिंह : निर्देश दे दूंगा ताकि इस प्रकरण में तत्परता से कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जुबेर खान।

राष्ट्रीय बाघ परियोजना; रणथम्भोर में बाघों का अवैध शिकार

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत सवाई माधोपुर स्थित राष्ट्रीय बाघ परियोजना में बाघों के अवैध शिकार

(श्री जुबेर खान)

एवं पर्यटकों की घटती संख्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब इस सम्बन्धमें देखिये, पहले भी हाउस में एक प्रश्न को लेकर कल शायद चर्चा हुई है, आधे घण्टे से ज्यादा यह नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बहुत से लोगों ने नाम दे रखे हैं। अब बहस इसमें ज्यादा नहीं होगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : राष्ट्रीय मामला है श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : अन्तर्राष्ट्रीय नहीं, अन्तर्ब्रह्माण्ड का है, इससे क्या लेना-देना है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत बात है। आप पहले से ही सीमा बांध देते हैं, इसमें दस लोगों के सिग्नेचर हैं, दस लोगों ने दिया है और आप आधा घंटा बांध देते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसलिए कि कल आपने बहुत बहस कर ली।

श्री जुबेर खान : कोई नहीं, जवाब नहीं दिये थे, सी. एम. साहब ने क्लियर यह कह दिया था....

श्री अध्यक्ष : मैंने अखबारों में पढ़ो है....

श्री जुबेर खान : नहीं, कोई जवाब नहीं दिया था।

श्री अध्यक्ष : अखबारों में यह कालम्स खड़े हुए हैं (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि कल चर्चा होगी इसलिए सारे जवाब कल दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अच्छा-अच्छा, बैठिये अब बिराजिये। बिराजिये। आप इसी में टाइम खराब कर रहे हैं (व्यवधान) रामस्वरूप जी, आप जरा स्थिति का अनुचित फायदा मत उठाया करो। माननीय मंत्रीजी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन है कि मेरा भी एक काल अटेंशन था ..

श्री अध्यक्ष : इस बारे में ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : हां, इसमें क्लब नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लेना।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें दिया हुआ था।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज चन्द्रभानजी नये रूप में आये हैं, कांग्रेस की टोपी, गांधी टोपी पहन कर आये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप यदि प्रश्न, बात सुनिये।

डा. चन्द्रभान : यह कोई कांग्रेस की टोपी नहीं है, गांधी की टोपी है। भारत

(डा. चन्द्रभान)

छोडो आन्दोलन की स्वर्ण जयंती है. राष्ट्रीय एकता की पहचान है....

श्री अध्यक्ष : अब यह टोपी कहां से आ गई। डाक्टर साहब, यह टोपी कहां से आ गई। (व्यवधान) देखिये, यदि अधिक लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करके अपने क्वेश्चन बना लीजिए। केवल भाषण नहीं होंगे, प्रश्न आप पूछ सकते हैं, प्रश्न में अलाउ कर दूंगा, भाषण किसी को अलाउ नहीं करूंगा।

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र को वर्ष 1973 में केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में बाघों को बचाने के लिए प्रारम्भ की गई बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया था....

श्री अध्यक्ष : जोर से माइक पर बोलिये।

श्री लालचन्द डूडी : इस क्षेत्र के वन्य जीवों के आवास के विकास के फलस्वरूप यहां पर बाघों व अन्य वन्य जीवों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई तथा देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। पिछले पांच वर्षों में आये हुए पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष 1987–88	15037
वर्ष 1988–89	18254
वर्ष 1989–90	23626
वर्ष 1990–91	24106
वर्ष 1991–92	31586

रणथम्भौर में करवाई गई वन्य जीव गणना के अनुसार वर्ष 89 में 44 बाघ, वर्ष 1990 में 44 बाघ, वर्ष 1991 में 45 बाघ पाये गये। वर्ष 1992 में गणना त्रुटिपूर्ण होने के कारण बाघों की संख्या का आकलन सम्भव नहीं हो सका। पुन: गणना करने पर मौजूद संख्या प्राप्त हो सकेगी। वर्षा ऋतु के पहले जुलाई के बाद बंद रहता है। जून, 1992 तक जब राष्ट्रीय बाघ परियोजना पर्यटकों के लिए खुली थी तब अधिकांश पर्यटक बाघ देखकर आते रहते थे। बाघ प्रकृति से अकेले रहना पसन्द करने वाला जीव माना जाता है। सवाईमाधोपुर पुलिस ने जून, 92 में केवल एक बाघ की खाल एवं एक बघेरे की खाल का मुकदमा दर्ज किया है। रणथम्भौर राष्ट्रीय वन उद्यान में वन्य जीव एवं वनों के संरक्षण के लिए स्टाफ मौजूद है जो शिकार की रोकथाम करता है। वन कर्मियों द्वारा प्रोजेक्ट की स्थापना के वर्ष 74 से अब तक 7 मुकदमे बाघ एवं बघेरे के अवैध शिकार के दर्ज किये हैं तथा 205 मुकदमें अन्य वन्य जीवों के शिकार के दर्ज किये हैं। इसी प्रकार कुल 212 मुकदमें वन्य जीवों के शिकार के वन विभाग द्वारा दर्ज किये गये। वन विभाग के कर्मचारी अन्य सूत्रों से भी जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही करते हैं। जैसे कि 21-2-92 की कार्यवाही से प्रकट है। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में 6 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास एक बंदूक 63 कारतूस दो कारों को जप्त किया गया तथा मुलजिमों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसी

(श्री लालचन्द डूडी)

प्रकार क्षेत्रीय वन अधिकारी, सवाईमाधोपुर ने बाघ के शिकार के सम्बन्ध में मोबिया जाति के परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया और तीन वन जीवों के शिकार को पकड़ने की कार्यवाही की। उन से पूछताछ के दौरान एक औरत ने जानकारी दी कि उसके पति मोबिया और उसके पति के मित्र गोपाल मोबिया द्वारा एक बाघ के शिकायत किया गया था। वन कर्मी गोपाल मोबिया की तलाश में थे कि इसी बीच सवाई माधोपुर की पुलिस द्वारा गोपाल मोबिया को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उससे बाघ की खाल बरामद की गयी है उस में पुलिस जांच चल रही है। वन्य कर्मियों ने गोपाल मोबिया को दिनांक 16-9-92 को न्यायालय से रिमाण्ड पर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अवैध शिकार के सम्बन्ध में राष्ट्रीय उद्यान के कर्मचारी सचेत हैं किसी कर्मचारी व अधिकारी की मिलीभगत के प्रमाण सामने नहीं आये हैं राजस्थान सरकार ने रणथम्भोर के बाघों के शिकार के सम्बन्ध में आर. एस. कूमट प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया था जिसकी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है उनके द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार उचित कार्यवाही करेगी। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बाघ परियोजना में 24 बाघों की हत्या एवं 2000 अन्य वन जीवों की हत्या की बात सही नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की बात को स्वीकार करना उचित नहीं होगा।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया। जैसा कि आप परिचित हैं जब से विधान सभा चली है उससे दो-तीन महीने पहले से बहुत कुछ अखबारों में राजस्थान और हिन्दुस्तान के अखबारों में, पत्रिकाओं में और यहां तक कि बी. बी. सी. व वायस ऑफ आस्ट्रेलिया तक में यह आता रहा है कि रणथम्भोर में पोचिंग हो रही है। अवैध शिकार हो रहा है अध्यक्ष महोदय, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है कि तमाम अखबारों में और इस सम्बन्ध में मंत्रीजी के तीन जवाब आ चुके हैं। विधान सभा में जवाब आता है वह ठीक नहीं है। सबसे पहले तो 1960 में दुनिया में अहसास किया गया अध्यक्ष महोदय कि वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है लोग अवैध शिकार कर रहे हैं। दुनिया के लोगों ने बैठकर यह तय किया कि....

श्री अध्यक्ष : सवाल करिये ना।

श्री जुबेर खान : सवाल क्यों अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई सवाल नहीं लगाया मेरा कॉलिंग अटेंशन है। मेरी बात कहने दीजिए। मैं तथ्यों को लाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैन सवाल यह है कि वहां पर बाघों की हत्या हुई या नहीं हुई। मंत्रीजी का स्टेटमेण्ट आ गया।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कहते हैं नहीं हुई। मैं कहता हूं हुई है तो प्रूव करने के लिए कुछ तथ्य सदन के सामने लाने पड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : इसके बजाय कि दुनिया में क्या महत्व है इस पर भाषण देने के

(श्री अध्यक्ष)

बजाय जो तथ्य हैं वह बतायें जो इससे संबंधित हैं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा सन् 73 में बाघ परियोजना शुरू की गयी। मंत्री महोदय आपकी राजस्थान सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स 77 में बनाये हैं। मुझे आज दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके नम्बर 2 चेप्टर में आपने उल्लेख किया है कि वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड होगा जिसमें प्रभारी मंत्री या वह नहीं हो तो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी इसके चेयरमेन होंगे। फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट के सेक्रेटरी होंगे और इसमें विभाग के लोग होंगे। दो राजस्थान विधान सभा के सदस्य होंगे। 15 सरकारी गैर सरकारी लोग होंगे जो वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं जिनकी रुचि है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं उनकी यह किताब है उन्होंने इसका अनुवाद किया है आपके इस एक्ट का और जो आज वहां कुर्सी पर बैठे हैं। आपने सितम्बर, 1989 के बाद अब सितम्बर, 1992 चल रहा है। आप क्या इसकी कोई मीटिंग बुलायी जबकि एक्ट में प्रावधान है कि 6 महीने के अन्तराल में साल में दो बार मीटिंग होनी चाहिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात होगी ? यह दरसाता है कि विभाग में लोग बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : सवाल हो गया। दूसरा पूछिए।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मंत्री महोदय ने कहा कि को अवैध शिकार नहीं हुआ। टाइगर की संख्या तो कम हुई है अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्री महोदय ने गणना में स्वीकारा है। जो बात कही गयी है। सिर्फ दो ही प्रावधान हैं इस एक्ट में रखे हैं जिसके माध्यम से शिकार की जाती है चीफ वार्डन की इजाजत से शिकार होगा या कोई ऐसा जानवर घोषित कर दिया जाता है कि जो आदमी के लिए खतरा है उसको मारा जाता है। इसका मतलब विभाग की अथोरिटी है चीफ वार्डन लाइफ उसकी मंशा से शिकार हुए हैं। यदि अवैध शिकार नहीं हुए तो संख्या में कमी कैसे हुई है।

मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा कल माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया था कि 72 में हमारे यहां 40 हजार के करीब बाघ थे आज 18 हजार रह गये। एक तरफ तो मंत्री महोदय कहते हैं कोई शिकार नहीं हुआ मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात जानना चाहूंगा कमेटी की रिपोर्ट आयी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 40 हजार नहीं 40।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आई करेक्ट माई सेल्फ। सुनने में गलती हो गयी। 40 और 18 की बात हुई थी। अध्यक्ष महोदय, यह रणथम्भौर क्षेत्र है उसमें सारे लोग जानते हैं, माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ एरियाज हैं जो मशहूर हैं। टाइगर्स के साइज सीन के लिए मशहूर

(श्री जुबेर खान)

हैं। बकोला, राजमार्ग, जोगी महल, अनन्त-पुरा, कुछ खण्डार एरिया है जिसे सब लोग जानते हैं कि फलां-फलां जगह जनरली बाघ देखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, यहां सेन्सस की बात आयी मंत्री महोदय ने कहा कि इस साल त्रुटिपूर्ण सेन्सस हुई है और आपके कूमठ साहब की रपट आयी जो अखबारों में साया हुई है। उसमें कहा गया है कि अभी तक त्रुटि हो रही है। इसलिए रिलायबल सेन्सस नहीं थी। फिर आपने यह तथ्य कैसे दे दिया कि 89-90 में 44 थे और 91 में 45 हो गये इसका मतलब आप तथ्य नहीं दे रहे हैं ? मैं मंत्री महोदय आपसे शर्मिन्दगी के साथ कहना चाहता हूं कि यह इतना सेन्सेटिव मामला है जिसके ऊपर राजस्थान से पैसा खर्च करते हैं, आपको वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है, आपको केन्द्र सरकार पैसा देती है यहां तक कि एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन है जिसका हैड क्वार्टर नीदरलैण्ड में है वहां से भी पैसा आता है। अध्यक्ष महोदय, कितने दुख की बात है कि सेन्सस हुआ मई जून महीने में। अध्यक्ष महोदय, चीफ वार्डन होता है वह चीफ कोर्डिनेटर होता है। इतना सेन्से-टिव मामला होता है। सेन्सस हर साल मई जून में होती है। ब्राइटेस्ट नाइट को जो मून होता है जिसको पूर्णमासी बोलते हैं उस समय होती है। कहां थे यह लोग न तो चीफ वार्डन लाइफ आफिसर मौजूद थे वह तो पाकिस्तान की यात्रा में बिजी थे। अपने पासपोर्ट विजा लेने के लिए। न फिल्ड डायरेक्टर मौजूद थे वह मलेरिया की बीमारी का बहाना करके वहां से गायब थे। अध्यक्ष महोदय, एक डिप्टी कन्जरवेटिव आफ फोरेस्ट होता है वह अण्डर ट्रांसफर थे वह भी मौजूद नहीं थे। दूसरा आया नहीं था उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। असिसटेण्ट कन्जरवेटिव आफ फोरेस्ट होते हैं दो एक योगेन्द्र साहू होते हैं जो 1985 से जबसे कार्यरत हुए हैं वे आज तक वहां बैठे हैं। तीन बार ट्रान्सफर हुआ है लेकिन आपके अधिकारियों की मनमानी की वजह से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की मनमानी से हर बार कैंसिल करा लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ी शर्मिन्दगी की बात है 13 जुलाई को केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के यहां आपके टास्क फोर्स की मीटिंग हुई जिसमें यह लोग सदस्य हैं वह भी मौजूद थे। इस आदमी के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति ने शिकायत की तो वहां आपके सेक्रेटरी Then Secretary was Mr. Chandra Prakash Meena. He agreed that immediately after reaching Jaipur. I will get him transferred and he ordered his transfer. उसके बाद जुलाई में वापस यहीं रुकवा दिया गया। इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि टास्क फोर्स जहां प्रतिष्ठित व्यक्ति उसमें मौजूद रहते हैं उसमें कहा हुआ नहीं करते। अध्यक्ष महोदय यह छुट्टी लिये हुए थे और छुट्टी किसने दी चीफ वार्डन ने जो खुद पाकिस्तान चले गये। एक जूनियर अधि-कारी थे असिसटेण्ट कन्जरवेटिव आफिसर जो वहां मौजूद थे जनगणना के समय एक पर्यावरण विभाग के और फोरेस्ट मंत्रालय के अशोक कुमार थे। यह भी डिनाई करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जब सारी बात आपको मालूम है तो मंत्री महोदय से क्या पूछ रहे हैं।

श्री जुबेर खान : मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह मंत्री महोदय की तरफ से आना चाहिए था पर मंत्री महोदय तो कहते हैं कि सेन्सस में त्रुटि है।

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछने का तरीका यह है कि आप यह पूछें कि सेन्सस हुई थी उस समय कौन-कौन थे....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिये। इतना अहम मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप अहम अहम करके टाइम थोड़ा ही लेंगे। आप सवाल पूछिए।

श्री जुबेर खान : सारे माननीय सदस्य इससे उत्साहित हैं....

श्री अध्यक्ष : औरों का नम्बर नहीं आयेगा। आप सवाल पूछिए।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा मैंने सबसे पहले मोशन दिया। उसके बाद यहां बात कही गयी तो सबने अपना नाम दे दिया। मेरा ज्यादा हक बनता है। मुझे मेरी बात कहने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछिए। आपका सवाल बाकी है क्या ? सवाल पूछिए बात बात कुछ नहीं है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मई के आखरी सप्ताह में यहां जयपुर में बैठे अधिकारियों को पता लग गया कि सेन्सस ठीक नहीं हुई। बाघों की संख्या कम हुई है। मैं दावे से कहता हूं कि आप जांच करा लीजिए. सवाईमाधोपुर और जयपुर कार्यालय में 15 जून और 30 जून तक कितनी बार टेलीफोन इधर से उधर गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अकेले 15 मिनट ले चुके हैं। There is a time limit. Sit down.

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : There is a time limit I cannot allow you to go for a very very long time. You cannot take the whole time of the house. You have to stop it.

श्री जुबेर खान : I have taken my own time, and I have to take my own time. In previous motion you had allotted ½ Hrs. You have taken fifteen minutes.

श्री अध्यक्ष : आप पूरे दिन नहीं बोल सकते हैं। आप विराजिए। श्री यदुनाथ सिंह। आप अकेले 15 मिनट ले चुके हैं। There is a time limit, Mr., no, you sit down.

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : There is a time limit. I cannot allow you to go for a very very long time. You cannot take the whole time of the house. You have to stop it.

श्री जुबेर खान : I have to take my own time.

श्री अध्यक्ष : You have taken fifteen minutes.

श्री जुबेर खान : I have to take my own time. In previous motion, there were only two members and you had allotted half an hour.

श्री अध्यक्ष : That will be decided by me.

श्री जुबेर खान : ....and for this motion, for which ten members have signed already, and you are giving half an hour. अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको एक शब्द। मेरे पास 20 नाम हैं। आपका सवाल हो गया। सवाल है क्या नया ?

श्री जुबेर खान : मैं रीपिटिशन नहीं कर रहा हूं। सवाल है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए भाषण मत दीजिए। आप तो इन्फोर्मेशन दे रहे हैं। आपका जो सवाल होना चाहिए था वह यह कि सेन्सस करने वाले कौन थे कौन हाजिर था कौन गैर हाजिर था, वह तो पूछ नहीं रहे हैं। वह छुट्टी चला गया, वह बीमार हो गया फिर इनसे क्या पूछेंगे।

देखिए डिबेट करनी हो तो इट शुड बी परपजफुल जिसका कोई मतलब निकले। परपजफुल जवाब मिले। अब सारी बात आप कह चुके हैं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, जब आपकी मंशा ही नहीं है दिलाने की तो मंत्री महोदय तो बिल्कुल ही ऐसे बैठे हैं...

श्री अध्यक्ष : मेरी क्या मंशा है ? जो इन्फोर्मेशन गवर्नमेण्ट से लेनी चाहिए वह तो आप दिये जा रहे हैं।

श्री जुबेर खान : मेरी तो सुनिये हमारा तो दुर्भाग्य है।

श्री अध्यक्ष : कोई दुर्भाग्य नहीं है।

श्री जुबेर खान : जब भी हम फ्लो लेते हैं बोलने के लिए हमारे दुर्भाग्य से आप चेयर पर आ जाते हैं। नोट अलाऊ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री जुबेर खान : जो फैक्ट्स हैं....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो फैक्ट्स हैं वह तो उठाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछ लीजिए फैक्ट्स क्या होते हैं ? आप मंत्री रहे हैं। कॉल अटेंशन में फैक्ट्स क्या होते हैं। सवाल होता है। कौन मना कर रहा है। मुझे यह बतायें कि इनसे जो इन्फोर्मेशन लेनी है वह सारी इनफोर्मेशन यह देते रहेंगे तो इनसे पूछेंगे क्या आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कॉल अटेंशन मोशन चार-पांच घंटे तक चले हैं।

श्री अध्यक्ष : माफ करियेगा। सदन में नियम नहीं बने या परम्परा नहीं बन गयी है। आखिर नियम भी कुछ हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : परम्परा तो बनती है।

श्री अध्यक्ष : कोई परम्परा नहीं है। आप दिन-भर जीरो आवर चलाते रहेंगे ? तो क्या यह परम्परा बन जायेगा। कल आप भी कान्फ्रेन्स में भाग लेकर आये हैं आप दो दिन तक वहां रहे हैं। नियम तो सब पर लागू होते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कान्फ्रेन्स का कोई असर नहीं हुआ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसमें यह मना नहीं है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ने एक एफ. आई. आर. का उल्लेख किया है मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय इतना बड़ा स्टाफ मौजूद है क्या कभी इस तरह की जानकारी फोरेस्ट विभाग ने या रणथम्भोर टाइगर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उन्होंने दी कि यहां एफ. आई.आर.में है कि गश्त के टाइम पर पकड़े गये हैं जो यह दर्शाती है कि आपके विभाग के लोगों से मिल जुलकर शिकार करते हैं इसलिए उन्होंने नहीं पकड़ा पुलिस सड़क पर गश्त कर रही है वह तो शिकारियों को पकड़ सकती है आपके विभाग के लोग नहीं पकड़ सकते हैं। यह मेरा आरोप है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी एफ.आई.आर. का जिक्र नहीं किया गया है। दूसरी एफ. आई.आर. दर्ज हुई खुन्दी खटीक के यहां से जो मीट की दुकान है वहां से बघेरे की खाल बरामद की गयी है। मुलजिम है गोपाल मोघिया उन्होंने इण्टरोगेशन में बताया कि हम ने कहां कहां खाल देखी है तो माननीय गृह मंत्री ने दो दिन पहले खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य चुन्नी लालजी को लिखित उत्तर में दिया है। आपने उसको भी मेन्शन नहीं किया कि दूसरे बघेरे की खाल मिली या नहीं। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा भाटिया एक गार्ड हुआ करता था और शुरू से वहां रहता था और जोगी महल के पास जो मेन एण्ट्रेन्स है रणथम्भोर टाइगर प्रोजेक्ट में जो कार्यरत था उसकी किस कारण से मृत्यु हुई। आपने कभी मालूम कराया। अध्यक्ष महोदय आज एक साल हो गया। पिछले साल सितम्बर में यह व्यक्ति रेलवे ट्रेक के पास मृत अवस्था में पाया गया था कोई चोट नहीं, खरोंच नहीं। एक साल हो गया वह केस पड़ा है। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से निवेदन है कि इस केस को री-ओपन करायें तो बहुत से तथ्य आपके सामने आयेंगे कि कौन लोग हैं जो संदिग्ध अवस्था में, जो गार्ड था उसकी मृत्यु किस कारण से हुई क्योंकि यह व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता था वहां के बारे में कि कौन लोग कब आते हैं, औड आवर्स में कौन जाता है। किसके रिश्तेदार जाते हैं ? क्या-क्या लेकर जीप में जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी जांच करायी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कोई पर्यटकों की शिकायत नहीं आयी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़े दुःख

(श्री जुबेर खान)

की बात है कि वहां फोरेस्ट लाज में रजिस्टर मौजूद है जिसमें अनेक शिकायतें मिलेंगी कि टाइगर नहीं दिखाया गया। पहले देखा था। एक और एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा राजमाता श्रीमती गायत्री देवी ने चीफ वार्डन को एक चिट्ठी लिखी कि मेरे दोस्त आये थे उन्होंने यह शिकायत की थी कि पिछली बार आये थे तो हमें टाइगर साइट सीन हो जाता था लेकिन इस बार नहीं हुआ उन्होंने लिखा—

I have fear that these tigers–Noor, Noori, Laxmi and Padmini are trapped by the poacher और चिट्ठी का क्या हुआ आज मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं आयी। चीफ वार्डन उस चिट्ठी को भेजते हैं सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी भेजते हैं चीफ सेक्रेटरी के पास क्योंकि वह राजमाता थी और चीफ सेक्रेटरी उस चिट्ठी को भेजते हैं मुख्य मंत्री के पास और मुख्यमंत्री लिखते हैं 'Please give polite reply पोलायट को नीचे अण्डर लाइन कर देते हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कोई शिकायत नहीं आयी। राज माता द्वेष भावना से शिकायत करेंगी ?

श्री अध्यक्ष : सवाल हो गया। उसको रिपीट मत करिये it will take unnecessary time. सवाल हो गया।

श्री जुबेर खान : मोतीलाल मीणा सवाई माधोपुर से सदस्य हैं उन्होंने लिखित में चिट्ठी लिखी है कि काफी दिनों से अवैध शिकार हो रहा है। इसके लिए भी डिनाई करते हैं कि कोई शिकायत नहीं आयी। एफ.आई.आर. भी और एक्ट में खुद में प्रावधान है कि खुद भी एफ.आई. आर लोज करा सकते हैं। कुछ महीने की सजा और कुछ जुर्माना तक कर सकते हैं। आज तक इस विभाग ने किसी को जुर्माना भी किया ?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक इन्सीडेण्ट बताना चाहूंगा पोचिंग नहीं हुई। दो छोटे-छोटे बच्चे जोगी महल के पास गये। चूंकि जनरली शेरनी जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने बच्चों को खुला नहीं छोड़ती है। यह वहां परेशान, क्योंकि इनकी मां तो मार दी गयी थी, जख्मी थे उसके बाद आपके गार्ड के लोग मीट खरीद कर लाते हैं सवाई माधोपुर से दुकान से और पीछे-पीछे भागते हैं उसको मीट खिलाने के लिए। एक जंगली जानवर आदमी के हाथ से मीट खायेगा, एक तो, अध्यक्ष महोदय, भगाने में मार दिया इन्होंने और दूसरे को पकड़ कर लाये तो निप्पल से, बोतल से उसको दूध पिला रहे थे, उसने जोगी महल में प्राण त्याग दिये। आप यह जांच करवाइये। आज बड़े दुख की बात है कि मंत्री महोदय कह देते हैं कोई पोचिंग नहीं हुई, तरह-तरह की जानकारियां आ गयीं।

एक मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जो यह मोहम्मद अ सिफ पकड़ा गया है, जिसके पास 4 किलो बोन्स और हड्डियाँ बरामद की गयी हैं, पुलिस ने, उसने भी स्वीकारा है क्या हुआ उसका ? जो अहमद नाम का व्यक्ति था, कानपुर का उसको आज तक पुलिस ने क्यों नहीं अरेस्ट किया ? जबकि उसके

(श्री जुबेर खान)

ठहरने के परिमाण होटेलों में मिले। उसने जो टेलीफोन किये वहां से दिल्ली के लिए, कानपुर के लिए, भोपाल के लिए, जम्मू के लिए, उनके प्रमाण मिल गये पुलिस को। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्योंकि इसमें ऐसे-ऐसे अधिकारी लिप्त हैं और भी कोई लिप्त हो सकते हैं इसलिए सी. आई. डी. को इसे दिया गया है। मेरा मंत्री महोदय से कहना है कि अगर आप तथ्य सामने लाना चाहते हैं, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, आपके कोई इसमें वेस्टेड इण्ट्रेस्ट नहीं, आपके कोई करीबी-जन इसमें अगर इन्वाल्व नहीं हैं तो क्यों नहीं आप इसकी जांच कराते ? क्यों आप सी.आई.डी. के मण्डल में अरुण दुग्गड़जी को डी. आई. जी., सी. आर. ए. सी. को जांच दी, वहां के अधिकारियों से कराते ? अगर नहीं करते थे तो दूसरे एस.पी. को लगाते। मेरे कहने का मतलब है, अध्यक्ष महोदय, कि यह षड्यन्त्र रच कर के यह फाइल ट्रांसफर की गई है। क्योंकि लोकल पुलिस इसकी जांच कर रही थी, तथ्य लोगों के सामने आ रहे थे। (समय समाप्ति-घण्टी) मेरा एक निवेदन यह है कि....

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री जुबेर खान : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल नहीं, मैं टू दी पाइण्ट बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : और लोग भी पूछेंगे अब, और लोगों के लिए भी छोड़ दीजिये। फिर औरों को मौका नहीं मिलेगा। सारी बात आप बता दोगे तो और सवाल क्या पूछेंगे। नहीं, नहीं, आधा घण्टा हो गया।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, एक सवाल पूछ लीजिए। हां, आखिरी पूछ लीजिए आप।

श्री जुबेर खान : मिस्टर कैलाश सांखलाजी, जो उसके फाउण्डर डाइरेक्टर हुआ करते थे, वह एक चिट्ठी लिखते हैं : While I was camping in out houses of Jogimahal. I heard two gun-shots one after the other at 1.15 A.M. from Kuchda valley. I woke up the Forester but he expressed his helplessness. The matter was reported to the Field Direct-tor on wireless next morning but nothing happened अध्यक्ष महोदय, इतनी तरह की बातें जो लोगों का एक लगाव रहा है और मैं एक बात और कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब फिर एक बात।

श्री जुबेर खान :....कि माननीय मंत्री महोदय जवाब देते हैं इनके विभाग से कि टाइगरों को नाम से नहीं जानते। आज मंत्री बने हैं, जो 80-81, 82, 83 से इण्टर-नेशनल किताबें लिखी गई हैं, उनमें टाइगरों के चेहरे छपे हैं और नाम दिये हैं और सब दुनियां में जाती है और आप कह देते हैं कि sorry to say that we do not recognise the animals by name. वहां जिस तरह से आपके टी. वी. स्टार और फिल्म स्टार फेमस हैं उसी तरह

(श्री जुबेर खान)

से रणथम्भोर में ड्राइवरों के, कर्मचारियों के, गार्ड के सामने यह टाइगर के नाम से जाने जाते हैं और उनकी सिनाख्त भी उनसे पहचानते हैं। जब एक भेड़ चराता है, बकरी चराता है, जिसके पास 100 बकरी भी होती है, वह अपनी हर बकरी को 100 बकरियों के बीच में से आइडेण्टिफाई कर सकता है और शाम को जब पहुंचता है, अगर एक बकरी भी गायब है तो he can make out that one goat is missing.

मेरे कहने का मतलब यह है कि....

श्री अध्यक्ष : बकरी और बाघ में बड़ा अन्तर होता है।

श्री जुबेर खान : यह बहुत गलत बात है और, अध्यक्ष महोदय, एक अन्तिम बात कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अब आप एक-एक करके दिस इज थर्ड।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, बहुत रिलेवेण्ट है।

श्री अध्यक्ष : हां, करिये, करिये।

श्री जुबेर खान : आपके फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट में विजिलेन्स डिपार्टमेण्ट है, जिसमें डी.आई.जी. रेन्ज का आदमी पोस्ट कर रखा है आपने। विजलेन्स ऑफिसर भी हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मिस्टर एस.पी. शर्मा, एक विजलेन्स ऑफिसर हुआ करते थे, उन्होंने जो वर्ल्ड बैंक से एक करोड़ रुपया पर ईयर 5 साल के लिए ईको डवलपमेण्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए मिला हुआ है, उसके बारे में कोई अपनी रिपोर्ट दी है और सेक्रेटरी, फोरेस्ट ने फॉरवर्ड की है वह उस रिपोर्ट को क्यों दबाना चाहते हैं? क्यों तथ्य नहीं लाना चाहते? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह कहना चाहूंगा कि मेरे कुछ सुझाव हैं और सवाल भी हैं।

श्री अध्यक्ष : सुझाव बाद में देना, पहले सवाल।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक-दो क्वेश्चन भी हैं....

श्री अध्यक्ष : मिस्टर जुबेर खान, अब आप बहुत बोल रहे हो। अब आप बैठ जाइये। श्री यदुनाथ सिंहजी, आप सवाल पूछिये। (समय समाप्ति सूचक-घण्टी) यदुनाथ सिंहजी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात........

श्री अध्यक्ष : अ यहब बैठेंगे नहीं, आप शुरू करिये अब।

श्री जुबेर खान : एक गार्ड है, कजोड़ नाम का........

श्री अध्यक्ष : अब उन्होंने तय कर रखा है कि वह नहीं बैठेंगे।

श्री जुबेर खान : हो सकता है इनको यह बातें नहीं पता हों।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे थॉट पावर नहीं इनके बराबर।

श्री अध्यक्ष : तो मैं और दूसरों को बुला लूं, बिराजिये। डा. चन्द्रभान।

श्री जुबेर खान : नहीं, क्यों बुला लेते हैं, आप तथ्यों को छिपाना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान, । आप बैठिये मिस्टर । डा. चन्द्रभान को बुला रहा हूं मैं । डा चन्द्रभान, सवाल पूछिये आप, डा. चन्द्रभान, पूछिये अब आप ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि कजोड़ नाम के गार्ड किस बिना पर सस्पेण्ड किया गया ? अगर पोचिंग नहीं थी, अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मिस्टर जुबेर खान, देखिये आधे घण्टे से ज्यादा आप अकेले बोल रहे हैं और जो काल अटेंशन पर रूल्स हैं, मैं आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं, अध्यक्ष कार्य सूची पर लिये जाने के बाद वह सदस्य जिसने प्रस्ताव की सूचना दी है, प्रश्नों के तुरन्त पश्चात् और कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले मंत्री का ध्यान अकर्षित कराते समय अपने प्रस्ताव का वाचन करेगा और मंत्री वक्तव्य देगा उसके बाद वह सदस्य, जिसने यह सूचना दी है और कोई अन्य सदस्य, जिसने अध्यक्ष को पूर्व सूचना दी है, मंत्री से स्पष्टीकरण चाह सकते हैं परन्तु कोई विचार विमर्श नहीं होगा ।"

श्री जुबेर खान : मैं स्पष्टीकरण चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका स्पष्टीकरण । यदुनाथ सिंहजी । चूंकि इसमें सारी पार्टियों के लोग पूछने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि सब को मौका मिले ।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, 21 मई को....

श्री अध्यक्ष : फिर आपका रिपीटिशन होगा फिर मैं कहूंगा, आप रिपीट कर रहे हैं ।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, कोई रिपीटिशन नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय, 21 तारीख को रात को डच के, हॉलैण्ड के दो व्यक्ति, मिस्टर विग और लियेण्डर विल, जोगी महल में....

श्री अध्यक्ष : इससे, क्या मतलब है इन बातों का ?

श्री जुबेर खान : कैसे नहीं है मतलब ।

श्री अध्यक्ष : आपको जब तक स्पेसिफिक बात नहीं होगी....

श्री जुबेर खान : जो बुकिंग करा कर रुक रहे थे उन व्यक्तियों को रात को 12 बजे वहां से क्यों खदेड़ दिया गया ? यह मेरा सवाल महत्वपूर्ण सवाल है....

श्री अध्यक्ष : अब यह जवाब यहां से नहीं मिलेगा, 21 तारीख को रात को कोई व्यक्ति थे, उनको क्यों खदेड़ दिया, किसने खदेड़ दिया ?

श्री जुबेर खान : आप मुझ से पूछिये, क्यों खदेड़ दिया....

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप ।....
(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : क्योंकि आपके अधिकारी....(व्यवधान)....हनीमून मनाने जाते हैं, अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : यदुनाथ सिंहजी, बोलिये । बैठिये, बैठिये आप ।

श्री जुबेर खान : इसलिए आप जो पहले से बुकिंग करा कर....

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंहजी ।

श्री जुबेर खान : हमारे फोरेन मेहमान आते हैं उनको रात को 12 बजे भगा देते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी गलत बात है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सचेतक महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वह सहयोग करने के लिए मेरी ओर से रिक्वेस्ट करें । अब बहुत ज्यादा हो गया, इट इज टू मच ।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मुझे सवाल पूछने दीजिए....

श्री अध्यक्ष : इट इज टू मच मिस्टर । मिस्टर, प्लीज यू, अब आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं । आप किसी बात को समझिये ।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्य बता रहा हूं इसलिए आप सबके सामने नहीं आने देना चाहते ।

श्री अध्यक्ष : देखिये, आइन्दा मुझे सोचना पड़ेगा आपको मौका देने के लिए ।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं इर्रिलेवेण्ट बात नहीं कर रहा । मैं टू दी पाइंण्ट बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये, टू दी पाइण्ट बैठ जाइये आप ।

श्री जुबेर खान : पर्दा फाश होते वे लोग....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये, बैठ जाइये । और लोग हैं ।

श्री जुबेर खान : इसलिए आप मुझे बैठाना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय यदुनाथ सिंहजी....

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बाद में अलाऊ करेंगे....

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये आप, कोई जरूरी नहीं है किसी का क्लेम नहीं है बाद का । कमिटमेंट नहीं है मेरा यह ।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आप तो कभी कमिटमेण्ट करते नहीं क्योंकि जहां सरकार फँसने की बात होती है....

श्री अध्यक्ष : मैं जो उचित होगा वही करूंगा, बिराजिए ।

श्री जुबेर खान : तथ्य आते हैं- आप उनको डाइवर्ट कराना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री जुबेर खान : आप एक-एक आदमी को वक्त देते हैं, आधा-आधा घण्टा और जो तथ्यों की बात टू दी पाइण्ट करते हैं उनको आप मौका नहीं देते हो ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । आप फिर भाषण दे रहे हो, फिर भाषण झाड़ रहे हो आप ।

श्री जुबेर खान : नहीं, भाषण क्या हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, सरासर आपका बिहेवियर जो है यह बहुत ही गलत....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सदन में कुछ मर्यादायें हैं। आप यदि मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं सदन की गरिमा को गिरायेंगे। कोई माननीय सदस्य किसी जिद पर उतर जाये कि मैं ही बोलूंगा, यह सदन की मर्यादा के और आपके नियमों के प्रतिकूल है। आपको मैंने आधे घन्टे का समय दे दिया है। इट इज टू मच, जबकि इसमें बोलने वाले सारी पार्टी के लोग हैं। सवाल पूछेंगे सारे आप ही पूछ लेंगे, वह रिपीट करेंगे तो उनको मौका नहीं मिलेगा। यहां मुझे कहना पड़ेगा उनको कि आप रिपीट कर रहे हैं इसलिए यह थोड़े ही है कि सारा समय आप ही ले लेंगे और लोगों को भी मौका दीजिए।

माननीय यदुनाथ सिंहजी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन हैं आप जो टाइम फिक्स कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : फिर खड़े हो गये आप। फिर, बैठिये आप।

श्री जुबेर खान : इससे ज्यादा किसी को भी नहीं बोलने....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : I say sit down.

श्री जुबेर खान : I will not sit down.

श्री अध्यक्ष : I say sit down.

श्री जुबेर खान : You call by name.

श्री अध्यक्ष : I say sit down. I will call your name.

श्री जुबेर खान : आप फिक्स कर दीजिए,....कोई नहीं बोलेगा।

आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप फिक्स कर दीजिए कि हर माननीय सदस्य इससे एक....

श्री अध्यक्ष : Please sit down.

अब आप बैठ जाइये, बैठ जाइये अब आप।

श्री यदुनाथ सिंहजी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करना चाहता हूं। एक बात सही है कि नेशनल पार्क में लगातार पोचिंग होती रही है और मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता हूं कि जो अधिकारियों की आपस की गुटबाजी है उसका यहां जिक्र करना चाहता हूं, यह अनुरोध है कि नेशनल पार्क में लगातार लम्बे समय से बाघों की और अन्य वन्य जीवों की पोचिंग होती रही है और सब से ज्यादा चिन्ता का विषय यह है कि जो फोरेस्ट के और इस डिपार्टमेण्ट के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कारगर कार्यवाही, कारगर उपाय नहीं किये गये और इस मामले में भी जो रीसेण्ट अकरेन्स हुई है, उसमें भी मैं वहां के एस. पी. को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने न सिर्फ नेशनल पार्क की, इस देश की बहुत बड़ी सेवा की है। उन पोचर्स को पकड़ कर उनको एक्सपोज किया है। वह जो पकड़े गये हैं, उनको तो सजा मिलेगी और उनके कारण से जो जांच होगी उन जांचों में इसका पर्दाफाश होगा। यहां मेरा फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट पर यह चार्ज है कि जो

(श्र . . . थसिंह)

जिम्मेदारी इन को निभानी चाहिए वह इन्होंने नहीं निभायी और पुलिस के एक एस. पी. ने उस जिम्मेदारी को निभाया। इसकी आपने कुमट साहब से जांच करा ली, अब आप सी. आई. डी. से जांच करवा रहे हैं इसकी और आज अखबारों में पढ़ा दिल्ली से जो हमारे एम. पी. हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से आया है कि साहब, सी. बी. आई. जांच करेगी। आप किसी से कराओ, यह तथ्यों का पता भी लगना चाहिए कि क्या-क्या कमियां रहीं, क्या-क्या कारण रहे जिसके कारण से यहां पोचिंग को बढ़ावा मिलता रहा? इसी नेशनल पार्क में ही नहीं दूसरों में भी होती है और मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से, यह पूछना चाहता हूं कि इस घटना से संसार भर में हमारी बहुत बदनामी हुई है। टाइम्समेग्जिन हो, नेशनल जोग्राफिक हो और भी इण्टरनेशनल प्रेस में भी बहुत काफी छपा है और अडवर्स असर हमारे ट्यूरिज्म पर, हमारी वाइल्ड लाइफ पर पड़ेंगे। इसकी जांच तो हो लेकिन आगे आप इस नेशनल पार्क की जो रेपुटेशन है, जिसके कारण से यह वाइल्ड लाइफ हैरिटेज में और दुनिया में हमारा नाम है और यहां पर जब यह प्रयोग शुरू किया गया था और आज तक इसमें वाइल्ड लाइफ की बढ़ोत्तरी भी हुई है, इसकी किस प्रकार हम अच्छी तरह से देखभाल करें। रेपुटेशन जमाओ और घर में ट्यूरिस्टों को यह बतायें कि भाई अब यहां के मैनेजमेण्ट में सुधार हुआ है, यहां की व्यवस्था है उसमें सुधार हुआ है,.... अब जो पोचिंग करेंगे उनके साथ कड़ा बर्ताव होगा। कानून में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है तो परिवर्तन किया जायेगा। मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह तो आप स्पष्ट करें कि इसमें आगे आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। आगे से आप इस पार्क में इस प्रकार की घटनाओं को किस प्रकार से आप अपने तंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं? मेरे मुख्य तौर पर आपसे दो ही प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर.... (व्यवधान).. मेरे पास जो नाम हैं वह इतने ज्यादा हैं कि मैं नये आदमी को, क्षमा चाहता हूं उनको समय नहीं दे पाऊंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, कल जब हम सप्लीमेन्टरी पूछ रहे थे तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आप सप्लीमेन्टरी मत पूछिये और कल इस पर चर्चा है। तो हमने कहा कि हमें तो अवसर मिलेगा नहीं। बोले कि आपको कल अवसर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : आपको कहा है तो ठीक है। वह कमिटमेन्ट रहेगा।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की पोचिंग और वहां की अव्यवस्था के एक नहीं अनेक कारण हैं। जब तक उन सारे कारणों की तरफ राज्य सरकार जागरूक नहीं होगी तब तक यह पोचिंग वहां समाप्त नहीं होने वाली है। रणथम्भौर में राष्ट्रीय उद्यानों के निर्माण के लिए वहां के जनसाधारण ने जो कुर्बानी की है, गांव के गांव वहां से विस्थापित हुए, पशुपालकों के पशु जिन्हें पीढ़ियों से वहां चराई का

(श्रीमती मदन कौर)

अधिकार प्राप्त था उससे वह वंचित हुए और सीमेन्ट और दूसरी औद्योगिक इकाइयों को लगाने की अनुमति नहीं दी गयी जिससे वहां के लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान होता और उस सब के बावजूद इस राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय उद्यान की यह राज्य सरकार सुरक्षा और व्यवस्था नहीं कर सकी और हमारी धरती का एक अनमोल रतन बाघ लुप्त हो जाये और इसकी सूचना भी पुलिस विभाग के सूत्रों से मिले और वन विभाग जो इसके लिए उत्तरदायी है वह लम्बे समय तक चुपचाप बैठा रहे तो ऐसी परिस्थिति में क्या भारत सरकार को इसकी जांच कराने का अधिकार नहीं था ? मैं समझती हूं कि भारत सरकार को इसकी जांच कराने का अधिकार था और आज भी है। मान्यवर, मैं आप से निवेदन करना चाहती हूं कि यह राज्य सरकार इस राष्ट्रीय उद्यान को उसके सही उसूलों और सिद्धान्तों के हिसाब से करना चाहती है क्या और अगर करना चाहती है तो इसमें बहुत कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। राष्ट्रीय उद्यान के मूल सिद्धान्त तो यह हैं कि वहां इस वनस्पति को, प्रकृति के जीव जन्तुओं को एक ऐसा स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण मिले कि जहां वह अपने सारे क्रियाकलाप अपने पनपने के सारे काम धंधे बड़ी शांति से निर्वहन कर सकें। माननीय मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया उसमें यह साफ बात कही है कि हमारे इस राष्ट्रीय उद्यान में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है कि जहां शांति का कोई स्वच्छ वातावरण हमारे वन्य जीवों को उपलब्ध हो सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे यहां व्यवस्था एकदम विपरीत है। कितनी टैक्सियां इस उद्यान में चलती हैं? मेरी जानकारी के हिसाब से कम से कम 70-80 टैक्सियों को अनुमति है। यह टैक्सियां किसकी हैं ? यह टैक्सियां बाहर तक नहीं जाती और आपके राष्ट्रीय उद्यान में अन्दर तक कोर एरिया तक जाती हैं फिर कहां क्षेत्र बच जाता है जहां यह प्राकृतिक जीव जन्तु जिन्दा रह सकें। आपने यह सारी अनुमति दी। आप मुझे बता दीजिए देश और विदेश का एक भी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दीजिए कि जहां टैक्सियों को जाने की उनमें अनुमति हो। इसलिए मैं राज्य सरकार से जानना चाहती हूं कि आप इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ? आपको इस बात का फैसला करना पड़ेगा। इस संबंध में आपके पास एक विकल्प आपके सामने है कि आप इसे राष्ट्रीय उद्यान रखें या फिर ओपिन जू बनाना चाहते हैं। लेकिन आप जू में भी इन टैक्सियों को अनुमति नहीं दे पायेंगे। वहां भी सिर्फ प्रशासन की या संगठन की कोई अरेन्ज्ड ट्रिप्स होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान में तो मात्र आदमी को भी नहीं घुसने दिया जाना चाहिए। वहां तो सिर्फ ऐसे प्रकृति सम्बन्धी कुछ अनुसंधान करते हों, जानकारी प्राप्त करते हों, अध्ययन करते हों उनके अलावा किसी को अन्दर जाने की अनुमति नहीं होती है। आप अपना जवाब दें तो यह बतायें कि देश-विदेश का कोई राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है कि जहां टैक्सियों को अनुमति मिलती हो और टैक्सियों के अलावा ही नहीं आपने वहां के लोगों को तो उजाड़ दिया, गांव के

(श्रीमती मदन कौर)

गांव आपने हटा दिये और आपके इस राष्ट्रीय उद्यान में बोर्डर जोन में अतिक्रमण किसका है ? कितने अतिक्रमण हैं और उस अतिक्रमण की हुई जमीनों पर क्या बड़े-बड़े इमारत बन हुए हैं और वह होटल के काम आ रहे हैं। क्या आप इस अतिक्रमण को हटाने की स्थिति में हैं ? क्या आपका जिला प्रशासन से पर्याप्त तालमेल है ? एक तरफ जब गृह विभाग ने यह बयान दिया कि 20 से 25 बाघों की पोचिंग हुई आपका विभाग कहता है कि सिर्फ 2 या 3 ही संख्या है। तो मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि क्या इस परियोजना प्रशासन का वहां के जिला प्रशासन से पर्याप्त तालमेल है और अगर नहीं है तो फिर आपका यह अतिक्रमण कौन हटायेगा ?

तीसरा सवाल अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि क्या आपके इस परियोजना प्रशासन पर कोई बाहरी शक्तियों का दबाव है ? कोई एक्स्ट्रा कान्सटीट्यूशनल अथारिटी यहां काम कर रही है ? मैं इसके आगे यह सवाल भी करना चाहूंगी कि क्या आपके परियोजना प्रशासन में जितने अधिकारी हैं उससे भी उतने ही प्रोटेक्टिव स्टाफ है ? तो फिर प्रोटेक्शन कैसे सम्भव है ? इस प्रोटेक्शन स्टाफ के संबंध में मेरी यह भी आशंका है कि आपका जो प्रोटेक्शन का स्टाफ है वह इन एक्स्ट्रा कान्सटीट्यूशनल अथारिटी जो अपना प्रभुत्व जताना चाहती है रिपोर्ट कन्ट्रोल के माध्यम से उनका माध्यम तो नहीं बना हुआ है ?

साथ ही मैं मुख्य रूप से आपसे यह जानना चाहती हूं कि आपने इस सारे प्रकरण की बहुत विस्तृत जांच करवाई है उच्च प्रशासनिक अधिकारी से अब आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं ? आप इस राष्ट्रीय उद्यान को किस रूप में विकसित करना चाहते हैं ? क्या वहां टैक्सियों की अनुमति देंगे ? और अगर टैक्सियों की अनुमति देंगे तो फिर आपका यह राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं बच पायेगा।

अन्त में एक सवाल और करना चाहती हूं। जो भारत सरकार ने आप को बफर जोन के डवलपमेंट के लिए पैसा दिया क्या वह पैसा आपका लैप्स हो गया ? क्यों लैप्स हो गया ? कितना रुपया था ? यह सारी जानकारी भी आप अपने जबाव में मुझे वापिस देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न तो आपके सामने यही है कि जब तक आप इस राष्ट्रीय उद्यान को पूरी तरह से अध्ययन करके अपना मानस नहीं बनालें कि आपको यह कैसा उद्यान बनाना है, उद्यान बनाना है या ज़ू बनाना है–यह सारी बातें तय करने के बाद आपकी भावी रीतिनीति इस राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में क्या होगी वह सारा हमें सदन को बतायें अन्यथा यह बाघों की पोचिंग होती रहेगी और अव्यवस्था फैलती रहेगी और राज्य सरकार चुपचाप बैठी रहेगी और जबाव देगी नहीं और भारत सरकार आपके प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायन दवे।

श्री लक्ष्मीनारायन दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य जीवों के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

लुप्त होने के बारे में सबसे पहले चिन्ता ब्रिटेन के एक छायाकार ने जाहिर की थी और भारत के अन्दर दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था 69 में और उस 69 के सम्मेलन के पश्चात आज दुनिया के अन्दर वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं और अवैध शिकार हो रहे हैं। उसके बारे में चिन्ता जाहिर की। सन् 76 के अन्दर रणथम्भौर अभयारण्य....

श्री अध्यक्ष : कृपया इतिहास मत बताइये। सवाल कीजिए। इतिहास तो जुबेर खां जी बता चुके हैं सारा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : ....सन् 74 के अन्दर रणथम्भौर....

श्री अध्यक्ष : देखिये मेरे पास 10 के नाम हैं जिन्होंने इस पर दस्तखत किये हैं। इनके सब के नाम मैंने ले लिये हैं। सबको बुलवाना चाहता हूं इसलिए मेहरबानी करके सवाल पूछिये। अगर भूमिका बांधेंगे तो वह रह जायेंगे।

(2 00 म. प)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि सन् 84 से 90 के बीच में....

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नाम है आपका। जिनके हैं मेरे पास काल अटेन्शन, सबके नाम हैं, जिनके नहीं हैं उनको नहीं बुलाऊंगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : 84 के अन्दर आपने इस राष्ट्रीय उद्यान के अन्दर बाघों की संख्या 40 बतायी, 90 के अन्दर बाघों की संख्या 44 बतायी है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि 84 के अन्दर 44 की संख्या और 90 में 44 की संख्या, क्या इन 6 साल के दरम्यान बाघों की फीमेल में किसी तरह का कोई प्रजनन नहीं हुआ या उनका शिकार किया गया? इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय से, राजस्व सचिव आर.एस. कुम्भट साहब की जो रिपोर्ट आयी है, उस कुम्भट साहब की रिपोर्ट के अन्दर किन लोगों को दोषी पाया गया? जिन लोगों को दोषी पाया गया, राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की? तीसरा मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, कल भारत के प्रधान मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के सम्मुख वन एवं पर्यावरण मंत्री कमलनाथजी ने यह बात स्वीकार की थी कि उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया था, राजस्थान के वन अधिकारियों ने उस टास्क फोर्स को काम नहीं करने दिया, तो यह क्या कारण थे जिसके कारण उनको कार्य नहीं करने दिया गया? इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला। मैं आपके नाम बोल रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां बाघों के मामले में पड़ गये?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं टूरिज्म मिनिस्टर रहा हूं ना पहले।

श्री जगमालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने पार्टियों को बुलवाने की बात

(श्री जगमालसिंह यादव)

कही है, मैंने पहले भी निवेदन किया, हमारी भी पार्टी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन लोगों ने काल अटेन्शन दिये हैं, उनका अवसर आप ले लेंगे ?

श्री जगमालसिंह यादव : मैं वह नहीं कह रहा।

श्री अध्यक्ष : इसलिये जिन्होंने दिये हैं मैं उन्हीं के नाम बोल रहा हूं। आपका भी नाम है। जिन्होंने नाम दिये हैं उनके नाम बोल रहा हूं। उसके बाद समय मिलेगा तो आपको भी अलाऊ करूंगा।

श्री जगमालसिंह यादव : मेरा तो एक छोटा सा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आपका छोटा सा निवेदन आखिर में सुन लूंगा।

श्री जगमालसिंह यादव : आपकी व्यवस्था पर ही अर्ज कर रहा हूं मैं तो।

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था पर है ? व्यवस्था का सवाल है ?

श्री जगमालसिंह यादव : नहीं, निवेदन कर रहा हूं जो आपने कहा उसी के अनुरूप।

श्री अध्यक्ष : आप टाइम ले रहे हैं। इनको बोलने दीजिए। पहले इनको एग्जास्ड हो जाने दीजिए फिर आपको।

श्री जगमालसिंह यादव : आपने कहा कि सभी पार्टियों को बुलाऊंगा तो मैंने भी कहा, जनता दल (डी) भी पार्टी है, साहब, आपके रिकार्ड पर तो है ही।

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये। मगर उन्होंने काल अटेन्शन नहीं दिया है। आप बोलिये। आपका नाम है।

एक माननीय सदस्य । हम बे-पार्टी के हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम है। आपका नाम नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बर्फ और समुद्र के अलावा सब कुछ है। पर्यटन की दृष्टि से हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कुछ प्रश्न वन मंत्रीजी से करना चाहता हूं। एक तो यह है कि इस गेम्स सैंक्चुरी में में आपने पशु गणना जो करायी उसके बारे में कई तरह के स्टेटमेंट अखबारों में, समाचार-पत्रों में, पत्र-पत्रिकाओं में छपे हैं। 1991 में जो पशु गणना हुई उसके अनुसार कुछ समाचार-पत्रों ने 45, कुछ ने 40 की गणना बतायी। मैं जानना चहाता हूं कि लेटेस्ट पोजिशन वहां की क्या है, कितने बाघ वहां पर हैं ? वहां पिछले तीन सालों में कितने बाघों की प्राकृतिक मृत्यु हुई ? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं, चूंकि बाघ डेंस फोरेस्ट में रहता है, इसके लिये राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कितने पेड़ लगाये ताकि वहाँ का पर्यावरण जहां वे रह सकते हैं उसके अनुसार हो ? एक प्रश्न जो मेरे से पूर्व व्यक्तियों ने भी किया है लेकिन मैं बहुत स्पेसिफिक प्रश्न करना चाहता हूं कि मंधिया नाम का कर्मचारी जोगी महल में मृत पाया गया,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

वह आत्महत्या थी या हत्या थी और उसके बारे में क्या कार्यवाही की गयी ? यह भी मैं जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में 20 बाघ, अनेक चीते, 300 लोमड़ियां और सियार, 300 सांभर और चीतल तथा सैकड़ों मगरमच्छ, गोह, खरगोश और ऊदबिलाव की मृत्यु हुई है, क्या यह सही है और आपके क्या आंकड़े हैं ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हमारी जानकारी के अनुसार वहां पर बाघ केवल 17 रह गये हैं, एक्चुअली में वहां की क्या पोजिशन है और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिये आपने क्या काम किया ? मुनीम खां, फून्दिया खटीक, खटीक, खटीक गोपाल और शंकर, इन पर सात बाघों की हत्या का इल्जाम लगा था, उनके पास वास्तव में कितनी खालें मिलीं और उनके बारे में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे जानकारी करूंगा, आपने किस-किस किस्म के बाघ अब तक देखे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने कान्हा पार्क में और रणथम्भौर में और सरिस्का में बाघ देखे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घना पार्क में बाघ देख लिया तो सब कुछ देख लिया ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं नहीं, कान्हा, कान्हा । घना आप सुन रहे हैं, मैं कान्हा पार्क कह रहा हूं। घना में तो आपको बर्ड्स मिलेंगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, बस।

श्री केदारनाथ शर्मा : हमारे रोजड़ी फार्म में भी मिलते हैं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, वन और वन्य जीव घटें इससे इस सदन का चिन्तित होना स्वाभाविक है। जहां तक राष्ट्रीय बाघ परियोजना रणथम्भौर में बाघों की हत्याओं का सवाल है, इस सम्बन्ध में मैं केवल दो सवाल करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से। जैसा कि पूर्व वन मंत्रीजी ने कहा कि यह टैक्सी वगैरह चलती हैं इनसे तो वहां पाल्यूशन फैलता है और उसकी रक्षा और सुरक्षा को खतरे हैं, उसके विकास के लिये भी यह गलत है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई ऐसी शिकायत आयी है, यह जो टाइगर प्रोजेक्ट है, रणथम्भौर, इसकी सुरक्षा के लिये और रक्षा के लिये आपने जो वाहन उपलब्ध करा रखे हैं उनका वहां के अधिकारी लोग दुरुपयोग करते हैं ? इस सम्बन्ध में अप्रेल, 1991 में एक ग्रीनकार्ड होल्डर जर्मन नागरिक एल्डरमैन ने स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को कोई शिकायत की क्या ? शिकायत की तो उस पर राज्य सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, क्या कार्यवाही की ? इसके अलावा भी वहां पर जो वाहन राज्य सरकार ने इन अधिकारियों को वहां के प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिये उपलब्ध करा रखे हैं उनका दुरुपयोग वहां जो आपके चीफ साहब हैं, बी. डी शर्मा और अन्य अधिकारी हैं वह अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों या मिलने जुलने वालों या कहना चाहिये बड़े लोग, चूंकि, अध्यक्ष

(डा. चन्द्रभान)

महोदय, यह बाघ जहां रहते हैं, यह टाइगर जहां रहते हैं वहां तो टाइगर लोग ही पहुंचते होंगे यह बड़े लोग जो जाते हैं उनकी सेवा के लिये तो उनका उपयोग नहीं किया जाता है बजाय उसकी सुरक्षा के और उसके विकास के इसका उपयोग इसमें नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, इन वाहनों का उपयोग इन्हीं चीफ साहब के जयपुर आने जाने के लिये, उनके मित्रों, रिश्तेदारों या जो बड़े लोग जयपुर से जाते हैं या दिल्ली से आते हैं, कहीं से, उनमें सभी तरह के लोग होते हैं अधिकारी या दूसरे लोग, उनकी सेवा के लिये होता है। तो आपसे इतना निवेदन है कि कृपया इन वाहनों का सही उपयोग हो। हजारों लाखों रुपयों का डीजल, पैट्रोल आप लोग फूंकते हैं, यह वैसे भी आपको राष्ट्रीय बचत करनी चाहिये, एक तो मेरा स्पेसिफिकली यह निवेदन है। दूसरा सवाल है, अतिक्रमण का। इस हाउस में भी पहले चर्चा हुई है, और जनता के बीच में भी चर्चा हुई है। यह जो अतिक्रमण के मामले हैं इस सम्बन्ध में सरकार क्या और किस तरह की ठोस कार्यवाही कर रही है, इस सम्बन्ध में भी कृपया आप स्पष्ट जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह।

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री, वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। Rajasthan is very lucky that we have 3 National Parks because of these National Parks we are on the world tourist map. बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रणथम्भौर नेशनल पार्क में लगभग 28 टाइगर्स की पोचिंग हुई है। मैं राजस्थान की पुलिस और खास तौर से एस.पी. मोहनसिंह भाटी को बधाई देता हूं कि उन्हें अपनी तफ्तीश में, पूछताछ में जानकारी मिली कि एक इन्टरनेशनल गेंग आपरेट कर रही थी और गवाह सबूतों के हिसाब से लगभग 15 टाइगरों की मौत हुई। दुर्भाग्य से या पता नहीं कौनसे इन्टरफियरेंस से किसने आदेश दिये कि यह तफ्तीश मोहनसिंह भाटी से हटकर राजस्थान के सी. आई. डी. विभाग में गई और सी. आई. डी. विभाग के अधिकारी इसकी जांच भी नहीं कर रहे हैं। शायद वहां कोई काबिल अधिकारी नहीं है। एक आर.ए.सी. के डी.आई.जी. को तफ्तीश में लगवाया। तो मेरा वन मंत्रीजी से यह प्रश्न है कि जब साइन्स इतनी एडवांस हो गई है तो क्यों नहीं वहां एक क्लोज सर्किट टी. वी. का सिस्टम स्थापित किया जाये जिससे सही मानीटरिंग हो सके। आपको इस योजना के लिए वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार से फंडस् मिलते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन यह है कि यह मामला संदेह का है, शक का है। सैंकड़ों वन्य जीव मारे गये हैं। आप भी वन्य जीवी प्रेमी हैं। कई सदस्य इस विधान सभा के वन्य जीवी प्रेमी हैं तो आप इस इनक्वायरी को दिल्ली भारत सरकार के सी. बी. आई. को दीजिए और लोकल लेवल पर विधायकों की एक कमेटी फोर्म करके उनको वहां भिजवाइये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत। मैं बोल रहा हूं....(व्यवधान) सबके आ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्षजी, राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की हत्या के संबंध में मेरा कल एक प्रश्न था। मैंने कुछ पूरक प्रश्न वहां खड़े किये थे, वन मंत्रीजी ने जवाब दिया नहीं, क्यों नहीं मैं उस संदर्भ में बातचीत करूं। अध्यक्षजी, 90 के अन्दर राष्ट्रीय उद्यान में जब वन्य जीवों की गणना हुई थी उस समय 44 बाघ थे इस बात पर विवाद चला था और वास्तव में उस समय 28 बाघ थे। इस समय जब यह बात सामने आयी तो करीब सौ दिन तक रिकार्ड में हेराफेरी की गई और इससे यह प्रतीत होता है कि 1985 से लेकर 90 तक इन बाघों की हत्या की गई है, अवैध शिकार वहां हुआ है। इस संबंध में फिर 1991 में जो जनगणना हुई उसमें इस तरह के ऐसे ऐसे आंकड़े रख दिये गये थे। यह हमारे सामने एक चिन्ता का विषय है कि विश्व विख्यात रणथम्भौर के अन्दर जहां प्राकृतिक रूप में हमने बाघों को सुरक्षित करने के लिए, वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये हैं, वहां इस प्रकार से उनकी सुरक्षा नहीं हो। वहां जो रक्षक हैं, वही भक्षक बन जायें और बाड़ ही खेत को खाने लग जाये तो इस प्रकार से सुरक्षा हो नहीं सकती। इस संदर्भ के अन्दर सितम्बर, 91 के अन्दर सवाई माधोपुर के पत्रकार सत्यनारायण जोशी और एडवोकेट के. सी. गोयल ने एक शिकायत वन मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को की। उस शिकायत पर वन सचिव के पास वह शिकायत गई और वन सचिव ने वन सतर्कता निदेशक को इसकी जांच दी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो रिपोर्ट उस संदर्भ में दी है, वह किस प्रकार की रिपोर्ट दी है। उसमें कौन कौनसे अधिकारियों को दोषी पाया गया है, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? वह कार्यवाही होनी चाहिए। अध्यक्ष जो, फिर सवाल आया कि सारा मामला सामने आने के बाद यह प्रश्न आया कि इसकी जांच की जाये तो प्रशासनिक अधिकारी आर. सी. कुम्भट को इसकी जांच दी गई। जांच देना उचित था, परन्तु सामने स्पष्ट था कि जो 44 बाघ की गणना बतायी गई है, वह 44 गणना नहीं थी। इस बात की पुनः जांच की जाये 90 में जो जनगणना की गई थी, 91 में जो जनगणना की गई थी, उनकी संख्या में क्यों हेराफेरी की गई ? उसमें कौनसे अधिकारी दोषी हैं। मेरा कहने का मतलब यह है माननीय अध्यक्षजी, इसके पीछे यह बात है आर. सी. कुम्भट को इनक्वायरी दी गई। उसके सबंध में वन विभाग के एक अधिकारी जो जोधपुर में हैं आर. एस. भण्डारी, उनको उनके सहयोग में लगाया गया और आर एस. भण्डारी जो पुलिस इनक्वायरी जांच कर रही थी, पुलिस एस. पी. ने तो निष्पक्षता से जांच करवायी थी, उनसे आर.ए सी. के जो डी.आई.जी. हैं दुग्गड़ उनको यह इनक्वायरी दी गई। इन तीनों का एक सम्बन्ध हो गया है और इससे यह पता लगता है कि इनक्वायरी को छिपाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो जांच आर.सी. कुम्भट कर रहे है, उसके साथ जब सीनियर वन विभाग के अधिकारी बैठे हुए थे जो बी. डी. शर्मा से सीनियर हैं, उनको इसकी जांच में लगाना चाहिए था, इस सारे मामले में यही

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

निवेदन करना चाहूंगा। एक वन कर्मचारी जिसकी हत्या कर दी गई थी....

श्री अध्यक्ष : वह हो गया अब रिपीट कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आत्म हत्या का केस दर्ज किया गया....

श्री अध्यक्ष : वह हो गया।

श्री राजेन्द्र गहलोत : इन सारे मसलों में आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह मसला 1990 से पहले का है इसमें सारी जांच होनी चाहिए जो....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : किस प्रकार से भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी यहां बैठे हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : अच्छा बिराजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उनके कारण विश्व विख्यात जो उद्यान है....

श्री अध्यक्ष : जनता दल दिग्विजयसिंह जी, आप पूछें जगमालसिंहजी। आप बैठिये....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत। किया जाये....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। अब एक जनता दल दिग्विजयसिंह का भी आ जाये।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि अपने स्टेटमेण्ट में माननीय वन मंत्रीजी ने बताया कि वन्य जीव अभ्यारण्य में विशेषकर जीव जहां ध्वनि प्रदूषण होता है उसकी वजह से वह उस जगह को छोड़ देते हैं, उस जगह कम रहते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा, कई बार चर्चा भी हुई। एक तरफ तो अभी माननीया सदस्या ने सवाल उठाया कि टैक्सियां अन्दर जाती हैं आप खुद हा कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में आप सरिस्का विल्स प्राइवेट लिमिटेड का सरिस्का फाइव स्टार और थ्री स्टार होटल चला रहे हैं। क्या यह कानूनों के तहत है ?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आज ही प्रधानमंत्री का एक बयान अखबारों में छपा है। अबरार अहमद जो मेम्बर ऑफ पार्लियामेण्ट हैं। वन मंत्री ने यह साफ कहा है कि मैंने इस रणथम्भौर जांच के लिए, जो प्रकरण सदन में चल रहा है, टास्क फोर्स का गठन किया, तो वह जब वहां जांच करने गयी तो राजस्थान के वन अधिकारियों और दूसरे अधिकारियों ने उनको जांच करने नहीं दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों आयी ? उनकी जांच करने में बाधा क्यों डाली गई ? उनको जांच करने में सहयोग क्यों नहीं किया गया ? और जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के कानून को तोड़कर, उसके रूल्स को तोड़कर आप फाइव स्टार होटल चला रहे हैं, तो उससे वहां ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है या घट रहा है और अगर वह कानून में है तो क्या दूसरे वन्य जीव अभयारण्य जहां है, वहां भी सरिस्का होटल की तरह से दूसरे लाइसेंस देने को आप तैयार हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह। (व्यवधान) .. इनका कमिटमैंट था, आपका नाम है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा झगड़ा इस सरकार की गफलत से पैदा हुआ है। अगर शुरू से ही इनकी नीयत साफ होती तो यह सारा कन्फ्यूजन पैदा होता नहीं और यह सारी स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती। मंत्री महोदय गये, कुम्भट साहब को भेजा। चलिये कुम्भट साहब की रिपोर्ट रखिये आप यहां टेबल पर आप ले करने के लिए तैयार हैं? कुम्भट साहब की रिपोर्ट को आप रख दें, पढ़ लेंगे। यह टेबल पर ले कर दें। अगर यह आपकी रिपोर्ट है तो आपकी स्थिति काफी साफ हो जायेगी नम्बर एक।

नम्बर दो, आपने टास्क फोर्स को काम करने से क्यों रोका? भारत सरकार ने दी थी, अगर आप काम करने से टास्क फोर्स को नहीं रोकते तो यह नीडलै ऑफ सस्पीसियन आपकी तरफ जो जा रहा है, वह नहीं जाता। न किसी को प्रोटेक्ट करने का आप पर चार्ज लगता। क्योंकि आज आपके लोगों का आरोप है, यह पत्र पड़े हैं लोगों का आरोप है कि आपके अधिकारी इसमें इनवोल्व हैं। एक रिपोर्ट आ गई आपके डी आई.जी. अनिल दुग्गड़ साहब भेज रहे हैं। काहे के लिए भेज रहे हैं? इससे यह जाहिर होता है मुख्य मंत्रीजी और वन मंत्रीजी। मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं है. आपको हो सकता है, मुझे शक नही है। लेकिन जो एक्शन हो रहे हैं उन एक्शनों से आप अपने ऊपर शक पैदा करवा रहे हैं। अब आप करवा रहे हैं, आपकी मर्जी है, राज आपका, सरकारी अधिकारी आपके, आपके इशारे में आप जो चाहे करवा लीजिए, लीपापोती जो आपको करनी है करवा लीजिए बदनामी आपकी होनी है। जिस पार्क में 34 हजार आदमी आते हैं, वहां आपने सारा काम रोक दिया सवाई माधोपुर जलवायु के नाम से। तो आप जो करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। तो आपसे मेरे

(2.20 म. प.)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

दो ही प्रश्न हैं। कुम्भट साहब की रिपोर्ट पता नहीं क्या है इसके अन्दर, उन्होंने क्या सजेस्ट किया वह पढ़ कर सुना दें। उस रिपोर्ट पर आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। और जो गिनती का झगड़ा पड़ रहा है। अगर गिनती सही हो जाय तो सारी वस्तु स्थिति साफ हो जायेगी लेकिन अगर आपके अधिकारी अकेले गिनती करने जायेंगे तो किसी को सन्तोष होने वाला नहीं है। आपके अकेले अधिकारियों की गिनती से किसी को सन्तोष नहीं होगा। आपके ऊपर बराबर आरोप लगते रहेंगे। तो सरकार की नीयत और सरकार का मुखड़ा साफ करने के लिये क्या आप इस सदन की एक कमेटी का निर्माण करेंगे? आप निर्माण मत कीजिये, आपने जो पर्यावरण के लिये कमेटी अलवर के लिये बनायी है आप उसी को ही काम दे दीजिये जाकर गिनती करायें या भारत सरकार के कोई टेक्नीकल आदमी नहीं हैं हम तो किसी से करवा नहीं सकते। हमको वहां पर डर लगेगा शेर वगैरह कहीं

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

आ गया तो। सभापति महोदय, इसलिये वन मंत्रीजी, भारत सरकार के किन्हीं अधिकारियों को आप अपने अधिकारियों के साथ जोड़ करके गिनती करवा लीजिए। मेरा सुझाव यह है कि गिनती होने के बाद आज की स्थिति साफ हो जायेगी अन्यथा आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं यह आरोप बराबर लगते रहेंगे। फिर आपकी नियत साफ है, मैं मानता हूं, जो दोषी नहीं हैं. जिन्होंने किया है उनको सजा दीजिये। क्योंकि यह तो निश्चित है कि अगर बाघों की संख्या कम होती चली गयी, वहां जो 34 हजार आदमी आ रहे हैं, आपके राजस्थान का जो नाम है वह नाम खत्म हो जायेगा। तो गिनती का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिनती भारत सरकार का जो टास्क फोर्स बना है वह और आपके अधिकारी दोनों मिलकर गिनती करवा लीजिये। सारी स्थिति साफ हो जायेगी और एक महीने में गिनती हो जायेगी। आप यह करवा लें, मेरा तो आपसे सुझाव यही है, श्रीमन्।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण वर्मा, केवल प्रश्न करेंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्रीजी से कुछ बातों की जानकारी चाहूंगा। क्या यह सही है कि 1988 में माननीय मंत्रीजी बाघों की संख्या 45 थी और आज वास्तविक आंकड़े जिसका आपको ज्ञान है उसके मुताबिक मात्र 18 है। 27 बाघ मारे गये....

एक माननीय सदस्य : 17 होने चाहिये।

श्री रामनारायण वर्मा : 17 लेकिन 18 बताते हैं, जो भी स्थिति है। इतने बाघ मारा जाना अपने आप में काफी अहमियत रखता है। इस बारे में आपने कितने लोगों को दोषी करार दिया है? दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि क्या माननीय मंत्रीजी जो तफ्तीश की जा रही है उसमें तथ्य सामने आये हैं कि बाघों की खाल और हड्डियां नेपाल होकर के ताइवान, चीन, हांग-कांग साइड या मलेशिया साइड पर जाती है। यदि यह तथ्य सामने आये हैं तो इस बारे में आपने अब तक कौन सा कार्यकारी दल अलग से गठित किया है? इस बारे में जानकारी दीजिये। तीसरा मेरा निवेदन है कि क्या यह तथ्य सही है कि ट्रेन से जम्मू, बोम्बे और कानपुर और दूसर स्थानों पर पार्सल गये हैं जिसमें कपड़ा वगैरह लिखा गया बताये गये हैं। तो जब सवाईमाधोपुर में कपड़ा वगैरह होता ही नहीं, भेजने वाले और पाने वाले का एक नाम था या कौन सा नाम था, कोई सा भी नाम हो, क्या सारे पार्सलों की आप जब पिछले साल से, दो साल से गये हैं, इस तरह के पार्सलों की क्या आप जांच करवायेंगे, जांच करके क्या इस तरह का कोई दल अलग से गठित करके इस बारे में जानकारी की जायेगी और वह जानकारी पुलिस को उपलब्ध करायी जायेगी? इसके साथ ही मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, नेशनल पार्क है, इसमें शायद ऐसा कोई सवाल नहीं है। क्या इस नेशनल पार्क को आगे बढ़ाने के लिये, डवलप करने के लिये नेशनल पार्क से लगवा अभयारण्य बून्दी का रामगढ़ को, क्या दोनों परियोजनाओं को शामिल करके बाघों को स्वच्छन्दता से विचरित करने के

(श्री रामनारायण वर्मा)

लिये और उसको बढ़ाने के लिये जो पैसा आ रहा है उसका ठीक ढग से सदुपयोग हो क्योंकि रणथम्भौर से लगता इन्द्रगढ़ है। इस बारे में क्या आप कुछ कार्य योजना बनाने जा रहे हैं और नहीं बनाने जा रहे हैं तो क्या सरकार इस बारे में सोचेगी ? माननीय सभापति महोदय, यह बाघ ही नहीं मारे गये, कौनसा ऐसा जानवर है जो नहीं मारा गया हो। जो भी अधिकारी वहां जाते हैं शिकार खेलने के लिये अन्य कर्मचारी से कहा जाता हैं कि हम खरगोश का शिकार खेलने जा रहे हैं परन्तु चिकारा मारा जाता है, बाघ मारा जाता है। यहां तक कि रीछ इतनी ज्यादा संख्या में मार देते हैं, उनके नाखूनों की इतनी ज्यादा तस्करी की गयी है जिसका आप यदि रेकार्ड बनायें तो आपकी आंखें खुली रह जायेंगी। मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हुये हैं। क्या इस बारे में सरकार इस तरह भी जो सारे जानवर मारे गये हैं उनकी जोंच करवायेगी और जांच करके इस संबंध में कोई श्वेत पत्र जारी करेगी ? चौथा, मेरा निवेदन करना है, माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री रामनारायण वर्मा : बिल्कुल पाइंट टू पाइंट बात कह कर समाप्त कर रहा हूं। भाषण नहीं दे रहा हूं, न रिपीट कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय क्या आपकी जानकारी में है कि जो अधिकारी वहां जाते हैं, जश्न मनाने जाय, हनीमून मनाने जाय, आखेट करने जाय या रुपया पैसा कमाने जाय। रुपये पैसे का सवाल इसलिये पैदा हो गया सभापति महोदय, वह खाल विदेश में जाकर 20–30 लाख रुपये में बिकती है। दस लाख से बीस लाख तक की बेची गयी है और इतनी अवैध कमाई होती है। तो उसका पैसा किन-किन अधिकारियों तक पहुंचता है फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट के अन्दर। क्या यह टाइगर प्रोजेक्ट के जो इन्चार्ज है उनकी शह से यह सब कुछ हो रहा है ? माननीय सभापति महोदय, बहुत से नाम है। किसने शिकार किया है। आप उसको क्यों रोक रहे हो सी आई डी में उस तफ्तीश को देकर के। आपके बैठे हैं, दफ्तर हैं डी आई जी, आई जी के। मेरा निवेदन साफ है माननीय सभापति महोदय, थानेदार से सिफारिश करने में मुख्य मंत्रीजी, मंत्रीजी कोई विधायक सोचेगा। डी आई जी, आई जी को टेलीफोन करके सिफारिश की जाती है। इस सारे काण्ड में लीपापोती के लिये आप बड़े अफसरों को लाने की बात कर रहे हो। कुम्मट साहब ने रिपोर्ट दी थोड़ा घटा दिया, अब आपके दुगड़ साहब आयेंगे और उसकी ग्रेविटी को कम कर देंगे। यह जो नाटक किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा इस नाटक में पटाक्षेप करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री सभापति : धन्यवाद। यह सब रिपीट हो रहा है।

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन करना है कि अधिकारी जाकर विडियो फिल्म बनाते हैं। कितनी आज की तारीख में विडियो फिल्म बनायी गयी हैं और कहां-कहां भेजी गयी। क्या इस सम्बन्ध में जांच करवाई जायेगी। या यह जांच आप सी. आई. डी. से करवायेंगे।

(श्री रामनारायण वर्मा)

वैसी जांच मत करवाईये जिनमें अपराधियों को बचाया जाता है। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। आपने जो दल के बारे में कार्यकारी दल जो गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की तरफ से गठित किया गया था कल्पनाथ राय, पर्यावरण वन मंत्रीजी के द्वारा उसको काम करने से रोकने का....

श्री सभापति : यह बात आ चुकी है कई माननीय सदस्य कह चुके हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं अन्त में एक बात पूछ रहा हूं। यह मामला कितना गम्भीर है....

श्री सभापति : यह बात आ गई है। दूसरे माननीय सदस्य पूछ चुके हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : सरकार इसको लाइटली ले रही है। तो उसकी कब तक रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन्स्टैस्ट किया जायेगा। एक स्पेसफिक टाइम दिया जाना चाहिये एक महीने का, दो महीने का, या 10 तारीख या 20 तारीख इसके साथ ही एक बात माननीय सभापति महोदय, हमारा दुर्भाग्य है कि इतना पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है। एक विकास योजना बनायी जा रही है चारागाह विकास के लिए योजना बनायी जा रही है। जो सरकार ने पैसा खर्च किया है उसकी जांच की जाय कि जो इतना पैसा चारागाह विकास के नाम से खर्च किया हैं उस पैसे का क्या सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ ?

दूसरा यह रिपिटेशन नहीं है माननीय सभापति महोदय, टैक्सेज जो आपने अलाऊ कर रखे हैं। टैक्सेज के माध्यम से जो जा रहा है। टैक्सेज की चैकिंग नहीं की जाती है। क्या सरकार आगे जब तक इस बारे में कोई नियम बनायेंगे तुरन्त प्रभाव से तब तक अन्य किसी को अभयारण्य में जाने से रोक सकेगी। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय एक चीज और है सभापति महोदय जो बकरों के बारे में है। बकरे चराने वाले और बकरों की खाल बेचने वाले। उस 100 खाल में, 50 खाल में एक या दो टाइगर्स की खाल जाती है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। माननीय सभापति महोदय क्या इस तरफ कोई जांच की जायेगी और इस बारे में नहीं सोचा जायेगा ? इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय जी एस. पी. के बारे में कहा गया भाटीजी के बारे में। यह अहिंसा परमोधर्मः नहीं है। चींटी मारना ही पाप माना जाता है यहां तो शेर मारे जाते हैं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिये। माननीय सदस्य पांच बार कह चुके हैं और आप दुबारा कह चुके।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा निवेदन करना यह है सरकार....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री रामनारायण वर्मा : सरकार शुद्धता से काम करे और काम करने जा रही है इस सबके बारे में जो कुछ हुआ उसको आप दरकिनार रखकर क्या आइन्दा से ईमानदारी से सरकार कब तक इसके बारे में पटाक्षेप करेगी। उन बड़े-बड़े

(श्री रामनारायण वर्मा)

लोगों के कब तक नाम उजागर करेगी और क्या यह भी सही है कि माननीय मंत्रीजी वहां सवाई माधोपुर जाते रहे हैं फिर तो यह इनकी विजिट होती रही है। इनके नॉलेज में ऐसी बातें आई तो इन्होंने किस-किस अधिकारी को इन्सट्रक्स दिया कि इसके बारे में जांच कीजिए और इतने शेर मरने के बाद अधिकारियों के पास रिपोर्ट गई है माननीय सभापति महोदय गायत्रीदेवीजी का या जिस किसी का भी फोरेनर्स से।

श्री सभापति : अब आप सब चीजों को रिपीट करेंगे तो फिर आपको आधा घण्टा चाहिए।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरे को बैठने से पहले कहने का मौका दीजिये।

श्री सभापति : फरमाइये।

श्री रामनारायण वर्मा : जो इस तरह की बातें होती हैं। जिन अधिकारियों ने जो शिथिलता बरती है उन अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? अब कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी और कब तक उसको रिप्लेस कर दिया जायेगा इस बारे में आप स्टेटमेन्ट दिला दीजिए।

श्री सभापति : ठीक है विराजिये माननीय श्री दलजीतसिंहजी (अनुपस्थित) माननीय श्री हरिसिंहजी महुआ। कृपया पोइन्ट रिपीट न करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध कर दूं आप स्वयं वहां जिला कलक्टर की हैसियत से रहे सभापति महोदय, सवाई माधोपुर में औद्योगीकरण को इस बाघ परियोजना में कितना रखा है। यह स्वयं आपकी जानकारी में है। गैस बेस्ड खाद का कारखाना पांच सौ करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला था। वह इसकी आड़ में यहां से हटता गया या इसकी स्वीकृति नहीं दी गई निजी पर्यावरण के लिए बताया गया। सभापति महोदय, इन हालात में जब हमारा औद्योगिकरण रुक जाये, कितनी तकलीफ होती है और उन बाघों की सुरक्षा के कारण रोका गया और आज सत्य यह है कि जब यह बाघ परियोजना सभापति महोदय, प्रारम्भ की गई थी उस समय यहां सारे में 9 बाघ थे, टाईगर्स थे और 80 में जब यह नेशनल पार्क बना तो उनकी संख्या 40 हुई और लेटेस्ट जो इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि 91 में इनकी संख्या 45 और मंत्री महोदय पार्लियामेण्ट में पूछे गये प्रश्नों के बारे में तो यही जवाब दिया है, 45, 46, 47 और जो मई, 92 में इनकी संख्या या गणना करवाई गई है उसको छुपा के बैठे हैं। गणना तो हुई है लेकिन इनकी पोल खोली रणथम्भौर फाण्उडेशन के मिस्टर बाल्मिकी थापर ने उन्होंने अपने तरीके से गणना करवाई और मिस्टर बाल्मिकी थापर मुख्यमंत्रीजी से मिले और उन्होंने रिपोर्ट दी कि मुख्यमंत्री जी बाघ परियोजना रणथम्भौर में मात्र 17 बाघ रह गये। आप इसकी जांच करवायें। सरकार का ध्यान नहीं गया। सरकार का ध्यान था कि बाघ मरे। मैं धन्यवाद देता हूं एस. पी. सवाई माधोपुर को। एस. पी. सवाई माधोपुर ने पहल करके कुछ अप-

(श्री हरिसिंह)

राधियों को पकड़ा। अपराधियों को पकड़ने के बाद में उन्होंने यह पाया कि इस बांध परियोजना के परिक्षेत्र में रहने वाले बोगियो जन जाति के, मीणा जाति के और बाबू गूजर नाम का व्यक्ति और एक कुंजीलाल खटीक, दो केस दायर किये।....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न करें। बैठे-बैठे नहीं बोलें। बिराजिये। कृपया व्यवधान न करें।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, मेरी निजी जानकारी के मुताबिक मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि एस. पी. सवाई माधोपुर ने वहां के कोतवाल, सी. आई. उनके द्वारा तफ्तीश की गई उस पर भी बिश्वास नहीं किया व मुलजिमान ने जो कुछ भी तफ्तीश में बताया वहां के एडिशनल एस. पी. और एस. पी. स्वयं ने।....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बात रिपीट कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : यह बात कई दफे आ चुकी है।

श्री हरिसिंह : मैं यहां रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : यह बात आ चुकी है। कोई नहीं बातें पूछना हो तो पूछ लीजिये।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, यह आपसे डिटेल में किसी ने नहीं कहा कि मैंने 161 के बयान पढ़े हैं, पूरी फाइल और एस. पी. रैंक का व्यक्ति तफ्तीश करे और इस नतीजे पर पहुंचे कि यह निरन्तर इसमें शिकार होता रहा और दो साल से तो यह बहुत बड़ी उन्होंने मोड्सओपरेण्डी बताई है। फिर किस ढंग से भेजते रहे हैं यहां पर चमड़ियों को। जो बोरी जा रही है उनमें चमड़ी है, जो कार्टून्स जा रहे हैं, उनमें हड्डियां जा रही है। रेल्वे स्टेशन पर उनकी बिल्टी नम्बर और उनको फाइल में लगाया है। सभापति महोदय, यह सब कुछ होने के बावजूद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि पांच सौ लोमड़ी मारी गई, 24 टाईगर मारे गये, एक हजार पाटागोह मारी गई, एक जनमानुस मारा गया और गीदड़ और चिकारा की तो गिनती नहीं थी। आज पूरे टाइगर्स प्रोजेक्ट में एक गीदड़ और लोमड़ी नहीं है। आपकी खुद की रिपोर्ट के मुताबिक आज आपने प्रश्न के जवाब में माननीय खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में आपने दिया। सभापति महोदय, मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि मिस लूनी फर्नांडे वर्सेज यूनियन ऑफ इण्डिया। मिस लूनी फर्नांडे मई के महीने में यहां आई, तीन दिन रुकी। एक दिन टाइगर के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट के केस दायर किया जिसमें राजस्थान सरकार, राजस्थान के वाइल्ड लाइफ के चीफ हैं वह और फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट के चीफ और टाईगर्स प्रोजेक्ट के डाईरेक्टर को उन्होंने पार्टी बनाया। उसमें कल की तारीख थी 24 की और उनकी

(श्री हरिसिंह)

सिम्पल सी मांग है। सुप्रीम कोर्ट में गुहार कर रही है एक वन्य जीव प्रेमी कि इसकी इण्डिपेण्डेंट एजेन्सी से जांच करवा ली जाये कि कितने टाईगर हैं। यह गणना करवा ली जाये। दूसरी मांग उन्होंने यह की है नम्बर एक, टू एक्सपर्ट प्लस डिपार्टमेण्ट के जो इसके वाईल्ड लाइफ के चीफ हैं और एक्सपर्ट उनके बयान करवा लिये जायें। आज तक कोई सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मिस्टर एन. के. माथुर आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि उसको डाईरेक्टर टाईगर्स प्रोजेक्ट लगाया गया। डेढ़ साल तक क्यों नहीं चार्ज दिलाया गया। क्योंकि वहां पर तेजवीरसिंह जो डिप्टी डाईरेक्टर थे वे वनमंत्री जी आपके चहेते थे इसलिए आपने डाइरेक्टर रैंक के व्यक्ति को चार्ज नहीं दिलवाया। वहां पर डिप्टी डाईरेक्टर मिस्टर साहू का कितनी बार ट्रान्सफर किया गया और कितनी बार केन्सिल किया गया। क्या कारण है ? अब मैं आपसे अनुरोध करूं सभापति महोदय, मैं लम्बा नहीं जाऊंगा लेकिन एक निवेदन जरूर करना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को जैसे ही यह पता चला कि केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री ने कोई टास्क फोर्स का गठन कर दिया है और वह टास्क फोर्स की पहली मीटिंग दिल्ली में 13 जुलाई को है और 21 जुलाई को वह रणथम्भौर आने वाले थे जिसमें सवाई माधोपुर जिले के विधायकों को भी सम्मिलित किया गया था और तुरन्त उसी दिन जो है उस टास्क फोर्स की केन्सिल करवाया गया पर पूरे प्रकरण पर लीपा पोती करने के लिए राजस्व सेक्रेटरी को इसमें एक कमीशन, एक कमेटी बिठा दी और कुम्भट साहब ने वहां पूछा फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट के कर्मचारियों से, सारी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार सिर्फ अपनी बदनामी से बचने के लिए कितना षडयन्त्र कर रही है। अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ में, स्वयं राजस्थान सरकार की जो भी गलती है उसकी सच्चाई सामने नहीं आ जाये और दूसरी तरफ प्रश्न है कि जो एक नस्ल समाप्त होने जा रही है और उस नस्ल समाप्त होने के लिए 12 गांव को हटा दिया। चार सौ स्क्वायर किलोमीटर का उसका डेन्स एरिया और चार सौ स्क्वायर किलोमीटर की बाहरी परिधि में किसी को घुसने नहीं दिया जाता और एक छोटा सा आदेश, कलक्टर सवाई माधोपुर ने दिया जो आपकी जानकारी में है, किसानों के मवेशी उसमें होकर निकल कर गये और उसको सस्पेण्ड कर दिया लेकिन आज जब 21 टाईगर्स के मरने की रिपोर्ट आ गई उसके बाद में भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी बदनामी को बचाइये राजस्थान सरकार को बदनामी से बचाइये, इसके लिए आप सी. बी. आई. से जांच करावें। वगैर सी. आई. डी. के, जब एस. पी. रैंक के व्यक्ति से जांच करवा ली तो क्यों संदेह किया जा रहा है उस पर। आपने सी. आई. डी. के डी. आई. जी. मिस्टर दुग्गड़ को यह जांच दे दी। और दुग्गड़ साहब जयपुर में बैठे हुए हैं और दुग्गड़ साहब ने वहां तीन सी. आई. स्तर के व्यक्ति भेजे हैं। एस. पी. की जांच को

(श्री हरिसिंह)

सी. आई. स्तर का व्यक्ति नकार के आयेगा। यह संदेह है हमारा, इसलिए सी. बी. आई. को जांच दे दी जाये और हाउस की एक कमेटी बना दी जायें, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, काफी महत्वपूर्ण मामला इस सदन के अन्दर काफी देर से चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं भी कुछ प्रश्न राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा। आपकी सरकार के अन्दर जो भी कर्मचारी यहां से लगाये जाते रहे पहले, फिर बाद में दूसरे लगाये गये, फिर तीसरे लगाये गये, फिर बदले गये, क्या इस सारे वातावरण को दूषित करने में सरकारी मशीनरी और आपके अधिकारी तो नहीं लगे हुए ? एक दूसरे को नीचा दिखाने की दृष्टि से, कुछ पहले के अधिकारी, कुछ सस्पैण्डेड अधिकारी या जिनका स्थानान्तरण हो गया वे अधिकारी इस रणथम्भौर बाघ परियोजना के मामले में काफी भारी शंका पैदा कर रहे हैं, मेरा यह मानना है। अलग-अलग वर्शन अलग-अलग समय में अलग-अलग रूप से आये हैं। कभी कोई अधिकारी लगता है तो बाघों की संख्या बढ़ जाती है, कोई दूसरा अधिकारी लग जाता है तो वह संख्या घट जाती है। यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरे मन में शंका है और वह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली 6–7–8 को तीन दिन में सवाई माधोपुर में रहा था। मेरे को जैसी जानकारी मिली है, कुछ अधिकारी सुनियोजित ढंग से इस बात का प्रचार करने के लिए उन एजेंसियों को ला रहे हैं। हिन्दुस्तान और इन्टरनेशनल स्तर पर उन बातों का प्रचार किया जा रहा है। कई व्यक्ति दूसरों के निमन्त्रण पर आते हैं, दूसरी होटलों में रहते हैं और कोइ हाईकोर्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं। यह मैं सोचता हूं कि ऐसा कार्य करने वाले भी कुछ लोग सुनियोजित तौर पर वहां लगे हुए हैं। सरकार का चिन्तन क्या है, माननीय सदस्यों का क्या है, यह मैं नहीं कह सकता और मैं उनकी बातों से अलग भी नहीं जाना चाहता लेकिन मेरा यह मानना है कि कई कई एजेंसीज ऐसी लगी हुई हैं जो सही मायने में सवाई माधोपुर का विनाश करना चाहती है, पर्यावरण के नाम पर। महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, काफी गम्भीर मामला है, हमारे यहां इण्डस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो रहा है। पूरे हिन्दुस्तान में इस प्रकार की चर्चा होकर अखबारों में छपने से सवाई माधोपुर का पर्यटन जो बढ़ रहा था, एकदम रुक रहा है। मेरे को वहां पर कुछ लोग मिले थे, होटलों के व्यवसायी मिले थे, कि जबसे इसका प्रचार हो रहा है कि रणथम्भौर में बाघ नहीं रहे उससे विदेशी और हिन्दुस्तानी पर्यटकों के आने की संख्या कम हो गयी। रजिस्टरों में बुकिंग देखी जाय तो

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

संख्या अब पहले से कम आने लग गयी है। यह जब प्रचार होगा कि रणथम्भोर में बाघ नहीं हैं या वे मार दिये गये या उनका शिकार कर दिया गया, तो मानकर चलिये कि राजस्थान को बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि मामला गम्भीर है तो निश्चित तौर से उसकी जांच हो, शिकार कोई करता है तो उसकी जांच हो, दोषी लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाय। लेकिन इस सदन में मेरा आपके माध्यम से कहना है सरकार को कि इसके बहुत ज्यादा प्रचार से राजस्थान को बहुत बड़ी क्षति हो रही है, बहुत बड़ा नुकसान इसका हो रहा है। हमारे में अगर कोई कमी है, अगर कुछ अधिकारियों ने गलती की है तो उससे सख्ती से आप निपटें, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रचार राजस्थान के हित में नहीं है। भारत सरकार ने इस योजना को पैसा दिया है। स्थिति यह है कि यह प्रचार धीरे-धीरे पूरे विश्व में हो जाएगा तो सारी एजेंसीज पैसा नहीं देंगी और राजस्थान का विकास जो इस ओर बढ़ रहा है वह रुकेगा, और पर्यटकों का आना बन्द हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक एजेन्सीज का प्रश्न है, मैं स्वयं यह मानता हूं कि कुछ अधिकारियों ने पहले इसकी संख्या बढ़ा दी, किसी ने घटा दी। यह बात भी सही है कि राजस्थान सरकार ने जो अपनी सैंसस करायी वह अच्छे ढंग से नहीं करायी। मुझे अच्छी तरह जानकारी है, वन मंत्रीजी, कि पूरे अधिकारी उपलब्ध नहीं थे और आपने डेली वेजेज पर पी. डब्ल्यू. डी. के कुछ कर्मचारी रखकर, जैसे आम होता है, 45 स्थानों पर आदमी खड़े कर दिये। आपके पास क्या आदमी हैं? 45 स्पॉट आपके बनते हैं वैरिफिकेशन के। आपने एक आदमी वहाँ रख दिया। वह आदमी वहां उपस्थित नहीं। सवेरे दो घण्टे ड्यूटी पर गया, दिहाड़ी ली और चले गये। वे उपलब्ध नहीं थे और सही मायने में आपकी सैंसस बिल्कुल गलत हुई है, बिल्कुल गलत तथ्य आये हैं क्योंकि आपकी एजेन्सी करेक्ट नहीं थी, वाइल्ड लाइफ को जानने वाले अधिकारी सक्षत सर्वे नहीं कर पाये। आपने वर्क चार्ज पर लोगों को बढ़ाकर गिनती करा दी, सही मायने में वह गिनती गलत है। यह मेरा इसलिये मानता है कि सात तारीख को मैं स्वयं वहां था। मैंने स्वयं वहा जोगी महल पर बाघ देखा। मैंने देखा, मेरे बच्चों ने देखा। मैं यह जरूर मानता हूं कि आज बाघ वहां पर कम हैं हो सकता है शिकार होने की 2–4 घटनायें हो गई हों लेकिन ऐसा नहीं है कि बाघ पूरे समाप्त हो गये। इस दृष्टि से इस बात को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, एस.पी. साहब कुछ मुद्दे सरकार के सामने लाये हैं। इस प्रकार का षड्यन्त्र करने वाले लोगों की जो खालों का धन्धा कर रहे थे, एक गैंग थी। वे पकड़े गये। हमें सचेत हो जाना चाहिए, उसके ऊपर मुस्तैदी से क्या और कर सकते हैं, वह करना चाहिए। डी.आई.जी. अरुणकुमार दुगड़ अगर वहां लग गये तो क्या अन्याय हो

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

गया ? अरूण दुग्गड़ तो खुद वहां एस. पी. रहे हैं। डी.आई.जी. रेंज के डी.आई.जी. रहे हैं। उनकी जांच के अन्दर उनके ऊपर पहले से हम शक करें, मेरा तो मानना नहीं है। मैं सोचता हूं जो अधिकारी वहां रहा है उसको ज्यादा जानकारी होगी। एक नये आदमी कुम्भट साहब, जिनका बैकग्राउण्ड सवाई माधोपुर का कभी नहीं रहा। कभी गये होंगे तो रेवेन्यू के अभियान के अन्दर। लेकिन कुम्भट साहब की रिपोर्ट से ज्यादा तथ्य अरूण दुग्गड़ की रिपोर्ट में आ सकते हैं, मेरा यह मानना है। मेरे तथ्य कुछ परे हटकर हैं, हो सकता है कुछ माननीय लोगों को कुछ लगे। जिन साहू की बात कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह जानकारी है कि साहू के ट्रांसफर की बात क्यों हो रही है। इसलिए हो हो रही है उसने कुछ ऐसे लोगों को रोका जो शिकार करने जाते थे। इस लिए जानबूझकर उसकी शिकायत की गयी। अगर साहू में कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको जरुर निकालिये, उसको सस्पेण्ड करिये। लेकिन कोई मेरे जैसा व्यक्ति हो, असरदार व्यक्ति हो, वह शिकार करने जाय, या कोई महत्वपूर्ण अधिकारी शिकार करने जाय और नीचे के स्तर का अधिकारी उसकी रोकथाम करे, और उसके ऊपर कोई कार्यवाही होती है तो मैं सोचता हूं यह गलत है। आपकी जांच में साहू या कोई और अधिकारी आते हैं तो उनको आप सस्पेण्ड कीजिए, उनका ट्रांसफर कीजिए। लेकिन किसी असरदार व्यक्ति के माध्यम से राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक दबाव, या किसी अधिकारी का वहां आदर-सत्कार नहीं हुआ इससे नाराजगी हो गयी—इस दृष्टि से कोई काम होता है तो बड़ी गलत बात है।

सभापति महोदय, हमारी सीनियर माननीय सदस्या मदन कौर जी ने एक मामला उठाया। वाकई में सही बात है कि आज कितनी अवैध टैक्सी वहां चल रही हैं। आप निश्चित मानिये, पर्यटक आएगा, बाघ देखने जाएगा तो पैदल तो जा नहीं सकता, गाड़ियां तो जाएंगी। लेकिन फारेस्ट डिपार्टमैण्ट की वैरीफाइड गाड़ियां जायं, उनके अन्दर बाघ परियोजना का एक व्यक्ति जो समझदार हो, जानता हो, साथ जाय, पर्यटकों को लेकर जाय। आज कितनी ही नाजायज गाड़ियां वहां चल रही हैं। जो भी गाड़ियां चल रही हैं, सही मायने में सब असरदार लोगों की चल रही हैं। जितनी होटलें बन रही हैं उस एरिया में, सब असरदार लोगों की ही बन रही हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखकर सरकार फैसला करे, यही मैं वन मन्त्री जी को कहना चाहूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। उत्तर तो वन मंत्री जी देंगे ही।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट। मेरा एक प्रश्न है। भूतपूर्व मंत्री जी ने कहा, यह तो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जंगल की जमीन पर जंगल के अन्दर कुछ लोगों ने होटल बना लिये हैं। उसके बारे में आप बताइये पहले तो, ये कैसे बने ? और कितने बनाये, उनके नाम बताइये आप।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम आपको मालूम है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ईमानदारी से नहीं मालूम। सवाईमाधोपुर ही नहीं गया।

डा. चन्द्रभान : प्रभारी मंत्री जी जवाब दे रहे हैं या गृह मंत्री जी ?

श्री सभापति : वह भी देंगे, वन मंत्री जी देंगे। तसल्ली रखिये, आप विराजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : जैसे आप बोले हैं वैसे ही मैं भी अपने विचार रख रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये जनता दल (डी) की तरफ से बोल रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं खुद भी वाइल्ड लाइफ के अन्दर रुचि रखता हूं।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो बड़ा कांस्टीट्यूशनल सवाल है, माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जनता दल डी की तरफ से बोल रहे हैं, आप बताए किस तरफ से बोल रहे हैं ?

श्री सभापति : कोई भी मंत्री किसी भी डिबेट के अन्दर इण्टरवीन कर सकते हैं इसलिए वे इण्टरवीन कर रहे हैं। वन मंत्री जी बाद में जवाब देंगे। अब आप तसल्ली रखिये। आप विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : काल अटेंशन में कहां से इण्टरवीन कर रहे हैं ?

श्री सभापति : बड़ी गम्भीर चर्चा चल रही है, उसको डाइल्यूट मत कीजिए आप।

श्री नत्थी सिंह : सभापति महोदय, मैं अर्ज यह कर रहा हूं कि अभी अध्यक्ष जी जब आसन पर थे तब उन्होंने एक व्यवस्था दी थी कि डिबेट नहीं, काल-अटेंशन है जिसका कि जवाब प्रभारी मंत्री जी को देना है। यह बात ठीक है कि मंत्री जी को बहुत अनुभव है रणथम्भौर के बारे में।

श्री सभापति : ये इंटरवीन कर सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : वे पीड़ा कह रहे हैं, वह कोई बात नहीं है लेकिन डिबेट नहीं है यह।

श्री सभापति : नहीं, डिबेट नहीं है परन्तु वह इंटरवीन कर सकते हैं नियमों के अन्तर्गत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनुभव का ही लाभ उठा रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वनमंत्रीजी आपको सब बातों का उत्तर देंगे, पर मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि बाघों के मरने का जो बताया है कि 28 बाघ इस रणथम्भौर परियोजना में मर गये, मैं इसको इसलिये सही नहीं मानता, जो माननीय जनार्दन सिंह जी ने बात कही है वह बिल्कुल सही है। 1974 की जब इसकी जनगणना थी प्रथम उस वक्त वहां पर कुल 14 टाइगर्स थे।

(श्री दिग्विजय सिंह)

श्री रामकिशन : जनगणना नहीं, पशु गणना।

श्री सभापति : वन्य पशु गणना।

श्री दिग्विजयसिंह : पशु गणना में वहां 14 टाइगर्स थे। उसके बाद में यह जब गणना हुई और माननीय सदस्य जैसा बता रहे थे, 1978 तक, जहां तक मेरी जानकारी है, वह बढ़कर के 28 हो गई और उसके बाद 1980 और आनवर्डस यह 40 पर आ गई और जैसा आप कह रहे थे, बिल्कुल सही है कि आने वाले जो भी कोई वहां वाइल्ड लाइफ वार्डन रहा हो, जब उसने 40 की संख्या कर दी और उसके बाद जो कोई भी अधिकारी आया, उसने सही गणना भी की हो और वह कम नहीं कर सका इस भय से कि अगर 40 को वापस 28 कर दूंगा तो यह 12 का इसके अन्दर जो डिफरेंस है, यह कहां से पूरा होगा और जिम्मेदारी उस पर फिक्स हो जायेगी। इसलिये यह बात बिल्कुल सही है, जो सेन्सस की गई, उसको मैं मानता हूं कि वह संदिग्ध है।

अब आप इस सैंक्चुअरी का जो दायरा है, 392 स्क्वायर किलोमीटर है और सरिस्का की जो सेक्चुअरी है, वह 816 स्क्वायर किलोमीटर है। सरिस्का की गेम सेंक्चूअरी के अन्दर टाइगर्स की संख्या के हिसाब से लास्ट ली थी तो 18 से 22 के बीच में बताई और इसके अन्दर बताई गई है 44। 1988 में बताई है 43, 1989 में बताई है 44, 1990 में बताई है 44 और 1991 में बताई है 45। अब आप अंदाजा लगाइये कि 392 स्क. किलोमीटर की सेंक्चुअरी में तो 45 और टाइगर का ब्रीड, जिसे कहते हैं कि एक टाइगर कितने राउण्ड, सर्किल घूमता है, टाइगर का ब्रीड 10 किलोमीटर का होना चाहिये। एक टाइगर रहेगा तो उसका एरिया 10 किलोमीटर का है, उसके अन्दर वह दूसरे टाइगर को नहीं आने देगा। अब 391 किलोमीटर की सेंक्चूअरी....

श्री सभापति : मेटिंग के समय आ सकता है।

श्री दिग्विजय सिंह : मेटिंग के समय झगड़े और ज्यादा होते हैं। और आपकी संख्या हो जाती है 45 और गेम सेंक्चुअरी है 342 कि. मी.। सरिस्का की है 816 किलोमीटर और वहां है 18 से 22 के बीच में। तो मेरी समझ में नहीं आता, माननीय

(2.54 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैंने जब यह सैंसस रिपोर्ट देखी तो यह सैंसस रिपोर्ट के अनुसार यह माना जाय कि यह जो रिपोर्ट है यह कोई सही हो....(व्यवधान)....

इसके साथ-साथ एक बात की ओर सदन का ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा कि आप दूसरे जानवरों की संख्या इसके अन्दर साथ में लें। टाइगर्स अगर वहां पर 45 मान भी लें या 44 मानलें तो टाइगर, आप यह तो मानते हैं कि वह हर्बिवोरस एनिमल नहीं है, वह कार्निवोरस है। वह मांस खाता है, घास नहीं खाता।

(श्री दिग्विजय सिंह)

अब आप 1988 के अन्दर सांभर की संख्या ले लें, इसमें दिया गया है 2, 222 और 1988 के अन्दर शेर हैं 43, सांभर की सख्या 1989 में दी गई है 2,235 और शेर हैं 44। सो सांभर बढ़ा है केवल 139 1990 अन्दर सांभर की संख्या हुई है 2243 और शेर रहे हैं 44।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह जो आपके बाघ मरे, उनका शिकार हुआ, उसका जस्टिफिकेशन इससे कैसे होगा ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं उसी के बारे में....

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही चीज निवेदन करना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सुन तो लीजिये उनको। आप एक मिनट बैठिये। ऐसा है कि जब आप इस सदन में गम्भीरता से बहस कर रहे हैं तो जो परिस्थितियां गृह मंत्रीजी बता रहे हैं, उन पर भी विचार करिये। अखबारों में आ गया इसलिये खुदा ने भेज दिया क्या ? तो यह जो बता रहे हैं, उस पर विचार करिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं अखबारों की अर्ज नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल इतना है कि पुलिस विभाग ने जुलाई, 1992 में जो मुकदमा दर्ज किया, 7 शिकारी गिरफ्तार हुए, 161 के बयान देख लीजिये, उन्होंने यह एडमिट किया है कि 20 बाघों का हमने शिकार किया है। अगर वे 20 बाघ और जोड़ दिये जाते सवाई माधोपुर में तो बाघों की संख्या हो जाती 64, फिर वह 10 किलोमीटर का...

श्री अध्यक्ष : ये जिन परिस्थितियों के बारे में कह रहे हैं, उन पर विचार करिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : वह तो पुलिस की रिपोर्ट है। 161 का बयान पुलिस ने दर्ज किया है कि जिन 7 की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने यह एडमिट किया है कि हमने 20 बाघों की हत्या की है।

श्री जुबेर खान : यह "आईविटनैस" की कैसेट में मुलजिमानों ने बयान दिया है कि उन्होंने कितने बाघ मारे हैं।.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है। अगर सैंसस हुई है तो किस विभाग ने की ? इसमें किसी का दोष नहीं है, आपके विभाग का दोष है। चाहे वह 85 का हो, चाहे 87 का रहा हो।

श्री अध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहते हैं ? आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं ? मैं आगे चलूं ? तो आप बोलते क्यों हैं बीच में ? जब आप बोल रहे थे तब तो किसी ने इण्टरप्ट नहीं किया।

श्री जुबेर खान : सही जवाब थोड़े ही दे रहे हैं ये।

श्री अध्यक्ष : फिर वही कर रहे हैं आप।

श्री जुबेर खान : यह मत कहिये, आपने तो स्वयं ने ही इण्टरप्ट किया था।

श्री अध्यक्ष : मैं अब भी कर रहा हूं। अब भी आपको मना कर रहा हूं।

श्री जुबेर खान : फिर यह मत कहिये कि इण्टरप्ट नहीं किया आपने।

श्री अध्यक्ष : इतनी शालीनता तो रखिये कि जब मैं कह रहा हूं तो मान लीजिये।

श्री जुबेर खान : हां, मान रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : तो शालीनता रखिये ना आप। आप उनको बोलने दीजिये। वे अपनी बात पूरी कहें नहीं, उसके पहले ही खड़े हो जाते हैं बीच में।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप गम्भीरता से बहस कर रहे हो तो जो परिस्थितियां गृह मंत्रीजी बता रहे हैं, उन पर भी विचार करिये। केवल अखबारों में आ गया, इण्टरनेशनल प्रचार हो गया, बी. बी. सी. में आ गया, मगर दिग्विजय सिंह जी को बता रहे हैं, उन पर भी तो विचार करिये। आप जानबूझकर इसी पर लगे हो कि हमको तो बदनाम ही करना है, मुलजिमों से कोई मतलब नहीं है। तो परिस्थितियां जो बता रहे हैं, उन पर भी विचार करिये। आपको जचती है तो मानिये नहीं जचती है तो मत मानिये लेकिन विचार तो करिये। वे अपनी बात कह रहे हैं....(व्यवधान) फिर वहां बात कर रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया है कि कितने मरे हैं, वह तो वन मंत्रीजी बतायेंगे, मैं तो मोटे रूप से यह जानकारी दे रहा हूं कि मांसाहारी जो जानवर हैं, जो मांस के ऊपर ही जीवित रहते हैं और उसके हिसाब से अगर आप सांभर, चीतल के साथ-साथ इनकी संख्या देखें और उसके अनुपात को फिर आप टाइगर्स के साथ जोड़ें तो आपको इस बात का ...

श्री अध्यक्ष : इनकी संख्या इतनी नहीं बढ़नी चाहिये।

श्री दिग्विजय सिंह : यह कैसे हो सकता है ? तो इसलिए यह कहना कि टाइगर्स तो 45....(व्यवधान) और सांभर और चीतल की संख्या बढ़ती चली जाय, तो क्या यह मान कर चला जाय कि वहां के जो टाइगर्स रह रहे थे, वे घास खा रहे थे या क्या कर रहे थे। इसलिये यह आपका जो अनुमान है, वह गलत है।

डा. चन्द्रभान : गृह मंत्रीजी, चीतल का मांस तो सवाई माधोपुर के बाजारों में बिक रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मि. ए. घोष है, डायरेक्टर (प्रोजेक्ट) भारत सरकार, नई दिल्ली, जब वहां पर कांफ्रेंस हुई तब उन्होंने इस बात को कहा कि सवाई माधोपुर की बाघ परियोजना का क्षेत्रफल लगभग 390 वर्ग किलोमीटर है और यह बाघ की संख्या 45 होना, यह इस संख्या पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। उन्होंने यह भी बताया कि दो वर्ष पूर्व सम्मेलन दिल्ली में समस्त भारत में चलाई गई बाघ परियोजना के अधिकारियों का हुआ था, वहां पर श्री घोष, डायरेक्टर (प्रोजेक्ट) भारत सरकार ने कहा सवाई

(श्री दिग्विजय सिंह)

माधोपुर में बाघों की संख्या के विषय में कि सवाई माधोपुर अभ्यारण्य क्षेत्र में इतने अधिक बाघ नहीं हो सकते।

(3.00 म. प.)

यह भारत सरकार के डाइरेक्टर ने स्वयं मंजूर किया है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह बाघ और दूसरे वन्य जीवों का एक दूसरे का लगाव है....

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल सही है, खैर यह प्रश्न भी विचारणीय है।

श्री दिग्विजय सिंह : इतनी संख्या नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।.... (व्यवधान)....मंत्रीजी बोलेंगे, आप बाद में पूछ लेना। यह पहले सारा बोल जायं। सुन लीजिए।....(व्यवधान)....अच्छा दो मिनट आप पूछ लीजिए। मगर आप एक ही पाइंट बोलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्पेसिफिक केवल इतना ही पूछ रहा हूं कि ये बाघ 26–6–1992 को प्रहलादसिंह, एस. एच. ओ ने दबीश डालकर शेर की खाल और हड्डियां पकड़ी और उसके बाद 1 जुलाई को दूसरी रिपोर्ट अपनी तरफ से डालकर इनकी निशानदेही पर एक खटीक के यहां जाकर छापा डाला और उसके यहां से चीते की खाल वगैरह बरामद की। यह सारी अखबारों में और इन्टरनेशनल चर्चा कब हुई ? जब यह एफ. आई. आर. प्रहलादसिंह, एस. एच. ओ. ने दबीश डालकर खालें आदि बरामद की। अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्रहलादसिंह को बधाई देना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि उसने जांच की और उस जांच के करने के बाद जो-जो लोग वान्टेड थे उन लोगों को बचाने के लिए ट्रांसफर किया गया।

वह ठीक रास्ते पर जा रहा था। ये वन विभाग वाले तो बाद में आए, पहले उस एस. एच. ओ. ने दबिश डालकर बरामद की, यह सारी जिम्मेदारी वन विभाग की थी, वन विभाग ने वहां कार्यवाही नहीं की।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिए।... अब रिपीट मत कीजिए।.... (व्यवधान).... आप किसको बधाई देना चाहते हैं ?.... (व्यवधान)....आप किसको बधाई देना चाहते हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसकी जांच में कौन-कौन व्यक्ति वान्टेड थे ?

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट में निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जिला सवाई माधोपुर की बाघ परियोजना का प्रश्न है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जहां 7 दिन तक ठहरें और इतना महत्व उस जगह को दिया अब उस जगह इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है इसलिए जिन्होंने उनकी हत्या की

(श्री रामस्वरूप मीणा)

है, शिकार किया है जो वन विभाग के कर्मचारी आपके वहां नियुक्त थे आपने उनकी जांच न करने के बजाय उल्टा उनको आपके प्रमोशन दिया है। इस बात की आपने क्या जांच करवाई ?

दूसरा, उनकी सम्पत्ति के बारे में पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति वहां नियुक्त हुए थे उनकी सम्पत्ति पहले क्या थी और आज क्या है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : उनकी सम्पत्ति की जांच करवाएं।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं दो घण्टे हो गए हैं मैं इंतजार नहीं करूंगा।.... अब आप पहले मंत्री जी को शांति से सुनिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आधा ही सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज। पहले इनको सुन लीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : प्लीज, मैं 5 सैकण्ड में ही पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : देखिए, आप पूछ चुके हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं साहब।....

श्री अध्यक्ष : This is no way of asking question You have already been given opportunity. आप हण्ड्रेड टाइम्स लेंगे अपारच्युनिटी ? एक बार मैंने आपको अपारच्युनिटी दे दी, जो आपको पूछना था वह आपको पूछ लेना चाहिए था। बार-बार आप कैसे करेंगे। माननीय मंत्रीजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खड़े हुए मैं बैठ गया लेकिन आप जिस तरह से+++की भाषा में बात करते हैं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : +++की बात नहीं है, व्यवस्था की बात है। आपको एक अपारच्युनिटी दे दी, आपको बोलने का मैंने अवसर दे दिया। अब आप बार-बार रुक कर पूछेंगे तो यह तो कोई व्यवस्था नहीं हुई।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने मुझे जब टोका मैं बैठ गया।

श्री अध्यक्ष : तो आप बैठिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : तो फिर आप+++कर क्या कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : +++नहीं है। इसको+++मान रहे हैं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : यह आपका कोई +++का व्यवहार है ?

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको व्यवस्था की बात बता रहा हूं कि आपको एक बार बोलने का अवसर दे दिया, आपको जो पूछना था वह उस अवसर में पूछ लेते। अब आप बार-बार हर मेम्बर खड़े हो जाएंगे–

than there will be no end to it.

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने अलाऊ नहीं किया, मैं बैठ गया।

श्री अध्यक्ष : तो हां, अब भी मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं। यही तो कर रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : कहां डिस ओवे की ? मैं तो आपके व्यवहार की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको+++नहीं रहा हूं। व्यवस्था के बारे में आपका ध्यान माननीय सदस्य आकर्षित कर रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह कौनसा तरीका हुआ ? आप आसन पर खड़े हुए तो मैं बैठ गया। जब आपने मुझे अलाऊ नहीं किया तो मैं चुप रह गया।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास इसके लिए कोई चारा नहीं है।....

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं कभी डिस-ओबे नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जायं। आप मेरे से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, काहे की डिबेट कर रहे हैं। यह कौनसी व्यवस्था है। मैं आपसे डिबेट नहीं करना चाहता। माननीय मंत्री जी।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, पिछले 3–4 महीनों से देश विदेश में भारतीय अखबारों के मार्फत, विदेशी न्यूज एजेन्सीज के मार्फत, वाइस आफ आस्ट्रेलिया की मार्फत, इनके माध्यम से एक ऐसा कुप्रचार राजस्थान के 'रणथम्भौर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ न कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग करवा रहे हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है वह मैं आपको बाद में बतला दूंगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप क्यों बोल रहे हैं। बैठिए। क्यों बोल रहे हैं यहां पर ? Why are you interrupting ? देखिए, अब एक अवसर आगे का खो रहे हैं।....(व्यवधान)....

श्री लालचन्द डूडी : आप शांति रखिए।

श्री अध्यक्ष : यह क्या जरूरी है अब आपका बोलना ? जरूरी समझ रहे हैं ? फिर कहेंगे कि +++ रहे हैं। मैं आपको यदि व्यवस्था की बात करता हूं तो +++ रहा हूं। यह तो अजीब बात हो गई।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तो आपकी आज्ञा के बिना बोलता ही नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत मेहरबानी कर रहे हैं।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, किस तरह से सुनियोजित षडयंत्र का तरीका था यह प्रचार करने का उस पृष्ठ-भूमि में आपको एक बात बतलाना चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 2–2–1992 को एक समाचार छपा जिसके अन्दर यह कहा गया था कि रणथम्भौर के अन्दर एक सांभर गोली से मरा पड़ा था और एक टाइगर के पीठ में गोली लगी हुई थी और उसके सारे फोटोग्राफ्स रणथम्भौर सवाई माधोपुर लांच के मैनेजर, मिस्टर महिपालसिंह के पास हैं। ज्यों ही अखबार में यह खबर श्री महिपालसिंह ने पढ़ी तो उनको खबर पढ़कर बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने अखबार के संवाददाता को चिट्ठी लिखी। उसको मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं। आखिर में बतला दूं- I would like to state that I am the manager of the lodge and have not met with this journalist and all the facts pertainging to me are totally incorrect. I am surprised to note that even a highly reputed nes-paper like Indian Express can fall prey to publish this false information without even confirming from the person concerned I demand that an apology should be immediately published in your news-paper in this regard. यानि उस होटल के मैनेजर के रेफरेंस से झूठा प्रचार 2–2–1992 को अखबार में खबर छपवाई गई। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह : यह चिट्ठी कौनसी तारीख की थी ?

श्री लालचन्द डूडी : यह चिट्ठी 4–2–1992 की है। 2–2–1992 को न्यूज आई थी और 4–2–1992 को उन्होंने चिट्ठी लिखी।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद, माननीय सदस्यों ने अभी बतलाया और जिनकी तरफ उनका इशारा था कि किस तरह से ये लोग रणथम्भौर गेम्स सैंक्चुरी का विनाश करने पर और उसके खिलाफ प्रचार करने पर लगे हुए हैं। उन्हीं श्रीमन् ने अप्रेल के अन्दर एक खबर दी कि रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट के अन्दर मात्र 20 टाइगर हैं; 20 बाघ हैं इससे ज्यादा नहीं हैं। सैंसस होनी थी जून के अन्दर और आप श्रीमन् उससे पहले ही प्रचार शुरू करने लग गए। टाइम्स आफ इण्डिया में उनकी तरफ से छपी हुई रिपोर्ट में लिखा है कि 'In Ranthambhor the tiger population is only 20 against an official claim of 45' he said.

यह भी उन श्रीमन् ने सैंसस होने से पहले किस तरह से कन्फर्म करके इस बात को कहा है। यह जो सारा का सारा तरीका था जिससे इस प्रोजेक्ट को बदनाम किया जा सके। उस तरह की चिट्ठियां और इन्फार्मेशन भेजी गई देश विदेशों में। ड्यूक आफ एडिनबर्ग की भी चिट्ठी आई प्रधान मंत्रीजी को, डा. करणसिंह जी यहां आए थे उन्होंने भी चर्चा की और सारे वन्य जीवों के प्रति चिन्तित लोग थे वह सारे लोग इस झूठे प्रचार से बड़े चिन्तित हुए। हमने भी उसके बारे में जानकारी ली।

(श्री लालचन्द डूडी)

अध्यक्ष महोदय, किस तरह से इन लोगों ने सारा षडयन्त्र रचा, इनका क्या इंटरेस्ट था ? इसके बारे में यह संस्था क्या चाहती है वह आप जानते हैं। इन संस्थाओं में एक श्रीमान् तो वह है जो अभ्यारण्य के अन्दर जमीन खरीद कर वहां होटल बनाना चाहते थे। हमारे ईमानदार, ओनेस्ट अधिकारियों ने, वन्य जीवों के प्रति जिनका लगाव था जिन्होंने उस होटल को वहां नहीं बनने दिया, उन्होंने एतराज किया, आज उनके केसेज रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर चल रहे हैं। इन लोगों की इच्छा थी कि यहां होटल बनायें। इसी तरह से एक दूसरे अधिकारी जो आज सस्पेण्ड हैं उन्होंने असत्य बोलकर फर्जी तरीके से गंगानगर जिले के अन्दर अलॉटेड जमीन की एवज में यहां सवाई माधोपुर के अन्दर वह जमीन धोका देकर लेना बतलाया गया जिसका केस चल रहा है, वह सस्पेंडेड हैं। उन्होंने वहां एक ट्यूरिस्ट कॉम्पलेक्स बना कर इन्वाइट करना चाहता, इसी तरह से दूसरे श्रीमन्, यह जिस फाउण्डेशन के बारे में बात कर रहे हैं रणथम्भौर फाउण्डेशन, इनके कुछ एक लोगों ने उस सैंक्चुरी के चारों तरफ सैकड़ों बीघा जमीन अलॉट करवा करके ले ली और फार्म के अन्दर वाटर कोर्स बनाकर सैंक्चुरी की जानवरों को अपने फार्म की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके प्राइवेट लोजेज के अन्दर जो पर्यटक आयें उनके द्वारा यह करे। इस तरह की स्थितियां, इस चीज को रोका गया, जिन लोगों ने रोकने की कोशिश की उनके खिलाफ अखबारबाजी करने की कोशिश की, सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सैंसस की बात है इसके बारे में मैं आपको बहुत क्लीयर बतला दूं कि इसी फाउण्डेशन के लोगों ने अप्रोच किया हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि इसके बाद सेन्सस हो तो आप हमें इन्वोल्व कीजिये। हमें भी साथ लीजिये। अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की, डिपार्टमेण्ट की बदनीयती होती अगर उनको छिपाना कुछ होता तो कभी इन लोगों को साथ में नहीं लेते। इन्होंने खुले दिल से कहा कि आप भी सैंसस के अन्दर आइये उसकी गणना करवाइये। दुर्भाग्यवश उस दिन जिस दिन गणना होनी थी उस दिन और उसके एक दो दिन पहले एक दो आदमी डिपार्टमेंट के बीमार हो गये जैसा अभी माननीय सदस्य ने बतलाया। एक दो जरूरी काम से छुट्टी पर चले गये लेकिन जब फाउण्डेशन बीच में आ गई तो हमारे डायरेक्टर ने महसूस किया। उनके आश्वासन पर कि कोई बात नहीं यह नहीं है तो हमारे पास काफी ट्रेण्ड स्टाफ है और हम सैंसस करेंगे। और उन्होंने विश्वास करके सैंसस करवाया। वहां जाकर देखिये, अध्यक्ष महोदय किस तरह लोगों ने यह बात कही। सैंसस के अन्दर 17 टाइगर्स होना बतलाया गया। सैंसस के एक तरफ इन्चार्ज थे हमारे फोरेस्ट डिपार्टमेंट के ए. सी. एफ. मिस्टर जोशी, यह इन्चार्ज से उनके एरिया के अन्दर यदि वन थर्ड आफ दी टोटल हैं, उसके अन्दर तो 17 टाइगर्स का होना पाया गया और जहां मिस्टर गोर्धन सिंह पुत्र श्री फतह सिंह करवा रहे थे वहां एक भी टाइगर होना नहीं बताया।

(श्री लालचन्द डूडी)

टू थर्ड एरिया के अन्दर एक भी टाइगर नहीं और वन थर्ड एरिया के अन्दर 17 टाइगर्स हैं। यह सारी की सारी, एक और बड़ी रोचक बात आपको देखने को मिलेगी एक जगह एक इन्हीं फाउण्डेशन से कोई श्रीमन् बैठे थे किसी पाइन्ट के ऊपर उन्होंने 24 घण्टों के अन्दर केवल 41 नर लंगूर बतलाये केवल लंगूर 41 और वह भी केवल नर, मादा नहीं और जब उसके आस पास के जो लोग बैठे हैं वह बाकी सारे सांभर की, चीतल की और सबकी जानकारी दे रहे हैं। सेंसस जिसके ऊपर विश्वास किया गया था। जिस तरह से विश्वास किया गया था वहां भी दूसरी बात, दुर्भाग्य से उस दिन मौसम भी ठीक नहीं था, कई और कठिनाइयां भी थी जिनकी वजह से सेंसस ठीक से नहीं हो सकी, और सेंसस ठीक नहीं हुई इसको कहीं हमने स्वीकार नहीं है। हमने उसको टर्न डाउन किया है कि सेंसस गलत है और कहा है कि दुबारा टाइम आयेगा उस वक्त सेंसस करवाई जायेगी। हमने कहीं इसको छिपाने की कोशिश नहीं की। हमने कहीं इसको किया नहीं, सेंसस गलत थी इस वास्ते हमने इसको ड्राप किया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल है पोचिंग का। पोचिंग के बारे में मैं आपको निवेदन कर दूं, अभी बहुत आई एस. पी. सवाई माधोपुर बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस तरह की बात करके यह किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर दूं कि एस. पी. ने जिस वक्त इस मोगिया को पढ़ना है उससे पहले फोरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को सुराग लग गई कि इस तरह की पोचिंग की गई है और फोरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग इसकी इन्क्वायरी और जांच के पीछे थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन पर भी जाकर पूछा कि आपके सामने भी ऐसी कोई बात आई हैं आप बतलाइये और रेल्वे स्टेशन पर भी जाकर पूछा इस तरह से कई जानकारी ली, थोड़ा सेट हुआ तो मोगियों के डेरों के ऊपर गये उन डेरों से उन्होंने कुछ हिरण के सींग, कुछ टाइगर के बाल और कुछ और चीजें बरामद की, हथियार बरामद किये और उनका पीछा करने के बाद जिस मोगियो को अरेस्ट किया है उसकी औरत को और एक दो और आदमियों को इनके पुलिस के अरेस्ट करने से तीन दिन पहले अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके उन्होंने स्वीकार किया कि मेरा पति और मेरे पति के दूसरे मित्र यह बहुत लम्बे समय से शिकार करते रहे हैं। फोरेस्ट के अधिकारियों ने पुलिस के एक्शन में आने के तीन चार दिन पहले ही अरेस्ट कर किया। यह नहीं कहा जा सकता कि वन विभाग कहीं अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह था वन विभाग ने, जो फरार थे वह पुलिस के हाथ लग गये उनके हाथ नहीं लगे, यह अलग बात है। अब बात आई कि एस. पी. द्वारा जो जांच की जा रही थी वह एस. पी. से लेकर डी. आई. जी. को क्यों दी? अध्यक्ष महोदय, एक बात हुआ करती हैं कि एस. पी से डी. वाई. एस. पी. को क्यों दी यह सवाल उठा करता है लेकिन यह सवाल नहीं उठा करता कि आपने डी. वाई. एस. पी. से जांच लेकर एस. पी. को दी। हमने एस. पी. से जांच लेकर डी. आई. जी को दी, क्यों दी अध्यक्ष महोदय, इसके कुछ कारण थे। जिस तरह की तफ्तीश के अन्दर वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों को जो

(श्री लालचन्द डूडी)

इन्फार्मेशन दी जा रही थी और उस इन्फार्मेशन ने जितना डेमेज किया है, एक ही टाइगर की खाल की खबर है, दुनिया भर के अखबारों में एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद, चार दिन के बाद उस एक ही खबर को इतने अखबारों के अन्दर बार-बार, वक्त-वक्त पर छपवा करके किस तरह रणथम्भौर की क्रेडिबिलिटि को डेमेज करने की कोशिश की उस बात से कि कहीं और हमारे इस षड्यन्त्र का शिकार होकर के कहीं और ज्यादा डेमेज पब्लिसिटी के द्वारा ना किया जाये इस वास्ते वह तफतीश उनसे लेकर सही जांच करवाने के लिये हमने उनसे लेकर दूसरे अधिकारी को दी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल पैदा होता है....

डा. चन्द्रभान : विदेशी हाथ है, ऐसा लगता है।

श्री लालचन्द डूडी : कोई हाथ हो सकता है, समझ हो सकती है, ज्यादा तो बधाइयों की चिट्ठियां जो पहुंचने लग गईं उससे भी हो सकता है। मैं यह नहीं कहता लेकिन यह एक बड़ा भारी गलत कार्य होता जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, अब आप बाघों के शिकार की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कुछ एक तथ्य स्वीकार करने पड़ेंगे, आज रणथम्भौर सैंक्चुरी के अन्दर 16 गांव बसे हुए हैं उनमें से 12 गांव उठा करके बाहर भेजे गये, साठ गांव उसके चारों तरफ बसे हुए हैं, दो लाख की आबादी है उसके चारों तरफ। यह सारी आबादी जैसा अभी बतलाया गया हमेशा फोरेस्ट के ऊपर डिपेण्ड करती है। उनके पशु हुआ करते हैं, यह खुद वहां लकड़ी का घास का और सभी तरह का इस्तेमाल करते थे। हमने इसको डिक्लेयर किया उसके बाद उनको बाहर जाना पड़ा। उनके पशु उसके अन्दर नहीं आ सकते, खुले तरीके से वहां घूम फिर नहीं सकते, वहां से लकड़ी आदि नहीं काट सकते तो उनके मन के अन्दर जो दो लाख की आबादी थी उनके सेन्टीमेन्ट्स के अन्दर किस तरह का इफेक्ट होगा, फायदा उठाया करते थे इस सेन्चुरी का, आज वह सैंक्चुरी उनके लिये विरोधी का काम कर रही है। सैंक्चुरी के अन्दर रहने वाले टाइगर्स उनके पशुओं को मार रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक गरीब किसान की 10,000 रुपये की भैंस को अगर कोई टाइगर मार देगा तो आप यों समझेंगे कि वह किसान उससे प्रेम करेगा, वह उसका दुश्मन होगा। अध्यक्ष महोदय, सैंक्चुरी में गये हुए जानवर, नील गाय वगैरह जब जाकर के उसकी फसल को खराब करेंगी, उनको नुकसान पहुंचायेंगी, उन सबको आप यों समझेंगे कि उसके मन में दया पैदा होगी। तो ये काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जिनसे उनके मन के अन्दर, अभी जिस आदमी को पकड़ा गया, उससे जब बयान लिया गया, कुम्भट साहब ने जब उसके बयान लिये तो उन्होंने बतलाया था कि टाइगर्स दो साल पहले मेरी भैंस मार चुका था, उस बात से मुझे तकलीफ थी। मैं कहीं हड्डी बेच लूं, उस तरह से सही, इस दर्द के अन्दर....

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा नाम बता दें किसान का, उस मुल्जिम का नाम बता दें।

श्री लालचन्द डूडी : वह बतला दूंगा। तो, अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बातें जो सामने आई हैं, पुलिस के सामने जो बयान आये हैं वह अलग बात है लेकिन उन बयान से, जब कुम्भट साहब के सामने उन लोगों के बयान लिये गये उनमें बहुत लम्बा समय बताया गया है कि उतने समय में हम वक्त-बेवक्त इस तरह के शिकार, मैं आज यह डिनाई नहीं करता कि कहीं पोचिंग नहीं हुई है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी क्लेम नहीं कर सकता कि पोचिंग के ऊपर कोई पाबन्दी, कोई ऐसी गारंटी लेकर के आयेंगे कि पोचिंग नहीं होगी। यह भी मेरे ख्याल से, मैं तो यह गारंटी नहीं ले सकता और कोई महानुभाव ले तो अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय, एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल के दौरान यह आया कि टाइगर की कीमत आज 7 लाख, 10 लाख है। यह क्रिमिनल्स के लिए कितना अट्रेक्टिव है। तो कुछ एक ऐसे हालात बनते हैं जिनकी वजह से पोचिंग के चांसेज हो सकते हैं लेकिन मैं यह गारंटी दिला सकता हूं कि सरकार की तरफ से इसके अन्दर, इसकी पोचिंग को रोकने के लिये, शिकार को रोकने के लिए किसी तरह से किसी भी कोशिश में कहीं कोई कमी नहीं रखी जायेगी। उसके लिए कुछ सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं, कुछेक काम सरकार कर भी रही है।

जैसे संख्या बढ़ाने की बात है तो उसमें हमने 49 पोस्ट और क्रियेट कर दी है, उसमें कुछ पोस्टें भर दी गई हैं, बाकी भरने की प्रक्रिया चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना जरूरी समझूंगा, कितने लोगों ने इस वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपनी जानें दी हैं। आज एक सवाल आया है। इन्होंने पूछा कि आत्महत्या की या उसका कतल किया गया भाजिया गार्ड को। हमें भी शक है कि आत्महत्या शायद नहीं है क्योंकि भाजिया गार्ड फोरेस्ट को बचाने के लिए, वन्य जीव को बचाने के अन्दर बहुत भारी लगन से और हर तरह की रिस्क लेने के लिए तैयार था तथा क्रिमिनल्स इनको हटाना चाहते थे। यह उनकी इच्छा थी। अब जिन परिस्थितियों में इनकी डैड बोडी मिली, उस डैड बोडी की और उस हालात को रेलवे पुलिस जांच कर रही है कि क्या कारण था, क्या नहीं था, क्यों वह मरा लेकिन वह अकेला नहीं। इसी तरह से सरिस्का के अन्दर दो आदमियों को इस मामले में अपनी जानें देनी पड़ीं और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस विभाग के इस लेवल के कर्मचारी इन टाइगर्स को बचाने के लिए अपनी जिन्दगी कुर्बान करें, क्या यह अपने लिये होती है. यह सारा का सारा उसके उच्चाधिकारियों से, अपने लीडर से प्रेरणा मिलती है। उन प्रेरणा के ऊपर वे जान देते हैं। वैसे इस तरह की कुर्बानी नहीं की जाती है तथा इस तरह से इन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी।

अभी एक सवाल आया, माननीय सदस्यों ने कहा, दो-तीन दफे यह बात आई कि साहू का स्थानान्तरण क्यों किया गया? अध्यक्ष महोदय, मैंने आज राजस्थान पत्रिका में पढ़ा और इसके फ्रंट पेज पर आया कि + + + मिले प्रधान मंत्री से और कहा कि इसकी जांच सी. बी. आई. से कराई जाय। यह पढ़ा और मुझे पढ़कर

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री लालचन्द डूडी)

बड़ी हंसी आई कि इन्हीं के इनिशियेटिव के ऊपर साहू के ट्रांसफर करने की बात आई थी, क्यों आई थी कि जब +++ गये थे सैंक्चुरी के अन्दर टाइगर का, औरों का शिकार करने के लिए, उस वक्त वन विभाग के लोगों ने.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। आप एक मिनट बैठिये। (व्यवधान) मंत्री महोदय। यह नाम नहीं लिखें। (व्यवधान) आप बैठये। मैं एक्सपंज करा रहा हूं। (व्यवधान) प्लीज बैठिये आप। मैं एक्सपंज करा रहा हूं। आप बैठिये ना। (व्यवधान) आप बैठते क्यों नहीं हैं। आप बैठिये। (व्यवधान) यह +++का नाम नहीं लिखें।

श्री लालचन्द डूडी : आई एम सारी। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह नाम नहीं लेना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : ये दूसरे सदन के सदस्य हैं।

श्री लालचन्द डूडी : मुझे नाम नहीं लेना चाहिये था लेकिन यह घटना हुई। तो उन लोगों ने आपको रोका था। उनको सस्पैंड करने का प्रेशर डाला गया इस साहू के ऊपर, ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को अगर हम सस्पैंड करने की बात कर देंगे, हमारा काम कौन करेगा। जब नहीं माने तो उसके लिए बात आई कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाय और यह चिट्ठी भी ऊपर से आई। मैंने जब कमलनाथ जी से इसके बारे में बात की टेलीफोन पर, कमलनाथ जी हंसे और उन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसी बातें भी हो रही हैं, मैंने कहा, हो रही हैं। तब जाकर के जो ट्रांसफर हो रहा था, उस ट्रांसफर को मैंने रोका है। इस वास्ते मैं ऐसा मानता हूं। अधिकारी अपनी ड्यूटी के प्रति किसी की भी परवाह नहीं करता, उसको डिमोरलाईज नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही कुछ बातें ऐसी आई, एक सवाल पूछा गया कि एन. के. माथुर का स्थानान्तरण उनको ड्यूटी क्यों नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, इस वास्ते उनको ड्यूटी जोइन नहीं करने दी कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया से टेलीग्राम आया पहले और उसमें आया कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के लिये बिना रणथम्भोर में की गई डाईरेक्टर की तैनाती मान्य नहीं है। कृपया वन्य जंतुओं के संरक्षण के अनुभवी एवं प्रशिक्षित अधिकारियों के बायो डाटा भेजें जिससे वर्ष 1991-92 की केन्द्रीय सहायता जारी रहे। अगर वह आदमी वहां रहता तो केन्द्रीय सरकार उसको स्वीकार नहीं करती और सहायता भी शायद बन्द होती और यह जो कुछ गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने लिखा है, वह भी मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

'I am directed to refer to your D. O. letter dated 1st July, 1991, and inform you, that the candidature of Shri N. K. Mathur for the post of Field Director, Ranthambhore Tiger Reserve has not been approved. You are requested

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री लालचन्द डूडी)

to Kindly select a suitable officer of the rank of Conservator Forest, and send him on a short training course in wild life so that he can be appointed as the Field Director in Ranthambhore Tiger Reserve on regular basis. In view of the big eco-development scheme in operation....project may kindly be accorded highly....In the meanwhile Shri Tejveersingh, who is now Deputy Director, can carry out the work of Field Director, Ranthambhor, strictly on temporary basis. तो तेजवीर सिंह के बारे में यह शिकायत आई कि इनको वहां क्यों रखा गया और एन. के. माथुर को वहां क्यों नहीं रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने और हाउस के सामने क्लियर कर दूं। इसमें कहीं हमारा इंटेशन नहीं है। यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया के इनिशियेटिव से सारा का सारा किया गया है। उनके निर्देशों के मुताबिक किया है। तो, अध्यक्ष महोदय, आज इस स्थिति के अन्दर जिस तरह से प्रचार हो रहा है, मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नेशनल इन्ट्रेस्ट के अन्दर, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लिए जो इस तरह का कुप्रचार करके देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके इन्ट्रेस्ट को वाच करने का इस हाउस को माध्यम नहीं बनाये या उस बात के ऊपर....

श्री रामकिशन शर्मा : आप हाउस पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? लोगों ने आपकी मदद की है।

श्री लालचन्द डूडी : नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं एक बात बतला रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा सबमिशन है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। समटाइम्स हमें इस तरह के....

श्री अध्यक्ष : सावधानी रखिये। हमारे पास से इनको मदद मिले। इसकी सावधानी रखें।

श्री लालचन्द डूडी : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। नेक्स्ट श्री हेतराम जी। (व्यवधान) मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री नत्थी सिंह : निश्चित रूप से सेंसस करा लिया। कितने बाघ हैं यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं....(व्यवधान).... इतना सुनने के बाद यह पूछ रहे हैं। प्लीज, एक मिनट। इतना स्टेग्नेंट रिप्लाई आया है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, अभी सेंसस हुआ नहीं। यह कह रहे हैं सेंसस नहीं हुआ, जो हुआ है उसको डाउटफुल मान रहे हैं और फिर मई-जून में जब टाइम आयेगा तब सेंसस होगी तो बता देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने चर्चा में कई प्रश्न उपस्थित किये हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि इस बाघ परियोजना में बाघों के सेंसस को

श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गंभीरता से लिया जाय तो इस समस्या का किस प्रकार से निराकरण हो सकता है उसका अपने आप ही स्पष्टीकरण हो जायेगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जैसा गृह मंत्री जी ने बताया था कि इस बाघ परियोजना का सेंसस सन् 1985 में 40, 1986 में 40, 1987 में 40। न तो एक मरा न एक पैदा हुआ।

श्री रामकिशन शर्मा : जन्म नहीं हुआ क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ही तो बता रहा हूं। 1988 में 43, 1989 में 44, 1990 में 44 और फिर 45। न कोई मरा, न कोई पैदा हुआ।

डा. चन्द्रभान : यह सफल फेमिली प्लानिंग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो सही है। लेकिन यह संख्या बिलकुल स्टेग्नेंट है। अब इससे एक बात का अनुमान लगाया जा सकता है और जिसका गृह मंत्रीजी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है कि एक बार बाघों की संख्या बढ़ाना तो आसान हो गया लेकिन उनको घटाना कठिन हो गया। अगर संख्या घटा दी जाती तो सारे लोगों का एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाता कि 40 से संख्या कम क्यों हो गई या 44 से संख्या कम क्यों हो गई और इसलिए मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि पहले जितनी सेंसस हुई थी वो भी डिफेक्टिव थी और इस बार जो सेंसस हुई है वो भी डिफेक्टिव हुई है और इस डिफेक्ट को किस प्रकार दूर किया जाय इसका तरीका यह है कि बहुत ही साइंटिफिक वे में इसकी दुबारा सेंसस हो और दुबारा सेंसस केवल मई-जून के महीने में ही हो सकती है और मई-जून में जब इसकी सेंसस होगी तभी असलियत सामने आयेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी चर्चा की जाय कि 20 बाघों का शिकार कर लिया गया। कोई 18 बताते हैं, कोई 20 बताते हैं, कोई 22 बताते हैं कि इतने बाघों का शिकार हो गया। शिकार करने वाले व्यक्ति तो पकड़े गए। पकड़े गए तो एक बाघ का शिकार किया उस बाघ का उन्होंने स्वीकार किया और अपने बयानों में यह भी कहा कि हम 10–12 वर्षों से यह पोचिंग का काम कर रहे हैं, यह कोई नई शुरूआत हुई हो ऐसी बात नहीं है। प्रश्न यह आता है कि पोचिंग किस प्रकार से रुके ? इस मामले का जितना प्रचार हुआ है उस प्रचार के कारण क्या हैं और भविष्य में इस प्रकार के प्रचार न हों उसके लिए क्या साधन जुटाए जायें ? मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रचार का एक कारण तो होटल हैं और एक टैक्सीज हैं। आप सब जानते हैं, मैं उल्लेख करना नहीं चाहता कि इस बाघ परियोजना में बहुत टैक्सीज चल रही हैं। गुढ़ामालानी से आने वाली माननीय सदस्या ने इस बात का जिक्र किया है कि टैक्सीज के कारण से न तो वातावरण सही रहता है और न जिस प्रकार की शांति इन पशुओं को मिलनी चाहिए उस प्रकार का शांत वातावरण रहता है और टैक्सियां धड़ाधड़ चलती हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यह बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सही है और इसलिए मैं आज सदन को यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार के मन में यह है कि टैक्सीज को बिलकुल बन्द किया जाय और उसको देखते हुए जो टूरिस्ट आते हैं वे फोरेस्ट विभाग की गाड़ियों में एक साथ बैठ जायेंगे और बाघ परियोजना में जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, जिसमें वे वर्जित नहीं हैं उस क्षेत्र में वो लोग जायें। इसके कारण से आये दिन रोज फोरेस्ट डिपार्टमेंट और टेक्सी वालों में झगड़ा होता है। जिस समय भी चाहते हैं टेक्सी लेकर रवाना हो जाते हैं। रोकते हैं तो लड़ाई-झगड़ा करने को तैयार रहते हैं। इसका एकमात्र उपाय यह है कि उस गेम सेंचुरी के अन्दर कोई भी टेक्सी नहीं जायेगी और सारे रेगुलर वे में हमारी गाड़ियों से इन सारे यात्रियों को ले जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न आता है होटल्स का। यदि आपने सवाईमाधोपुर में टाईगर सेंचुरी में जाकर देखा हो तो होटल्स की बड़ी मशरूम ग्रोथ हो रही है और उसके कारण से जहां टेक्सी ड्राइवर और होटल इन दोनों में एक प्रकार का विवाद रहता है और एक प्रकार का मेल-जोल भी रहता है। इसके कारण से कई विवाद खड़े होते हैं कि वहां पर जमीन किसकी है इसका भी विवाद है। वहां पर होटल होने चाहिए या नहीं इसका भी विवाद है। इसलिए राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है कि गेम्स सेंचुरी के आस पास या उसके अन्दर किसी प्रकार के होटल नहीं हों और जो होटल बन चुके हैं उन होटलों का किस प्रकार से अधिग्रहण किया जाय इस पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है। इन होटल्स से और इन टेक्सीज से जब मुक्ति मिलेगी तो निश्चित रूप से विवाद खत्म होंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां जो प्रचार हो रहा है इस प्रचार में मैंने जैसा निवेदन किया, कुछ लोग इन्टरेस्टेड हैं कि हम जब फोरेस्ट डिपार्टमेंट में थे उस समय संख्या 44 की थी और 45 की थी, आज हम नहीं रहे, हम अण्डर सस्पेंशन हैं और इस कारण से जो भी बाघ परियोजना के अधिकारी आते हैं, या तो हमारी बात सुनें और बात नहीं सुनते हैं तो उनको किस प्रकार से दबाया जाय। इस दबाने के लिए वहां कई प्रकार की चर्चाएं निकलती रहती हैं, वो चर्चाएं निकल गई। मैं सेंसस के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि आज जो मैथड है एग मार्क वो कोई फूल प्रूफ सिस्टम नहीं है। अब यहां पर जैसा दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे या हमारे मंत्री महोदय कह रहे थे कि टू थर्ड एरिया में एक बाघ नहीं मिला और वन थर्ड के अन्दर 18-19-20 जितने भी वो बताते हैं उतने बाघ मिल गए। अब मेरी समझ में नहीं आता कि लोग पोचिंग में और उसका व्यापार करने के लिए इन्टरेस्टेड हैं तो पास में ही करौली का जंगल है वहां पर 18–19 बाघ की संख्या लगातार आ रही है। वहां पर कोई टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है, वहां पर उतनी निगरानी नहीं है जितनी टाइगर प्रोजेक्ट में व्यवस्थित है। अब उस आधार पर वहां तो टाइगर मारे नहीं गए और केवल बाघ परियोजना में ही 18-20 टाइगर्स मारे जाय, ये बातें कुछ ऐसी कपोल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कल्पित हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यहां इस बात का भी जिक्र किया गया कि राजस्व सचिव श्री कुम्भट से इंक्वायरी कराई गई वो लीपापोती करने के लिए की गई। मैं ऐसा समझता हूं कि रिपोर्ट सदन की मेज पर हम रख देंगे, आज ही मैं रख देऊंगा और उस कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो लीपापोती के स्थान पर इस रणथम्भौर प्रोजेक्ट में भविष्य में किस प्रकार का काम करना चाहिये जिससे टाइगर्स की संख्या बढ़े, किस प्रकार से व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए जिससे टाइगर्स का पोचिंग न हो और किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वहां कि आस पास की जनता की रुचि इस टाइगर प्रोजेक्ट को ठीक प्रकार से बनाये रखने में पैदा हो जाय। यह कोई उस इंक्वायरी की लीपापोती करने की आवश्यकता नहीं है।

यहां पर यह भी जिक्र किया गया कि टास्क फोर्स आया था उसको काम करने क्यों नहीं दिया गया। मैं तो ऐसा समझता हूं कि टास्क फोर्स सवाई माधोपुर में तो आया ही नहीं।....(व्यवधान) आप तो यह भी कह रहे थे कि टास्क फोर्स यहां आया और उसको काम करने नहीं दिया।....(व्यवधान)....देखिए, आप पहले कह चुके हैं, सुन लीजिए। टास्क फोर्स आया नहीं। अब आप पूछ ही लेते कि टास्क फोर्स आया उसको आपने आने क्यों नहीं दिया या यहां पर आया तो फोरेस्ट ऑफिसर्स ने उनको सहयोग क्यों नहीं दिया? यहां तो चार्ज यह लगा कि फोरेस्ट ऑफिसर्स ने उनको सहयोग नहीं दिया। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि टास्क फोर्स आया ही नहीं। यह मैं छुपाना भी नहीं चाहता कि टास्क फोर्स के लिए मेरे पास लेटर आया। लेटर आया तो मैंने उनको कहा कि इसकी दूसरी इंक्वायरी करा लेता हूं। उस इंक्वायरी के आधार पर यदि टास्क फोर्स आना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी इसमें जांच करे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां तो मानकर चलिए कि न तो वन मन्त्रीजी ने, न गृह मंत्रीजी ने, न मैंने कोई पोचिंग किया बल्कि मैं तो बहुत कम बार....

श्री रामकिशन शर्मा : गृह मंत्रीजी ने किया है। तीतर, बटेर, खरगोश तो हजारों मार दिए होंगे अब तक।

श्री देवेन्द्र सिंह : ये जनता दल के सब पोचिंग ही तो हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि अगर पंडितजी को इतनी जानकारी है कि हजारों तीतर, बटेर इन्होंने मार लिए ...

श्री रामकिशन शर्मा : मुर्गे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुर्गे, सब कुछ आपने बताया तो यह संख्या बताई है तो आप उपस्थित तो जरूर होंगे वरना अंदाज से तो आप नहीं कह सकते....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो उसमें से बचे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं। अब हम किस लिए बचायेंगे, यदि पोचिंग किसी ने किया है तो उसको बचाने वाले नहीं, पोचिंग क्यों हुई, उसके लिए किसी आदमी की रेस्पोन्सिबिलिटी है उसको हम बचाने वाले नहीं, पोचिंग जिसने किया है उसको बचाने वाले नहीं और इसमें यदि अधिकारियों की गफलत रही है तो उस गफलत से भी किसी को भी मुक्ति देने वाले नहीं हैं। इसीलिए तो कुम्भट से जांच करवाई और, उसी के साथ पुलिस इसका अनुसंधान कर रही है। यहां पर यह जिक्र किया गया कि एस. पी. अच्छा काम कर रहा है। मुझे इस बात की तो खुशी हुई कि आज सुबह ही उस एस. पी. की बड़ी आलोचना हो रही थी कि उसने मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया, यह नहीं किया, यह नहीं किया, उसी दिन....

श्री हरिसिंह : वह एस. पी. भरतपुर था, यह एस. पी. सवाई माधोपुर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो कर रहे थे उसकी नहीं कह रहा हूं, आप वाला तो भरतपुर का मामला है लेकिन इस एस. पी. के बारे में भी दो तीन बार यहां क्वेश्चन आया है कि एस. पी. ने यह काम नहीं किया, एस. पी. ने यह काम नहीं किया, आज यह अच्छा हुआ कि एस. पी. की आप सबने मिलकर तारीफ की, इसका मतलब पुलिस प्रशासन तो ठीक प्रकार से काम कर रहा है....

श्री नत्थी सिंह : एक ठीक कर रहा है तो सब ठीक कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो सवाई माधोपुर के एस. पी. की बात कर रहा हूं।

श्री हरिसिंह : नहीं-नहीं, आप विश्वास नहीं कर रहे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं बताऊंगा....

श्री हरिसिंह : हम तो मान रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिल्कुल ठीक है। सवाई माधोपुर के एस. पी. के बारे में आपने प्रशंसा की इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इस धन्यवाद का अर्थ यह नहीं है कि आपने व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिशः उसके लिए कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन सारे सदन ने उस एस. पी. की तारीफ की है और तारीफ करके यह कहा कि यह इंक्वायरी डी. आई. जी. को क्यों दे दी, मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, कुछ कारण तो माननीय सदस्यों ने बताये, लेकिन मोटा कारण यह था कि मामला जिस तरह का सीरियस था, इस मामले में डी. आई. जी. को हमने लगाया कि एस. पी. को लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने में या बाकी की पुलिस की ड्यूटीज पूरी करने में उतना समय नहीं मिल पाता, डी. आई. जी. को लगाया कि उस सारे मामले के तथ्यों की जांच करे, जो भी दोषी है उनको पकड़े, जहां-जहां भी रेड डालनी है वह डाले। इसमें ऐसा नहीं है कि वहां पर जो डी. आई. जी. काम कर रहा है एस पी. उसका असहयोग कर रहा है या एस. पी. को साथ लेकर वह इंक्वायरी नहीं कर रहा है। एस. पी. भी साथ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है, डी. आई. जी. भी साथ है इसलिए उसमें हमारा तो कोई इन्टरेस्ट नहीं हो सकता। न तो मोगिया हमारी कोई जान-पहचान का है, न और कोई दूसरे जो पकड़े गये, वह हमारी जान-पहचान के हैं। आखिर इस चीज में जो भी गैंग बना हुआ है उस गैंग को किस प्रकार से ट्रेस आउट करें, उनके खिलाफ किस प्रकार से एक्शन लिया जाय, उस आधार पर यह बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं, जैसा माननीय सदस्यों ने भी कहा, इस चीज का प्रचार बहुत हो रहा है ...

श्री हीरालाल देवपुरा : मंत्रीजी ने कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय वन मंत्रीजी ने कहा, और भी माननीय सदस्यों ने कहा, जनार्दनसिंहजी भी बहुत बढ़िया बोले और बोलकर उन्होंने भी कहा कि इसका जिस प्रकार से प्रचार हो रहा है उस प्रचार से राजस्थान को ही नहीं, इस पूरे कन्ट्री को नुकसान हुआ। निश्चित रूप से लोगों में इस प्रकार की चर्चा हुई। अब कई बार तो यह भी समस्या खड़ी हो जाती है कि पुरानी सेन्सस यदि सही मानूं, जो गलत है, सही नहीं मानूं तो मुश्किल, सही मानूं तो मुश्किल। यह सारी इस प्रकार की परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में मैं सदन को यह विश्वास दे सकता हूं कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात इस मामले में नहीं होगा, जो दोषी है, चाहे वह अधिकारी है, कर्मचारी है, उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा लेकिन मनगढ़ंत बातें यदि हम नहीं कहें तो ज्यादा उचित होगा। यहां पर अबरार अहमदजी प्रधान मंत्रीजी से मिले और प्रधान मंत्रीजी से कहा कि इस मामले की सी. बी. आई. से जांच करवाई जाय, यह भी चर्चा हुई, मैं ऐसा समझता हूं कि जो कुम्भट साहब की रिपोर्ट है और अब तक सारा जो कुछ हमने अनुसंधान किया है वह प्रधान मंत्री जी को दिखा देंगे और प्रधान मंत्रीजी फिर भी चाहेंगे कि इस मामले की सी. बी. आई. से इन्क्वायरी कराई जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं इतना ही आपसे निवेदन कर सकता हूं। मैं तो माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की इस रणथम्भौर प्रोजेक्ट की प्रतिष्ठा वापस बनाने की कोशिश करें जिसके कारण है जो कुप्रचार हो रहा है यह कुप्रचार अपने आप बन्द हो और यहां पर टूरिस्ट्स का इनफ्लो है वह उसी प्रकार से बना रहे। जहां तक कुछ लोगों ने कहा कि बाघ देखा ही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि चाहे 40 हो, चाहे 45 हो, कई बार साइट नहीं होती और नहीं होती है तो लोग दुखी होकर आ जाते हैं। दो-दो, तीन-तीन दिन रहने के बाद भी नहीं मिलता तो उसके कारण से यह इम्प्रेशन हम ले लें कि वहां पर बाघ है ही नहीं, यह तो उचित नहीं होगा। इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इस मामले में जो हमारे विरुद्ध कुप्रचार हो रहा है उसका असर राजस्थान में, उसका असर कण्ट्री पर निश्चित रूप से पड़ रहा है। उसमें जरा बातचीत करने में सावधानी बरतें जो ज्यादा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हेतराम।.... (व्यवधान) आप, श्री हेतरामजी, बोलिए।

गंगानगर में सिचाई हेतु पानी सप्लाई में अनियमितता

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्रीगंगानगर जिले में सिचाई विभाग द्वारा सिंचाई हेतु सप्लाई किये जाने वाले पानी में विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कथित अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्री जी.... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : .... उससे बहुत नुकसान हो रहा है, काफी नुकसान हो रहा है, जोगी महल में जो वी. आई. पी. जाकर ठहरते हैं....

श्री अध्यक्ष : इनका नोट मत करिये।

श्री जुबेर खान : +++

श्री अध्यक्ष : मैं आइन्दा आपको, क्या तरीका है आपका ? इतना एलोब्रेट रिप्लाई आ गया, मुख्य मंत्रीजी ने आपको इतना आश्वासन दे दिया, सारी बातें स्पष्ट हो गई, फिर भी आपको बोले बिना चैन नहीं पड़ेगा। It is a bad habit.... (व्यवधान) It's not a good habit.

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कुम्भट ने जो रिपोर्ट दी है उसकी कापी मैं भारत सरकार को भेज चुका हूं और उसकी एक कापी मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर में सिंचाई मुख्यतया गंग, भाखड़ा एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से होती है। इन नहर परियोजनाओं को देश की उत्तम जल प्रबन्ध योजनाओं में माने जाने से ही संयुक्त राज्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत रेडक्रास के माध्यम से अन्य प्रांतों के अधिकारीगण एवं कृषकगण इनकी जल व्यवस्था का अध्ययन करने निरन्तर आते रहते हैं। इस नहर में पानी की उपलब्धि भाखड़ा एवं पोंग बांध जलाशयों में सिंचित किये गये पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। इन नहरों से पानी अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा मासिक बैठक आयोजित कर उपलब्ध जल की मात्रा, परियोजना में भागीरदार राज्यों का हिस्सा और आवश्यकता आदि का विचार कर वितरण हेतु जल की मात्रा निश्चित कर उपलब्ध कराया जाता है। यह कथन सही है कि कुछ कृषक निजी स्वार्थपूर्ति हेतु पानी की यदा-कदा चोरी करते हैं। ऐसे मामलों में अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर नहरों की गश्त कर निगरानी रखी जाती है तथा दोषी पाये जाने वाले कृषकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है जिसमें

+++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मुख्य एफ आई. आर. दर्ज कराना, उन्हें पानी की बारी से वंचित करना तथा तावान की कार्यवाही करना सम्मिलित है। इस पानी की चोरी का प्रभाव नहरों के अन्तिम छोर टेल पर पड़ना स्वाभाविक है। नहरों की टेल पर समुचित पानी उपलब्ध कराये जाने के हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं। नहरों की टेल से पानी

(3.45 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

निर्धारित मात्रा से कम उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। नहरों से जल की चोरी एवं अन्य कुप्रवृत्तियों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम, 1954 की धारा 55 में विनिहित दण्ड में संशोधन विषयक विधेयक भी इसी सत्र में स्वीकार किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत जल चोरी के प्रथम अपराध का जुर्माना बढ़ाया जाना और प्रथम अपराध के बाद के अपराधों में अधिक कठोर दण्ड का प्रावधान प्रस्तावित है ताकि पानी चोरी के अपराधों पर अंकुश लग सके। यह बात सही है कि नहर के प्रथम मोगों एवं टेल के मोगों पर सिंचाई सघनता में अन्तर है। इस अन्तर के विभिन्न कारण हैं जिनमें प्रमुख कारण भूमि की किस्म में अन्तर, नहरों के लम्बी होने के कारण प्रथम मोगों में आठ दिन एवं टेल के मोगों में लगभग सात दिन पानी चलना, खालों के रिसाव तथा पानी कम अथवा अधिक होना, नलकूपों द्वारा अनुपूरक सिंचाई करना आदि है। इन सब विसंगतियों के होते हुए भी अधिकांश टेल चकों में सिंचाई सघनता डिजाइन से अधिक है। श्री गंगानगर जिले में गंग नहर प्रणाली सबसे पुरानी परियोजना है। इस परियोजना क्षेत्र में वर्ष 1927 से सिंचाई की जा रही है। इस नहर के हेड पर पानी की कुल क्षमता 2720 क्यूसेक्स है जिसके विपरीत वर्तमान में 2400 क्यूसेक्स पानी चलाया जा रहा है। इस नहर में पंजाब एवं राजस्थान सीमा पर पानी की निर्धारित मात्रा 2640 क्यूसेक्स है जिसके विपरीत वर्तमान में लगभग 1900 क्यूसेक्स पानी प्राप्त हो रहा है। इस नहर के हेड से कम पानी चलने तथा पंजाब व राजस्थान सीमा पर कम पानी प्राप्त होने का कारण इस नहर के निरन्तर चलने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाना है। इस क्षति के कारण रिसाव के पानी की मात्रा 80 क्यूसेक्स के स्थान पर लगभग 500 क्यूसेक्स हो गई है। इस नहर को दुबारा लाईनिंग करने के लिए गंग नहर से इन्दिरा नहर फीडर के निर्माण का कार्य हाथ में लिया हुआ है। इस परियोजना में प्रारम्भ से ही 27 क्यूसेक्स पानी कृषकगण को बाग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दिया गया था। इसके अतिरिक्त नये बागों को पानी देने पर मुख्य अभियन्ता, सिंचाई राजस्थान, जयपुर द्वारा वर्ष 1978 से रोक लगा दी गई है। मत्स्य पालन हेतु कुल 4 लोगों को नहरों से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिनमें तीन को वर्ष 1978 के पूर्व खण्डीय स्तर के अधिकारी द्वारा दी गई, जिसके पश्चात् मुख्य अभियन्ता द्वारा ऐसे जल उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा देने इस परियोजना क्षेत्र में मछली पालन को

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रोत्साहन देने हेतु एक कृषक को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। मत्स्य पालन हेतु मात्र 0.77 क्यूसेक्स पानी ही उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन देने हेतु भी एक कृषक को अतिरिक्त पानी स्वीकृत किया गया है। यह स्वीकृति कुल पानी की उपलब्धता की तुलना में नगण्य है तथा हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्रीगंगानगर में श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड राज्य सरकार का एक उपक्रम है। तथा इस उपक्रम को चालू रखने हेतु चुकन्दर एवं गन्ने की आवश्यकता होती हैं। राज्य सरकार द्वारा लिये एक निर्णयानुसार चुकन्दर एवं गन्ने की खेती करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए साधारण पानी उपलब्ध कराये जाने के अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाता है। यह अतिरिक्त पानी की मात्रा चुकन्दर एवं गन्ने की फसल को अन्य फसलों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। एवं इस अतिरिक्त पानी का वितरण श्री गंगानगर शुगर मिल्स के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व उनकी सिफारिश पर किया जाता है। गन्ना व चुकन्दर को उपलब्ध कराये जा रहे पानी की कुल मात्रा क्रमशः 30 क्यूसेक्स व 20 क्यूसेक्स है अर्थात् कुल 50 क्यूसेक्स है जो कि वर्तमान में उपलब्ध हो रहे पानी का ढाई प्रतिशत ही है।

उपलब्ध सीमित राशि के कारण नहरों की मरम्मत हेतु बजट निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध नहीं हो पा रहा हैं। अपर्याप्त राशि उपलब्ध होने के कारण नहरों की मरम्मत का कार्य आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो पाता है। उपलब्ध बजट का अधिकांश भाग कार्यप्रभारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान में व्यय हो जाता है। तथा बहुत कम राशि ही रख रखाव कार्य पर व्यय हो पाती है। इस वर्ष गंगानगर व उसके आस पास के क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा होने के कारण तथा थोड़ी अवधि में अधिक वर्षा होने के कारण कुछ नहरों को क्षति अवश्य पहुंची है परन्तु यह क्षति विभाग की लापरवाही के कारण नहीं हुई है।

पानी का वितरण वैज्ञानिक दृष्टि से अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा किया जाता है तथा यह वितरण सही प्रकार से किया जाता है। इस रेगुलेशन कार्य में कृषि विभाग, प्रशासन एवं जन प्रतिनिधि भी सक्रिय भाग लेते हैं। कृषकों को भी रेगुलेशन समिति के बैठक से पूर्व उनकी समस्याओं के बाबत सुना जाता है। पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों को चलाया जाता है तथा रेगुलेशन किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आकर नहीं किया जाता। नहरों की टेलों पर पानी भी निर्धारित मात्रा में पहुंच रहा है।

इस जिले की इ. गा. न. प., गंगनहर परियोजना व भाखड़ा नहर प्रणाली की सादुल एवं करणीसिंह ब्रांच का पानी का उद्गम स्थल एक ही है। इन परियोजनाओं के लिए वाटर अलाउंस सिंचित क्षेत्र तथा

(श्री कैलाश मेघवाल)

परियोजनाओं के लिए आवंटित जल की मात्रा को ध्यान में रखकर किया हुआ है इस कारण ही तीनों परियोजनाओं पर भिन्न-भिन्न वाटर अलाऊंस हैं। विभिन्न परियोजनाओं पर वाटर अलाऊंस के बाबत अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर मण्डल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसका प्रतिवेदन अपेक्षित है।

श्री सभापति : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है उसके सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया उस से कुछ सवाल पैदा हुए हैं और मैं उन प्रश्नों को आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा। आपने सबसे पहले जो जिक्र किया है तीनों योजनाओं का, तीनों योजनाओं में जो सबसे पुरानी योजना है उसमें 22 करोड़ रुपये हमने खर्च किये हैं और 2 करोड़ खर्च होने के बाद उसमें एक चीज मंत्री जी ने नहीं बताई। 2720 जो पानी है यह बहुत पुरानी बात है और अब जो सी. सी. बन चुकी है वह सी. सी. कमाण्ड एरिया जो गंग केनाल का है वह 2900 से ज्यादा है और उस 2900 से पानी आता है जो खुद वहां पर मानते हैं कि यह जो 1800 या 1900 पानी आता है 2900 में से और उसके बाद भी इन्होंने उपयुक्त समझा है कि उस पानी को कुछ विशेष लोगों को दे दिया जाये। कहां तक उचित है कि जिस केनाल सिस्टम में 2900 क्यूसेक्स पानी से पूरे एरिया के किसानों को पानी मिलेगा उसमें से आप 1800–1900 ही पानी दे सकते हैं और जो आप 1800 पानी दे रहे हैं, इतना कम पानी दे रहे हैं, उसमें भी आप विशेष तौर से कुछ लोगों को पानी देना चाहते हैं रिसर्च के नाम से। याने रिसर्च किस बात की ? कोई आदमी वहां कोई साइन्टिफिक रिसर्च कर रहा हो, कितना पढ़ा लिखा है–आपने एक किसान को पानी दे दिया मछली के उत्पादन में। माननीय सभापति महोदय यह मछली का पानी रेगुलर इस्तेमाल होता है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस राज्ज सरकार के आदेश से जिस किसान को पानी मिला है मछली का वह 27 सी. पी. के जो ठाकुर साहब हैं उनको पानी मिला है और उनको पानी मिला है, 43 क्यूसेक्स। मतलब 250 एकड़ जमीन में पूरे साल तक जिस पानी से फसल हो सकती है वह पानी आपने मछली पालन के लिए दिया है और एक भी मछली उन्होंने कभी पैदा नहीं की। बेची नहीं, न पैदा होती है। यह सिर्फ पानी लेने के लिए किया है ऐसा। बैक एण्ट्री से पानी लेने लिए मोगा उन्होंने लगवा लिया। इसी तरह से आप गन्ने और चुकन्दर की बात कर रहे हैं। किसी फैक्ट्री को ज्यादा कीमत दे दी जाये, चुकन्दर नहीं होती हो वह बात दूसरी बात है, उसको और प्रोत्साहन दे दिया जाये लेकिन जिस इलाके में आज सारी फसल बरबाद होने वाली है पानी के बिना और 2900 के बजाय 1900 ही पानी जा रहा है वहां आप 50 क्यूसेक्स पानी चुकन्दर को दे रहे

(श्री हेतराम बेनीवाल)

हैं। माननीय मंत्री जी कृषि विभाग राजस्थान का है। कृषि विभाग में आप किसी भी अधिकारी से पूछ लीजिए चुकन्दर को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। किसी भी फसल में जो उस वक्त फसल बोई जाती है उन सारी फसलों से गेहूं से कम पानी मिलता है। जो फसल उन फसलों से कम पानी लेती हैं उसको आप ज्यादा दें — यह पानी इस्तेमाल बड़े-बड़े जागीरदार और बड़े-बड़े सामन्त अधिकारियों से मिल कर करते हैं।

दूसरे माननीय मंत्रीजी में से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो बागवानी के लिए पानी दे रखा है वह उस वक्त था जब गंग कैनाल का कमाण्ड एरिया इतना कम था कि उसमें पानी फालतू था। आज तो जमीन ज्यादा रह गई और पानी कम हो गया। आप उस संख्या को बढ़ा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आपने की टेलों पर पानी की जो कमी है माननीय सभापतिजी टेलों पर पानी को पूरा करने के लिए माननीय मंत्रीजी का जो विभाग है उसने कई प्रोग्राम बनाये हैं उससे पानी पूरा होने के बजाय पानी घटा है। अभी पिछले साल गंग केनाल में एक योजना बनाई गई और उस योजना में वहां का जो अधिशासी अभियन्ता है उसने एक नोटिस निकाला। यह नोटिस निकाला कि सारी गंग केनाल के मोगे, 25 के. एच. प्लस एच. ओ प्लस 25 करके सारे मोगे ठीक कर दिये जाये। 1194 मोगे हैं। 1194 आउटलेट्स हैं इन पूरे आउटलेट्स को ठीक करने का प्रोग्राम बनाया जिसमें से 800 आउटलेट्स ठीक हो रहे हैं। ठीक होने का मतलब सभापति जी यह था कि सारे आउटलेट्स ठीक करने का नोटिस किसानों को दिया गया और किसानों को यह कहा गया कि तुम्हारे सारे आउटलेट्स ऊँचे होंगे एक लेवल तक....

(4.00 म. प)

जो कुछ एस. ई. ने डिजाइन करके उनको दिया उसके बजाय एस.डी.ओ ने और नीचे के अधिकारियों ने उन किसानों को जाकर गांव के बीच में कहा, तुम्हारे मोगे इतने ऊँचे होंगे 6 इंच, अगर पैसा दोगे तो तीन इंच कर देंगे, नहीं तो 6 इंच रहेंगे। पूरे 800 मोगों में चकों के अन्दर पूरी उगाई हुई है। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे पास कुछ आकड़े हैं। चार ओ का मोगा है उस पर 80 हजार रुपये इकट्ठे हुए। पब्लिक फण्ड, जिस तरह से लोग अपना गांव अपना काम योजना में पैसा इकट्ठा करते हैं उस तरह से पैसे इकट्ठे करके उस एस.डी.ओ. को दिये गये। 40 एस फर्स्ट पर 36 हजार रुपये दिये गये, एम हैड पर 25 हजार रुपये दिये गये, 2 एफ. ए. पर 80 हजार रुपये दिये गये, 1 एफ ए. पर एक लाख रुपया दिया गया। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्रीजी, सारे चकों से 80 हजार, 70 हजार, 60 हजार एस.डी.ओ. और एक्स.ई.एन. ने पैसा इकट्ठा किया और इन मोगों की डिजाइन करने के लिए किसानों को कहा हम ठीक डिजाइन कर देंगे। यह पैसे इकट्ठे हो गये, इन पैसों की वसूली जिस तरीके से हुई है, सारे जिले में हाहाकार मच गया, पूरे गंग कैनाल में। उसकी एस. ई. ने जांच करायी। तीन जगह उन्होंने तीनों सब डिवीजन में जांच के लिये

(श्री हेतराम बेनीवाल)

दूसरे एस.डी.ओ. रखे, दूसरे एक्स.ई.एन. रखे और उन अधिकारियों को रखकर एक कमेटी बनायी कि वह कमेटी उनकी जांच करेगी। करणपुर सब डिवीजन, जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और लोगों से पैसे लिये गये, में जांच को रोक दिया गया। जांच नहीं हुई। जांच नहीं होने का कारण यह था, माननीय मंत्रीजी, वहां के एक मंत्री हैं उनके पुत्र जो हैं वह और मंत्री दोनों ने वहां के ए.ई.एन. से मिलकर सारे मोगों की उगाई इकट्ठी की है। वहां के जो मौजूदा एस.डी.ओ. हैं उसने उनको एक कार भेंट की है। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, इस सारे भ्रष्टाचार के बाद भी टेल पर पानी कम है। अब भी शिकायत है कि टेल पर पानी पूरा नहीं है। गंग कैनाल में टेल की शिकायत है कि वहां पर पानी पूरा नहीं पहुंचता। तो इसका मतलब यह है कि आपने यह जो तय किया है कि गंग कैनाल की टेल ठीक हो गई, गंग कैनाल में पानी सही पहुंच गया, यह सारी नहर के अन्दर अभी भी बड़े-बड़े मोगे जो आबपाशी के हिसाब से हैं, एक बाद में सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपने आबपाशी देखी है? आबपाशी किसी भी नहर के जो शुरू के मोगे हैं उनकी और टेल के मोगे की आज भी ज्यादा है। इस साल की नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि बारिश हो गई सारे गंगानगर जिले में, उसकी आबपाशी अलग हो सकती है। आप पिछले साल की आबपाशी देख लीजिए, उसमें जांच करने से पता लगेगा कि आबपाशी में अभी भी फर्क है, वह 25 पर्सेण्ट आबपाशी है, यह 125 पर्सेण्ट आबपाशी है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस सिलसिले में एक और वहां परम्परा चली है कि पैसे देकर मेन कैनाल में मोगे बना लिये जाय। यह पहले नहीं था। मेन कैनाल जो 1200 क्यूसेक की है या 2000 क्यूसेक की है, पहले जब गंग कैनाल आयी, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे इस प्रजातन्त्र में जो व्यवस्था है जनता की, उस व्यवस्था में पता नहीं क्या शुरू हो गया, उस वक्त महाराजा का खुद का जो मोगा था, वहां के पास विजयसिंह का और उनका एक दोस्त था, उनका मोगा भी मैन कैनाल में नहीं लगा और इंजीनियर ने उखाड़कर छोटी नहर में लगा दिया। आज अकेले गंग कैनाल, जो बड़ी फीडर है, में 40 मोगे लगे हुए हैं।....(व्यवधान) मोगे हर साल लगते हैं। अब इन मोगों का कोई रेगूलेशन नहीं। एक नहर चलती है हफ्ते में, और दूसरे हफ्ते में बन्द रहती है। एक किसान को पानी एक हफ्ते मिलता है, दूसरे हफ्ते नहीं मिलता। वह जो मैन मोगे लगे हुए हैं मैन कैनाल में, वह पूरे साल भर पानी देते हैं। उस किसान को, जो मैन कैनाल में लगा है, पूरे साल भर उस मोगे से मिलता है। इसीलिये उसने एक लाख रुपया अफसरों को दिया है। मोगा लगाने का रेट वहां एक लाख रुपये है। आपके राज में लाख है, पहले 80 हजार था, 20 हजार का फर्क पड़ा है। 6 एल.एन.पी. कैनाल है वहां 500 क्यूसेक की उसमें दो मोगे लगे हैं, एक 6 एल एन पी. एक 18 एल. एन.पी.। 6 एल.एन.पी और 18 एल.एन. पी. दोनों मोगों का रेट एक लाख रुपये से ऊपर है। माननीय सभापति महोदय, उस कैनाल में एक सबसे बड़ी गड़बड़ी और

(श्री हेतराम बेनीवाल)

हुई हैं । उस कैनाल के अन्दर 1985 में पैसा लेकर आरजी पानी दिया गया, टेम्प्रेरी पानी । एक किसान जिसकी जमीन को पानी नहीं मिलता था, उससे एप्लीकेशन ली, दो सौ रुपये बीघा लिया और उसको टेम्प्रेरी पानी दे दिया एक साल के लिये। एक साल के लिये 1985 का दिया हुआ पानी लोगों ने एतराज किया, उन्होंने आउटलेट में साकिट टेक मोगा और दे दिया । जो मैन आउटलेट है उसके पास में अफसरों ने एक मोगा और दे दिया वह, माननीय मंत्रीजी, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण बन गया । वह मोगा दिया तीन इंच का और तीन इंच के मोगे की जगह 12 इंच का लगा दिया, यानि मोगा बारह इंच का लगाया और उसके अन्दर साकिट लगाकर तीन इंच का कर दिया। एक बार लगाने के लिये तो वह दिखाया गया, बाद में साकिट को निकाल दिया और 12 इंच का चल रहा है । सारे मोगे जितने गग कैनाल में लगे हुए हैं, मैं उनके नाम बता सकता हूं जो तीन इंच की बजाय 12 इंच के चल रहे हैं। अभी 28 एल.एन.पी. हैं उसके मोगे की चैकिंग हुई। 28 एल.एन.पी. का मोगा जिसके पास में 12 इच का मोगा लगा हुआ है, एक ओ, वह दोनों मोगे पकड़े गये । ए.ईएन. ने पकड़े, एक्स ईएन. के पास उसकी रिपोर्ट हुई, एस.ई. तक वह मुकदमा पहुंचा, बाद में दबा दिया गया । मेरा निवेदन यह है कि अभी भी वह काश्तकार जिन्होंने आर.जी. पानी लिया है, आर.जी. मोगे लगा रखे हैं, 200 रुपये बीघा अधिकारियों को देते हैं । यह पानी इस तरह से उन बड़े-बड़े लोगों के यहां यूज होता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, यह जो मैन कैनाल में मोगे लगे हैं, इसके साथ-साथ मेन्टीनेन्स का आपने जिक्र किया । मेन्टीनेन्स में एक निवेदन करना चाहूंगा, मैं हाउस के अन्दर कह रहा हूं कि आपने 80 लाख रुपये मेन्टीनेन्स के रख हैं, 80 लाख रुपये में से कितने रुपये खर्च करते हैं इन नहरों की मेन्टीनेन्स के लिये ? गंग कैनाल की नहरों की मेन्टीनेन्स में एक भी नया पैसा नहरों पर खर्च नहीं होता है । किसान खुद नहर खोदते हैं, जो छोटी माइनर्स हैं उसको किसान खुद साफ करते हैं, खुद उसका मेन्टीनेन्स करते हैं । राजस्थान की सरकार के जो अधिकारी हैं उनको मेन्टीनेन्स के नाम से बजट अलाट होता है और मेन्टीनेन्स का बजट ठेकेदारों और खुद में बांट लेते हैं। उसका नतीजा यह है कि इस बार जो माननीय मंत्रीजी ने कहा कि बरसात की वजह से टूट गई, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एच. नहर 6 बार टूटी, 6 बार में एक तो ऐसी जगह से टूटी, टूटी नहीं तोड़ी गई, जिस जगह कमजोर थी वहां से निकल गई। ए माइनर, जी माइनर यह छोटी माइनर्स जो बरसात के दिनों में आठ-आठ, दस-दस बार बटूटी उससे यह शो होता है कि वहां कभी मिट्टी नहीं डाली गई, कभी मेन्टीनेन्स का काम हुआ नहीं, इसलिये आपकी नहरें टूट गयीं। अगर मेन्टीनेन्स की आप जांच करवायेंगे तो पता लगेगा कि मेन्टीनेन्स का सारा पैसा सिर्फ वहां कागजों में जाता है। मार्च का जो महीना है वह पैसा बांटने का महीना है। मंत्रीजी, अगर आप कभी पधारें गंगानगर में तो वहां अधिकारी सिर्फ पैसा बांटते हुए ही मिलेंगे आपस में।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

आपस में फैसला कर लेते हैं कि कितना मेन्टीनेन्स का पैसा बांटना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा दूसरी बात, अभी वहां पर एक बहुत बड़ी परेशानी है पानी की चोरी की। पानी की चोरी की परेशानी इसलिये है कि अधिकारी वर्ग जो आउटलेट के ऊपर से पाइप लगाकर पानी की चोरी करते हैं विशेष तौर से पानी की चोरी जो मुड के आगे मोगे हैं वह करते हैं। उनके लिये पैट्रोलिंग की व्यवस्था, जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा, बिल्कुल गंगानगर जिले में पैट्रोलिंग की व्यवस्था का सवाल नहीं है, किसी भी अधिकारी के लिये सम्भव नहीं है कि वह रात को पैट्रोलिंग करे, सम्भव नहीं हैं कि वह जाय एक ही रास्ता है कि उस किसान की बारी को काट दिया जाय। अगर उस किसान की बारी काट दी जाय तो निश्चित तौर से वह चोरियां रुक जायेंगी, चोरियां नहीं होंगी। चोरी की निशानी सबसे बड़ी यह है कि, मैं निवेदन करना चाहूंगा और मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप दो वक्त गेज लीजिए। आप एक वक्त उस पानी को नापते हैं जो पानी सुबह नापते हैं वह पानी आपको शाम के वक्त नहीं मिलता। शाम के वक्त पानी बिल्कुल नहर का 3 बजे ठीक नापने का तरीका यह बना रखा है, 3 बजे जो गेज ली जाती है वह गेज सही मिलती है। दिन में चोरी कोई नहीं करता। चोरी होती है रात को। जो सुबह गेज ली जाती है। अगर सुबह गेज ली जाय तो सारी नहरों की टेल पर आधा पानी मिलेगा। उस समय पानी की गेज नहीं ली जाती। हमने बहुत दफे शिकायत की, आप सुबह की गेज लीजिए। चाहे महीने में एक बार लीजिए पर एक बार लेने पर भी आपको पता लगेगा कि सारी नहरों की टेल के अन्दर यह जो गेज है यह आधी मिलेगी आपको। इसलिये यह कहना मंत्रीजी का कि नहरों के अन्दर चोरी में हमने तो दण्ड दे दिया। असल में दण्ड देने की बात नहीं है। वहां तो पूरी व्यवस्था उनसे मिली हुई है। पूरी व्यवस्था इसलिए मिली हुई है, माननीय सभापति जी, कि चोरी करने के भी पैसे घण्टे के हिसाब से लिये जाते हैं। वहां यह व्यवस्था है कि जो ओवर पाइप डालेगा उसकी रक्षा करेगा जेई.एन./जेई.एन. उसकी संभाल करेगा कि यह पानी ऊपर से चोरी कर रहा है, उसको नोट कर लेगा कि इतने घण्टे के पैसे हो गये, वह पैसे ले लेगा। मैं आपको बताऊं, मेरे पास शिकायत है, जिन लोगों ने शिकायतें की हैं, 100–100 लोगों ने, 100–100 आदमियों के हस्ताक्षर दरखास्त पर हैं जिन्होंने यह कहा है कि हमसे घण्टे से पैसे लिये जाते हैं। सनतपुरा है, सुन्दरपुरा है, उसके जेई.एन मौके पर खड़े रहे, जो बड़े काश्तकार हैं, जिनके मोगे पीछे हैं, आपने एक बात की है कि मोगे जमीन....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो चोरी करते हैं उन्होंने ही लिख कर दिया है कि हमें चोरी के सौ-सौ रुपये देने पड़ते हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : यह चोरी करने वालों ने नहीं लिखकर दिया, यह उन टेल के काश्तकारों ने लिखकर दिया है कि हमारे यहां घण्टे के हिसाब से जे.ई.एन.

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पैसे मांगता है और पैसे बांध रखे हैं। वह पैसे ले रहा है। यह चोरी वालों ने लिख कर दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो केवल इतनी ही जानकारी कर रहा था, जितने हस्ताक्षर किये हैं वे लोग पानी की चोरी करते हैं और वे चोरी की एवज में इन्जीनियर्स को पैसा देते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह चोरी करने वालों ने लिखा, यह टेल के काश्तकारों ने लिखा क्योंकि चोरी करने वाले जो हैं वह काश्तकार लिखने के बजाय पैसे देते हैं। वह शिकायत करने नहीं आते और इसलिए मंत्रीजी कह रहे हैं कि शिकायत कम है। शिकायत इसलिए कम है, टेल की जहां तक मैं कह रहा हूं, एक मंत्रीजी ने अपने बयान में कहा है कि टेल पर पानी कम होने की वजह से आबपाशी कम होती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, नहर की कि जरूरी नहीं है कि वहां जमीन सख्त हो, जमीन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि नहर का टेल कहां हैं, नहर की शुरुआत कहां है, नहर की शुरुआत में बहुत-सी ऐसी जमीनें हैं जो बिल्कुल सैण्ड ड्यून्स हैं और सैंड ड्यून्स में आबपाशी कम होती है और टेल के अन्दर भी ऐसी जमीनें हैं जैसे लालगढ़ एरिया की जमीन है, पूरी पक्की जमीन है उसके बावजूद भी वहां पानी नहीं पहुंचता इसलिए टेल के अन्दर आबपाशी न होने की वजह यह नहीं है कि वहां लैण्ड की क्वालिटी में कोई फर्क है। वजह यह है कि शुरु के मोगे डिफेक्टिव हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मोगे, जो डिफेक्टिव लगे हुए हैं, उनको चेन्ज करने में जो रास्ता अपनाया जाता है वह साइंटिफिक नहीं है, वह रास्ता यही अपनाया जाता है कि जिस जगह दबाव पड़ा, पैसे दिये हैं वह मोगे ठीक हो गये।

मैं माननीय मंत्री जी, एक निवेदन और करना चाहूंगा, आपने जो आज गंग कैनाल के बारे में कहा, गंग कैनाल की चिन्ता जताई है, इस हाऊस में इस पर एक बहुत बड़ी चर्चा हुई। पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी केन्द्रीय सरकार से, पंजाब की सरकार से और हरियाणा से मिल चुके, अब वह गंग कैनाल जो है उसका लिंक 3 साल से आने को हुआ है, 90 में कम्प्लीट हो गयी, हमारा 22 करोड़ रुपया लग गया। 90, 91 और 92, पूरा 92 जा रहा है, कोई सम्भावना नहीं है कि जनवरी से पहले वह नहर बन्द हो और कैनाल को हम जनवरी से पहले बन्द नहीं कर सकते। हमारी खुश किस्मती समझें या किसी तरह से वह नहर टूट गयी फिरोजपुर फीडर, और हमको उसका मौका मिल गया कि हमने डाइवर्शन उसका ठीक कर दिया, तो डाइवर्शन ठीक कर लिया इसके लिए राजस्थान सरकार को बधाई, उन इन्जीनियरों को, जिन्होंने बहादुरी दिखाई हिम्मत करके और उन परिस्थितियों में भी उन्होंने डाइवर्शन को ठीक किया पर पंजाब की सरकार का जो अब बयान है बराड़ का और मुझे अफसोस है कि हमारे जो केन्द्रीय मंत्री हैं, श्री शुक्लाजी, उनका भी बयान यही है कि पंजाब के साथ अन्याय हो रहा है, पंजाब के साथ सही न्याय नहीं हुआ अब तक,

(श्री हेतराम बेनीवाल)

इससे मुझे एक शंका जाहिर होती है कि यह जो अब दुबारा नहर बननी है तीन-तीन सौ, चार-चार सौ फिट यह पक्की नहर दोनों तरफ से लिंक को जोड़ने का काम राजस्थान कैनाल से वह नहीं हो रहा है और लिंक को राजस्थान कैनाल से जोड़ने का काम आप कब करेंगे और कौन करेगा ?

माननीय मंत्री जी, मुझे इस बात में शंका है। हरियाणा नहीं करेगा। जो मुझे सूचना मिली है कि आप हरियाणा पर छोड़ रहे हैं, जिस हरियाणा से एस. वाई. एल. कैनाल नहीं बनी, उग्रवादियों का एक पटाखा छूटते ही भाग गया वहां से, वह हरियाणा अपनी नहर बना लेगा यहां आकर वह किसी भी कीमत पर ? बनाने के बजाय हमको धोखा देगा और हमने अगर इस महीने में नहीं बनाई, आज अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर और नवम्बर, दो महीने हैं, हम इन दो महीनों में अगर नहर बना लेंगे तब भी हम राजस्थान कैनाल को बन्द करके और अपने लिंक को जोड़ सकते हैं इसलिए निश्चित तौर से मेरा सवाल है कि आप इसकी व्यवस्था अभी से करवायें कि वह लिंक जुड़ जाय।

दूसरा, मुझे एक सवाल यह करना है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मुझे जो कुछ पूछना है, एक तो माननीय मंत्री जी, एक आपने यह जो कहा है कि हमने इसके लिए कमेटी बनाई है जो तीनों नहरों का पानी अलाऊंस अलग-अलग है जिसमें आपने एलान राजस्थान का किया, राजस्थान कैनाल के अलाऊंस के बारे में कि हम 5.3 क्यूसिक को 3 क्यूसिक करेंगे, चार क्यूसिक करेंगे। पहले यह किया था पर चार नहीं हुई, 5.3 होते पर भी वहां की टेल में पानी नहीं पहुंचता। मुझे समझ में नहीं आता कि जिस नहर में 5.3 क्यूसिक पानी चलता है, यानि गंग कैनाल और भाखड़ा कैनाल से तिगुना और उसके बाद भी उनकी टेल खाली रहती है, उनकी टेल में पानी नहीं पहुंचता। इसके मतलब भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। आप भ्रष्टाचार का एक सैम्पल चाहते हैं, मैं तो कहता हूं भ्रष्टाचार यही है कि जिस राजस्थान की टेल पर पानी नहीं पहुंचता वह आफिसर सस्पेण्ड होना चाहिये। पर वहां तो पानी 5.3 है, उसको आप करते जा रहे हैं, आपने कपूर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, एक मोतीराम की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी पांच साल पहले और उसने यह रिपोर्ट दी थी कि इन तीनों अलाऊंस को अमलगमेट करके बराबर करके और 3 क्यूसिक के हिसाब से सारी नहर को डिजाइन किया जाय, वह कमेटी का फैसला रद्दी में चला गया और अब आप दुबारा एक कमेटी बिठा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कमेटी बनने के बजाय क्या आप हाऊस में यह एनाउन्स करेंगे कि उस पानी को जो हमारा पानी है और पंजाब इस्तेमाल करता है, सिर्फ इस वजह से कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन कैनाल्स को पूरा करके उसको करवायेंगे।

दूसरी, मैं स्पष्ट रूप से यह चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, कि जिन अधिकारियों ने इन मोगों के चेन्ज करने में, इन कैनाल्स को गड़बड़ी से चलाने में और जिन कैनाल्स

(श्री हेतराम बेनीवाल)

को चलाने में नहीं, मैं आपसे निवेदन करूं कि पूरी तरह से नहर के ऊपर साइफनिंग हो और उनकी छत्र छाया में जो नहरें और किसान पांच-पांच सौ, हजार-हजार किसान दफ्तरों को देखते हैं, उन ऑफिसरों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको करनपुर और पदमपुर, दो सब डिवीजन हैं हमारे गंग कैनाल के, उन सब डिवीजन के जो एई.एन. और जेई.एन. हैं उन्होंने पिछले साल से जब से उनके हाथ में 800 मोगों को ठीक करने का काम आया है उन्होंने हर मोगों से पैसे लिये। अगर आप यह चाहें तो मैं यह कह सकता हूं, उसकी एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दीजिए। वह इंक्वायरी कमेटी गंगा नगर जिले में जाय। अभी इस बात की तो मैं आपको कह सकता हूं आज ही कि आप अधिकारियों से पूछ लीजिए कि जो अपने डिपार्टमेण्ट के अन्दर खुद डिपार्टमेण्ट की जांच है उसको क्यों रोका गया? खुद के डिपार्टमेण्ट के जो अधिकारी हैं, चीफ इन्जीनियर जो वहां बैठता है, गंगा नगर में, हमको यह उम्मीद थी कि हमारे यहां चीफ इन्जीनियर बैठेगा तो चीफ इन्जीनियर फौरन मौके पर इन नहरों की गड़बड़ियों को ठीक कर सकेगा। चीफ इन्जीनियर और एस.ई. ने जिस जांच को बैठाया वह जांच रोक दी गयी। जांच को किसने रोका, किसको दिलचस्पी है उसको रोकने में और जिस अधिकारी के लिए रोका गया, उसने, मैं कह सकता हूं आज हाऊस में कि एक-एक एई.एन. ने और जेई. इन. ने 50-50, 30-30, 40-40 लाख रुपये इकट्ठे किये हैं और इकट्ठे करने की बात वही है और इकट्ठा करने की ताकत, यह जो जांच है मैं निवेदन करना चाहूंगा उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं और इस लिंक कैनाल को जोड़ने के लिए आपकी क्या योजना है? यह तीन बातें हैं जो आपके ध्यान में लाना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने यह व्यवस्था की है उस क्षेत्र में कि नहरें साइंटीफिक तरीके से चले, उस व्यवस्था को सही किया जाये। साइंटीफिक तरीका माननीय मंत्रीजी एक ही है कि उन कैनालों को, जो लम्बी केनाल हैं जिसके अन्दर निश्चित तौर से उन केनाल को 7 दिन आप चलाओगे! हमारी बदकिस्मती यह है कि हम वह बारी नहीं चला सकते तो भाईचारे की बारी है, हमको सात दिन की बारी रखनी पड़ेगी जो समाज की व्यवस्था होगी उस हिसाब से। इसमें जो कमी रहती है पानी की, जो बीच में पानी चला जाता है, अगर कोई साइंटीफिक तरीके से कैनाल को चलायेंगे, तभी किसान की फसल हो सकती है। नहीं तो होता अन्यथा यह है कि जिस वक्त कोई मौका नहीं, बारी है। एक फसल है, उस फसल में एक ऐसा पीरियड आता....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

है कि उसको....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बरसात की तरह ही है यह मामला। यह जो पानी का मामला है....

श्री सभापति : अब आप रिपीटीशन कर रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं रिपीटीशन कर रहा हूं। पानी का मामला बरसात की तरह का है कि जो मौके का पानी है....

श्री सभापति : बहुत समय मिल गया आपको।

श्री हेतराम बेनीवाल : जो मैच्योरिंग में पानी चाहिए, जिस किसान को नहीं मिले उसकी फसल तबाह हो जाती है। मान लीजिए कपास की फसल है, उसको सितम्बर में पानी चाहिए। सितम्बर में जिस फसल को पानी मिलता है, वह पूरी फसल होगी और सितम्बर का एक पानी मिस हो जायेगा तो फसल बरबाद हो जायेगी। यह जो पानी किसान की मजबूरी है, उस मजबूरी का फायदा उठाकर नहरों के रेगुलेशन के अन्दर भी दबाव डालकर अधिकारी मनमर्जी से उसका रेगुलेशन बनाते हैं, यह मेरा इल्जाम है और मैं यह चाहूंगा आपने जो यह कहा है कि जन प्रतिनिधियों का, तो यह एक ढकोसला है। बिल्कुल ढकोसला है। जनप्रतिनिधियों की कोई नहीं सुनता। मैं एक, दो बार गया हूं। मैं जब मीटिंग में गया, मैंने लिखा है। मैंने उनकी कार्यवाही में लिखा है कि जो कुछ हम आज तय कर रहे हैं, वही लागू होना चाहिए। वह लागू नहीं हुआ। जब उनसे पूछा गया क्यों लागू नहीं किया, उन्होंने कहा परिस्थिति ऐसी हो गई इसलिए इनके पास एक टैक्निकल तरीका है कि हालत ऐसी हो गई है इसलिए हमने बदल दिया। तो इस मामले में आप विजिलेन्ट रहेंगे और उन अधिकारियों को जरूर खींचेंगे यही मुझे कहना है, मैं समझता हूं। इस वक्त।

श्री सभापति : प्रो. केदार।

श्री केदार नाथ (श्रीगंगानगर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने गंगानगर जिले की सिंचाई व्यवस्था में जो अव्यवस्था है उसके बारे में स्टेटमैण्ट दे दिया है। इसका स्कोप भी काफी लिमिटेड है और कुछ इशूज इससे जुड़े हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू इस बात का है सारा पानी जो हम ड्रा करते हैं, वह पंजाब से ड्रा करते हैं। जहां फिजीकल कण्ट्रोल सारे एंडोर्समेंट करते हैं। जब भी पानी की कमी होती है तो उसका नुकसान हमें होता है। भाखरा व्यास मैनेजमैण्ट बोर्ड जो है, वह सारा पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है। मिलिटेंट्स का दबाव इतना है कि वह पूरा एफीशियेंटली वर्क नहीं कर रहा है। पिछले दो माह में पांच बार कट की है मिलिटेंट्स ने। दो बार भाखरा केनाल एक बार फिरोजपुर कैनाल और एक बार आई. जी. एन. पी. पांच बार कट की और इसके बाद बड़ा दबाव पड़ा। इसके साथ-साथ सभापति जी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। साथ-साथ पंजाब की मौजूदा सरकार जो कांग्रेस की है, जो पिछले एग्रीमैण्ट हैं हमारे सारे 55 का, 81 का, 84 का, 85 का, इराडी कमीशन तक, सारों को उन्होंने एब्रोगेट करने के लिए, स्क्रेप करने की लगातार बयान देना, असेम्बली में रिज्योलेशन पास करना और जब भी कहीं चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस होती है, जहां पर इरिगेशन मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस होती है,

(श्री केदारनाथ)

वहां पर स्टेण्ड क्रियेट करना, इससे हमारे इलाके में बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चीफ मिनिस्टर की कांफ्रेंस में यह कभी नहीं आया।

श्री केदार नाथ : अखबारों में बयान तो आये हैं। असेम्बली में भाषण आये हैं, बयान आये हैं और श्री लोंगेवाला का जो एग्रीमैण्ट है 85 का, वह नहीं मानते इराडी कमीशन की हम बात नहीं मानते। 81 का एग्रीमैण्ट भी हम नहीं मानते। जो भी बयान आ रहे हैं कि यह सारी की सारी बेसिन में नहीं है। राजस्थान केनाल की बेसिन में नहीं है और राइपेरियन थ्योरी खुद लागू करना चाहते हैं जो कि 25-30 साल तक एक्सप्लोर होगी। जिसको हमने बिल्कुल रद्द करके फेंक दिया था। सारे देश की जनता ने, पार्लियामेंट में उसको दुबारा रिवाइव करने की कोशिश की। मान्यवर, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सवाल है लिन्क कैनाल को बन्द हुए तीन साल हो गये और तीनों चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई पिछले माह और टैण्डर भी इनवाइट किये लेकिन अभी तक वर्क आर्डर नहीं दिये, हरियाणा सरकार ने वर्क आर्डर दे दिये। तो माननीय मुख्य मंत्री जी क्या क्या आउट लेट्स थे, इसके बारे में क्या है सारी पोजीशन? जब तक यह लिंक कैनाल नहीं बनेगी तब तक गंग कैनाल में पूरा पानी नहीं भर पाओगे। यह आपका स्टेटमेण्ट है, चार सौ क्यूसैक्स पानी हमको मिला है। दस साल की कंडीशन है। कितना नुकसान हुआ हमारी फसलों में, आमदनी में, फर्टिलिटी में, खुशहाली में, जब तक यह नहीं करोगे, हमारी खुशहाली नहीं आयेगी। माडर्नाइजेशन के नाम से पिछले साल आपने तीन करोड़ पास किया। आखिर आपने डेढ़ करोड़ दिया माडर्नाइजेशन के लिए हमारे इतने बड़े एरिये में क्या गेहूं की कीमत है? मैंटीनेंस और रिपेयर्स के नाम से हमने बहुत पैसा दिया और वाटर कोर्सेज पक्का करने में जो स्कीम फर्स्ट फेज में थी आपकी आई.जी.एन.पी. में उस गंग कैनाल में तो किया मगर हमारी दो तीन ट्रिब्युटरीज छोड़ दी। पक्के अगर हमारे हो गये वाटर कोर्सेज तो 15-20 प्रतिशत पानी बच सकता है। लिंक केनाल बन जाये तो 20 प्रतिशत पानी आराम से बच जायेगा और रेगुलर अगर एश्योर्ड सप्लाई आपकी है डेम से तो 15-20 परसेण्ट पानी बढ़ जायेगा। हमारा आज वाटर लागिंग जो 60 है, तो कहीं 45 है कहीं 50 है यह 80, 90, 100 के आस पास पहुंच जायेगा और यही राज है खुशहाली होने का। दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि जैसे यह वाटर कोर्सेज आपने बदले। आई.जी.एन.पी. का स्पेसिफिक डिजाइन तो हमारा है 18 हजार क्यूसैक्स। पानी ड्रा करने की कैपिसिटी है 12 हजार क्यूसैक्स। पंजाब सरकार यह कहती है कि हम 8 हजार क्यूसैक्स से ज्यादा आपको पानी दे नहीं सकते। आपकी मौजूदा नहर 8 हजार क्यूसैक्स से ज्यादा पानी ड्रा ही नहीं कर सकती। यह पंजाब का वहां पर स्टेण्ड है। क्या करेगा भाखरा ब्यास मैनेजमेण्ट बोर्ड। पानी वहां है, एडमिनिस्ट्रेटिव कण्ट्रोल उनके पास है, सारे पंजाब से हम ड्रा करते हैं पानी, यह

(श्री केदार नाथ)

हमें इम्प्रेशन आपके सामने डालते हैं और हमारे टेल में पानी पहुंचाने के नाम से, वाटर कौर्सेज के नाम से, जैसा सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है वाटर कौर्सेज आपने बदल दिये, डिजाइन बदल दिया, कोई बात नहीं। ठीक है। जब पानी की कमी थी तो बदलना चाहिए था। जो ओवर ड्रा करते थे हम वह कम हो जाये, गेप कम हो जाये ताकि टेल में पानी पहुंच जाये। मगर यह सिस्टेमेटिक तरीके से होता, विलेज की कमेटियां वहां साथ होतीं, तो पैसा ना जाता, पैसा ना खर्च होता। अब तीन-तीन बार वाटर आउट लेटस बदले गये और एक बहुत बड़ी इतनी हवा फैल गई पैसे की। काफी लोग शामिल भी हुए और मोस्टली जो हमारा इलाका पदमपुर है और केसरीसिंहपुर है, मैन सैण्टर और उसके कारण में आज भी हाउस में नहीं कहना चाहता क्योंकि कुछ मेरे साथी एम.एल.एज. हैं मंत्रीजी हैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उसमें भी हैं। मुझे अफसोस है इसलिए एक कमीशन नियुक्त हो जाय, जांच हो जाय, यह करप्शन तो कर दो आज आयन्दा के लिए ऐसा कर दो कि इसकी गुंजायश ही न रहे ताकि गंग कैनाल में, भाखरा में इंदिरा गांधी नहर में लोगों को चैन मिल सके। अब मैं ज्यादा न बोलते हुए पिछली बात भी कहना चाहता हूं कि पिछले दो तीन महीनों में लगातार रावी व्यास पर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आप सब लोग इस पक्ष में हैं कि आउट लेटस बंद कर दिये जायं ?

श्री केदारनाथ : नहीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसमें पैसे मत निकालो पानी निकालो।

श्री केदार नाथ : जहां ओवर ड्रा है उसको विथड्रा कर लो जहां ड्रा कम है उनको पूरा कर दो। यह जो पानी मिला रहे हो उसमें किसी प्रकार का कोई हेजीटेशन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। टेल पर पानी तो अपने आप ही कम हो जायेगा। चोरी के लिए ठीक बात है आपने कुछ इम्प्रवमेण्ट किया है, बिल लाये हो आप, कुछ व्यवस्था को बढ़ाया भी है क्योंकि जैसा आपने कहा उड़न दस्ते यह भी इन्तजाम आपको करना चाहिए और कभी-कभी चैकिंग भी हो उसका तो मैं ज्यादा न कहता हुआ काफी बात माननीय सदस्य ने कह दी तो ओवर आल मैं एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि माननीय मंत्रीजी इस सेशन के बाद दो दिन में हमारे इस सिस्टम को देख लें और दो दिन के बाद हमारे जो हैड वर्क्स है जो लाइफ लाइन है हमारी पानी की उसमें शरीक हो जायं। बैठकर के फिर आप उस पर स्टेडी कीजिए, सुझाव देकर कोई रास्ता निकालिये ताकि गंग कैनाल, भाखरा और आई.जी.एन.पी. में स्नेप्स हैं, जो होल्स हैं, वह कैसे पूरे हों। पंजाब से पूरा पानी कैसे एश्योर्ड मिले हमें। एडमिनिस्ट्रेटिव कण्ट्रोल हमारे पास, कैसे जोइण्ट हो और लिंक केनाल बन जाये, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय सभापति महोदय, वैसे तो संगरिया से आने वाले माननीय

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

सदस्य ने तीनों सिस्टम के बारे में अपनी बात डिटेल में कही है। मैं उन मुद्दों को तो नहीं छेड़ूंगा पर जो अपनी बातें हैं वह मैं कहूंगा। गंग कैनाल जो तीनों सिस्टम हैं उसमें सबसे पुराना सिस्टम है। गंग कैनाल में चाहे 2400 क्यूसेक, चाहे 1800 या 1700 क्यूसेक रहे टेल पर पानी पहुंचता नहीं है और मैं समझता हूं कि टेल पर इसलिये पानी नहीं पहुंचता है कि 60 साल पहले जितनी ब्रांचें बनी थीं गंग कैनाल की उनका लेवल मेन्टीनेंस की वजह से खराब हो गया। 2400 या 1800 क्यूसेक हो' फ्लो से पानी जब तक ब्रांच में नहीं जायेगा तो टेल के लोग चिल्लाते रहेंगे कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। इस कारण माननीय सभापति महोदय, यह है कि गंगानगर में दोनों सिस्टम बाद में आये भाखरा और इन्दिरा गांधी नहर उनमें नहरें पक्की कर दी गई हैं, वाटर कोर्सेज पक्के कर दिये गये हैं लेकिन पुराना जो सिस्टम है गंग कैनाल का उसमें आज तक न तो वाटर कोर्सेज पक्के किये गये और न किसी कैनाल ब्रांच को पक्का किया गया। रायसिहनगर की बात छोड़ दीजिए। जो मेन्टीनेंस का पैसा आता है वह भी प्रोपर्ली इस पर लग नहीं पाता। तो मेरा मानना यह है कि जितने भी सिस्टम थे हमारे 22–23 गंग कैनाल के उनमें कहीं न कहीं अवरोध पैदा होता है, उसका लेवल चैक नहीं होता और उनके बैंक से कट आउट हैं वे ठीक नहीं होने की वजह से पानी फ्लो की तरह नहीं जाता है। पानी ऊपर रहता है, दबाव नहीं पड़ता है। ऊपर के एरिया में इर्रिगेशन अच्छा हो जाता है लेकिन नीचे के एरिया में 3–3 घण्टे में आधा बीघा पानी नहीं पीये वही जमीन जो तीन घण्टे में 4 बीघा पानी पीती थी और आज तीन घण्टे में आधा बीघा नहीं पीती। इसलिये मैं यह मानता हूं कि कहीं न कहीं ब्रांच के सिस्टम में उसके लेवल में कमी आयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गग कैनाल के लिये सी.ए.डी. का जो सिस्टम है लेना चाहिये, पक्का करने का सिस्टम लेना चाहिये। आज भाखरा व इन्दिरा गांधी कैनाल प्रोग्रेस पर है। तो हमारा जो पुराना सिस्टम है वह भी पक्की बनना चाहिये, ब्रांच पक्की बननी चाहिए उसके वाटर कोर्सेज पक्के बनने चाहिये।

दूसरा, मुद्दा यह है कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य और सांगरिया से घाने याले माननीय सदस्य ने बात कही आउटलेट्स के बारे में। पुराने आउटलेट्स पुराने गंग कैनाल के समय से बने हुए हैं। तोड़ने की बात नहीं थी लेकिन गंग कैनाल में टेल पर पानी देने के लिये सब लोगों को डिस्टर्ब किया है, 800 लोगों को और गुंजाइश क्या रखी ? ·5 क्यूसेक पानी का कन्सेशन दे देंगे। माननीय सभापति महोदय, ·5 का कन्सेशन देने में ही नेगोसिएसन हो गया। जाता क्या था, ·5 का जितना पानी बनता है उतना पानी दे दीजिये। जब ·5 का रिलेक्सेशन दे दिया तो उसमें जोड़-तोड़ का एक मौका मिल गया, माननीय सभापति महोदय, और उससे ही डाउट होता है कि माननीय सांगरिया से आने वाले सदस्य ने जो चार्जेज लगाये वे उसी बात से साबित हो जाते हैं।

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

तीसरी बात, माननीय सभापति महोदय, गंगानगर शुगर मिल को कण्डीशन पर चुकन्दर के लिए और गन्ने के लिये पानी दिया था कि गंगानगर शुगर मिल को गन्ने का उत्पादन करके फीड करेंगे। क्या इरिगेशन डिपार्टमेण्ट ने कभी इस बात की चैकिंग की कि जिन-जिन जगहों को शुगर मिल के लिए पानी दिया गया है वहां गन्ना उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है और हो रहा है तो गन्ना डेफिसिट क्यों जाता है शुगर मिल को मिलता क्यों नहीं है ? माननीय सभापति महोदय, गन्ने के पीछे भी पानी दिया जा रहा है और दूसरे काश्तकार उससे वंचित हो रहे हैं। शुगर मिल की बात, इसी तरह जितने एरिया में चुकन्दर पैदा होता था और 50 क्यूसेक के करीबन पानी दिया जाता है उसका प्रोपर्ली यूटिलाइजेशन होता है तो ठीक है और यदि प्रोपर्ली यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो उसको चेक करने वाली बात है।

चौथी बात, माननीय सभापति महोदय, यह है कि कण्डिशनल आधार पर यह तय किया गया था कि किसान अपने ट्यूब वैल नहर के किनारे लगाये और लगाकर के उसका खारा पानी नहर में डाल देगा और मीठा पानी आगे अपने चक में ले लेगा। सुपर हैड पर हैण्ड पम्प लगाये गये साधुवाले हैड पर ट्यूब वैल लगाये गये उसमें पानी डाला गया या नहीं और ट्यूब वैल चल रहे हैं या नहीं यह चैकिंग करने वाली बात है। माननीय सभापति महोदय, इस तरह की बातें हो रही हैं। पिछले सैशन में माननीय इरिगेशन मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जो जमीन सी. आर. पी. छावनी में आ गई, डिफेंस कालोनी में आ गई और दूसरी आवासीय कालोनी में आ गई, दूसरे डोमेस्टिक पर्पज के लिये या दूसरे धन्धों के लिये आ गई उन जमीनों का जो सरप्लस वाटर था वह कहां गया ? वह भी जोड़ तोड़ कर चला जाता है। सातवें फैज में 4 मुरब्बा जमीन बी.एस.एफ. को दे दी गई कि छावनी बनेगी। वह पानी कहां है, कहां चला गया और उसके पानी का यूटिलाइजेशन कहां है ? यह सब देखने वाली बातें हैं माननीय सभापति महोदय, आप नहीं देखेंगे तो पानी का जोड़-तोड़ ऐसे ही होता रहेगा और जो लोग पैसा देकर लेते रहे हैं वह लेते रहेंगे और गरीब किसान हैं वह उस पानी से वंचित रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, फव्वारा सिस्टम के नाम पर एक किसान को और कृषि पण्डित के नाम से और वहां रिसर्च केन्द्र के नाम से पानी ·43 क्यूसेक दे दिया जाय, दे दिया गया। ·43 क्यूसेक का मतलब है 70 मुरब्बा जमीन को पानी देना। एक किसान को दे दिया गया। माननीय सभापति महोदय, डिपार्टमेण्ट का इस तरह का व्यवहार रहेगा, मैंने पिछले सदन में प्रश्न किया था तो मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि फव्वारा सिस्टम से उनको खेती करने के लिये पानी दिया गया है। यदि फव्वारा सिस्टम से देना है तो कम देवो ना। ·43 क्यूसेक देने की ज़रूरत क्या है, 70 मुरब्बा ज़मीन को पानी देने की जरूरत क्या है। यदि किसी का चार मुरब्बा है तो उसको दो कर

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

दीजिये, पानी यदि फव्वारा सिस्टम से देना है तो। माननीय सभापति महोदय, इस तरह की विसंगतियां कैनाल क्षेत्र में हैं वह देखने वाली बात है।

जहां तक रेग्युलेशन सिस्टम का सवाल है। रेग्युलेशन सिस्टम पूरा फेल्योर है। फेल्योर क्यों है। संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि तय कुछ करते हैं, शिकायत आती है कि अमुक नहर का आज नम्बर नहीं था पर अमुक नहर छोड़ दी गई। पूछते हैं तो उसका जवाब दूसरे तरीके से दिया जाता है। इस तरह की विसंगतियां कैनाल के पुराने सिस्टम में, जहां एक तरफ प्रोडेक्शन ज्यादा पैदा होना चाहिये वहां इस प्रकार का किसानों में मतभेद करके उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। यह सब मुद्दे देखने वाले हैं, माननीय सभापति महोदय।

लिंक चैनल का सवाल है। 76 किलोमीटर की हमारी चैनल बन गई। मैं सरकार को दोष नहीं देना चाहता। पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत प्रयत्न किये, भारत सरकार से बात की, प्रधान मंत्री से बात की, हम लोगों को मिलाया। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने प्रयत्न नहीं किये, बहुत प्रयत्न किये। कुछ अड़चने थी पंजाब के लोगों को लेकिन हमारा डायवर्शन हो गया लेकिन बाकी जोड़ने वाली बात है लिंक चैनल को लिंकअप करने वाली बात है वह बात आज भी हरियाणा के विचाराधीन पड़ी है। अधिकारियों से बात करते हैं तो वे यह कहते हैं कि टेण्डर इश्यू हो गए, काम शुरु कर दिया गया है। और आज मुझे जब जानकारी मिली तो कहते हैं कि संघ फीडर की पुरानी कैनाल है जिसका डायवर्शन किया है बाकी पड़ी है उसको इंटे तोड़ कर काम शुरु कर दिया गया है। लेकिन हमें डाउट है। मैंने हरियाणा के इरिगेशन मिनिस्टर से बात की, हूडी साहब ने बात की और हम बातचीत में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सरसा डिवीजन को आदेश दे दिया और जल्दी से जल्दी काम शुरु करेंगे। लेकिन हमें डाउट है कि अगली फसल तक यह चैनल लिंकअप हो पायेगी या नहीं हो पायेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से बातें करें, हरियाणा के इरिगेशन मिनिस्टर से बात करें और माननीय सिंचाई मंत्रीजी को भेजें। इसमें तत्परता की जरूरत है, 10 साल पहले काम हुआ, आगे और भी टाइम लेंगे। तो माननीय सभापति महोदय, इन बातों को मैंने आपके सामने रखा है, मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी उस पर गौर फरमायें और इस सिस्टम को ठीक करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, संगरिया से आने वाले माननीय विधायक, श्रीगंगानगर से आने वाले माननीय विधायक और केसरीसिंहपुर से आने वाले माननीय विधायक, तीनों विधायक सारी सिंचाई प्रणाली से वाकफियत रखते हैं और प्रभावित भी हैं। इसके अलावा भी गंगानगर जिले से आने वाले जितने विधायक हैं उनसे पिछले पांच-छः महीने से मैं निरन्तर सम्पर्क में हूं और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जंक्शन के

(श्री कैलाश मेघवाल)

हमारे मुख्य अभियन्ता के क्षेत्राधिकार में आने वाले जो सिंचाई क्षेत्र हैं उसको पूरी तरह समझना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूं कि तीन दिन का कार्यक्रम मैंने बनाया था। अभी जैसा संगरिया से आने वाले माननीय विधायक सुझाव दे रहे थे मैं 27, 28 और 29 जून को गंगानगर, हनुमानगढ़ और वहां की सारी कार्य-प्रणाली को देखने जाने वाला था लेकिन 27 को केबिनेट की वजह से रोकना पड़ा और नहीं जा सका। मैं आपके द्वारा गंगानगर के माननीय विधायकों को जिनसे मैं मिलता भी रहा हूं, उनसे सुझाव भी लेता रहा हूं और सारी समस्याओं पर चर्चा भी करता रहा हूं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सिंचाई प्रणाली को सभी तरह से सक्षम बनाने के लिए पानी जो हमको मिल रहा है उसका प्रयोग अधिक से अधिक उपयोगी हो सके वह कदम सरकार उठाने में नहीं चूकेगी। मैं इस विधान सभा सत्र के बाद तीन चार दिन का निश्चित रूप से कार्यक्रम रखूंगा। उसका कारण भी है। माननीय सभापति महोदय, शिकायत कई तरह की आती हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूं। ऊंचा-नीचा करने की शिकायत मेरे पास आयी है, पानी की चोरी की शिकायत मेरे पास आयी है। वहां पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अधिक पानी लेने की शिकायत मेरे पास आयी है, वहां पानी के दुरुपयोग की शिकायतें भी आयी हैं। यह सारी शिकायतें मैंने जांच के लिए भी भेजी हैं। मेरे सामने भी हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चोरी रोकने के लिए हम प्रयत्नशील है। पिछले एक वर्ष में हमने 127 पानी चोरी के मामले पकड़े हैं उसमें से कुछ की नाली बन्द की है, कुछ में एफ.आई.आर दर्ज की है। मैं मानता हूं कि इस चोरी को पकड़ने में और तत्परता बरतने की आवश्यकता है और इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे।

इसके साथ ही एक सवाल उठाया गया मेण्टीनेंस का। संगरिया से आने वाले माननीय विधायक ने जो दिया है कि 80 लाख जो आप कह रहे हैं मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि मेण्टीनेंस के लिए गंगानगर में 140 लाख रुपये का प्रावधान था गये साल। अब 140 लाख रुपए में से माननीय सभापति महोदय 110 लाख रुपया कार्य प्रभारी कर्मचारी हैं उन की तनख्वाह में चला गया। मेण्टीनेंस के लिए केवल 30 लाख रुपया बचा।

श्री हेतराम बेनीवाल : 30 लाख रुपया भी अफसरों की जेब में चला गया।

श्री कैलाश मेघवाल : भाखरा कैनाल के लिए 168 लाख पिछली बार मेण्टीनेंस के पेटे था उसमें से 130 लाख रुपया प्रभारी कर्मचारियों की तनख्वाह पर चला गया केवल 38 लाख मेण्टीनेंस के लिए रहा। इंदिरा गांधी नहर है उसमें 230 लाख रु. का बजट स्वीकृत था, 190 लाख रुपये कार्य प्रभारी कर्मचारियों की तनख्वाह में चला गया। 40 लाख रुपया हमारे पास केवल मेण्टीनेंस के लिए रहा। यह सही है, माननीय सभापति महोदय, कि

(श्री कैलाश मेघवाल)

इस बात की शिकायत आ रही है कि यह रुपया ठीक ढंग से व्यय नहीं हुआ। नहर प्रणाली चलती है पानी की आवश्यकता होती है तो किसान अपनी तरफ से भी मदद करता है और अभियंता भी अपनी तरफ से कार्य करते हैं। मैं एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं इस तरह की शिकायत आती है उनको जांच के लिए भेजा है लेकिन उसकी मोनेटरिंग ज्यादा ठीक हो मैं अपने स्तर पर भी, मुख्य अभियंता के स्तर पर भी और अधिक्षण अभियंता के स्तर पर भी, अधिशाषी अभियंता के स्तर पर भी मेंटीनेंस का पैसा कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने के बाद जो बचता है उसका पूरा-पूरा सदुपयोग हो, इस बात की कोशिश करूंगा और पिछले समय में दुरुपयोग के जो प्रकरण मेरे सामने आये हैं उनकी निश्चित रूप से जांच कराऊगा।

माननीय सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं अभी आपने मांग उठायी, माननीय विधायकों द्वारा मांग उठायी गयी कि जांच बैठायी जाय, कमीशन बैठाया जाय। मैं नहीं मानता कि इतना अधिक बिगाड़ हो चुका है कि प्रशासनिक प्रयत्नों से जो ठीक नहीं हो सके। मैं माननीय सदस्यों को बिश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रयत्नों से और मोनेटरिंग को ठीक करने के लिए आपको पूरा सन्तोष दिलाऊँगा और मैं चाहूंगा कि गंगानगर के दौरे में सभी माननीय सदस्यों से राय लूं, उनसे मिलूं उनको अधिकारियों को साथ बैठाकर इस तरह सारी मोनेटरिंग की जाय और उस पानी का अधिक से अधिक सदुपयोग हो, किसानों को राहत मिले।

माननीय सभापति महोदय, एक बात कह दूं, यहां कही गयी थी वह मैं समझ गया परन्तु यह प्राकृतिक प्रक्रिया है पानी जब चलता है तो पहले मोखे जो नहर के पास होते हैं उसमें आठ दिन पानी लेते हैं, पानी का फ्लो भी तेज रहता है। मोखे में पानी चला जाता है और धीरे-धीरे ट्रेवल करके पानी आखरी जगह पहुंचता है तो फ्लो की तेजी कम हो जाती है और पानी भी कम हो जाता है। उसके कारण टेलों में पानी कम पहुंचता है। टेलों के कृषक हमेशा इस मामले में घाटे में रहते हैं। इसमें जो करप्शन टेलों पर पानी पहुंचाने के लिए, प्रभावशाली कृषक जो ज्यादा पानी लेते हैं, साइफन डालकर पानी लेते हैं, चोरी करके पानी लेते हैं उसके कारण जो टेलों पर पानी पहुंचने में कमी रहती है, जो पानी कम पहुचता है वह मैं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, विश्वास दिलाना चाहता हूं इसको हम कम करने की कोशिश करेंगे हमारा जो मोनेटरिंग और सतकता विभाग है उसको ज्यादा तेजी से काम करने को कहेंगे और यह कोशिश करेंगे कि टेलों के किसानों को भी अपनी भूमि के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, जितना उनका डिजाइन है उसके अनुसार पानी मिल सके ताकि उनकी फसल ठीक रहे।

आपने क्यूसेक्स की बात कही। मैं मानता हूं कि 3 प्रणाली में अलग-अलग क्यूसेक्स हैं एक हजार एकड़ के पीछे।

(श्री कैलाश मेघवाल)

इसलिए मैंने जो जानकारी दी है कि इंदिरा गांधी मंडल के चेयरमेन से चाहूंगा कि रिपोर्ट जल्दी आ जाय जहां असमानता है उसको वास्तविक आधार पर पूरा किया, जाय ।

(4·45 म. प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

कुछ बात पानी के बारे में उठायी। हमारे संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने मछली पालन के बारे में कहा कि उनको पानी दिया जाता है और मछली एक भी नहीं दिखी । सभापति महोदय, मैंने विभाग से इस बात की जानकारी की है कि मछली पालने के लिए पानी लिया है, मछली पालने का कोई कार्य नहीं किया है इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि मछली पालन के नाम पर जो पानी दिया गया है वह पानी तत्काल रूप से रोक दिया जायेगा, आज से नहीं दिया जायेगा । अनुसंधान के नाम पर भी पानी दिया है । मैंने अभी जानकारी ली विभाग से उन्होंने कहा कोई अनुसंधान की स्थिति नहीं है । कई बार नये प्रयोग और अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रयोग रिसर्च के नाम पर कुछ फैक्ट्स ऐसे आते हैं जो तात्कालिक रूप से प्राइमाफेसी देखते हैं तो लगता है कि काम हो, नया प्रयोग हो तो नये, एक्सपेरीमेण्ट के कुछ ठीक परिणाम सामने आयेंगे लेकिन इसके लिए विभाग ने जो जानकारी दी है वहां कोई अनुसंधान की स्थिति पैदा नहीं हुई है । किसी तरह के लाभ नहीं मिल रहे है । इसलिए जो आपके आरोप हैं पानी बेच रहे हैं या दूसरे काम में ले रहे हैं। इसको भी मैं माननीय सभापति महोदय, वापस लेने की घोषणा करता हूं ।

अब रहा सवाल, माननीय सभापति महोदय, बागों के पानी का जब बाग लगे तब कितना पानी चाहिए था । आज बाग जिस स्थिति में है तब कितने पानी की आवश्यकता उनको होनी चाहिए । यह दो प्रश्न उठते हैं जो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं । मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने बागों को पानी दिया गया है और आज बाग जिस स्थिति में आ गये हैं क्योंकि आरम्भ में, माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात से सहमत होंगे बागवानी करने की प्रारम्भिक अवस्था होती है तो आरम्भिक अवस्था में अधिक पानी की आवश्यकता होती है और ऐसी स्थिति है कि प्रारम्भ में बाग लगाया गया उस समय जो पानी दिया गया आज उस पानी की आवश्यकता नहीं है और उस पानी को अन्य काम में लिया जा रहा है तो उसकी जांच करा ली जायेगी और, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह का एक्सट्रा पानी है वह भी किसानों को देने की कोशिश करूंगा ।

तीसरा प्रश्न उठाया गया चुकन्दर और गन्ने की खेती का । माननीय सभापति महोदय, यह आप भी जानते हैं क्यों कि आप भी किसान हैं उसमें पानी ज्यादा चाहिए ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपको सूचना दे दूं वहां गन्ने की खेती नहीं है। पिछली

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बार भी सिर्फ 10 दिन गन्ना चला था और वह भी बाहर से चला था गंगानगर का गन्ना नहीं आया, है ही नहीं गन्ना वहां पर। गन्ना हो तो पानी दें गन्ने के नाम से पानी लेते हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि आज की कार्य सूची समाप्त हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

गंगानगर में सिचाई हेतु पानी सप्लाई में अनियमितता

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, यह मांग पहले भी उठी है। इस मांग के आधार पर हमने कृषि विभाग से इस बात की जानकारी चाही है, क्योंकि ऐसी मान्यता आयी है। मेरा सीधा कृषि का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन चुकन्दर की पैदावार में कम पानी की आवश्यकता होती है और गन्ने की पैदावार में....

श्री हीरालाल इन्दौरा : सवाल इस बात का है कि गन्ना है तो पानी है चुकन्दर है तो पानी है, दोनों चीजें नहीं हैं तो पानी क्यों है ? यह सवाल नहीं कि पानी कम-ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए तो ज्यादा चाहिए, कम चाहिए तो कम चाहिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं विधायकों की चिन्ता के साथ इसको समझता हूं, लेकिन चूंकि गंगानगर शुगर मिल, राजस्थान का एक राजकीय उपक्रम वहां है उस शुगर मिल के लिए गन्ने की आवश्यकता होती है, चुकन्दर की भी आवश्यकता होती है। वहां चुकन्दर पैदा होता है। एक उद्योग चल रहा है, उस उद्योग को फीड करने के लिए अगर गन्ना....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मंत्रीजी, उसकी रेट बढ़वा दें। चुकन्दर के रेट बढ़ाओ ताकि बाकी लोग भी चुकन्दर बीजें। लेकिन जो किसान गेहूं बीज रहा है या दूसरी फसल बीज रहा है, उसका पानी लेकर उसको देने का क्या सैंस ? आप उसका रेट कर दीजिए 50 रुपये, अपने आप बीजेंगे वे। यह तो कोई तुक नहीं कि हम उसका पानी लेकर उसको दे दें।

श्री केदारनाथ शर्मा : पानी उसी काम में इस्तेमाल हो। गन्ने का पानी गन्ने में इस्तेमाल हो, चुकन्दर का पानी चुकन्दर में इस्तेमाल हो, ताकि मिल चलती रहे। हमारे लिये वह बहुत बड़ा असैट है, एम्पलायमेंट का भी सोर्स है, आमदनी का भी सोर्स है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि चुकन्दर की खेती में कितना पानी

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहिये, तो कृषि विभाग के विशेषज्ञों को यह प्रश्न जांच के लिये भेजा गया है कि कितने पानी की आवश्यकता है। इस बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूं कि अगर गन्ने के लिये पानी लगाना है और गन्ना नहीं है तो वह पानी नहीं दिया जाना चाहिये। चुकन्दर के लिये पानी ले रहे हैं और चुकन्दर नहीं है तो वह पानी नहीं दिया जाना चाहिये। उस मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो आप कह रहे हैं कि अनियमितता है या भ्रष्टाचार है, जहां गन्ना है और जहां चुकन्दर है वहां पर कितना पानी किसको देना चाहिये, इसकी जांच करा लेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अभी कुछ आरोप लगाये गये, माननीय सभापति महोदय। ये आरोप रिकार्ड पर भी आ गये हैं, मैंने भी नोट कर लिये हैं। इन आरोपों के बारे में मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि मेरी सीधी जानकारी में इन आरोपों की जाँच कराऊंगा। इन आरोपों के कारण जो भी व्यक्ति जिस स्तर पर भी दोषी पाया जायेगा, उसको नियमानुसार दण्डित करने में राज्य सरकार किसी तरह भी नहीं हिचकिचायेगी। मुझे इतना ही निवेदन करना है। कुछ दूसरे मुद्दे माननीय प्रोफेसर साहब ने उठाये, मुख्य मंत्रीजी ज्यादा उनकी जानकारी रखते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर भी, वे उसका जवाब देंगे।

श्री केदारनाथ शर्मा : सिंचाई मंत्री में मुझे पर्सनली बड़ा विश्वास है, मेरी क्लास के हैं। मेरे से दूर चले गये हैं, इसका मुझे अफसोस है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी क्लास कौनसी है?

श्री हेतराम बेनीवाल : कुंवारे हैं।

श्री सभापति : कुछ साथी तो आपका साथ छोड़ बैठे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यहां दो प्रश्न उठाये गये। एक तो गंग लिंक कैनाल का कि उस पर कुछ काम रह गया वह कब तक पूरा किया जायेगा। मैं इस विषय में लगातार पंजाब और हरियाणा से सम्पर्क में हूं। हरियाणा की सरकार ने इसके लिए टेण्डर्स इन्वाइट कर लिए हैं और जल्दी ही इसके ऊपर कार्यवाही होगी। हरियाणा की तरफ से कोई कोताही हो रही हो, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं चाहूंगा कि इसमें माननीय सदस्य भी मेरा सहयोग करें। हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी से मैं भी बात कर रहा हूं, आप लोग भी यदि बातें करते रहें तो यह काम जल्दी पूरा हो सकता है।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया कि पंजाब हमको पानी नहीं दे रहा और पंजाब ने यह कहा है कि इसकी कैपेसिटी 18 हजार क्यूसेक से ज्यादा की नहीं है जब कि इसकी सारी कैपेसिटी 18 हजार क्यूसेक की है। पंजाब के कहने का अर्थ यह नहीं है कि आठ हजार क्यूसेक से ज्यादा हम पानी नहीं देंगे। पंजाब वाले यह कह रहे हैं कि कुछ पोर्शन में कुछ कमजोरी है जिसके कारण साढ़े बारह हजार क्यूसेकस से ज्यादा पानी इसमें प्रवाह नहीं कर सकता। हमने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पंजाब वालों से यह कहा है कि वे इसमें मरम्मत कराएं, इसे ठीक कराएं और ठीक कराने के बाद कितनी कैपेसिटी बनती है उस कैपेसिटी के हिसाब से हमको पानी दें। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति उन्होंने अभी तक प्रकट नहीं की।

यहाँ पर यह भी जिक्र किया गया कि पंजाब वाले 1981 के एग्रीमैण्ट के हिसाब से हमें पानी नहीं देना चाहते। मैं ऐसा समझता हूं कि 1981 के ऐग्रीमैण्ट और 1955 के एग्रीमैण्ट को साथ पढ़ें तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि 1955 में जितना पानी हमको मिल रहा था, 1981 के कैलकुलेशन के आधार पर और वह कैलकुलेशन भी 1955 के एग्रीमैंट के आधार पर ही किया गया, 0.6 पानी हमको ज्यादा मिला। 0.6 भी हमने 1981 के एग्रीमैण्ट में, जब तक राजस्थान सिंचाई की पूरी क्षमता न बना ले उस समय तक पंजाब को इस्तेमाल करने का हक दे दिया। अभी जब मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई, इस सम्बन्ध में मैंने प्रश्न उपस्थित किया। इस पर काफी लम्बी चर्चा हुई। उस चर्चा का परिणाम क्या निकला, वह तो मैं यहां अभी बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन परिणाम अपने पक्ष में निकलेगा इस आशा और विश्वास के साथ माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ एग्रीमैण्ट से हमको मिला हुआ है तनिक मात्र भी पानी नहीं छोड़ा जायेगा, यह मैं आपको विश्वास दे सकता हूं।

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री गंगाराम चौधरी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि
अधिसूचनाएं

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्व उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या एफ 13(6) रेवे/कोलो/89 दिनांक 9 मार्च, 1992, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा और इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्रों की मण्डियों में भूमि का विक्रय और आबंटन) शर्तें, 19.3 में संशोधन किये गये हैं,

श्री केदारनाथ शर्मा : एक ही साथ ले लीजिए, इसमें है क्या। अधिसूचनाएं ही तो हैं, पढ़ी हुई मानी गयीं।

श्री गंगाराम चौधरी : सारी पढ़नी आवश्यक हैं ?

श्री सभापति : पढ़ी हुई मान ली जायं ?

(स्वीकृत)

पढ़ी हुई मानी गयीं।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं राजस्व उपनिवेशन विभाग की 14 अधिसूचनाएं, जो आज की कार्य सूची में दर्शायी गयी हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 13 (6) रेवे/कोलो/89 दिनांक 9 मार्च, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा और इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्रों की मंडियों में भूमि का विक्रय और आवंटन) शर्तें, 1973 में संशोधन किये गये हैं;

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) कोलो/91 दिनांक 11 मार्च, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान उप निवेशन (भाखरा और इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र की मंडियों में भूमि का विक्रय और आवंटन) शर्तें, 1973 की शर्त 2 (9) द्वारा जैसलमेर के कतिपय क्षेत्रों को वर्ग मण्डी घोषित किया गया है ;

(3) अधिसूचना संख्या एफ.4(2) उप/92 दिनांक 12 मार्च, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में सशोधन किया गया है ;

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) उप/92 दिनांक 12 मार्च, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें, 1955 में संशोधन किये गये है ;

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (14) कोलो/91 दिनांक 12 मार्च 1992 जिसके द्वारा राजस्थान उप निवेशन (पोंग डेम के विस्थापितों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आबंटन) नियम, 1972 में सशोधन किया गया है ;

(6) अधिसूचना संख्या 4 (7) राज/उप/80 पार्ट दिनांक 23 मार्च, 1992 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 28-5-87 एवं 17-7-87 को पुन: संशोधित किया गया है ;

(7) अधिसूचना संख्या 4 (27) रेवे/कोलो/84 दिनांक 23 मार्च, 1992 जिसके द्वारा भूमियों के अन्तरणों को विनियमित करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की कालावधि को 31 दिसम्बर, 1992 तक बढ़ाया गया है ;

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (14) कोलो/91 दिनांक 2 अप्रेल, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन में पोंग बांध विस्थापितों और उनके अन्तरितियों को सरकारी भूमि का आबंटन और विक्रय) नियम, 1972 में संशोधन किये गये हैं ;

(9) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (14) कोलो/91 दिनाक 8 अप्रल, 1992 जिसके द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्रों की अवधि दिनांक 30 अप्रेल, 1992 तक वढ़ाई गई है ;

(10) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (5) रेवे/कोलो/81 दिनांक 19 मई, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं।

(11) अधिसूचना संख्या प. 4 (17) राज/उप/84 दिनांक 20 जून, 1992 जिसके द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंग कैनाल क्षेत्र के लिए अति-

(श्री गंगाराम चौधरी)

रिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्री गंगानगर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को उनके क्षेत्र में जिला कलक्टर के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने एवं शक्तियों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में ;

(12) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (27) रेवे/कोलो/84 दिनांक 14 जुलाई, 1992 जिसके द्वारा भूमियों के अन्तरणों को विनियमित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की कालावधि को 31 दिसम्बर, 1992 तक बढ़ाया गया है ;

(13) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) रेवे/कोलो/80 पार्ट दिनांक 23 जुलाई, 1992 जिसके द्वारा श्री बालसिंह सोढ़ा, भूतपूर्व विधायक निवासी ग्राम खूडी जिला जैसलमेर एवं श्री लालचन्द चौधरी निवासी ग्राम मोहनगढ़ जिला जैसलमेर को मण्डी विकास समिति जैसलमेर का सदस्य मनोनीत किया गया है ;

(14) अधिसूचना संख्या एफ 1 (14) कोल/91 दिनांक 3 सितम्बर, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में पोंग डेम के विस्थापितों और उनके अन्तरितियों को सरकारी भूमि का आवंटन और विक्रय) नियम, 1972 में संशोधन किये गये हैं ;

श्री केदारनाथ शर्मा : सभापति महोदय. इसमें मुझे एतराज है कि ये 1990 की है और इसके बीच में एक सैशन हो गया। ये देरी से कैसे आयीं, इसके कारण जरा माननीय मंत्रीजी बताने का कष्ट करें।

श्री सभापति : श्री हरलाल सिंह खर्रा।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री) माननीय सभापति जी, किसी स्तर पर और किन्हीं कारणों से इसमें जो देरी हुई है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, क्षमा चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की अधिसूचनाएं जो आज की कार्य सूची में दर्शायी गयी हैं तथा जो 18 हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ. 139 (14–27) ग्राविप शिक्षा/84/149 दिनांक 24-1-1990 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 37) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (आर. पी. एस.) नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं ;

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ. 139 (14–27) ग्राविपं शिक्षा/84/150 दिनांक 24-1-1990 जिसके द्वारा राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम सख्या 37) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (आर.पी.एस.) नियम, 1987 में संशोधन किये गये हैं ;

(3) अधिसूचना क्रमांक एफ. 139 (14–27) ग्राविपं शिक्षा/84/151

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

दिनांक 24-1-1990 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 37) 1959 के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (आर.पी.एस) नियम, 1983 में सशोधन किये गये हैं ;

(4) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (11) एल. एण्ड. जे /आरडीपी/89/281 दिनांक 15-2-1990 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम (1959 का अधिनियम संख्या 37) 1959 के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति (काउन्सिल की नियुक्ति) नियम, 1962 में संशोधन किये गये हैं ;

(5) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (6) एल.एण्ड.जे /आरडीपी/89/326 दिनांक 22-2-1990 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 21) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत तथा न्याय उप समिति निर्वाचन नियम, 1960 में संशोधन किये गये हैं ;

(6) अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (3) लेखा/ग्राविप/वे.नि./83–87/586 दिनांक 14-3-90 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 37) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1987 में संशोधन किये गये हैं ;

(7) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (9) एल एण्ड. जे./आरडीपी/89/751 दिनांक 5-5-90 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम सख्या 37) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति (सदस्यों को भत्ते का भुगतान) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं ;

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (9) एल.एण्ड.जे./आरडीपी/89/752 दिनांक 5-5-90 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम (1959 का अधिनियम संख्या 37) 1959 के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान जिला परिषद् (सदस्यों को भत्तों का भुगतान) नियम, 1961 में संशोधन किए गए हैं ;

(9) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (12) एल.एण्ड.जे/आरडीपी/89/773 दिनांक 8-5-1990 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम, 21) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं ;

(10) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(12) एल.एण्ड. जे/आरडीपी/89/774 दिनांक 8-5-1990 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (वित्त लेखा और बजट) नियम, 1959 में संशोधन किए गए हैं ;

(11) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (1) एल.एण्ड.जे./आरडीपी/90/828 दिनांक

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

17-6-1990 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 37) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं ;

(12) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (3) एल.एण्ड.जे./90/1498 दिनांक 27-8-90 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 37) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 में संशोधन किए गए हैं ;

(13) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (2) एल एण्ड.जे./आरडीपी/91/484 दिनांक 22-1-1991 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 37) 1959 के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं ;

(14) अधिसूचना क्रमांक एफ. 28 ( ) आरडीपी/प्रशा–2/90/696 दिनांक 25-5-1991 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 37) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1989 में संशोधन किये गये हैं ;

(15) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 3) एल.एण्ड जे/आरडीपी/90/1707 दिनांक 5-7-91 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 37) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं ;

(16) अधिसूचना क्रमांक एफ. 951 (5) लेखा/टैक्स/89/1801 दिनांक 16-7-1991 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 21) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में संशोधन किए गए हैं ;

(17) अधिसूचना क्रमांक एफ. 951 ( ) (5) टैक्स/एका/89/1802 दिनांक 16-7-91 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम, संख्या 21) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पचायत (सामान्य) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं ;

(18) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (4) एल.एण्ड जे/आरडीपी/91/4925 दिनांक 4-12-1991 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 21) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं ।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान पर्यटन विकास निगम का वार्षिक (1988-89) प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मन्त्री) (पर्यटन मन्त्री के स्थान पर) : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पर्यटन मंत्री जी की ओर से....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पर्यटन मन्त्री तो हैं नहीं।

श्री सभापति : उन्होंने अनुमति ले ली है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर आपने नाम कैसे पुकार लिया ? अनुमति लेने की आपने घोषणा तो नहीं की। आसन मौन क्यों है ?

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम की धारा 619 ए की उप धारा (3) बी) के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास नियम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1988-89 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति, 1992-93 का 79वां, 80वां और 81वां प्रतिवेदन

श्री परसराम मदेरणा (सदस्य, जन लेखा समिति) : सभापति महोदय, मैं सदस्य, जन लेखा समिति, 1992-93 समिति का प्रतिवेदन संख्या 79, 80 और 81 उपस्थापित करता हूं।

(1) विनियोग लेखे वर्ष 1985-86 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर समिति का 79वां प्रतिवेदन,

(2) वर्ष 1977-78 से 1979-80 तक के लिए भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 80 वां प्रतिवेदन, और

(3) वर्ष 1982-83 के लिए भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट देवस्थान विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 81 वां प्रतिवेदन।

शासकीय संकल्प

संविधान (76वां संशोधन) विधेयक, 1992 का अनुसमर्थन

श्री सभापति : संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु संकल्प। श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हू :

"कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा किये जाने

(श्री दिग्विजय सिंह)

के लिए प्रस्तावित, भारत के संविधान के संशोधन का, जो कि उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) के क्षेत्र में आता है, अनुसमर्थन करता है।"

(5·00)

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, वैसे जो प्रस्ताव माननीय गृह मंत्रीजी ने रखा है, इसमें विरोध का कुछ भी नहीं है, समर्थन हम करते हैं। इसमें जो व्यवस्था है, वह केवल इतनी सी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी के जो प्रतिनिधि थे उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है। इसलिये इसका विरोध तो कहीं है ही नहीं लेकिन, सभापति महोदय, अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे दादर, नागर, हवेली वगैरह, दूसरे जो इलाके हैं, उनके प्रतिनिधियों को आज भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान को एक रखने के लिये और भावनात्मक एकता को मजबूत करने के लिये इन सब क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाना चाहिये।

बहुत खुशी की बात है कि बहुत दिन के बाद दिल्ली को राज्य का दर्जा मिल रहा है, उनका परिसीमन भी हो गया, वहां राज्य भी बन जायेगा लेकिन इस समय जो हमारे देश की स्थिति है, उसमें छोटे-छोटे राज्यों की मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसलिये संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। मैं राज्य के छोटे-बड़े के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करना चाहता। इसमें जो कुछ एक-दो बात है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ वैसे इसका समर्थन है, इसमें विरोध का कुछ है ही नहीं क्योंकि लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है और जो इलाके रह गये हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी वोट का अधिकार मिले ऐसी व्यवस्था इसमें हो जानी चाहिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय गृह मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत संकल्प, "कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित, भारत के संविधान के संशोधन का, जो कि उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) के क्षेत्र में आता है, अनुसमर्थन करता है" को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संविधान संशोधन के अनुसमर्थन से सम्बन्धित संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

डा. रतन लाल जाट (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : माननीय सभापति जी,

(डा. रतनलाल जाट)

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री रामकिशन : क्यों ? रतन लाल जाट के नाम से इतना एतराज था, यानी सारा कामकाज इनके नाम से चले । जो मंत्री पायलट कर रहा है कम से कम उसका नाम रिकार्ड पर आ जाना चाहिये था ।

श्री सभापति : श्री रामनारायण वर्मा (अनुपस्थित) ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत । (अनुपस्थित)

श्रीमती रमा पायलट । (अनुपस्थित) ।

श्री बी. डी. कल्ला ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 यहां पर विचारार्थ लिया गया है । मैं सबसे पहले तो सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम कांग्रेस के वक्त में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कर दिया गया था और सदन ने सर्वसम्मति से इसको पारित भी कर दिया था लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे उस एक्ट में प्रावधान किये गये थे जिसके ऊपर वह राष्ट्रपतिजी के पास पड़ा रहा । उसके बाद उसका नाम पुनः जयनारायण व्यास के नाम से विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है ।

श्री जयनारायण व्यास फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने राजस्थान के विकास के लिये अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया । सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य यह होता है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के विषय में इस बात का ध्यान नहीं रख पा रही है, आज सुबह हमको जो अमेंडमेंट राज्य सरकार की तरफ से लाये जा रहे हैं, उसमें जोधपुर विश्वविद्यालय की जगह इसका नाम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय था, उसके आगे जो जोधपुर लिखा जाना चाहिये, उस शब्द को हटा दिया गया है । मैं आपके सामने भारत के विश्वविद्यालयों की सूची पढ़कर सुनाऊं । आगरा विश्वविद्यालय, आगरा; अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़; इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद; इसी प्रकार से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर; असम कृषि विश्वविद्यालय, जोराहट; अवध विश्वविद्यालय,

(5.03)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

फैजाबाद, अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा; बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी । ऐसे अनेक विश्वविद्यालयों की सूची जो जिस स्थान पर हैं, अन्त में उस स्थान का नाम लिखा होता है । अन्तरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों की भी हम बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ओसलो यूनिवर्सिटी, मास्को यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी चाहे

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

किसी के नाम के ऊपर हो, स्थान के नाम पर हो, अन्त में कम से कम या पहले उस स्थान का नाम अवश्य लिखा जाता है। तो यह ऐसा लगता है कि अधिकारियों की और मंत्रिमण्डल की यह भूल रही है कि इसमें जोधपुर विश्वविद्यालय का जो यह संशोधन विधेयक इन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें जोधपुर विश्वविद्यालय के स्थान पर जयनारायण व्यास और "कोमा जोधपुर" लिखना यह भूल गये हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका नाम जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर लिखा जाना चाहिये।

यह अमेंडमेंट इस एक्ट में जो लेकर आये हैं, खास तौर से सन् 1985–90 के बीच में नई शिक्षा नीति आई, उसमें आटोनामस कालेज का प्रावधान हमारे पूरे देश के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत किया गया था। जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आटोनामस कालेज खोलने का प्रावधान नहीं था। इस कारण से इन्होंने मूल अधिनियम जो 1962 में बना था, उसकी धारा 2 का संशोधन करने, धारा 4 का संशोधन करने और मूल एक्ट की धारा 9(क) में स्वायत्तता वापस लेने के बारे में तथा नई धारा 27(क) व (ख) का अन्तःस्थापन करने के बारे में यह बिल लेकर के आये हैं। जहां तक आटोनोमस कालेज को स्वीकृति देना या वापस लेने के प्रावधान करने का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना, यह प्रावधान होना चाहिये लेकिन आटोनोमस कालेज की स्थिति क्या है, इसके बारे में हमको विचार करना होगा। सभापति महोदय, आज आटोनोमस कालेज जो राज्य में हमारे अन्य विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत खुले हुए हैं, चाहे वह एम एस जे. कालेज, भरतपुर हो, चाहे बीकानेर का डूंगर कालेज हो या गवर्नमेंट कालेज, अजमेर हो, वहां पर जो आटोनोमस कालेज का संकल्प सोचा गया था या उसकी परिकल्पना की गई थी, उसके मुकाबले में कोई भी काम वहां पर नहीं हो रहा है। न तो उन्हें तिवर्ष जो फाइनेंशल असिसटेंस मिलनी चाहिये, राज्य सरकार ने वह बिलकुल एक तरीके से नगण्य रूप से दी है। वहां प्रति माह जो लैक्चरर्स को तनख्वाह मिलती है, उसके भी एक तरीके से लाले पड़े रहते हैं, लोग डेढ़-डेढ़ महीने दो-दो महीने बाद अपनी तनख्वाह प्राप्त करते हैं। ग्राण्ट के बारे में कोई ऐसा सिस्टम सोचा जाना चाहिये कि वहां पर कम से कम प्रति माह तनख्वाह सही रूप से मिले। रिसर्च के प्रोजेक्ट्स जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में शुरू हो रहे हैं या शुरू हो चुके हैं, उसी तर्ज पर आटोनोमस कालेज को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में डवलप करने की परिकल्पना थी। लेकिन देखा यह गया है कि आटोनोमस कालेज का केवल नाम दे दिया गया है, और आटोनोमस कालेज को जो आटोनोमी, फाइनेंशल आटोनोमी दी जानी चाहिये, वह बिलकुल नहीं दी गई है। उनको आर्थिक सहायता के नाम पर केवल मात्र लमसम ग्राण्ट सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए दी गई है जब कि आटोनोमस कालेज को बनाते वक्त यह सोचा गया था कि पहले 5 लाख, इसके बाद में धीरे-धीरे 10 लाख, 15 लाख, 20

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

लाख और 25 लाख से अधिक तक इनके डवलपमेंट के लिये प्रति वर्ष प्रोजेक्ट्स दिये जायेंगे और यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन से जितने भी प्रोजेक्ट्स आटोनामस कालेज द्वारा भेजे जायेंगे, उनमें राज्य सरकार 50 प्रतिशत हिस्सा अपना देगी। मैं जानना चाहता हूं कि गत ढाई वर्ष में आपने आटोनामस कालेजेज के लिए यू. जी. सी. से कितनी ग्राण्ट प्राप्त की और अपनी तरफ से आटोनामस कालेजज के डवलपमेंट के लिए प्लान में और नान-प्लान में किन-किन प्रोजेक्ट्स के लिए कितना-कितना पैसा दिया गया ? आज आटोनामस कालेजेज की हालत बहुत खराब है आटोनामस कालेजेज से विद्यार्थी निकल कर जाते हैं उनको राजस्थान में कहीं भी एडमिशन नहीं मिलते हैं, ऐसी स्थिति हो गई है जिस तरीके से कोई शहर में स्कूल बदनाम हो जाती है कि यहां का पढ़ा हुआ है तो यहां से किसी को नहीं लिया जाए। यह स्थिति हमारे आटोनामस कालेजेज की हो रही है।

ऐसी सूरत में मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि आप आटोनामस कालेजेज के बारे में या तो सदन की कमेटी बनायें अथवा आप किसी ऐजुकेशन से सम्बन्धित जो रिटायर्ड डाइरेक्टर्स और वाइस चांसलर्स हैं, उनकी कमेटी बनायें और वह आटोनामस कालेजेज के बारे में 2–3 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में डवलप करने का हम प्रयास करें तो राजस्थान के ये आटोनामस कालेजेज जिस तरीके से मद्रास का क्रिश्चियन कालेज जो आटोनामस कालेज है, जहां से प्रति वर्ष 2–3 विद्यार्थी आई ए एस बनते हैं, आई.पी.एस. में आते हैं, इण्डियन फारेन सर्विसेज में आते हैं, उन आटोनामस कालेजेज का नाम हिन्दुस्थान के 3–4 बड़ी यूनिवर्सिटीज के समक्ष आता है।

आटोनामस कालेजेज में जो सिलेबस वगैरह बनाये जाते हैं एग्जामिनेशंस लेने के लिए वह सिलेबस भी कहीं-कहीं नहीं बने हैं और जहां बन गये हैं तो वहां कोई रुचि नहीं है। आटोनामस कालेजेज के बारे में आचार संहिता तैयार की जाय या आप इस प्रकार की गाइड लाइन्स तैयार करें अथवा उनको आटोनामी दें, आटोनामस कालेजेज के लेक्चरर्स हैं उनके कहीं ट्रांसफर नहीं किये जायेंगे, उनको वहीं रखा जाएगा और वह अपना सिलेबस पाठ्यक्रम एग्जामिनेशंस सभी प्रकार से स्वयं बनायेंगे। कहीं-कहीं ऐसा भी देखा गया है, जैसा मैं आपको डूंगर कालेज का उदाहरण दूं कि प्रश्न-पत्र वगैरह वहां पर, पिछले दिनों में 22 पेपर्स ऐसे थे जो या तो ऐसे छपे हुए थे जिनको पढ़ नहीं सके और एक-एक प्रश्न-पत्र में, मैंने स्वयं ने देखा है कि 10–12 गलतियां थीं। प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है यह विद्यार्थियों के समझ में नहीं आता था। यह चीज क्यों होती है, जब हम हाफ हार्टेडली काम करते हैं, हाफ हार्टेडली काम कर रहे हैं और राज्य सरकार के सहयोग नहीं देने से यह आटोनामस कालेज का कंसेप्ट एक तरह से समाप्त प्रायः हो गया है। यदि

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आपकी मंशा नहीं है तो आप और कोई योजना लाइए ।

नई शिक्षा नीति में आटोनामस कालेजेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाकर इनको रिचर्च के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, जो जो सिलेबस बनाने के लिए, अपना पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए देना चाहिए था वह आटोनामी अभी तक नहीं मिल पाई है। सभापति महोदय, मुझे ताज्जुब होता है कि कई-कई आटोनामस कालेजेज की कमेटी नहीं बनी हैं और यदि बनाई हैं तो उनमें गवर्नमेंट के नोमिनी समय पर नहीं पहुंचते हैं, चेयरमेन नहीं पहुंचते हैं। साल-साल भर तक उनकी मीटिंग्स नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में आटोनामस कालेजेज का जो यह एक्ट लेकर आये हैं उसमें कम से कम यह तो प्रावधान आप करते कि आटोनामस कालेजेज जो हैं, उनके मेनेजमेंट से सम्बन्धित कमेटी है वह वर्ष में कम से कम 3 या 4 बार मिले। नहीं तो साल-साल भर मीटिंग्स नहीं होती हैं और मीटिंग्स होती हैं तो कोई अधिकारी जाकर 1 घंटे, 2 घंटे में जैसे कोरम पूरा करना होता है उस तरीके से जाकर फार्मल्टिज के रूप में, औपचारिकता के रूप में....(व्यवधान) ...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : विषय से सम्बन्धित बात तो नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं विषय से सम्बन्धित बात कर रहा हूं, विषयान्तर कहां हो रहा हूं। आटोनामस कालेजेज की राजस्थान में जो स्थिति है उसके बारे में नहीं बोलूंगा मैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जोधपुर विश्वविद्यालय से क्या सम्बन्ध है ? आप एजुकेशन पर कोई लाइए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह आटोनामस कालेज का प्रावधान आप करने जा रहे हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में इसलिए मैं आटोनामस कालेजेज के बारे में बोल रहा हूं। आटोनामस कालेजेज की स्थिति क्या है, मैं विषय से बिलकुल नहीं हट रहा हूं। आपने एक्ट पढ़ा नहीं है। आटोनामस कालेजेज का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आटोनामस कालेजेज के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है और राज्य सरकार भविष्य में आटोनामस कालेजेज कहां-कहां बनाएगी और जोधपुर रीजन में भी कहां-कहां किन किन कालेजेज को आप आटोनामस कालेजेज बनाने का विचार रखते हैं ? और उनमें आप क्या-क्या आटोनामी देंगे, कोई आर्थिक सहायता देंगे क्या ? इन सब विषयों के बारे में मैं समझता हूं कि शिक्षा राज्य मंत्रीजी जब अपना उत्तर देंगे तब मेरे प्रश्नों का जबाव देंगे।

अतएव मैं इन सुझावों के साथ सदन में आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : श्री हेतराम बेनीवाल। (अनुपस्थित)। माननीय प्रभारी मंत्रीजी यदि उत्तर देना चाहें तो... (व्यवधान)....

श्री केदारनाथ : मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : विचारार्थ आए तब बोल देना, थर्ड रीडिंग पर बोल दीजिए। (व्यवधान)....बोलना चाहें तो बोल दीजिए आप, प्रोफेसर साहब।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : वह तो जो इसका नाम जयनारायण व्यास के नाम किया है उसका तो हम स्वागत करते हैं। लांग ओवर ड्यू था यह। जोधपुर यूनिवर्सिटी जिस दिन बनी थी उसी दिन इस हाउस ने यह प्रपोज किया था जयनारायण व्यास का नाम। व्यासजी की खुद की पर्सनल्टी, उनकी सैक्रिफाइस, उनकी ईमानदारी, उनका राजस्थान के निर्माण में योगदान, राजा और रजवाड़ों के खिलाफ उनकी लड़ाई वह सब इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। यह आपने अच्छा किया कि व्यासजी के नाम से यूनिवर्सिटी बना दी।

दूसरा, कालेज की डेफिनेशन में आप अमैंडमेंट ला रहे हैं। क्योंकि इस मौजूदा एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, किसी कालेज का स्टेटस आप आटोनामस के रूप में बदल दें। यह अमैंडमेंट इसलिए आप ला रहे हैं। जैसा अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे 6 आटोनामस कालेजेज हैं, 1987–88 में नई ऐजुकेशन पालिसी के तहत बने। उसमें यह था कि आटोनामी दी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में आटोनामी इनको भी मिले, फाइनेंशियल कुछ पावर मिले इनको और एकेडेमिक लर्निंग स्टैण्डर्ड हमारा ऊंचा हो, कुछ ऐसे अधिकार उनको मिले। हुआ नहीं यह बिलकुल, जो 2–3 साल की सारी हिस्ट्री हमारे सामने है, परफारमेंस है वह बहुत ही डिसमल परफारमेंस है सारी। 6–6 जो स्टाफ कौंसिल है उन्होंने एक राय से पास किया है कि इसको स्क्रेप कर दिया जाए, कोई जरूरत नहीं है इन आटोनामस कालेजेज की। यह अपना खुद का, सभापतिजी, सिलेबस फ्रेम नहीं कर सकते हैं तो फिर आटोनामी किस बात की हुई? केवल एक एग्जामिनेशन कंडेक्ट कर सकते हैं बाकी कोई पावर नहीं है। डाइरेक्टर ने यह इनको डाइरेक्शंस दी हैं कि सिलेबस तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एडाप्ट करना पड़ेगा आपको और वह भी एक साल पहले, एक साल पहले का है।

सभापतिजी, जो गवर्निंग बाडी है, इनकी मैं आपको नाम पढ़कर सुनाऊंगा तो आपको भी ताज्जुब होगा कि सारे स्पेशल सैक्रेटरीज और डिप्टी सैक्रेटरीज एडमीशंस में हैं। अब डिप्टी सैक्रेटरी बीकानेर आटो-नामस कालेज में है वह चेयरमेन गवर्निंग बाडी हो जिसका ऐजुकेशन स्टैंण्डर्ड केवल हाई स्कूल और हायर सैकण्डरी तक ही है, वह आटोनामस कालेज को चलायेंगे, प्रिंसिपल होंगे। इन 6 में कोई एक मेम्बर जो है वह सलेक्शन ग्रेड के हैं, जिनको सलेक्ट किया था। बाकी सारे के सारे, अभी तक आपने किसी का सलेक्शन किया हो, कभी लेक्चरार वहां पर एक्ट करते हैं और कभी और एक्ट करते हैं, दो महीने के बाद चेंज हो जाते हैं, दूसरे कालेज में

(श्री केदारनाथ)

चले जायेंगे। कोई सिस्टम इन्वाल्व किया नहीं। सभापति महोदय, एक क्लर्क का भी एपाइंटमेंट करना है तो सैक्रेटरी जयपुर से करेंगे, गर्विंग बाडी जयपुर में मीटिंग करती है और जयपुर में मीटिंग करती है तो लेना पड़ेगा। गवर्निंग बाडी कभी जाकर भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा और अलवर या बीकानेर में मीटिंग नहीं करती है, ग्राउण्ड रीयलिटीज से दूर रहती है। इसलिए न एडमिनिस्ट्रेशन आटोनामी इनके पास है, न कभी लर्निंग स्टेण्डर्ड हमारा ऊंचा हुआ, न फाइनेंशियल पावर इनके पास है। इसलिए जो राय थी कि यह डीम्ड यूनिवर्सिटी का रूप ले लेंगी, हमारी युनिवर्सिटी का बोझ कम हो जाएगा। लड़के और टीचर्स मिलकर रिकार्ड हो जाए, उनके रिलेशंस ठीक हों, लर्निंग ठीक हो, रिसर्च सैंटर्स खुलें वहां यह जो हमारा स्वप्न था वह स्वप्न ही रह गया है।

इसलिए आप जो अमैंडमेंट ला रहे हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में, आइन्दा किसी कालेज के स्टेटस को आटोनामस कालेज बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने देख लिया हमारे 6 कालेजों का हाल। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी। .... (व्यवधान)....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी की निगाह में यह बात लाना चाहता हूं, यह जो आटोनामस कालेजेज बनाने की बात 1987 से प्रारम्भ की गई थी। 1992 में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी है उसका समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि जिन लोगों का कालेज से, विश्वविद्यालय से कोई सम्बन्ध नहीं है जो स्कूल ऐजुकेशन को देखते हैं ऐसे लोगों को वहां चेयरमेन बना दें, मेम्बर बना दें इसकी वजह से यह आटोनामस बोर्ड का एक तरह से काम नहीं हो सकता है। इनको किसी तरह की पावर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है किसी तरह के प्रशासनिक अधिकार उनको नहीं है। जब चाहते हैं इन कॉलेजेज के लेक्चरर्स को बदल दिया जाता है, एल.डी.सी., यू.डी.सी. बदल दिये जाते हैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन का पावर कॉलेज के पास है और ऑटोनामस के नाम पर वहां पर जिस तरह की अराजकता पैदा हो रही है, ऑटोनामी के नाम पर वहां जिस तरह के काम हो रहे हैं यह 6 महाविद्यालय इस राजस्थान के थे और जिसमें भरतपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। यह इतने रेस्पेक्टेड महाविद्यालय थे लेकिन आज इनकी स्थिति यह हो गई है कि इन महाविद्यालयों से निकले हुए लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता। डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर की जो आटोनामी की स्थिति है वह यह है कि वहां पर विधि के जो प्रवेश हुये, उन प्रवेश के अन्दर जिस तरह का भ्रष्टाचार, बेइमानी, आपाधापी हुई है, डायरेक्टर को जब शिकायत की गई और एक जांच दल भेजा, उन्होंने पांच दिन तक सबकी जांच की। जांच करने के बाद पता लगा कि जो प्रवेश फार्म है प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में इन सबके

(141)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

ऊपर फार्म पर प्रवेश फीस के नम्बर लगा दिये गये। जब रसीदों के नम्बर मिलाये गये तो उन लड़कों के नाम दूसरे पाये गये, पैसा जमा है लेकिन राजकोष में उस पैसे को जमा नहीं किया गया। एक रकम तो ऐसी है यह 6434 रुपये जो गबन की श्रेणी में आती है। यह सारा का सारा जो वहां चल रहा है उससे छात्रों का जीवन, वहां के अभिभावकों को, वहां जनता में इस आटोनामस कॉलेज के प्रति असन्तोष है। चाहे अजमेर का महाविद्यालय ले लीजिये या कहीं और का महाविद्यालय लें। यह असन्तोष पनपता चला जा रहा है इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि किसी एजेन्सी के द्वारा इन पाच सालों का लेखा जोखा तो देखिये, कोई शिक्षाविदों की कमेटी बना कर उस कमेटी के माध्यम से यह आटोनामी के नाम पर सचमुच क्या इन लड़कों के साथ में खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। आटोनामी के नाम हम डीम टू यूनिवर्सिटी बनाने की जो कल्पना कर रहे हैं, रिसर्च की कल्पना कर रहे हैं, जिन कालेजों में प्रभावी टीचिंग नहीं हो पा रहा है, जहां से ऐसे अच्छे लड़के नहीं निकल पा रहे हैं इसमें हम क्या करना चाहते हैं। जोधपुर विश्वविद्यालम को आटोनामस कालेज बनाने की बात चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पर पुर्नविचार होना चाहिये, यह सारा दिखाने के बाद ही यह आटोनामस कालेज बनाने के लिये प्रस्ताव दिया जाना चाहिये। इस पर निश्चित रूप से मनन और चिन्तन होना चाहिये। यह मैं आपकी नालेज में लाना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

डॉ. रतनलाल जाट : माननीय सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 लाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य रहा है, यह बिल विधान सभा में गत सत्र में सितम्बर 1991 में लाया गया था लेकिन इस सदन में इस पर विचार नहीं हो सका था इसलिये पुनः इस बिल को इस सत्र में लाया गया है इसके पीछे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, माननीय सभापति महोदय, वह यही रहा है कि अजमेर यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी इन दोनों यूनिवर्सिटी का असर उदयपुर यूनिवर्सिटी के एक्ट में है। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो उसके तहत वह किसी भी कालेज को आटोनामस स्ट्रक्चर प्रदान कर सकती है। जोधपुर यूनिवर्सिटी के ओरीजनल एक्ट जो 1962 का है उसमें इस प्रकार का कोई प्रोवीजन नहीं है कि जिसके तहत वह चाहे तो किसी कालेज को आटोनामस बना सके। उसी नाते सभी यूनिवर्सिटीज में यूनिफॉर्मिटी रहे उस नाते जोधपुर यूनिवर्सिटी के इस एक्ट को अमेण्डमेंट हेतु यह बिल लाया गया है। जहां तक कोटा यूनिवर्सिटी की बात है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात है, कोटा यूनिवर्सिटी के बारे में इस प्रकार का संशोधन इसलिये नहीं लाया गया है कि कोटा यूनिवर्सिटी डिस्टेन्स एजूकेशन को डील करती है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तरह तरह के सेन्टर्स हैं उसमें इस प्रकार की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। जहां तक आटोनामस कालेजेज के बारे में सवाल है सबसे पहले हमारे यहां राजस्थान,

(डा. रतनलाल जाट)

उनकी शुरूआत के बारे में पृष्ठभूमि में मैं अर्ज करना चाहता हूं । यू.जी.सी. के चेयरमेन ने अगस्त 1986 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से यह अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत उनके प्रस्तावों की पालना के अनुरूप राजस्थान में कुछ महाविद्यालय हैं जो आटोनामस बनाये जा सकते हैं । उनकी जांच करके उनके प्रस्ताव को भेजा जाये और उसी नाते यहां पर एक कमेटी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रो. ओम प्रकाश की अध्यक्षता में बनी थी और एक कमेटी राज्य सरकार ने स्पेशल सेक्रेट्री एजूकेशन की अध्यक्षता में बनाई थी । राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने स्वायत्तशाषी महाविद्यालय, कई जगह जाकर आन्ध्र प्रदेश, वगैरह जाकर के इन कमेटीज, जो आटोनामस कमेटीज हैं उनकी वर्किंग की जांच की और जांच के बाद उन्होंने यह सिफारिश की कि राजस्थान में भी कुछ कालेजेज को आटोनामस कालेजेज बनाना चाहिये और उसी के नाते राजस्थान में वर्ष 1987 में 4 कालेजेज आटोनामस कालेजेज बनाये गये । वह 87 वाले हैं अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा । इसके साथ 1988 में अलवर और भीलवाड़ा को भी आटोनामस कालेज बनाया गया । इस प्रकार पूरे राजस्थान में वर्तमान में 6 आटोनामस कालेजेज कार्यरत हैं । यूनिवर्सिटीज को जो समय समय पर इस तरह के पावर्स दिये गये थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी को यह अधिकार आटोनामस बनाने का 1950 में दे दिया गया था । अजमेर यूनिवर्सिटी को 1987 में उनके अमेण्डमेंट के आधार पर दे दिया गया था और उदयपुर यूनिवर्सिटी को यह अधिकार 15–10–88 के संशोधन के आधार पर दे दिया गया था । मात्र इसमें जोधपुर यूनिवर्सिटी का बचा था तो यूनिफार्मिटी की दृष्टि से यह संशोधन विधेयक लाया गया है ।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूगा कि राजस्थान स्टेट लेजिसलेचर द्वारा यह जोधपुर यूनिवर्सिटी का नाम चेन्ज करके जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर किया गया था । यह राष्ट्रपतिजी की स्वीकृति के लिये काफी लम्बे समय तक वहां पर विचाराधीन रहा था । इस एक्ट को माननीय राष्ट्रपतिजी की असेन्ट 12 फरवरी, 1992 को मिल गई थी जिसके आधार पर राजस्थान के गजट में इसका पब्लिकेशन 3 मार्च, 1992 को कर दिया गया था । तब से जोधपुर यूनिवर्सिटी का नाम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कर दिया गया था । इस आधार पर जो ओरीजनल बिल 1989 में लाया गया था इनके सेक्सन 1 और 2 में सशोधन मूव किये हैं तब से यह नामकरण जोधपुर यूनिवर्सिटी के नाम के बजाय जयनारायण विश्वविद्यालय हो गया है । जहां तक आटोनामस कालेजेज और उनकी वर्किंग का सवाल है अभी हाल ही में न केवल हमारी यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन बराबर यह चाहती है कि राजस्थान में न केवल 6 बल्कि और कालेजेज को भी आटोनामस कालेजेज बनाया जाये । बल्कि हाल ही में दिल्ली में सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजूकेशन की मानव संसाधन मंत्री अर्जुन

(डा. रतनलाल जाट)

सिंह जी की अध्यक्षता में 8 अगस्त को दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के चेयरमैन मानव संसाधन मंत्रीजी ने वहां पर जो भी विचार प्रकट किये थे, सबने इस बात को स्ट्रेस किया था कि पूरे भारतवर्ष में ग्राटोनामस कालेजेज की संख्या को बढ़ाया जाये। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था पूरे भारतवर्ष में पांच सौ ग्राटोनामस कालेजेज को बढ़ाने का रखा गया था लेकिन उस क्लाज के तहत पूरे भारतवर्ष में लगभग 106 कालेजेज ग्राटोनामस बनाये गये हैं ग्रौर इसमें खास तौर से तमिलनाडू, ग्रान्ध्रप्रदेश ग्रौर मध्यप्रदेश के लगभग 90 कालेजेज ग्राटोनामस कालेजेज बना दिये गये हैं। इसके साथ ही यू.जी.सी. की जो एक्सपर्ट टीम 1991 में ग्राई थी उनकी यह सिफारिश थी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी हमें ग्राटोनामस कालेजेज की स्कीम को बराबर चालू रखना चाहिये लेकिन साथ ही सुझाव दिया था कि हमें इसके लिये इनकी इफेक्टिव मोनीटरिंग करनी होगी ग्रौर इसी एक्ट में राज्य सरकार ने फरवरी, 92 में इनकी वकिंग के बारे में माननीय बीकानेर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया था कि जो ग्राटोनामस कालेजेज, राजस्थान में चल रहे हैं वह सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं ट्रयू सेंस में ग्राटोनामी को ग्रचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उस नाते इनकी वकिंग को ग्रसेस करने के दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार ने फरवरी 1992 में स्पेशल कमेटी की कई बैठकें हो हो चुकी हैं। राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है कि जो कालेजेज ग्राटोनामस बनाये गये हैं वह ट्रू सेन्स में ग्राटोनामी को ग्रचीव कर सके। बीकानेर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो ग्रमेण्डमेंट वाली बात कही है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दो वर्ष के समय में 1984 में जो एक्ट पेश किया गया था उस एक्ट के सेक्शन 4 में लिखा हुग्रा था—the name of the Act is the Jodhpur University (Change of Name) (Amendment) Act, 1984. उसके सेक्सन 4 में नाम की जो बात लिखी हुई है In Sub-section (1) of Section 1 of the Principal Act of 1962 for the word "Jodhpur" the words "Jainarain Vyas" shall be substituted न केवल यह, बल्कि ग्रापका जो ग्रोरिजिनल एक्ट है 1962 का एक्ट, उसमें यह लिखा है—an Act to provide for the establishment and incorporation of University at Jodhpur in State of Rajasthan. उसी नाते यह ग्रमेंडमेंट बिल लाया गया हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक ग्राटोनामस कालेजेज के सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि इनको कितना पैसा दिया जा रहा है ग्रौर जहां तक ग्राटोनामस कालेजेज को पैसा देने की बात है, राज्य सरकार बराबर पैसा दे रही है ग्रौर यू.जी.सी. से 7 लाख रुपया सालाना सीड मनी के रूप में इन ग्राटोनामस कालेजेज को दिया जा रहा है। माननीय सदस्य की सूचना के लिए समय-समय पर इन ग्राटोनामस कालेजेज को जो पैसा दिया गया है, वर्ष वार मैं ग्राप चाहें तो इसको पढ़कर सुना सकता हूं कि

(डा. रतनलाल जाट)

90–91 में कितना पैसा दिया गया है, 91–92 में कितना पैसा दिया गया है।

राजर्षि महाविद्यालय, अलवर को 90-91 में 121.81 लाख रुपये दिया गया है, प्लान में 7.49 लाख रुपया दिया गया है और 91–92 में 122.15 लाख रुपये दिया गया है, आयोजना मद में उनको 12.4 लाख रुपये दिया गया है और आयोजना भिन्न-भिन्न मद में 134.16 लाख रुपया दिया गया है। इसी तरह से राजकीय महाविद्यालय अजमेर को 196.45 लाख रुपया दिया गया है। आयोजना मद में....

श्री बुलाकीदास कल्ला : केवल प्लान का बता दें।

डा. रतनलाल जाट : प्लान, नोन प्लान दोनों बता रहा हूं। तो यह कहना कि राज्य सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है, मेरे ख्याल से यह सूचना माननीय सदस्य की उस नाते सही नहीं है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इनकी वर्किंग के बारे में और खास तौर से अजमेर, बीकानेर डूंगर कालेज की शिकायतों की जो बात की है, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक बीकानेर डूंगर कालेज में एलएल बी. क्लास में प्रवेश के बारे में जो अनियमितताएं हुई हैं, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि एल.एल बी. के फार्मों की जांच करने पर यह पाया गया कि ज्योंहि हमें इसकी शिकायत मिली, वहां पर डाइरेक्टर कालेज एजूकेशन को भेजा गया और जांच के आधार पर 28 फार्म ऐसे पाये गये जिन पर फीस रसीद के नम्बर गलत थे। उससे प्रतीत होता है कि किसी ने उनमें पैसों का गबन किया है। यह मामला जांच के बाद एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। तो राज्य सरकार बराबर जब भी इन आटोनामस कालेजेज के बारे में शिकायतें मिलती हैं, प्रयत्न कर इनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की कोशिश करती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक अजमेर आटोनामस कालेज के बारे में उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है, वहां से जब कभी भी शिकायत मिली है, राज्य सरकार ने तुरन्त उसके बारे में कार्यवाही की है। अजमेर यूनिवर्सिटी की शिकायत के बारे में उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां पर अंकतालिकाओं में हेराफेरी के आरोप प्राप्त हुए थे, जांच की गई तो वहां सीक्रेसी सेल में कार्यरत एक कर्मचारी श्री अमरचंद को आरोपी पाया गया तथा उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। जांच जारी है, सिद्ध होने पर उसके खिलाफ कार्यवाही कर दी जावेगी। तो निवेदन यह है कि सख्ती वाली जो बात है, आटोनामस कालेजेज की वर्किंग के बारे में सरकार पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है कि उनकी वर्किंग सुधरे बराबर उनको सहायता यू. जी सी. और राज्य सरकार से मिलती रहे लेकिन कुल मिलाकर आटोनामस कालेज जिस सेंस में और जिन उद्देश्यों के आधार पर इन कालेजेज को बनाया गया है, उस नाते हमारे स्पेशल सेक्रेटरी एजूकेशन की चेयरमेनशिप में कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उस रिपोर्ट के आने के बाद माननीय सदस्य को निश्चित

(डा. रतनलाल जाट)

रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ग्रोटोनामस कालेजेज की स्कीम को राजस्थान में कंटीन्यूग्रस किया जाय। नेशनल एजूकेशन की पालिसी की लाइट में यानी उस पर ग्रच्छी तरह पुनर्विचार किया जाय। तो उस रिपोर्ट के ग्राने के बाद उस पर विचार किया जायेगा।

गंगानगर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो कमेटी की बात की है, ग्राटोनामस कालेज में कई तरह की कमेटीज वर्क कर रही हैं। गवर्निंग कौन्सिल, एकेडेमिक कमेटी, फेकल्टी, कमेटी ग्रॉफ कोर्सेज ग्रौर ऐसी सात ग्रौर भी कमेटी हैं, समय समय पर इन कमेटी की बैठकें बराबर इन ग्राटोनामस कालेजेज में होती रही हैं ग्रौर माननीय सदस्य ग्रगर कोई स्पेसिफिक इन्फार्मेशन, कहीं पर नहीं मीटिंग होने के बारे में होगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही करके जल्दी की बैठक ग्रायोजन करने के लिए निवेदन किया जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी ग्रमेंडमेंट बिल, 1991 जिसके सेक्शन 1 ग्रौर 2 में ग्रमेंडमेंट के लिए जो दो नये प्रस्ताव पेश किये हैं, उसके नाते माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है, उनको भी ध्यान में रखते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राटोनामी हमारी यू.जी.सी. की नेशनल पालिसी की लाइट में जो ग्रच्छा है, उसी लाइट में यह किया गया है ग्रौर खास तौर से उसके लाने के पीछे उद्देश्य यही है कि जब ग्रौर यूनिवर्सिटीज के एक्ट में इस प्रकार का प्रोवीजन है कि वह किसी भी कालेजेज को जो उसके नोर्म्स को पूरा करता है, ग्राटोनामी के नोर्म्स को, जो इसमें दिये गये हैं, उन नोर्म्स को जो पूरा करता है, उसको ग्राटोनामस वह बना सकते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है जो एक्ट में दी गई है लेकिन इस प्रकार से जोधपुर यूनिवर्सिटी में नहीं है ग्रौर जहां तक मेरी जानकारी है, जोधपुर क्षेत्र में भी कुछ कालेजेज की मांग इस बारे में ग्राई है ग्रौर खास तौर से लाचू मेमोरियल कालेज की 1988 में इस प्रकार की मांग ग्राई थी ग्रौर उस समय क्योंकि जोधपुर यूनिवर्सिटी के एक्ट में इस प्रकार का प्रोवीजन नहीं था, उस नाते उस कालेज में हो सकता है, कि वह हमारे नोर्म्स को पूरा करता हो, फिर भी उस कालेज को ग्राटोनामस कालेज नहीं बनाया जा सकता इसलिए यूनिफार्मेटिक पाइन्ट ग्राफ व्यू से इस जोधपुर यूनिवर्सिटी एक्ट में यह लाया गया है कि इसको भी ग्राटोनामस किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, ग्रापके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को मैंने बताया था कि मेरे पास पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों की सूची है ग्रौर उसमें सभी विश्वविद्यालयों के ग्रागे उस स्थान का नाम है जहां वे विश्वविद्यालय हैं। या तो ग्रागे नाम है या पीछे नाम है। ग्राप कहें तो मैं विश्वविद्यालय का नाम पढ़कर सुना सकता हूं....

श्री सभापति : नहीं, वह तो ग्रापने सही कहा मगर यह तो ग्राप भूल गये।

(श्री सभापति)

बहुत पुराने टाइम के अन्दर, अब इसके अन्दर क्या करेक्शन हो सकता है। वह तो आपका ही लाया हुआ है, पुराना है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी करेक्शन नहीं होगा तो फिर करेक्शन होगा भी नहीं।

श्री सभापति : नहीं, जोधपुर तो साथ में ही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मुझे सुन तो लीजिये। यह आवश्यक इसलिए भी है, आज मान लीजिये, इंगलैण्ड से कोई चिट्ठी लिखकर भेजेगा कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, अब वह कहां जायेगी।

श्री सभापति : वह तो जोधपुर आगे लिखा जायेगा उसमें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जोधपुर कैसे लिखा जायेगा। यूनिवर्सिटी के नाम के आगे जोधपुर है ही नहीं।

श्री सभापति : आप समझते हैं अच्छी तरह, जोधपुर लिखा जायेगा। बिराजिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, इसको कोई नहीं समझेगा। राजस्थान में तो मान लें, फिर भी कोई बता कर लेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नाम लिखा जाना चाहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह पूरी सूची, आप चाहें तो आपको दिखा सकता हूं। आप इसका अनुमोदन कर लें।

श्री सभापति : मैं जानता हूं, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, जिस विश्वविद्यालय के आगे उस स्थान का नाम नहीं हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह पास हो गया है पहले संशोधन, बहुत पुराने समय के अन्दर। यहां तो इसमें और संशोधन आए हैं इसलिए इसका नाम आ गया है। यह संशोधन तो पहले पास हो चुका है। यह प्रश्न ही नहीं है आज हमारे सामने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है सभापति महोदय, जब हम किसी एक्ट में संशोधन ला रहे हैं, कोई बात आपके सामने सही आ रही हो तो राज्य सरकार को इसके ऊपर विचार कर संशोधन करना चाहिये नहीं तो इस पर लोग हंसेंगे कि राज्य सरकार ने, भारतवर्ष में विश्व में कहीं कोई चीज नहीं है, यह संशोधन तो है....

श्री सभापति : आप आसन ग्रहण कीजिये। लोग हंसेंगे तो जो पहले हो चुका, उस पर हंसेंगे।

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो

(श्री सभापति)

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड–1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विधेयक पर खण्डशः विचार

डा. रतनलाल जाट : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ?

श्री सभापति : नहीं नहीं। संशोधन, संशोधन। जो संशोधन खण्ड-1 के अन्दर है। 'विचारार्थ तो हो गया। खण्ड–1 में जो आपने संशोधन दिया है।

डा. रतनलाल जाट : खण्डशः संशोधन को विचारार्थ लिया जाय। सभापति महोदय, मैं खण्ड–1 में निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :– "The Jodhpur University (Amendment), Bill 1991 (Bill No. 25 of 1991)" be cited as "The Jai Narain Vyas University (Amendment) Bill, 1991 (Bill No. 25 of 1991)", and for the expression "Jodhpur University", wherever occurring in the said Bill, the expression "Jai Narain Vyas University" be substituted.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नोज हैव इट।

श्री सभापति : मैं एक बार पुनः पूछ लेता हूं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, इस पर विचार कर आगे जोधपुर जोड़ दें, नहीं तो सरकार की बहुत हंसी होगी। इस पर आप पुनर्विचार कर लें नहीं तो 5 मिनट सदन को स्थगित करके विचार कर लीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस प्रकार से नहीं होता है। आप विराजिये। मैं पुनः पूछ लेता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस प्रकार से ही यहां हो रहा है। यहां पास होते–होते अमेंडमेंट जुड़ जाता है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, अजमेर के बारे में यहां

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सरस्वती शब्द जुड़ गया था। इसी सदन में, अभी पिछले वाले सत्र में जुड़ गया था।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्री जी।

डा. रतनलाल जाट : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जोधपुर के लोग विरोध करेंगे।

श्री सभापति : आप विराजिये। माननीय मंत्रीजी कुछ बोल रहे हैं।

डा. रतनलाल जाट : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जोधपुर नाम की बात कही है, इसमें नाम जोड़ दिया जाता है।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि जोड़ दिया जाय ?

(स्वीकृत)

जोधपुर शब्द जोड़ दिया गया। अब मैं आगे पूछता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि संशोधित रूप में स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि संशोधित रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

खण्ड-2, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. रतनलाल जाट : "2. Amendment of Section 2, Rajasthan Act 17 of 1962.—In Section 2 of the Jai Narain Vyas University Act, 1962 (Rajasthan Act 17 of 1962), hereinafter referred to as the principal Act, for clause (a), the following shall be substituted, namely;–

"(a) "College" means a constituent or an affiliated college of the University enumerated in or under Sub-section (1) of section 5 and shall include an autonomous college as well as a college admitted to the privileges of the University in accordance with or under this Act;

Explanation.— "Autonomous college" means an educational institution declared as such under the provisions of this Act.".

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड

(श्री सभापति)

2 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 एवं 4, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 3 एवं 4 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 एवं 4 स्वीकार किये गये। माननीय प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

डा. रतनलाल जाट : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस पर बोलना इसलिए जरूरी है कि जो बात हम चाहते थे वो निश्चित रूप से हो गई। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन इसमें जहां-जहां जयनारायण व्यास आया हुआ है वो जहां-जहां कांसिक्वेंशल चेंजेज आयेंगे वहां जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर....

श्री सभापति : कर देंगे, वो हो जायेगा। इतना समझते हैं वो। जब उन्होंने जोधपुर कर दिया तो प्रत्येक जगह जहां जयनारायण व्यास आया है वहां साथ में जोधपुर आ जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : फिर यह अमेण्डमेंट लाने की जरूरत नहीं है ? अपने आप कैसे हो जायेगा ?

(5.43 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी जयनारायण व्यास....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं कांसिक्वेंशल अमेण्डमेंट जो भी होंगे वे कर दिये जायेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दूसरा जो आपने ऑटोनामस कॉलेजेज के बारे में बातें बताई, हकीकत में ऑटोनामस कॉलेज के लिए आपने खुद भी बताया 12 लाख रुपया प्लान में देकर आटोनामस कालेजेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहते हैं, उसके समकक्ष बनाना चाहते हैं तो यह तो अलादीन का चिराग की तरह है। आपको थोड़ा आगे आकर इसके लिए एक ऑटोनामस कॉलेज को कम से कम 25-25 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना होगा। और यू.जी.सी. के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप फाइनेंसियल असिस्टेंस 50–50 पर्सेन्ट के आधार पर देंगे तब जाकर हमारे ये ऑटोनामस कॉलेज डवलप हो सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

ऑटोनामस कॉलेजेज को पूरे मन के साथ, मनोयोग के साथ डवलप करने में तो सहयोग देगी। इसके साथ-साथ आपने जो ऑटोनामस कॉलेज की स्थिति के बारे में स्वयं ने बताया, मेरा यह सुझाव है कि आप रिटायर्ड जो डाइरेक्टर हैं, हमारे जो वाइस चांसलर अभी नहीं रहे हैं उन लोगों को इनके चेयरमैन बनायें तो वे व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपने अनुभव का लाभ इन ऑटोनामस कॉलेजेज को दे सकते हैं ताकि उनके वहां रहने से ऑटोनामस कॉलेजेज सुधरें और राज्य में ये रिसर्च और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे कौन हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : कपूर, प्रो. भार्गव हैं, डी. पी. लवानिया हैं।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। पिछले सेशन में हायर एजुकेशन के बारे में काफी अच्छा डिस्कसन हुआ था और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि सेशन के दौरान ही मैं इनके बारे में सरकार की ओर से अपना जबाब दे दूंगा। अब टेम्परेरी टीचर्स का सवाल 10 साल से लटक रहा है, कोई डी. पी. सी. होती नहीं। 68 कॉलेज हैं अध्यक्षजी, इनमें केवल 3-4 प्रिंसिपल हैं जिनका प्रोपरली सलेक्शन हुआ है। सारी वेकेन्सीज पड़ी हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अगस्त में एग्जामिनेशन हुए हैं। कब तक रिजल्ट निकलेंगे, कब एग्जामिनेशन होंगे और फिर हमने लाइब्रेरियन्स के बारे में फिजिकल इंस्ट्रक्टर के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया। इसलिए ये काफी मसले ऐसे हैं क्योंकि हम 6 माह बाद फिर मीट करेंगे। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी रूटा का डेलिगेशन भी आया था, कोई भूख हड़ताल भी चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्रीजी खुद थोड़ा बयान दे दें कि कब तक उसका फैसला हो जायेगा और क्या हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

वापस लिया गया विधेयक

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 1991

माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 1991 की जगह एक अन्य विधेयक प्रस्तुत किया जाना है जिसके अन्दर वर्तमान विधेयक के कुछ प्रावधान भी सम्मिलित किये जायेंगे।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

(श्री रामनारायण विश्नोई)

(संशोधन) विधेयक, 1991 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 1991 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 को वापस लेता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत। (अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र व्यास।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से दो बात निवेदन करना चाहता हूं। एक तो इस अमेण्डमेंट बिल के अन्दर क्लॉज 4 रखकर उन्होंने बड़ी कृपा की है क्योंकि जिस प्रकरण को मैं पिछले 6 महीने से चाहता था कि किसी तरह से डिबेट में आये और तथ्यात्मक स्थिति मुख्य मंत्रीजी तसल्ली से दें वो अवसर मुझे आज इस क्लॉज 4 की वजह से मिला है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्मम से नेता महोदय से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करता हूं कि वे सदन के अन्दर आज मेरे नेता के बाद में वरिष्ठतम सदस्य हैं। 24 मार्च को, मैं याद दिलाने के लिए बता रहा हूं कि मेरे जैसे नोटिस देने वाले को आपने फाड़कर फेंक दिया तो ऐसा क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मेरा व्यक्तिगत वैमनस्य कुछ भी नहीं है, वो बात कहूंगा आप भी बहुत तसल्ली से जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरे बिल के अन्दर सिर्फ यह जो क्लॉज-4 है जिसके माध्यम से ...

श्री अध्यक्ष : विधेयक पर जनमत जानने हेतु पर ही बोल रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, उसी पर बोल रहा हूं। सब सेक्शन 2 (ए) जो इन्ट्रोड्यूज किया जा रहा है, इन्सर्ट किया जा रहा है 15 (ए) (ए) (ए) के अंदर, उसकी वजह से कहता हूं वो जो पार्ट है, बाकी बिल के लिए मैं नहीं कहता, यह मेलिसियस

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लेजिस्लेशन है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, मैंने एक दफे चेम्बर में सुझाव के रूप में प्रार्थना की थी, एक किताब मैंने आपको सुझाई थी "The tyranny of a Prime Minister in a Parliamentary System." आपने फरमाया भी था, मैं नहीं समझता कि वो आयी या नहीं, लेकिन उस किताब के अंदर लिखा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की भी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर वो ही हैसियत होती है जो एक प्रधानमंत्री की होती है। तो प्रधानमंत्री से या मुख्य मंत्रीजी से पूरी कैबिनेट बंधी होती है। वह सदन का नेता होता है इसलिए बहुमत उसके साथ होता ही होता है। कदाचित अपनी विहम के अनुसार कोई भी चीज अगर पायलट कर दें, कोई मेजर ले ले तो पूरे सदन की मेजोरिटी उसके साथ बाउंड होती है और वह सदन से कैरा थ्रू करा लेता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज जो क्लॉज–4 है उसके हिसाब से तो टाइरनी ही नहीं है। The Chief Minister of Rajasthan is virtually a tyrant. जो मसला शुरू होता है वो जनमत जानने के लिए मैंने क्यों कहा वो मैं बताता हूं अध्यक्ष महोदय आपको। क्योंकि मैं राजस्थान की पब्लिक को इस संबंध में एजुकेट करना चाहता हूं कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर किस प्रकार से इस सदन का दुरुपयोग इस सब सेक्शन 2 (ए) को 15 (एएए) में इन्सर्ट करके एक पर्टीकुलर आदमी को फायदा पहुचाना चाहता है।

श्री अध्यक्ष : सुनिए पहले आप। अब आप इसी पर बोल रहे हैं तो आपने जो नोटिस दिया है उसके बारे में मेरी व्यवस्था सुन लीजिए। इस प्रश्न को आप बार-बार भिन्न-भिन्न रूप में उठाते रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सदन में नहीं उठा है, एक दफा उठा है।

श्री अध्यक्ष : अब आप मेरी व्यवस्था सुनेंगे या नहीं ? और बहुत ही विस्तार से इस प्रश्न पर बाहर अखबारों में चर्चा हो चुकी है। मेरे पास भी इस सम्बन्ध में मंत्री जी के और मुख्य मंत्रीजी के जवाब आ गये। मैंने भी वह पूरे पढ़े हैं। मुझे लगता है कि इस सारे प्रकरण में, 295 आपने किया था वह मैंने रिजेक्ट किया, आपका एडजोर्नमेंट मोशन मैंने रिजेक्ट कर दिया, 119 भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब उसके बावजूद भी आप बार–बार इस सवाल को उठाते हैं। मैंने जवाब पढ़ा है, उस जवाब से एक बात स्पष्ट होती है कि इसमें लीगल पाइंट इन्वोल्व है। इसमें किसी तरह के आरोप का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। कानूनी मुद्दा है, कानूनी मुद्दे में आप स्वतंत्र हैं, कानून का उपयोग कर सकते हैं, कानून के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही करने में, इसमें किसी प्रकार के आरोप का कोई सवाल नहीं है। इसलिए जब आप इस पर बोलें तो बिना आरोप लगाये तथ्य जो आप देना चाहें, तथ्य दे सकते हैं लेकिन आरोप उसमें कुछ नहीं होगा और किसी पर यह जो मेलिसियस....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्षजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पर मैं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करता हूं कि आज आपने इस वक्त

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

भी यह बात कह दी कि मैंने आपका एडजोर्नमेंट मोशन खारिज कर दिया, 119 का भी खारिज कर दिया, खारिज तो आप करेंगे, आपका अधिकार है। आप ही करेंगे, और कौन खारिज करेगा। खारिज करेंगे तो आप करेंगे, स्टेटमेंट दिलायेंगे तो आप दिलायेंगे, एडमिट करेंगे तो आप एडमिट करेंगे लेकिन this is not an opportune time.

श्री अध्यक्ष : किस पर बोल रहे हैं आप ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने अभी खुद कहा है न....

श्री अध्यक्ष : आप मेरी व्यवस्था पर बोल रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं व्यवस्था पर नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं कि आपको व्यवस्था देने का इस वक्त ओकेजन ही नहीं है। आपकी व्यवस्था इस बिल के विषय में उस रोज आई है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आपने नोटिस दिया है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : जी हां।

श्री अध्यक्ष : और मुझे व्यवस्था देने का अधिकार है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इनको बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : हां, तो आप तथ्य बोलेंगे....

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, तथ्य बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : किसी प्रकार का आरोप नहीं होगा....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कोई आरोप नहीं है....

श्री अध्यक्ष : तथ्यों में जो होगा वह अपने आप आ जायेगा। तथ्य बोलिए आप, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो, अध्यक्ष महोदय, इस सब सेक्शन 2 (ए) जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के 15 एएए के अन्दर इन्सर्ट किया जा रहा है इस अमेण्डिंग बिल से, उसको समझने के लिए पहले 15 एएए को समझना जरूरी है। और 15 एएए को समझने के लिए पहले सेक्शन 15 को समझना जरूरी है। लैण्ड रिफोर्म्स जब 1955 में, जिनको लैण्ड रिफोर्म्स कहते हैं, दुनिया भर में हुए हैं, हिन्दुस्तान भर में, तो यह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 जब इनेक्ट हुआ लेजिस्लेशन से पास होकर के, तो राजस्थान के अन्दर बहुत रियासतें थीं, बहुत ठिकाने थे, जागीरदारों के इलाके थे, कहीं पर रिटन परमीशन मिली हुई थी किसी को काश्त करने की, कहीं पर अनरिटन वर्बल परमीशन थी, सेक्शन 15 के माध्यम से ऐसे सब लोगों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। वहां से यह चालू होता है अध्यक्ष महोदय। 1958 में जब राजस्थान केनाल बनना शुरू हुई और वह एरिया डवलप हुआ; वह बहुत कीमती, बेशकीमती

(154)

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जमीन है। अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन विधायिका ने अपनी विजडम् से यह समझा कि वहां की बेशकीमती जमीन में अगर इस प्रकार के खातेदारी अधिकार हमने प्रदान कर दिये किसी के भी कहने से तो यह पुराने जागीरदारों के फर्जी पट्टे और कई आ जायेंगे, जो कुछ भी समझ करके 15 (ए) इन्सर्ट हुआ और 15 (ए) इन्सर्ट करके राजस्थान केनाल एरिया के पूरे इलाके को सेक्शन 15 से एक्सक्लूड कर दिया गया। 1979 में जब सदन के नेता महोदय अपने प्रथम मुख्य मंत्रित्वकाल में यहां विराज रहे थे तब 15 एएए इन्सर्ट होता है। 15 एएए के अन्दर, मैं पूरा पढ़कर सुनाने की अपेक्षा उसको विस्तारपूर्वक स्पष्ट करना अधिक....

श्री केदारनाथ शर्मा : After a very great agitation all over the Raj.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Yes, After a very great agitation. लेकिन एनीवे, मैं उसको फिफ्टीन....

श्री केदारनाथ शर्मा : आफ्टर वेरी ग्रेट एजीटेशन जो है आल ऑफ राजस्थान, स्पेशली बीकानेर डिवीजन, तो तब हुआ है यह।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा। 15 एएए में कहीं पर भी मैं सरकार की सरकार की मंशा में, यह 15 एएए में कोई चैंजेज नहीं कर रहा हूं। मसला तो 15 एएए इन्सर्ट हुआ, पब्लिक इन्टरेस्ट में ही हुआ होगा, एक्जम्पशन यह है, इट इज प्रिज्यूम्ड कि जो भी लेजिस्लेचर काम करती है या जो गवर्नमेंट काम करती है, पब्लिक इन्टरेस्ट में करती है। लेकिन 15 एएए क्या है ? 15 एएए के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, सब सेक्शन 1 के अन्दर दो क्लाजेज दिए हुए हैं। पहला क्लाज (ए) है जिसके अन्दर उन लोगों का हवाला है कि जो मोरूसीदार, टिनेन्ट, ट्रांसफरेबल, हेरिटेबल राइट्स, खातेदार-रिकार्डेड एज सच, यानि इस प्रकार का इन्द्राज हो और क्लाज (बी) के अन्दर वह है कि जो खातेदार, टिनेन्ट, मोरूसीदार, हेरिटेबल, ट्रांसफरेबल राइट्स बट नोट रिकार्डेड एज सच और नोट रिकार्डेड एज सच के लिए सब सेक्सन 2 प्रोवाइड किया गया और यह प्रोवाइड किया गया कि जो रिकार्डेड थे, उनको तो अपने आप खातेदारी मिल ही गई 15एएए से और जो नोट रिकार्डेड थे उनके लिए यह आवश्यक था कि वह असिटेंट कलक्टर के यहां पर एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते और उस प्रार्थना-पत्र को बाकायदा एक सूट की तरह ट्राई करके उनको खातेदारी अधिकार प्रदान कर देता असिस्टेंट कलक्टर। अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात आपको और समझनी होगी कि सेक्शन 15 के अन्दर जो एक्रूअल ऑफ खातेदारी है उसकी डेट लाइन है—एट दी कमेन्समेंट ऑफ दी एक्ट यानि 1955-15.10.55 और जो 15एएए है उसमें भी एक्रूअल ऑफ खातेदारी की डेट लाइन वह 15.10.55 है, एट दी कमेन्समेंट ऑफ दी एक्ट। अब अध्यक्ष महोदय, इस पर्टिकुलर प्रकरण के लिए जहां तक सवाल है, यह एक प्रार्थना-पत्र नरपतसिंहजी रावजी व उनके परिजनों ने सहायक उपनिवेशन आयुक्त, घड़साना के यहां पर प्रस्तुत किया.... (व्यवधान) सुनिये आप। मैं उस पूरे प्रक-

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रण में भी नहीं जाऊंगा। मेरे को इस निर्णय का हवाला देने के लिए इसलिए बाध्य होना पड़ा है, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जिस क्लाज फोर के अन्दर सब सेक्शन 2 (ए) जो इन्सर्ट किया जा रहा है, वह क्यों किया जा रहा है उसको रिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से डाकुमेंट का हवाला असिस्टेंट कालोनाइजेशन कमिश्नर ने दिया है। अब मैं रेलेवेंट पोर्शन आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं। प्रार्थीगण ने जो कि स्वयं को 15.10.55 का कृषक बतलाते हैं वास्तव में रिकार्ड के अवकोलन से दिनांक 14 5.56 से टिनेन्ट की परिभाषा में आते हैं। प्रार्थीगण ने सम्वत् 2010 की ठिकाना प्रिस श्री अमरसिंहजी साहब बादळल बाबत सम्वत् 2010 बीकानेर, राजस्थान की रसीद बही की फोटो स्टेट नकलें पेश की हैं। यह नकलें कानूनन शहादत में नहीं पढ़ी जा सकती। प्रार्थीगण के लिए लाजिमी थी कि असल रसीदें पेश करते तथा इन रसीदों में वर्णित अदायगी को साबित करवाते। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खसरा नम्बर 102 की 25 बीघा भूमि दिनांक 27.11.59 को पूरणसिंह, हरिसिंह वगैरह को प्रार्थीगण द्वारा जरिये बेचाननामा हस्तांतरित करना बताया गया है। धारा 15 एएए के प्रावधानों के अनुसार जो भूमि हस्तांतरित कर दी गई है उसके सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। खरीददार को टिनेन्ट की परिभाषा से अलग रखा गया है यानि खरीददार को टिनेन्ट नहीं माना जा सकता। धारा 15 एएए के अन्तर्गत वही काश्तकार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं जिनके द्वारा कृषि भूमि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभावशील होने की तारीख, जो कि दिनांक 15.10.55 है; राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम, 1984 के प्रभावशील होने एवं लगातार कब्जे में चली आ रही है। प्रार्थीगण के धारण में यह भूमि जेर बहस रिकार्ड के अवलोकन से दिनांक 14.5.55 से उनके कब्जे में आनी पाई जाती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा 15 एएए के अन्तर्गत इस भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं तथा इन्होंने खसरा नम्बर 102 की 25 बीघा भूमि हस्तांतरित कर दी है। इसलिये भी प्रार्थीगण द्वारा 15 एएए के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की मुस्तक नहीं है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि प्रार्थीगण का सर्वप्रथम पंचशाला गिरदावरी सम्वत् 2007 में बड़े सन्देहास्पद हालात में नाम दर्ज किया जाना प्रतीत होता है क्योंकि सम्वत् 2007 की गिरदावरी के खाना नम्बर 7 में आराजी राजे दर्ज किया है जिसके नीचे राजवी अमरसिंह लिखकर काटा गया है। सम्वत् 2007 में भी प्रार्थीगण इस भूमि के काश्तकार होना प्रतीत नहीं होते हैं। यदि यह स्टेट के खातेदार होते तो 2003 को सर्वे में इनके नाम खातेदारी दर्ज होती लेकिन रिकार्ड के मुताबिक इस भूमि के प्रार्थीगण कभी खातेदार नहीं रहे इसलिये प्रार्थीगण का यह कथन कि बीकानेर के टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत बाइ ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हो गये, सर्वथा गलत है क्योंकि न तो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आने से पूर्व खातेदार काश्तकार थे और न ही

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के आने के पश्चात् इनको खातेदार माना गया।....

(6.00 म. प)

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फोटोस्टेट नकलें हैं जिन्हें साक्ष्य के नियम के तहत शहादत में नहीं पढ़ा जा सकता और न ही इन दस्तावेजों को रिलाई किया जा सकता हैं। प्रार्थीगण की ओर से इन फोटोस्टेट नकलों के अलावा और कोई मौखिक व दस्तावेज शहादत पेश नहीं की गई है। उपरोक्त तमाम विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 15एएए खारिज की जाती है।....

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने कोई एक उद्धरण पढ़ कर सुनाया है यह किस आफिसर के फैसले का है? क्या वह अभी भी स्टेण्ड करता है या इसको सेट-असाइड कर दिया गया है हायर अथारिटी ने? यह तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : पहले एक बात मुझे बताइये। आप इस सेक्शन 2ए पर बोल रहे हैं। इस सेक्शन 2ए में केवल यही तो अमेण्डमेंट आया है कि उन्होंने जो सेक्शन 19 में टिनेन्सी एक्ट के अन्दर अधिकार दिया था 180 दिन का और अब उन्होंने इसका टाइम बढ़ा दिया है। एप्लीकेशन फिर भी आ सकती है। बताइये क्या है?

श्री परसराम मदेरणा : 2ए का सेक्शन 19 से कोई ताल्लुक नहीं है। "That is a different clause" No, no, he is not referring to that.

श्री अध्यक्ष : यह अमेण्डमेंट इसी में है।

श्री परसराम मदेरणा : अमेण्डमेंट 2 इज इन क्लाज 4।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं आप।

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज 4 का जो सेक्शन 2ए है जो नया क्लाज अब इन्सर्ट होने जा रहा है इस सम्बन्ध में अब बात चल रही है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्लाज 4 का सब-क्लाज 'बी' Thereby Sub-section (2) is sought to be inserted in 15AAA of Rajasthan Tenancy Act, 1955.

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी का यह सवाल उठाना सर्वथा उचित है और 'एट दी आउटसेट' मैं मानता हूं कि यह फैसला रद्द हो गया। अध्यक्ष महोदय, आप सुनिये....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपीलेट कोर्ट से यह खुद मन्जूर कर रहे हैं कि फैसला रद्द हो गया फिर माननीय सदस्यों का समय जाया करने का कोई मतलब नहीं। फाइनल आर्डर क्या है अभी? अभी एक्जिस्टेंस में है क्या आपका आदेश?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। हां, आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रेवेन्यू कोर्ट का फैसला 17-10-90 का इस आधार पर इनकी रिवीजन मन्जूर करते हुए कि असिस्टेन्ट कोलोनाइजेशन कमिश्नर 'बाई देयर ओन प्लीडिंग्स' याने बार-बार जो कहते हैं रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी, उन्होंने कहीं पर भी दो फाइंडिंग्स असिस्टेंट कोलोनाइजेशन कमिश्नर ने दी। यह अध्यक्ष महोदय, तवज्जोह देने काबिल बात है। एक तो 1955 जो डिक्लाइन की गयी है राजस्थान टिनेन्सी एक्ट जब प्रभाव में आया तब इन्होंने कोई डाकूमेन्ट पेश नहीं किया जिससे इनकी खातेदारी प्रमाणित हो–एक बात। जो डाकूमेन्ट्स इन्होंने पेश किये वह सन्देहास्पद प्रतीत होते हैं, they were not supposed to be genuine by the Assistant Colonisation Commissioner. जहां तक रेवेन्यू बोर्ड का, सेटअसाइड होने का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, यह एक जुडीशियल फैसला है। मैं इसको मानता हूं और इसको चैलेन्ज नहीं करता और, अध्यक्ष महोदय, आपको रेवेन्यू बोर्ड का फैसला इस आधार पर पढ़ना पड़ेगा कि रेवेन्यू बोर्ड ने यह कहा कि : "By their own pleadings, their case squarely falls under section 4-A...." यह खुद कहकर आते हैं कि हम रेकर्डड खातेदार हैं। यह दरख्वास्त पेश की, अध्यक्ष महोदय, जिसका निर्णय मैं आपको पढ़कर सुना रहा था आपकी इजाजत से सदन में। वह दरख्वास्त, इन्होंने खुद ने लिखी है कि हम हैं तो रेकर्डेड खातेदार लेकिन 'बाई अबन्डेन्ट काशन' हमने यह पेश की है। अब इतने बड़े मसले पर रेवेन्यू बोर्ड के फैसले को देखिये :

"In the ordinary course, I would have remanded the matter to the Revenue Appellate Authority, Bikaner, for deciding the petitioner's appeal on merits in accordance with law. But the petitioners have rightly pointed out certain glaring irregularities committed by the Assistant Colonisation Commissioner, which makes his order dated 30th April, 1985 without jurisdiction as a nullity. The petitioners have also filed an application under section 221 of the Act for invoking the Court's powers of general superintendence and control over subordinate courts. I am of the considered opinion that the Board, under revisionary powers, can also examine the legality and propriety of the order dated 30th April, 1985 of the A. C. C." यह अपनी खुद की इनहेरेन्ट पावर्स पर आ गये हैं। अब 4 मार्च, 90 के बाद का फैसला है. अध्यक्ष महोदय। सदन के माननीय सदस्य इसका ध्यान रखें। 4 मार्च, 90 को माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने पदभार संभाल लिया था। अब पैरा 13 का मुलाहजा करें माननीय अध्यक्ष महोदय। झगड़ा तो वहीं है जो जमीन चाहता है। जमीन की मालिक सरकार और सरकार के मालिक मुख्य मंत्रीजी और सरकार का नौकर गवर्नमेंट एडवोकेट और गवर्नमेन्ट एडवोकेट क्या फरमाते हैं....

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी के मालिक सदन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने जो आपको किताब बताई यह तो हाइपोथेटिकल बात है कि मुख्य मंत्री के मालिक सदन है। मालिक तो मुख्य मंत्री है। बहुमत मुख्य मंत्री के पास है, सदन क्या करे।

"The Government Advocate, after carefully going through the pleadings incorporated in the petitioner's application, has clearly conceded that the said application did not have the requisite ingredients under clause 1(b) of sub-section (2) of section 15AAA of the Act. The petitioner's application was misconceived and that the Assistant Colenisation Commissioner has illegally usurped the jurisdiction not vested in him." याने क्लाज 'बी' की एप्लीकेशन के बारे में डिसाइड करने की पावर्स थी–यह गवर्नमेन्ट एडवोकेट खुद खड़ा होकर कन्सीव कर रहा है और गवर्नमेन्ट एडवोकेट ने फोर्जरी वाले इश्यू को उड़ा दिया कि डाकुमेन्ट फोर्ज हुआ है। रेवेन्यू बोर्ड ने भी उड़ा दिया; महज इस आधार के ऊपर, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जजमेन्ट के अन्दर एक जज पहले हर जजमेन्ट के अन्दर फैक्ट्स डील विद करता है। फैक्ट्स डील विद करने के बाद राइबल कन्डीशन्स को डील करता है; दोनों पक्षों की बहस लिखता है और दोनों पक्षों की बहस लिखने के बाद डाकुमेन्ट्स से एवीडेन्स के आधार पर अपना कन्क्लुजन ड्रा करता है और अपनी फाइन्डिंग्स देता है और अन्तिम पैरा होता है जिसमें कोर्ट की मेन्डेट होती है, कोर्ट की डाइरेक्शन होती है, जिसमें कोर्ट हुकुम देता है कि फलां काम करना है उसको आर्डर बोलते हैं। अब यह आर्डर सुनिये अध्यक्ष महोदय :

"In the promise of the above discussion, I accept the revision petition and set aside the judgement of the Revenue Appellate Authority, Bikaner, dated 25th May, 1985, as well as the order of the Assistant Colonisation Commissioner, Gharsana, dated 30th April, 1985.

"I further dismiss the petitioner's application filed before the Assistant Colonisation Commissioner, Gharsana, being not maintainable under clause (b) of sub-section (1) of section 15AAA of the Act.

"The petitioners, if they deem fit............"

यह बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष महोदय,

"The petitioners, if they deem fit, shall be at liberty to seek remedy of declaring of their Khatedari rights in respect of the said land from the court of competent jurisdiction in accor-

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

dance with law." यानि रेवेन्यू बोर्ड में तो जुडिशियल ग्राफिसर थे, उन्होंने बहुत होशियारी से ठीक है जो किया, फोर्जरी की फाइण्डिग्स है यह मैं मानता हूं, लीगल बात है। जजमेंट सैट असाइट हो गया, फोर्जरी की फाइण्डिग्स सैट असाइट हो गई, क्योंकि वह तो पार्ट ग्राफ दी जजमेंट है। यह मेरी कतई बहस नहीं है लेकिन उसने इनको खातेदार नहीं माना। इनको कोई रिलीफ नहीं दिया। उसने कहा कि ग्राप दावा कर सकते हो। यानि कोर्ट ने देख लिया कि मामला गड़बड़ है। यानि जुडिशियल स्क्रूटनी, इस मामले में क्लेम जुडिशियली एक्जामिन हो जाय, इनके डाकूमेंट्स एक्जामिन हो जायं फिर अगर इनको खातेदारी मिलती है तो मिल जाए। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, 26.3.91 को एस डी ओ. साहब के पास इन्होंने खुद ने दरख्वास्त पेश की। कौनसी दरख्वास्त पेश की ? जो दरख्वास्त रेवेन्यू बोर्ड ने खारिज की "I further dismiss the application filed by the petitioner before the Assistant Colonisation Commissioner, Gharsana, as not being maintainable under clause (b) of sub-section (1) of section 15AAA of the Rajasthan Tenancy Act, 1955". The same application is put up again. अब एस.डी.ओ. साहब क्या फरमाते हैं ? आर्डर जो अभी मैंने सदन के सामने पढ़कर सुनाया, "उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अनूपगढ़ व घड़साना को लिखा जावे कि राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 17.10.90 की पालना में राजवी अमरसिंह पुत्र बहादुरसिंह, राजवी जयपालसिंह, राजेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह. नरपतसिंह पिसरान राजवी, अमरसिंह, मोमेवाला के खसरा नम्बर 102 में 188 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर तीन में 98 बीघा एक बिस्वा, चार में 11 बीघा 12 बिस्वा कुल 298 बीघा 9 बिस्वा की पूर्व स्थिति को कायम रखते हुए प्रार्थीगण के पक्ष में रिकार्ड में खातेदारी अंकित करें। पिछली बकाया मालकाना एवं मालगुजारी भी वसूल करें।" यह कहां आर्डर है, साहब ? रेवेन्यू बोर्ड का आर्डर पूरे सदन को मैंने पढ़कर सुनाया है और रेवेन्यू बोर्ड के हुकुम की तामील हो रही है। अब, अध्यक्ष महोदय, मैं उस चर्चा पर इसलिये नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी अपरचून टाइम नहीं है, मैं सिर्फ बिल तक रहूंगा। इसलिये मैं रेफर कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि दो फाइण्डिग्स असिस्टेंट कोलोनाइजेशन कमिश्नर की आलरेडी हैं। उस फाइण्डिग्स को जाने दीजिये लेकिन दो फाइण्डिग्स क्या हैं ? एक फाइण्डिग तो यह है कि 1955 में इनके पास कोई डाकूमेंट नहीं था अपनी खातेदारी साबित करने के लिये। जो डेट लाइन सैक्शन 15 में, सेक्शन 15एएए में, सैक्शन 15एएए के सब सेक्शन 3 में लगातार मुतवातिर चली आ रही है....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह टीनेन्ट की डेफिनेशन बता दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, दूसरा इनका क्लेम टोटल एक फोर्ज्ड

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

डाकूमेंट के ऊपर आधारित है। अब आप सब सैक्शन 2 (ए) में क्या कर रहे हैं? यह देखिये, सब-सैक्शन 2 (ए) में यह कर रहे हैं-"Notwithstanding anything contained in section 15-A, any person who was a holder of khudkasht or a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of khudkasht within the Indira Gandhi Canal area, whether recorded as such at the commencement of this Act or subsequently in the record of rights, prepared duriug the survey or re-survey and record operation conducted under sections 106 and 107 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, (Rajasthan Act No. 15 of 1956), shall be entitled to all the rights, and be subject to all the liabilities, or a khatedar tenant under this Act, with respect to the whole or such part of the land hold as does not exceed the maximum area of land which he is entitled to hold in accordance with the provisions of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973." अब, अध्यक्ष महोदय, जो डेट लाइन राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्दर मुतवातिर चली आ रही है, एट दी कमेन्समेंट आफ दी एक्ट, उस डेट लाइन को आपने एक्सटेंड किया, survey or re-survey and record operations conducted under sections 106 and 107 of the Rajasthan Land Revenue Act, तो आपके वह +++ दस्तावेज के काम आयेगा। मेरा जो सन्देह है वह आपको अर्ज कर रहा हूं। +++ दस्तावेज है या नहीं इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी। क्योंकि सैक्शन 15 के सब-सैक्शन 5 के अन्दर इंक्वायरी का प्रोविजन है, सैक्शन 15 एएए के अन्दर जो कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त में सब-सैक्शन 3 इन्सर्ट किया गया उसमें भी इंक्वायरी का प्रोविजन है, और मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने 15एएए जो इन्सर्ट किया उसमें भी इंक्वायरी का प्रोविजन है, फिर आपने यह जो है, यहां इंक्वायरी का प्रोविजन क्यों हटा दिया? मेरा यही अमेण्डमेंट है, अध्यक्ष महोदय। यानि उस डाकूमेंट की जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सके।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मुझे यह बताइये, इसमें 106 और 107 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के नीचे "सर्वे के बाद" लिखा है। सर्वे होगी। बिना सर्वे तो होगा नहीं आटोमेटिकली किया नहीं है कि आज जो है उनको कर दिया डिक्लेयर। यह तो नहीं है? सर्वे होगी, सर्वे लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक होगी। जब तक सर्वे नहीं होगी तब तक इसका फायदा इनको क्या मिलेगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास वह यूं मिलेगा, अध्यक्ष महोदय....

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : देखिये, इसमें एक थोड़ा सा अन्तर समझिये कि और कैनाल एरिया में हजारों काश्तकार हैं, उन काश्तकारों को ग्रिवान्सेज हो सकती हैं, अब उनकी ग्रिवान्सेज दूर करने के लिये यह अमेंडमेंट आया है। इस अमेंडमेंट का सीधा-सीधा बेनिफिट तो मिलना नहीं है। सर्वे होगी तब कोई बेनिफिट मिलेगा। यह तो है नहीं कि जो रिकार्डेड उस समय थे उनको उन्होंने मान लिया है। अब मान लिया हो, ऐसा तो माना नहीं है। सर्वे पर माना है। अब सर्वे के नियम से होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब मुख्य मंत्रीजी की तरफ से आने दें, आप काहे को जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं लीगल पूछ रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, लीगल बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप चूंकि कानूनी बहस कर रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपसे क्वेरी, अपनी एक शंका पूछ रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपकी क्वेरी सैटिसफाई करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जुडिशियल स्क्रूटनी का प्रोविजन नहीं होने से सर्वे के दौरान कोई भी +++ डाकूमेंट इन्होंने जो आब्टेन किया है और जिस +++ डाकूमेंट को इन्होंने ओरीजिनली पेश नहीं किया असिस्टेंट कालोनाइजेशन कमिश्नर के सामने, जिसको सैकण्डरी एवीडेंस से साबित नहीं कराया, जिसकी फोटो कापी पेश की है, जिसके लिये फाइण्डिग्स हैं उसके आधार पर इनको खातेदारी मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक बताइये, सर्वे जब होती है, इनीशियल सर्वे होने के बाद सैटलमेंट कमिश्नर तक, रेवेन्यू बोर्ड तक उसकी अपील होती है कि नहीं ? सर्वे इनीशियल होने के बाद उसकी अपील असिस्टेंट सैटलमेंट आफिसर, सैटलमेंट आफिसर, फिर सैटलमेंट कमिश्नर और फिर रेवेन्यू बोर्ड, तो जुडिशियल स्क्रूटनी उसको मानते हैं कि नहीं आप ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अपील कौन करेगा ? अपील कौन करेगा ? आपको पढ़कर सुनाया ना गवर्नमेंट एडवोकेट का वर्शन। आप मुख्य मंत्री हैं, कोई अपील करेगा ? एस. डी. ओ. का इतना परवर्स आर्डर है, साफ-साफ +++ है, वह कहता है, इस आर्डर में कैसे किया, सर ? and it is an executive order, this is not a Judicial order. मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह आर्ग्यूमेंट का विषय नहीं है, सरकार का जवाब आ जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो केवल इतना ही बताया है कि जो आपने जुडिशियल स्क्रूटनी की बात कही....

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, जुडिशियल स्क्रूटनी की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, तो वही मैं कह रहा हूं ...

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप, अध्यक्ष महोदय, यह बताइये कि कौन अपील करेगा ? यानि जो जमीन लेने वाले हैं ? सरकारी वकील तो अपील करेगा ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : मेरा यह प्रश्न नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हुई कि नहीं ? जब सैटलमेंट, असिस्टेंट सैटलमेंट आफिसर, सैटलमेंट आफिसर, सैटलमेंट कमिश्नर यह जांच करेंगे तो उसको आप जुडिशियल स्क्रूटनी मानते हैं कि नहीं, यह पूछ रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, नहीं करेगा । नहीं करेगा । सैटलमेंट में अमीन करेगा । सैटलमेंट कमिश्नर के पास तो अपील जाती है । अमीन करता है वह तो । कमिश्नर के पास जायगा कौन ? मुख्य मंत्रीजी मालिक हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट, इनके आगे कौन जायेगा अपील में ? आप क्या समझते हो कि....

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके प्रश्न को माननीय सदस्य समझ ही नहीं रहे हैं । सैक्शन 106, सैक्शन 107 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट एक जुडिशियल प्रोसेस है —

श्री अध्यक्ष : बिलकुल, एक्जेक्टली ।

श्री गंगाराम चौधरी : उसके अन्तर्गत जो भी निर्णय होते हैं वह असिस्टेंट सैटलमेंट आफिसर ऐज जुडिशियल आफिसर करता है, फिर उसकी अपील होती है । आपने फरमाया वह बिलकुल सही है । उसको वह मान ही नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं मानें, इनकी मर्जी है ।.... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : बैठ जाओ, बैठ जाओ ।

एक माननीय सदस्य : आपका टाइम हो गया खतम ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, बोलिये । बोलिये आप ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं, अध्यक्ष महोदय, एक बात कहता हूं । यह एस डी ओ रायसिंहनगर का 26-3-91 का फैसला मैंने पढ़कर सुनाया है । राजस्व मंडल, अजमेर के आदेश दिनांक 17-10-90 की पालना में खातेदारी दे दी जाय । यह अगर उसने सही लिखा है, मैं अभी रिजाइन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, एक मेम्बर खड़ा होकर कह दे । इस आर्डर का क्या किया आपने ? आज तक क्या किया ? आपकी सरकार है, आप मालिक हैं । और आप कह रहे हैं कि अपील होती है । कोई अपील नहीं होती । अपील तो एग्रीव्ड आदमी करता है । आप क्या समझते हैं कि सुरेन्द्र व्यास मुकदमा लड़ने जायगा वहां । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं नरपतसिंहजी राजवी से कभी नहीं मिला, मेरी उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, यह एक संयोग की बात है कि एक केस मेरी नजर में आ गया और उस केस में मुख्य मंत्रीजी के प्रभाव का दुरुपयोग हो रहा है, यह मुझे निश्चित लगता है तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं । आप उस बात को इतना क्यों ले रहे हैं ? इस आर्डर का क्या किया आज तक ? आज तक इस आर्डर का क्या किया ? गंगारामजी, आप राजस्व मिनिस्टर रहे हैं, माननीय राजस्व मंत्रीजी,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह आर्डर सही है क्या ? यह आर्डर सही है क्या, आप यह बता दीजिये ।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सदस्य, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर यह आर्डर सही है रेवेन्यू बोर्ड का आर्डर पढ़कर सुनाया कि दावा करो....

श्री अध्यक्ष : अब टुकड़ों में मत पूछिये । वह जवाब दे देंगे आपको । आप अपनी बात कहिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो अपनी बात कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये, वह आपको जवाब दे देंगे । आप अपनी बात कहिये । हां, कहिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने चार अमेंडमेंट दिये हैं । एक तो सबसे बड़ा जो भ्रामक कथन एम्स एण्ड आब्जेक्टस में वर्णन किया गया है मंत्रीजी की तरफ से, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री राममेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन है । काफी देर से मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बहस जारी रखी है । इस बहस में उन्होंने कुछ जजमेंट भी पढ़कर सुनाये । जहां तक मैं समझ पाया, सदन समझ पाया या आप समझ पाये, मैं समझता हूं आप समझ गये होंगे लेकिन मैं यह जानकारी चाहता हूं कि इस मामले में जिस प्रकरण में आप जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, यह प्रकरण फाइनली डिस्पोज आफ हो चुका है या नहीं ? यह प्रकरण अभी किसी न्यायालय में पैंडिंग है ? यह नतीजा जब तक सदन के सामने नहीं आये तब तक हमें इस पर इतनी गंभीरता से चर्चा नहीं करनी चाहिये । जहां तक मैं समझ पाया हूं, क्योंकि अगर किसी न्यायालय में यह मामला पैंडिंग है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं है, नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसीलिये कहा कि यह बिलकुल लीगल मामला है । (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये कहना चाहता हूं कि जब किसी न्यायालय का जजमेंट हो चुका और उसमें स्पेसिफिक फइण्डिग्स हैं कि सैक्शन 15 एएए की प्रोसिडिंग्स सैट असाइड हो करके सैपरेट काम्पीटेंट कोर्ट में अपना सूट फाइल करे । जब यह है तो मैं समझता हूं कि किसी भी नागरिक को कानून के तहत किसी भी न्यायालय में जाने का उसको अधिकार है और अगर कोई जाता है तो क्या इस सदन के माध्यम से हम उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते । जहां तक इस अमेण्डमेण्ट के सैक्शन 15 एएए का अमेण्डमेण्ट है, उस वक्त 77 में मैं भी विधायक था, बहुत बड़ा गंगानगर साइड से एजिटेशन हुआ । गंगानगर जिले के और आसपास के कैनाल एरियों के लोगों ने एजिटेशन किया । वहां के विधायकों ने, डूडी साहब और प्रो. साहब वगैरह थे, इन्होंने बड़ा दबाव दिया

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

सरकार पर, क्योंकि दोनों मंत्री थे लेकिन जयपुर रीजन के हम माननीय सदस्यों ने इस बात का दबाव दिया कि सैक्शन 15 एएए में तब तक अमेण्डमेण्ट नहीं हो सकता जब तक कि जयपुर रीजन के सब टीनेण्ट को सैक्शन 19 में खातेदारी अधिकार नहीं दिया जाय। माननीय गृह मंत्रीजी भी इस पक्ष के थे। क्योंकि राजस्थान में सब टीनेण्टी की जो संख्या थी उस वक्त, वे 4 लाख 89 हजार ऐसे किसान थे जो सब टिनेण्ट की हैसियत से काश्त कर रहे थे और फिर सरकार ने इस पर इस गम्भीरता से चिन्तन कर के इन दोनों सैक्शन में एक साथ अमेण्डमेण्ट किया। भारत सरकार ने इस बिल को वापिस टर्न डाउन कर दिया, इस आधार पर कर दिया राष्ट्रपतिजी ने कि यह सीलिंग ला को डिफीट देने के लिए अमेण्डमेण्ट लाया गया है। मुख्य मंत्रीजी ने फिर इसमें पुनः एक प्रोविजो क्लाज जोड़ कर के कि यह सब टीनेण्ट का जो मामला है यह सीलिंग से अफेक्टेड सरप्लस लैण्ड पर एप्लिकेबल नहीं होगा और जब यह भारत सरकार में गया उस वक्त चौधरी साहब वहां पर प्रधानमंत्री थे। 26 दिसम्बर को प्रेसिडेण्ट की असेण्ट मिली और 31 दिसम्बर, 1979 को गजट नोटिफिटकेशन हुआ। दैव संयोग इस सरकार का परिवर्तन हो गया और इस अमेण्डमेण्ट का फायदा जिन किसानों को राजस्थान में मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। वर्तमान में जो अभी राजस्व अभियान चला, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी और इन्दिरा नहर मंत्रीजी मेरे क्षेत्र में दो जगह गये थे, वहां हजारों की तादाद में लोगों ने इस बात की शिकायत की। मैं माननीय सदस्यों को यह भी कहना चाहूंगा कि दूदू, फागी और स्वयं मालपुरा के कम से कम एक कांस्टीट्युएंसी में एक हजार से कम किसान नहीं होंगे जो सब टीनेण्ट की हैसियत से उनको खातेदारी अधिकार उसी वक्त मिल जाना चाहिए था, उन्होंने गलती से एप्लिकेशन मूव नहीं की इसलिए सरकार के सामने यह चिन्ता आयी, हमने भी इस बात के लिए कई बार सरकार से निवेदन किया कि सैक्शन 19 में इसका अमेण्डमेण्ट किया जाय ताकि किसानों को राहत मिल सके और मैं समझता हूं ऐसा ही प्रो. साहब ने कहा है। तो मैं समझता हूं इसमें ऐसी कौनसी बात है कि इसके अमेण्डमेण्ट से आप ज्यूडीशियल इंक्वायरी की बात कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सिम्पल एप्लिकेशन तहसीलदार या एस.डी.ओ. के पास जाती है उसको एक साधारण काश्तकार मनाने के लिए, उसको कितने दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, कितने वकीलों के घर उनको जाना पड़ता है। अगर इसमें समरी इंक्वायरी हो कर के और लाखों की तादाद में अगर किसानों को बेनिफिट देने का अमेण्डमेण्ट है, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के इतिहास में एक अच्छा अवसर है और मैं तो इस बात के लिए राजस्व मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं शायद अपनी कमजोरी मानता हूं कि मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर सका या इन्होंने पढ़ा नहीं। मैं सैक्शन 19 की बात ही नहीं कर रहा हूं और न मैं सैक्शन 15 एएए का विरोध कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आप तो नहीं कर रहे हैं मगर इसमें अमेण्डमेण्ट आया है। सेक्शन 5 में, वह कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, साहब, 15 एएए का कहां कर रहा हूं। नहीं, वह नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे अध्यक्षजी ने, अभी भोपालगढ़ से आने वाले हमारे वरिष्ठतम् सदस्य हैं, उन्होंने आपको क्लियर किया था, एतराज सिर्फ क्लोज 4 पर है, बाकी बिल पर नहीं है और क्लोज 4 पर ही गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री अध्यक्ष : इन्होंने तो काश्तकारों के हित की बात कही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य को पुनः पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि मेरा 15 एएए से कोई विरोध नहीं है। 15 एएए, मुख्य मंत्रीजी ने, जब यह पूर्व मुख्य मंत्रीजी थे, इन्सर्ट किया, मैं कहां कह रहा हूं गलत हुआ है, इसमें इन्क्वायरी का प्रोविजन है और चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कदाचित अगर यह क्लोज पढ़ लिया होता, मेरी यही तो आपत्ति है कि समरी इंक्वायरी नहीं है इसमें, इंक्वायरी नाम की चीज ही नहीं है इसमें, और आपत्ति क्या है, आपत्ति यही है कि जुडीशियल इंक्वायरी, समरी हो या इलबरेट हो, इससे मतलब नहीं है। There is nothing like enquiry, which has been altogether dispensed with. Enquiry which is mandatorily provided....

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट मत करिये। देखिये आपने अपना व्यू रख दिया.... He favours summary enquiry. यह इंक्वायरी नहीं फिर वह तो उनका कहना यह है कि काश्तकारों को खातेदारी मिल जाय और उनको परेशानी में नहीं पड़ना पड़े, इसलिए इन्होंने सपोर्ट किया। आप उसकी इंक्वायरी चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Who opposes it ?

श्री अध्यक्ष : आप।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 79 में 15एएए को पायलट मैंने किया था इस हाउस में। उसके जो सब सैक्शन एक है, उसके ए और बी पार्ट हैं। यह माननीय राजवीजी ने बहुत गलत किया कि एप्लिकेशन ए सी.सी. को दे दी। इनका तो जो राइट है वह तो रिकार्ड में है। 53 में छत्तरगढ़, जो घड़साना की जागीर थी उसमें एण्ट्रीज हैं, सारी पत्रावली की एण्ट्रीज हैं...

श्री अध्यक्ष : यह तो रेवेन्यू बोर्ड ने कहा है, this is what the Revenue Board has said.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह नहीं कहा, ना-ना-ना।

श्री अध्यक्ष : अब इन्होंने कहा है कि दे आर आलरेडी रिकार्डेड। 'बी' में खारिज करने का मतलब यही है ना। (व्यवधान)....

श्री केदारनाथ शर्मा : तो 15 एएए, सब सेक्शन एक और उसमें ए पार्ट में

(श्री केदारनाथ शर्मा)

ऐसे खातेदारों को सूस्रो मोटो खातेदारी राइट एक्रू हो जाती है। एप्लिकेशन मूव करने की जरूरत ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यही कहा है रेवेन्यू बोर्ड ने और इसलिये बी में खारिज की है।

श्री केदारनाथ शर्मा : ए.सी.सी. में इन्होंने 80 में एप्लिकेशन दी और, अध्यक्षजी वह जमीन है 299 बीघा और उस वक्त कीमत क्या थी ? मैं उस स्टेट में रहा हूं, माननीय कल्लाजी जानते हैं, दो पैसे बीघा जमीन की कीमत थी, दो पैसे। कोई लेता ही नहीं था इसलिये, अध्यक्षजी, माननीय अमरसिंहजी हमारे डिवीजन में जो हार्ड ग्रोनेस्ट अफसर हैं, कोई उनके ऊपर उनकी इण्टीग्रीटी के बारे में, उनकी ग्रोनेस्टी के बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकता। अब ठीक है यह 51 में पैदा हो गया यह बच्चा जो है, सॉरी, यह लड़का, यह 53 की इसलिए बी जो है उसमें 15एएए सब-सेक्शन एक में जो बी है हमने इसलिए जोड़ी जिनके पास रिकार्ड नहीं है उनको हमने एक अपार्च्यूनेटी दी है कि आप कमेंसमेंट ऑफ दी एक्ट के बाद अपनी-अपनी चीज मूव कर दो। आप साबित कर दो कि हमारा किसी न किसी जमीन पर हक है। टीनेण्ट के रूप में, आक्यूपेन्सी राइट के रूप में, किसी न किसी रूप में है, तो हमने उनसे पैसे लेकर उनको भी खातेदारी उसमें दी और थर्ड आती है, जिनका कोई रिकार्ड नहीं ऐसे इलाके जिनका सर्वे नहीं हुआ, सैटलमेंट ऑपरेशन भी नहीं हुआ वह तो कुछ गांव हमारे कोलायत में हैं और सारे गांव हैं जैसलमेर में। माननीय परसरामजी, मुझे याद है कि आपने यह पाइन्ट रेज किया था कि इनका क्या होगा ? तो इसलिए यह जो क्लोज है यह उनको कवर करने के लिए किया था, लगातार कब्जा उनका है और रिकार्ड नहीं है उनके पास, तो आप एक केस को मिस कंस्ट्रू कर के जितनी लीगल विजड्म है उतनी तो मेरी नहीं है, आपकी लीगल विजड्म के आप मालिक हो, अच्छा बोलते हो, लीडर हो, यहां तक मैं दाद देता हूं। मिस कंस्ट्रू कर दिया एक केस को लेकर के, राजवी के केस को लेकर जो हजारों काश्तकारों को इस अधिकार से डिप्राइव करना चाहते हो, इसलिए यह क्लोज माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो किया वह ठीक है। उन काश्तकारों को खातेदारी मिल जायेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्देशानुसार सिर्फ जो अमेण्डमेंट मैंने दिया है इस बिल से संबंधित बात बोल रहा था लेकिन अनावश्यक रूप से कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी निजी जानकारी को आधार बनाकर यहां बातें कही हैं। पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो छत्तरगढ़, बीकानेर से रसीद पेश की गई है, अध्यक्ष महोदय, वह रसीद 25 बीघा की गई है, 298 बीघा की नहीं है। जबकि यह सिलसिला आज चर्चा में आया है, उस 25 बीघा को पूरणसिंह को, हरिसिंह को पंजाब के काश्तकारों ने 15ए के वायोलेशन पर बेचान किये और इसलिये खातेदारी अधिकार उनका वहां से जाता रहा। 273 बीघा का तो कोई रिकार्ड नहीं है सिर्फ 25 बीघा का यह खुद, इसलिए यह कहना, दूसरी बात,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रेवेन्यू बोर्ड ने, अध्यक्ष महोदय, कहीं यह नहीं कहा कि यह रिकार्डेड खातेदार हैं। रेवेन्यू बोर्ड ने कहा कि यह आज खुद अपने आपको खातेदार कहते हैं इसलिए इनका केस क्लोज ए में आता है और अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक बात कही है, असली बात तो वही है मैं इससे कहां इन्कार करता हूं, मैं इनके क्लेम को ज्यूडिशियल इंक्वायरी तो मांगता हूं, ज्यूडिशियल स्क्रूटनी की मांग कर रहा हूं। मैंने एफ आई.आर. दर्ज कर रखी है, आप इन्वेस्टी. गेट करो, यह भी हैं....

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप अपनी बात पर रहिये, इसमें क्यों जा रहे हैं। फिर उसके डिटेल में 10 बात खड़ी होगी। आप अपने इस पर, विधेयक जनमत के लिए; हां, यह बोलिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, यही मैं बोल रहा हूं। अब अध्यक्ष महोदय, यह एस.डी. ओ. का आदेश मैंने पढ़ के सुनाया, फिर राजस्व मण्डल का आदेश पढ़ कर सुनाया, खुद गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य यह मानते हैं कि साहब, यह एस.डी.ओ. गलत हुआ। एस डी.ओ. गलत क्यों हुआ ? इन्होंने खुद जाकर दरख्वास्त पेश की कि, मैं यहां से पढ़ता हूं आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राजवी अमरसिंह पुत्र बहादुरसिंह वगैरह ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो मेरे रिकार्डेड खातेदार हैं। उपनिवेशन विभाग द्वारा उन्हें 2016 में भी खातेदार घोषित कर रखा है। 2016 (59) 155 डैड लाइन है आप समझ रहे हैं ना अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह डैड लाइन यानि कोई डाक्यूमेंट उन्होंने कबाड़ रखा है, प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रार्थीगण द्वारा 2010 एवं 2000 के परचा खतौनी की चित्र प्रति फोटो कापी पेश की है। उन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र में यह भी निवेदन किया है कि 2016 के रिकार्डेड खातेदार होने के बावजूद भी रिकार्ड में उन्हें आज भी आदात्री काश्तकार माना जा रहा है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 15एएए के आने से पहले ही उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। दिनांक 30.4.85 को सायलान की 15एएए की दरख्वास्त सहायक उपनिवेशक आयुक्त, घड़साना, अनूपगढ़ द्वारा खारिज कर दी गई। इस निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में अपील पेश की, जो खारिज कर दी गई। इस अपील के खारिज होने के बाद प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी पेश की गई। राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दोनों मातहत अदालतों के निर्णय को निरस्त कर 17.10.90 को रिवीजन मंजूर कर ली। राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 17.10.90 के अनुसार वह रिकार्डेड खातेदार हैं। कहां है ? निर्णय आपने पढ़ लिया पूरा। परन्तु तहसीलदार अनूपगढ़, घड़साना उन्हें रिकार्ड में खातेदार अंकित नहीं कर रहे हैं तथा उनसे पिछली बकाया

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मालखाना व मालगुजारी वसूल नहीं की जा रही है इसलिये तहसीलदार, अनूपगढ़ मोमेवाला को खसरा नम्बर फलां-फलां के 298 बीघा की खातेदारी रिकार्ड में अंकित करने एवं पिछला बकाया मालखाना एवं मालगुजारी कायम की जाकर वसूल किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली तथ्य के रिकार्ड के अवलोकन से ....

श्री अध्यक्ष : अब आप इसमें . देखिये इसमें जो आप जनमत जानने के लिए भेज रहे हैं उसके प्रिंसीपल पर बोलना चाहिए था और अपने जो अपनी बात कही, वह कह दी। अब उसको ध्यान में रखते हुए इसके प्रिंसीपल पर बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, प्रिंसीपल पर आ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : हां, उसी पर बोलिये। उसको क्यों रिपीट कर रहे हैं बार-बार।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मोटा झगड़ा कहां शुरू होता है। देखिये, सुनिये। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, यह जो रेवेन्यू बोर्ड का फैसला है....

श्री अध्यक्ष : फिर आप उसी पर आ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। पढ़ नहीं रहा हूं। This is a final order. This is a judical order, this is a final order and I bow my head before it. यह बिलकुल फाइनल है। यह आपका जो फैसला है असिस्टेंट कालोनाइजेशन कमिश्नर का, यह सैट असाइड हो गया, यह भी सत्य है, this is not a judiical order. This is an executive order. एस.डी.ओ. के यहां पर इन्होंने कोई, अगर यह लोग जाकर दावा दायर करते और दावा दायर करके अगर....

श्री अध्यक्ष : इसमें यहां क्या है, देखिये इस एक्ट के ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह इन्होंने चालू किया है....

श्री अध्यक्ष : अब उससे कोई मतलब नहीं। आप अपने एक्ट की बात पर आइये। इससे क्या करना है इसीलिये मैंने आपको निवेदन किया है कि इट इज ए लीगल पाइन्ट। उससे भिन्न-भिन्न राय हो सकती है लेकिन उस पर डिसकशन मत करिये। इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं अध्यक्ष महोदय, यह नहीं होगा। जो आब्जर्वेशन आप उचित समझें कर दें। जो माननीय सदस्य कहें, उनके जवाब भी नहीं देने देंगे। मैं बोल रहा हूं। मैं विषयान्तर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपनी राय दी है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, राय दी है तो मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : किसका जवाब देंगे ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह जवाब ही दे रहा हूं ना मैं उसका।

श्री अध्यक्ष : भई आप अपनी राय दे रहे हैं, वह अपनी राय दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह राय दूसरे प्रकरण पर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, उस राय को, उन्होंने बहुत ब्रोड बात कही है। माननीय प्रोफेसर साहब ने भी, उन्होंने किसानों के हित के बारे में बात कही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कब मना कर रहा हूं ?

श्री अध्यक्ष : अब आप क्योंकि लीगल बहस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात कह दी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, लीगल बहस नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री अध्यक्ष : तो यह बताइये आप कि यह जो अमेण्डमेंट आ रहा है, यह किसानों के हित में क्यों नहीं है ? यह बताइये ना। हां, इसी प्रिंसीपल पर आइये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बता रहा हूं ना आपको। अध्यक्ष महोदय, एक बात और बताऊं आपको, आज यह बात भी आपको बता रहा हूं कि लगातार जो बात कही जा रही है ना 7.11, 9.11 the Chief Minister may kindly note the date. 9th November, 1976. An enquiry conducted by M. D. Sharma, Additional Colonisation Commissioner; R.K. Gupta, Assistant Commissioner; Balu Ram, Assistant Commissioner, यह 8 पेज की रिपोर्ट मेरे पास है। अभी बिल से सम्बन्ध नहीं है। इसमें इनके सब डाक्यूमेंट फर्जी माने हैं। कोई लगातार कब्जा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फिर उसी पर आ गये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब मैं नोटिस में डाल रहा हूं उन्होंने कहा लगातार....

श्री अध्यक्ष : कितनी बार डालेंगे। वह तो आप डाल चुके। You have already read this Assistant Commissioner's judgement.

आप उसको पढ़ चुके हैं। अब उसको बार बार....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अब यहां सदन में बैठकर मैंने तो चर्चा नहीं की, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप जो बात कहना चाहते थे, वह एक बार कहिये, दो बार कहिये....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : You have already done it.

आपने मैन्शन कर दिया। आपने वह असिसटेंट कमिश्नर का फैसला पढ़कर सुना दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, रिपोर्ट है, यह वह नहीं है। रिपोर्ट है, इनक्वायरी रिपोर्ट है, असिसटेंट कोलोनाइजेशन कमिश्नर का फैसला नहीं है। एडीशनल कमिश्नर, तीन आदमियों की रिपोर्ट है, एक की नहीं है। एडीशनल कमिश्नर कोलोनाइजेशन एन. डी. शर्मा, आर. के. गुप्ता, असिसटेंट कमिश्नर, बालूराम असिसटेंट कमिश्नर, तीन आदमियों की रिपोर्ट है 9-11-76 की। सवाल यह है कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे-बैठे अपनी जानकारी से सर्टिफिकेट अवार्ड करते रहेंगे कि साहब शुरू से यह कब्जे में थे। आपको जानकारी नहीं है। आप किसानों की बात कहते हैं, मैं आपके आगे इस बात के लिए सिर झुकाता हूं। लेकिन जो मेरे पास फुल प्रूफ केस है, उसको आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी से सर्टिफिकेट अवार्ड कर रहे हैं। आप देखने गये थे वहां कब्जा है। यह तीन अफसरान कह रहे हैं। इन्होंने कहा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप जाने दीजिए। दो मुख्य बात पकड़ में आती हैं। यह जो एस डी.ओ. का आर्डर है, यह कोई फैसला नहीं है, it is not a judicial order. मेरे को कहते हैं एस.डी.ओ. के खिलाफ अपील करें। किस बात की अपील करें। This is not a judicial order. It is an executive order, इसलिए कहां अपील करूंगा मैं। तो अध्यक्ष महोदय, सीधी बात यह है कि दावा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि वह डाक्यूमेंट्स की ज्यूडिशियल स्क्रूटनी होती है, शहादत आती है दावे के अन्दर, तनकी बनती है दावे के अन्दर, दस्तावेज आते हैं....

श्री अध्यक्ष : तो उससे इसका क्या संबंध है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसी से ताल्लुक है।

श्री अध्यक्ष : तो वह बतलाइये ना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब दो बात हुई ना, अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर का नाम लेकर के....

श्री अध्यक्ष : आप जैसलमेर के लिए कहो ना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में क्या लिखा है?

"It has been observed that tenants holding land in areas falling under the erstwhile State of Jaisalmer did not apply for claiming Khatedari rights. It is also observed that in such areas the annual registers were not maintained for recording the status of the land-holders. However, from 1952, survey for recording land rights has been conducted in such areas. In view of these facts, it has been decided that new sub-section (2-A) may be inserted in section 15-AAA of the Act so that any person who was a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

of Khudkasht within the Rajasthan Canal area, now renamed as Indira Gandhi Canal Area, whether recorded as such at the commencement of this Act or subsequently in the record of rights prepared during the survey or re-survey and record operations conducted under sections 106 and 107 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956) may be entitled to all the rights and be subject to all the liabilities of a khatedar tenant." आप लाये क्या इस एक्ट को ? "Notwithstanding anything contained in section 15-A, any person who was a holder of khudkasht or a tenant of land otherwise than as a subtenant or a tenant of khudkasht within the Indira Gandhi Canal area, whether recorded as such ..." कहां है रिकार्डेड। आपका आब्जेक्ट तो जैसलमेर....

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेण्ट इसको डिसक्रिमिनेट करे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : किसका डिसक्रिमिनेट करें।

श्री अध्यक्ष : इसमें केवल जैसलमेर का लिखें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल करना पड़ेगा अगर आपको जैसलमेर की तरफ....

श्री अध्यक्ष : Then it will be struck down by the High Court. It will be a discriminatory Act.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह स्ट्रक डाउन अब होगा। अध्यक्ष महोदय, मेलीशस लेजिस्लेशन होगा यह। एक आप अपनी जमीन को बचाने के लिए...

श्री अध्यक्ष : आप जो चाहें कहें लेकिन यह तो इतनी सामान्य बात समझिये कि सरकार एक ही केनाल एरिया में डिसक्रिमिनेट नहीं कर सकती। वही इंदिरा गांधी केनाल उधर है, वह ही उधर है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आप उस लीगल बहस में पड़ेंगे तो सरकार को क्लेसीफिकेशन करने का राइट है लेकिन उस क्लेसीफिकेशन के पीछे रेशनल होना चाहिए और जैसलमेर के पीछे रेशनल हैं क्योंकि जैसलमेर का ही आब्जेक्ट इन्होंने लिखा है। फिर आपने एम्स एण्ड आब्जेक्टस में जैसलमेर क्यों लिखा ? क्यों नहीं लिखा इस राजस्थान केनाल एरिया को पूरा। अध्यक्ष महोदय, मेरा यही तो निवेदन है कि इनके पास जो डाक्यूमेंट थे वह डैट लाइन.......

श्री अध्यक्ष : फिर आप उसी पर आ रहे हैं। आप प्रिंसीपल की बात करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, खत्म कर रहा हूं। प्रिंसीपल की ही बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप उसी की बात करते हैं तो आपने असिस्टेंट कमिश्नर का फैसला पढ़ा है ? नहीं, आप उसी की बार बार करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 1956 की उन्होंने रसीद पेश की है और आपने जो मेरे पास पेश किया है उसमें 1956 की नहीं.... (व्यवधान) प्लीज हियर मी। (व्यवधान) प्लीज हियर मी। सुनिये, आप जब फैक्ट पर जा रहे हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : लिखा है उसके अन्दर।

श्री अध्यक्ष : सुनिये पहले। 1956 की रेण्ट की रसीद उन्होंने पेश की है जो डेफीनेटली 1956 से सम्बन्धित है। 1956 में रेण्ट की रसीद दी है जो 1956 से सम्बन्धित है और आपके कमिश्नर के फैसले में है यह। At least he has agreed that they were in possession since 1956. It has become a purely legal maamla. There may be hundreds of cases like that. फैक्चुअल में कोई झगड़ा नहीं है इसमें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा अमेण्डमेंट क्या है ? "Such khatedari rights shall accrue to the above mentioned persons only after judicial scrutiny........" अगर इनका है तो मना कौन करता है। ज्युडिशियल स्क्रूटनी से क्यों डरते हो आप.... (व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, आप बीच में बहस में मत बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं बहस में नहीं बोल रहा हूं। जो डाक्यूमेंट्स आपने मेरे पास पेश किये हैं उनको मैंने पढ़ा है और जिनको पढ़कर मैंने व्यवस्था दी है। मैं उसको रैफर करूंगा कि 1956 में असिस्टेण्ट कमिश्नर ने स्वीकार किया है कि रेण्ट नोट 1956 का है। लेकिन उसने यह कहा है कि 1956 में मान लिया जाय 1955 में नहीं माना जायेगा, यह कहा है। यह 56 का मतलब एक साल का अन्तर है। तो जो आदमी 56 से काबिज है तो उसकी ड्यूरेशन....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने जो फरमाया....

श्री अध्यक्ष : वह तो होगी, नहीं होगी। अब कैसे हो जायेगा, 90 कैसे हो जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड ऑफ राइट्स में अगर कैटेगिरी एक में लेते हो 15-एएए को - तो "At the commencement of this Act" which means 15th October, 1955.

श्री अध्यक्ष : देखिये, परसरामजी, इसलिये मैं कह रहा हू this has become a purely legal matter इसमें देखिये, सवाल है कि आप जिनके बारे में बार-बार कहें कब्जे की बात, यह कोई 90 में कब्जा नहीं हुआ है। यह इनके तथ्यों से....

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, मैं 90 के कब्जे में नहीं जा रहा हूं, मैं रिकार्ड की जो बात कही जा रही हैं जब मैं बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कब्जा 90 में हुआ

(श्री अध्यक्ष)

जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने 1956 तो मान लिया है तो kabza goes back 56 से 90 के बीच का कब्जा तो माना जायेगा कि नहीं ? तो it is a purely legal matter कि वह एप्रोच क्यों नहीं किया या वह कोर्ट में क्यों नहीं गया—there may be hundred reasons for that. लेकिन यह कब्जे का जहां तक सवाल है यह आफ्टर 90 नहीं हुआ it has been proved.

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अब आप जब इस फैसले का हवाला दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी क्या कह रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय मदेरणा साहब ने कहा कि 15.10.55 अपाइण्टेड डेट है और उस दिन आदमी खातेदार होना चाहिए। आपने फरमाया था कि मई 1956 में रसीद लगान की पेश की है और मेरा निवेदन इसमें यह है कि जो हमारा सम्वत्, यह जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चलता है एग्रीकल्चर का, वह एक जुलाई से चलता है। 1 जुलाई, 1955 से लेकर के 30 जून, 1956 तक लगान जिसने पेश किया वह उसी सम्वत् का माना जायेगा। यह लगान सम्वत् 12 का है।

श्री अध्यक्ष : हां, तो वह आ गया ना उसी डेट में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है....

श्री अध्यक्ष : आप देखिये, please don't enter into this legal....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्षजी, यह क्या तरीका है आप तो मर्जी आये बोलते हैं, बोलने नहीं देंगे क्या आप ?

श्री अध्यक्ष : अच्छा बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या बात हुई। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, जिस बात का आप हवाला देंगे मैं जवाब देऊंगा और आप +++ नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, बात सुनिये, जिस रसीद का आप हवाला दे रहे हैं उस रसीद के बाबत। असिस्टेंट कालोनाइजेशन कमिश्नर यह लिखते हैं कि यह फोटो कापी है, फर्जी है, काटा-पीटी की गई है। आप उसकी बात तो करते नहीं।....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ कर सुनाइये।

श्री गंगाराम चौधरी : कहां फर्जी है, आप गलत कर रहे हैं। कहीं भी फैसले में फर्जी शब्द नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़कर सुनाइये। You don't level such charges against me.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं मैंने कोई चार्ज नहीं लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष : You read it. Go through it.

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां क्यों नहीं पढ़ूंगा, गलत थोड़े ही बोल रहा हूं। पूरा पढ़ा है, आपके सामने पूरा पढ़ा है। इन्होंने रसीद पेश ही नहीं की, साहब। असल में खसरा नम्बर–2, यह 14.5.56 में जमा हुई है, खसरा नम्बर–3, इसकी भी 14.5.56 में जमा करवाई गई है। राजस्थान काश्तकारी नियम की धारा 15-एएए के अन्दर, यह आगे है, वह तो आप यह सीधा ही पढ़ना चाहते हो क्या। सर्वप्रथम पंचसाला गिरदावरी सम्वत् 2007 में सन्देहास्पद हालत में नाम दर्ज किया गया....

श्री अध्यक्ष : मैं आज की नहीं कह रहा हूं, 56 की बात कह रहा हूं, आप आज की बात कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह साहब, 56 की फोटो कापी पेश की है, ओरिजिनल पेश नहीं की।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये, फोटो कापी, जो रसीद दी है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : एडमिसिबल नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं है, एडमिसिबल....

श्री अध्यक्ष : नहीं होगी, लेकिन....

श्री सुरेन्द्र व्यास : ओरिजिनल डाक्यूमेंट पेश करना पड़ता है या सैकण्डरी एवीडेंस में साबित कराना पड़ता है। और अध्यक्ष महोदय, झगड़ा क्या है, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, कुल मिलाकर मैं पिछले छः महीने से क्या कह रहा हूं। यदि इनका केस सही है तो ज्युडिशियल इन्क्वायरी क्यों नहीं कराते अगर झगड़ा (व्यवधान) ...अध्यक्ष महोदय, यह क्या है, साहब।....

श्री अध्यक्ष : Please come on the principles of the Bill.

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्यों से कहें, मैं जल्दी ही खत्म कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : शांति रखिये। आप प्रिंसीपल पर आ जाइये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात यह है....

श्री अध्यक्ष : सुनिये, आप अब उनको बोलने दीजिये। आप बोलिये, हां, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, 15-एएए के अन्दर सब-सैक्शन 2-ए जो इन्सर्ट किया जा रहा है इसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने की 15.10.55 की तारीख को एडवांस किया गया है। इनके केस के अन्दर निश्चित रूप से डाक्यूमेंट बाद के हैं, एक बात। लगातार धारा 15, 1-5एएए और 15 एएए सब सैक्शन-सी में एन्क्वायरी का प्रोविजन है। मैं चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं, समय भी हो जाय, मुझे ऐसी दिक्कत नहीं है लेकिन बिना इन्क्वायरी के डाक्युमेंट जेनुइन हो या फर्जी हो अगर उसको मान लिया जाय यह सर्वथा अनुचित है। अध्यक्ष महोदय,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मैं गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतने काश्तकारों को फायदा हो रहा है, देखिये, एक प्रिंसीपल की बात है कि अगर आपका आब्जेक्ट सिर्फ यही है, कि किसी प्रकार से इस प्रकरण को कानूनी जामा पहिना दिया जाय और उस नीयत से आप लाते हो तो अध्यक्ष महोदय, इसको मैलाफाइड लेजिस्लेशन बोलते हैं, इसको आरबीट्रेरी लेजिस्लेशन बोलते हैं। यह लेजिस्लेशन स्ट्रक-डाउन होगा। अध्यक्ष महोदय, प्रेसीडेंट की असेंट की जरूरत पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक, अब जैसलमेर का आपको मैंने अर्ज कर दिया। एक दूसरी बात, एक अमेण्डमेण्ट मेरा और है, वह यह है....

श्री अध्यक्ष : अमेण्डमेण्ट पर बोलना है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह अमेण्डमेण्ट पर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : अभी काहे को बोल रहे हो ? अमेण्डमेण्ट आयेगा तब बोलियेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि असल मुद्दा जो है वह आज तक जो चल रहा है वह यही है न कि इस का फैसला ज्यूडिशियल तरीके से होना चाहिये, वह नहीं हुआ। ज्यूडिशियली की मैं मांग कर रहा हूं और अभी भी मेरा यही है कि ज्युडिशियल एन्क्वायरी का प्रोवीजन आप डिस्पेंस विथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी नीयत पर सन्देह करने का उचित कारण है, वाजिब कारण है, पर्याप्त कारण है कि यह मैलीशस लेजिस्लेशन है और अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से एक बात निवेदन करता हूं, यह डिफेन्ड करने वाली बात नहीं है यह लेजिस्लेचर का दुरुपयोग है, यह सदन का दुरुपयोग है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य इन्ट्रप्ट करते हैं, इनको समझना चाहिये कि यह जिस रोज लेजिस्लेशन स्ट्रकडाउन होगा, मैलाफाइड रीजन से स्ट्रकडाउन होगा उस वक्त यह हाउस भी नहीं रहेगा This House will become a party to a malicious legislation, this House will be dissolved. यह आप समझ लीजिये। इसलिये अगर आप यह बात कहते हो तो हंसने की बात नहीं है मंत्रीजी, आप भी नहीं रहेंगे वहां मुन्सिफ कोर्ट में वापस जाकर वकील बन जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा। आप संक्षेप में कहिये। बहुत लम्बी बहस हो चुकी है।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टीनेंसी सैकण्ड अमेण्डमेण्ट बिल 1990 के बारे में या इसके क्लॉजेज के बारे में काफी विस्तार से मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन कर दिया है। मैं केवल मात्र फ्रेगमेंटे के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्षजी, सैक्शन–5 और सैक्शन–52, 52–ए, 53 और 54

(श्री रामनारायण वर्मा)

और 54-ए यह जो क्लाजेज इसमें सैक्शन्स हैं सारे सैक्शन फ्रेगमेंट से रिलेटेड हैं। माननीय अध्यक्षजी, 54-ए इसमें इन्सर्ट किया गया था इसलिये इन्सर्ट किया गया था ताकि डिवीजन के मामले में किसी तरह से किसी काश्तकार को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। माननीय अध्यक्षजी, आज की तारीख में जिस प्रकार से एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स को जिस तरह से इल्लीगली या यूं कहें विपरीत कानून से जिस तरह से बेचा जा रहा है, होल्डिंग्स ही छोटी होती जा रही हैं, विशेष कर शहरों के नजदीकी हिस्से में और मैं आपके माध्यम से एक बात निवेदन करना चाहूंगा, माननीय राजस्व मंत्रीजी को इसी सदन में छह महीने पहले चार्जेज लगे थे कि एक होटल में बैठ कर के कुछ इस तरह का सौदा हुआ है और वही का वहीं अमेण्डमेण्ट बिल आज की तारीख में इस सदन में आया है। माननीय अध्यक्षजी, किसानों की जमीन जिस तरह से दी जा रही है आप एक्वायर कीजिये जमीनों को, छोटी होल्डिंग्स जिस तरह से सारा एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर एग्रीकल्चर जमीनों पर जिस तरह से बेतरतीब से बसा जा रहा है, नगर नियोजन को जिस तरह से बरबाद किया जा रहा है यह सारा का सारा इस अमेण्डमेण्ट के पास होने के बाद जमीन के टुकड़े, छोटे-छोटे टुकड़े होंगे। खातेदारी एक तरफ रह जायेगी दूसरी तरफ मकानात बन जायेंगे। यह सारी असुविधाएं पैदा होने जा रही हैं। माननीय अध्यक्षजी, यह सारी बातें आज देखने की जरूरत है। दूसरा मेरा निवेदन करना यह है, सेक्शन 15एएए आपने इनसर्ट किया, उसमें जो सब-सैक्शन जोड़ा है उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि आज की तारीख में जो एप्लीकेशन्स दी जायेगी, जमीन की कीमत किस तारीख की आंकी जायेगी, इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए था कि जिस तारीख को जमीन की कीमत आंकी जाकर के जो सेक्शन एड किया गया था उसके बाद में जो रेट बढ़ी है, जिस तरह से रेट आज की तारीख में है उसके बारे में कोर्ट क्या डिसीजन देगा इसका भी रिव्यू किया जायेगा एप्लीकेशन्स का, उसके मामले में क्या कोर्ट का डिसीजन होगा, उस रिव्यू के मामले में क्या किया जायेगा यह सारी जो एम्बीग्यूटीज पैदा हो रही हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको एक माह के लिए जनमत जानने के लिए प्रेषित किया जावे ताकि सारी की सारी खामियों को देखा जाये। बाद में इसको पेश किया जाये ताकि किसी तरह की कोई एम्बीग्यूटीज पैदा न हों।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये, कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को एक माह के के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये इस सम्बन्ध में अपने विचार रखता हूं। मूल अधिनियम जो 1955 में बना था उसमें इन्होंने एक तो धारा 15 ग का संशोधन करके जहां राजस्थान नहर का नाम है वहां इन्दिरा गांधी नहर तथा तृतीय अनुसूची में भी राजस्थान नहर की जगह इन्दिरा गांधी नहर का जो संशोधन किया है, इसमें कोई एतराज नहीं है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इसके आगे जो फ्रेग्मेंटेशन की प्राब्लम प्रदेश में है। अब अध्यक्ष महोदय, सभी लोग जानते हैं कि जो गांव-शहरों के पास में आ गये हैं वहां वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य उपयोग के लिए छोटी-छोटी जमीनों को बेचने में लोगों को, काश्तकारों को असुविधा हो रही थी, उस असुविधा को दूर करने के सम्बन्ध में पहले से कुछ प्रोविजन्स थे, लेकिन काश्तकारों को कठिनाई आने के कारण इसमें धारा 42 क और धारा 53 को हटाकर जो संशोधन किया गया है इस संबंध में मुझे आपसे यह कहना है कि खास बात जो 15एएए के अन्तर्गत धारा 2 का अन्तस्थापन जो किया जा रहा है....

(6·50 म. प)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

और जिसके अन्तर्गत धारा 15 क में अन्तर्विष्ट किसी भी प्रावधान के होते हुए भी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 106, 107 के अधीन किये गये सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाओं के दौरान तैयार किये गये गये अधिकारों के अभिलेख के अनुसार सभापति महोदय, जिन लोगों के लैण्ड रिकार्ड्स नहीं थे जैसे खास तौर से जैसलमेर में, कोलायत में और कुछ अन्य, आसपास के स्थानों पर, जहां भू-राजस्व के रिकार्ड रखने की आदतें नहीं थी, वहां उस समय देशी रियासतों के समय में काश्तकार अपना लैण्ड रिकार्ड्स नहीं रखता था, न उस समय की सरकारों की तरफ से कोई व्यवस्था थी, उन काश्तकारों को लाभ देने के लिए जो यह संशोधन लाया जा रहा है इसमें आशंका यह है कि इसका कहीं दुरुपयोग न हो, दुरुपयोग होने के खतरे इसलिए भी हैं, ऐसे-ऐसे काश्तकार प्रदेश में हैं जिनके पास 600 बीघा, 700 बीघा, 800 बीघा तक जमीनें हैं और वे जमीनों को अलग अलग नामों से वहां लिखवाकर पूरी की पूरी माइनर्स उनके खेतों में जा रही है। ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, इस धारा का दुरुपयोग होने का बड़ा खतरा है और मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी जब इस धारा का लाभ काश्तकारों को देना चाहते हैं तो खासतौर से इन बातों को ध्यान में रखें कि एक तो समरी प्रोविजन्स निश्चित रूप से होने चाहिए। समरी प्रोविजन्स के बारे में क्या-क्या आप इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दे सकते हैं, देने चाहिए। समरी प्रोविजन्स के आधार पर कुछ न कुछ आधार तो होना ही चाहिए वरना कोई व्यक्ति कहीं काबिज ही नहीं होगा और वह किसी न किसी रूप में लैण्ड रिकार्ड्स या पुराने कोई पटवारियों से दस्तावेज लाकर कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग कर सकता है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई पुख्ता प्रावधान करना चाहिए। खासतौर से 180 दिन का प्रावधान धारा 19 के अन्तगर्त जो संशोधन आपने किया है उसकी उपधारा 2क में क खण्ड दो के पश्चात् सैकण्ड "क" आपने जुड़वाया है। इसके अन्तर्गत आपने 180 दिन के भीतर-भीतर 50 पैसे की न्यायालय फीस देकर सहायक कलक्टर को एप्लीकेशन देने की जो बात कही है इसमें भी क्या आप इन

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

तारीखों को, कई बार ऐसा होता है कि समय-समय पर ये तारीखें बढ़ा दी जाती हैं तो इसमें क्या लाभ निरन्तर मिलेगा। इसमें भी कई लोग बाकी रह जायेंगे काश्तकार, जो 180 दिन में एप्लाई कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार होकर अथवा इसमें एक निश्चित प्रक्रिया अपनाकर उन काश्तकारों को, जेनुइन काश्तकारों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उपनिवेशन क्षेत्रों में खास तौर से जैसलमेर और कोलायत तहसील में विशेष तौर से यह समस्या है काश्तकारों की कि वहां पर बालिग पुत्र जो है जिनके पास जमीनें पुरानी हैं उनको रिजर्व प्राइस के ऊपर बालिग पुत्रों की जमीनें चाहे उनका लैण्ड रिकार्ड है अथवा लैण्ड रिकार्ड नहीं है उन बालिग पुत्रों को कोई लाभ नहीं दिया जावे। इसके बारे में राज्य सरकार की क्या नीति रहेगी। इसी तरीके से कुछ अधिकारी असत्य रिकार्ड बनवाकर काश्तकारों से और गलत लोगों को जो जमीन देंगे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी इसका प्रावधान भी आज इस अमेण्डमेंट बिल में लाया जाना चाहिए ताकि जो लोग फर्जी लैण्ड रिकार्ड बनाकर भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे, उनके बारे में भी इस कानून में प्रावधान होना चाहिए। मेरी ऐसी जानकारी है कि कोलायत तहसील में कुछ लोग जो कोलोनाइजेशन से सम्बन्धित डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका धन्धा ही यही था कि वे वहां पर काश्तकारों से गलत रिकार्ड बनवाते थे और उसकी एक निश्चित फीस लेते थे और लेने के बाद में उनको धीरे-धीरे काश्तकार, जिसने कभी काश्त नहीं की है जमीन को, उसको काश्तकार मानकर के उसको जमीन का खातेदार बना दिया जाता था तो उसको रोकने के लिए उस काश्तकार को और उस अधिकारी को जो इस प्रकार के गलत रिकार्ड बनाकर के खातेदारी राइट दिलवाते हैं या लेते हैं उनके खिलाफ प्रावधान करना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई काम नहीं कर सकें। जमीनों का रिकार्ड तब तक तैयार नहीं होगा, आजादी के आज इतने वर्ष बाद प्रयास हमारे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि अब कम्प्युटर का युग है, जैसलमेर और अन्य तहसीलों में, राजस्थान के अन्य जिलों में लैण्ड रिकार्ड्स को बनाने के लिए कम्प्युटर का इस्तेमाल राज्य सरकार को करना चाहिए और इसके साथ-साथ जो खातेदारी अधिकार इन प्रोविजन्स के अन्तर्गत काश्तकार मांगेंगे, मुझे यह खतरा है कि जो सक्षम अधिकारी होंगे वे काश्तकारों को एक्सप्लाइट करेंगे और इसमें खातेदारी देने के लिए जैसे कुछ प्रावधान 15-एएए में पहले से किये गये हैं और जिन्होंने खातेदारी अधिकार प्राप्त किये हैं, उनकी व्यथा हम लोगों ने सुनी है। 50-50 हजार रुपये, लाख-लाख रुपये 25 बीघा जमीन का खातेदारी का राइट लेने के लिए लोगों को देने पड़े हैं, पिछले दो-ढाई वर्षों में। ऐसी स्थिति में ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को आज इस बिल में ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि काश्तकार के अपनी प्रार्थना देने के एक महीने में अथवा तीन महीनों में उसको खातेदारी राइट या तो दे दिया जायेगा या उसकी एप्लीकेशन

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

निरस्त कर दी जायेगी। इस प्रकार का प्रावधान नहीं करेंगे तब तक इनका एक्सप्लाइटेशन नहीं रुकेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी से यह आग्रह करता हूं कि इस बिल को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति : श्री परसराम जी मदेरणा (अनुपस्थित)।

श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय, इस समय जिस बिल पर बहस चल रही है उसके बारे में मेरी जानकारी में यह बात आई कि 11 अप्रैल, 1985 को ड्राफ्टिंग लेजिस्लेटिव डिमार्टमेण्ट के नोटिफिकेशन के आधार पर जो एस्सेण्ट हुई है राज्यपाल महोदय की उसमें राजस्थान केनाल की जगह इन्दिरा गांधी केनाल to substitute the name Indira Gandhi Canal for the name of Rajasthan Canal in the various laws, rules, orders, documents etc. ये तभी पास हो चुका है। शायद इसका मास्टर कापी में एमेण्डमेंट नहीं हुआ है। तो यह क्या सेकण्ड एमेण्डमेंट बिल है या जो एमेण्डमेंट हो चुका वह फाइनल एमेण्डमेंट था। यदि यह है तो दुबारा बहस करने का क्या फायदा। इसके बारे में पहले डिसाइड किया जाये। माननीय राजस्व मंत्रीजी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, यह सही है कि 1985 में एक एक्ट गवर्नमेण्ट ने पास कर दिया था जिसमें यह प्रावधान कर दिया था कि जिस किसी कानून या नियमों में जहां पर राजस्थान केनाल का जो नाम है वह इन्दिरा गांधी नहर समझा जावे लेकिन अलग-अलग एक्ट्स में नहीं था तो हमारे रेवेन्यु डिपार्टमेण्ट ने इसमें यह सजेस्ट कर दिया था कि राजस्थान केनाल जहां पर है।

(7.00 सायं)

उसको इन्दिरा गांधी केनाल से सब्स्टीट्यूट किया जाय। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं थी और है तो भी कोई हर्ज नहीं है।

श्री सभापति : श्री परसराम मदेरणा।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति के निर्दिष्ट किया जाय।

यह प्रस्ताव, सभापति महोदय, मैंने इसलिए रखा है कि जो इस बिल के ऐम्स एण्ड ओब्जेक्ट्स हैं उन में बहुत सी बातों का क्लीयरेन्स नहीं है, बहुत कन्फयूज़न है। राजस्थान में एग्रेरियन रिफार्म्स जैसा कि आप सभापति महोदय, स्वयं जानते हैं कि राजस्थान का 83 प्रतिशत हिस्सा जागीर था और जागीर के क्षेत्र में किसान टिनेन्ट्स आफ विल थे, उनका कोई राइट नहीं था और इसलिए टिनेंट्स प्रोटेक्शन आर्डिनेंस;

(श्री परसराम मदेरणा)

1948 प्रोमलगेट किया गया था जो आज पजेशन में हैं उसको बेदखल नहीं किया जाय। यह बहुत रिवोल्युएशनरी आर्डिनेंस था और शायद हिन्दुस्तान के एग्रेरियन रिफार्म्स में यह प्राथमिकता के तौर पर क्षितिज पर आज भी मौजूद है, स्टेच्युट बुक में। लेकिन उसके बाद में जैसा सदन के नेता महोदय जानते हैं क्योंकि वह भी स्वयं उसमें भाग ले रहे थे 1955 में, राजस्थान टिनेंसी एक्ट इस सदन ने बिल के रूप में पारित किया और उसके बाद वह अधिनियम बना। मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में कोई भी ऐसा बिल नहीं होगा जिस बिल के लिए इस सदन की 55 दिन तक सीटिंग चली हो। 55 दिन तक हाउस चला था छुट्टियों को छोड़कर और उसमें सभी प्रकार के अमेण्डमेण्ट करके सेक्शन 15 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अधिनियम के स्टेच्युट बुक पर आया जिसने काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार ग्रान्ट किये। प्रभारी मंत्रीजी, उसके बाद में सेक्शन 15–ए आया और 15–ए में इस बात का प्रावधान है कि जो उनको राइट्स मिल गये थे वह राइट्स 1958 में उनसे ले लिये और उनको टेम्प्रेरी टिनेण्ट मान लिया कुछ क्षेत्रों में। चम्बल में, जवाई में, राजस्थान कैनाल एरिया में, सिंचित एरिया में। सब जगह डाइवर्स नहीं किया है उसको अधिकारों से और उसके बाद में प्रभारी मंत्रीजी, 29-12-79 को 15 एएए स्टेच्युट बुक में इन्सर्ट हुआ। 15एएए जब इन्सर्ट हुआ है उस दिन भी इस सदन में काफी चर्चा हुई थी। उस चर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया था और जो 15 एएए है उसमें पांच प्रकार के काश्तकारों को एनटाइटिल किया गया था। चाहे वह रिकार्डेट हैं या रिकार्डेड नहीं है। होल्डर आफ खुद काश्त, आकूपेंसी टीनेण्ट, मोरूसीदार, खातेदार टीनेण्ट, ए टीनेण्ट विथ ट्रान्सफरेबल एण्ड हेरीटेबल राइट, यह जो पांच प्रकार के टीनेण्ट थे सभापति महोदय, सेक्शन 15 एएए का जो सब सेक्शन 1 है वह रिकार्डेड थे। अगर वह रिकार्डेड हैं सब सेक्शन 1 में तो they got right by the operation of law, automatically. वह खातेदार बन गये और जो रिकार्डेड नहीं थे उनको एक साल के भीतर भीतर एप्लीकेशन देनी थी और इस सम्बन्ध में अपने राइट्स को डिक्लेयर कराना था। कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी होगी कुछ केसेज डिसाइड हुए होंगे। यह भी जो यहां पर कन्फयूजन चल रहा था, इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा प्रभारी मंत्रीजी, शायद मेरी इस लीगल अवधारणा से सहमत होंगे कि जो रिकार्डेड थे, जो पांच तरह के काश्तकार थे बाई आपरेशन आफ ला उनको एप्लाई नहीं करना था वह आटोमेटिकली खातेदार हो गये। एम आई करेक्ट ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां।

श्री परसराम मदेरणा : और इसलिए यहां जो रेफरेन्स 1 और 2 का चला था इस सम्बन्ध में मैं पोजिशन क्लियर करना चाहता हूं। उसके बाद में 15 एएए के अन्दर सब-सेक्शन 3 जोड़ा गया 1983 में, 4 अगस्त, 1983 में और जो सेक्शन 3 जोड़ा गया है वह पहले के सब-सेक्शन से प्रभारी मंत्रीजी बहुत ही भिन्न था। उसमें पांच तरह के काश्तकार नहीं रखे हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

उसमें सब काश्तकारों को ले लिया सिवाय दो के। टीनेण्ट ग्राफ खुद काश्त ग्रौर सब टीनेण्ट, इसके अलावा दूसरे सभी लोग हैं, रिकार्डेड हैं ग्रौर चाहे ग्रन-रिकार्डेड हैं, दोनों को एप्लाई करना है। इसमें एक को एप्लाई नहीं करना है। Both the categories are to apply and get the rights declared. यह पोजिशन है।

श्री रामनारायण विश्नोई : "ए" को डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : "ए" एप्लाई नहीं करेगा। अभी ग्राप ला का इंटरप्रेटेशन प्रिसाइडिंग ग्राफिसर के सामने करते हैं जजमेण्ट नहीं दिया ग्रौर इसलिए उन्होंने एतराज किया है, तो मैं उस सेक्शन को पढ़ता हूं :

Notwithstanding anything contained in sub-sec. (1) of sec. 15–A, and save as otherwise provided in sub-sec. (1) any person, who at the commencement of this Act was a tenant of land otherwise and a sub-tenant or a tenant of Khudkast and was recorded as such in the annual register then current, or, (B)– was not so recorded but was a tenant of land otherwise then a sub-tenant or tenant of Khudkast, and was in continuous possession of the land as such tenant upto the date of the commencement of Rajasthan Tenancy Amendment Act, 1983, इसका मतलब साफ है, ऊपर वाले को देखें। Both recorded and unrecorded were to apply. ग्रौर इसलिए 15 एएए सब-सेक्शन 3 में प्रभारी मंत्रीजी इसमें कमेन्समेंट ग्राफ एक्ट रखा है कि जो टीनेण्ट ग्राफ खुद काश्त ग्रौर सब-टीनेण्ट के ग्रलावा जो टीनेण्ट है। 15.10.55 के पहले के ग्रौर जिनके नाम रिकार्डेड हैं या रिकार्डेड नहीं हैं ग्रौर वह कण्टीन्यूग्रस पजेशन में हैं ग्रप टू 4 ग्रगस्त, 1983 कण्टीन्यूग्रस पजेशन में ही नहीं दोनों को, रिकार्डेड ग्रौर ग्रन-रिकार्डेड को एप्लाई करना लाजमी था। ग्रौर उसमें सीलिंग लिमिट रखी गयी थी कि सीलिंग लिमिट तक ही इनको मिल सकेगी ग्रौर वह भी कीमत के ऊपर। सैक्शन 15 एएए (3) में कीमत के ऊपर जमीन मिल सकेगी 25 इरिगेटेड ग्रौर 50 ग्रनइरिगेटेड। यह ग्रवधारणा चल रही है। इस फैक्ट को ग्रापने ग्राब्जैक्टस एण्ड रीजंस में लिया नहीं है, कि पहले जो कीमत ली जा रही थी उनसे ग्रौर रिजर्व प्राइस वसूल करने का प्रावधान था, ग्रब ग्राप क्या करने जा रहे हैं। 15एएए की जब ग्रापने हिस्ट्री दी है, ग्राब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में हिस्ट्री देते हुए ग्रापने यह बात कही है। After payment of certain reserve price for the land held by him in excess of 25 of irrigated and 50 bighas of unirrigated land. इसमें प्रभारी मन्त्रीजी, ग्रापने फंक्ट्स को सप्रेस किया है। सप्रेस इस तरह से किया है, क्योंकि ग्रागे कोलोनाइजेशन एक्ट के सैक्शन 7 ग्रौर 28 का उल्लेख इसके नीचे ही है, उसको ग्रापने ध्यान से पढ़ा नहीं है। ग्रगर

(श्री परसराम मदेरणा)

आप उसको पढ़ेंगे तो कोई एक्सस फ्री नहीं है, सैक्शन 7 और 28 ऑफ दी कोलोनाइजेशन एक्ट के नीचे उसको रिजर्व प्राइस देती है। अब मैं रेलेवेन्ट पोर्शन पढ़ रहा हूं : Provided that it pays the State Government the reserve price for the land held by him in excess of 25 bighas of irrigated, or 50 bighas of unirrigated land and upto the said limit,'; 'said limit' is with reference to 25 bighas and 50 bighas and not otherwise. 'The rates prescribed under sec. 7, read with sec. 28 of the Rajasthan Colonisation Act, 1954, Rajasthan Act 27 of 1954, and in force on the date of the commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1983 ... सैक्शन 7 और 28 पढ़ लीजिए, इसका मतलब यह है कि उसमें रिजर्व प्राइस है। सैक्शन 7 और 28 में रिजर्व प्राइस है तो इसमें कोई एक बीघा भी बिना कीमत लिये या इंस्टालमैण्ट लिये, और इंस्टालमैण्ट ली है आपने, उसको खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते थे। सभापति महोदय, मैं प्रभारी मन्त्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि जब नहीं मिल सकते थे, जब सब सैक्शन 3 के अन्दर कोई फ्री अलाटमैण्ट नहीं था और रिजर्व प्राइस चार्ज हो रही थी, तो आपकी धारणा निराधार है, आप इसकी कानूनी राय ले लीजिए। फ्री आफ चार्ज का कोई प्रावधान नहीं था उस वक्त और अब आप सैक्शन 2 ए के अन्दर फ्री आफ चार्ज का प्रावधान करने जा रहे हैं, जो कि आपने कहीं मैंशन नहीं किया है कि उनसे क्या लिया जाएगा। यह फ्री आफ चार्ज आप सैक्शन 2ए में करने जा रहे हैं सभी प्रकार के काश्तकारों पर, इसके क्या कारण हैं ? आपने कारण आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस में नहीं दिये हैं। आपने कारण बताया है एनुअल रजिस्टर का नहीं होना जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में और टिनेण्ट्स का खातेदारी के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया जाना। यह एक्ट इन्दिरा गांधी कैनाल एरिया, जिसको आप रीनेम करने जा रहे हो, रीनेमिंग भी आपने हैप्पी लैंग्वेज में नहीं किया है। वह मैं बाद में अन्त में बोलूंगा। लेकिन अब आप जो फ्री आफ चार्ज करने जा रहे हैं, इसके क्या कारण हैं ? वे कारण नहीं बताये गये रीजंस में इसलिए सलैक्ट कमेटी को यह बिल रैफर किया जाय।

श्री गंगाराम चौधरी : 15 एएए के सब सैक्शन (1) में तो फ्री आफ कास्ट है ही पहले से ?

श्री परसराम मदेरणा : ए और बी साथ ही हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : 3 में तो कास्ट वाली बात आपने कही, 15एएए के सब सैक्शन 1 में....

श्री परसराम मदेरणा : (A) and (B) both are to apply and both were to pay. सिर्फ जो ये नहीं कर सकते थे, वे 15 एएए के सब सैक्शन (1) वाले थे और (2) वाले थे। उसमें न तो कोई सीलिंग की लिमिट थी, न कोई चार्जेज

(श्री परसराम मदेरणा)

थे। अगर एक हजार बीघा जमीन भी कभी उसके पजेशन में थी, उसका रिकार्ड था तो वह खातेदार बन जाता और सीलिंग तो अपने आप लागू होती। ये फैक्ट 15एएए के सब सैक्शन (1) और (2) में थे। (3) में तो निश्चित तौर से आपने कास्ट लेने की बात रखी है। (ए) और (बी) की अभी बता रहे थे ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य और यहां के पावर मिनिस्टर। पावर का करण्ट एसी और डीसी दो तरह का होता है और कई दफा उसमें गड़बड़ भी हो जाती है। आप किसको करण्ट लगा रहे हो यहां पर। यह आपका इण्टरप्रिटेशन सही नहीं है।

इसलिए मैं निवेदन यह कर रहा था, 15 एएए में जो टिनेण्ट्स थे जो आपने कण्डिशन रखी थी टिनेण्ट्स इन्क्लूडेड सक्सेसर्स इण्टरेस्ट, यह भी बाद में एक्सप्लेनेशन इसमें जोड़ा था। शायद 1983 में ही था या 1984 में ही था, मुझे मालूम नहीं। आपने इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा है। ट्रांसफरी का नहीं रखा था, लेकिन सक्सेसर्स इण्टरेस्ट यानी उसका उत्तराधिकारी है। मान लो, कमेंसमैण्ट आफ एक्ट के समय 15 अक्टूबर, 1955 को रिकार्ड आफ राइट्स में मेरा नाम था। 20 अक्टूबर को मेरी हो गयी डैथ। मेरा नाम तो आया नहीं उसमें क्योंकि रिकार्ड आफ राइट्स में जमाबन्दी बन चुकी थी। अब आप क्या कर रहे हो, इसको नहीं डालकर आप जो प्रावधान रख रहे हो, ट्रांसफरी या रिकार्ड में कोई नाम है उसका तो सब्सीक्वेंटली इसका इम्प्लाइड अर्थ यह होगा। आप यह प्रावधान जो सैक्शन 2 में लाये हो, ऊपर लाये हो। सब सैक्शन(3) के नीचे होता तो शायद उसका इम्प्लाइड मतलब हो जाता, लेकिन आपने कण्टीन्यूटी रखी है सैक्शन 15ए सब सैक्शन (1) और (2) के बाद में। वह क्यों रखी है आपने ? जब अमैण्डमैण्ट बिल में ला रहे थे और इसमें काफी बातें क्लीयर हो गयी थीं तो आपको उसके साथ अमैण्डमैण्ट लाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, आपने जो उचित समझा है उसको इन्सर्ट किया है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि सैक्शन 15 एएए के सब सैक्शन (3) में कोई फ्री आफ चार्ज नहीं था, 15 एएए के सब सैक्शन (1) और (2) में तो फ्री आफ चार्ज है। पोस्ट और फ्री की बात लम्बे अर्से से जब यहां चल रही थी तो आपने पोस्ट 1955 को भी फ्री आफ चार्ज कर दिया है इन्दिरा गांधी कैनाल एरिया में। प्रभारी मन्त्री जी, इसके आपने कारण नहीं दिये हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको सलैक्ट कमेटी को रैफर किया जाय।

आपने जैसलमेर एरिया में समरी सैटलमैण्ट की बात का उल्लेख ही नहीं किया है। 'It has been observed that the tenants holding land in areas falling under the erstwhile State of Jaisalmer did not apply.' सर्वे और री सर्वे की बात जो आपने एक्ट में डाली है 2 ए में, समरी सैटलमैण्ट भी तो हुआ था वहां पर जैसलमेर एरिया में, उसका आपने इसमें उल्लेख क्यों नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

किया ? आपरेशन के ऊपर रिलाई करने की कोई बात है तो सैटलमेंट आपरेशन पर आप रिलाई क्यों नहीं करने जा रहे हैं जो समरी सैटलमेंट था, it was a settlement, सैटलमेंट आपरेशन हुए हैं। रिकार्ड बने हैं, रिकार्ड आफ राइट्स भी बने हैं। ..

श्री गंगाराम चौधरी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि समरी सैटलमेंट का एक्ट ही अलग है। समरी सैटलमेंट के बाद में जब फाइनल सैटलमेंट लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 106-107 में हो जाता है, वह समरी सैटलमेंट अपने आप खत्म हो जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : यह भी हाउस को +++ कर रहे हैं, सभापति महोदय। कभी भी सैक्शन 106 से और 107 से सैटलमेंट आपरेशन, सैटलमेंट रिकार्ड कम्पलीट नहीं होता जब तक आप रेन्ट रेट के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में रीसर्वे के अन्दर सैक्शन 146 के प्रावधानों को भी इन्वोक करता है असिसटेंट सैटलमेंट आफिसर। इसलिये 146 का उल्लेख नहीं करना और 106 और उसका कर देना, आपका यह भी इन्कम्पलीट मेंशन है। यहां पर आपको करना चाहिये था। इसलिये मैं निवेदन यह कर रहा था कि सब-सैक्शन 3 में जो एक्सप्लेनेशन है एक, उसमें सक्सेसर-इन-इण्ट्रेस्ट का जो प्रावधान रखा गया था, वह नहीं रखने का मतलब यह है कि रिविजन सैटलमेंट में अगर ट्रांसफरी को भी दर्ज कर दिया गया है तो भी वह इसमें एन्टाइटल हो सकता है। अगर आप इसको इन्टाइटल भी करना चाहते थे तो आपको कारण बताना चाहिये था। आपने यह बात हाउस को स्पष्ट नहीं की है। और आपका अगर इरादा नहीं है तो फिर इस बिल के ऊपर सलेक्ट कमेटी में विस्तृत चर्चा होनी चाहिये और इस आस्पेक्ट को देखा जाना चाहिये।

अन्त में, जो खातेदारी राइट्स 16 किश्तों के बाद ही दिये जा सकते थे, अब आप फ्री आफ चार्ज कर रहे हैं। तो फ्री आफ चार्ज क्यों कर रहे हैं? वह पहले इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है सब-सैक्शन 3 में, इसके भी आपने रीजन्स नहीं दिये हैं, कारण नहीं दिये हैं इसलिये इसको सलेक्ट कमेटी को रैफर किया जाय। सभापति महोदय, स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के अन्दर ईयर 1952 का इन्होंने रैफरेंस दिया है। मुझे यह बताइये, प्रभारी मंत्रीजी, "1952 में जैसलमेर में", इसका क्या मतलब है? रिकार्ड आफ राइट्स का और एनुअल रजिस्टर का जिसका सैटलमेंट ही नहीं हुआ था, री-सैटलमेंट भी 1958 में या 1959 में हुआ होगा। तो 1952 का जो रैफरेंस आपने दिया है, नाट आनली रिडंडेंट बट अनथोट-आफ है।

सभापति महोदय, इन्स्टालमेंट का प्रावधान है जिसने एप्लाई किया सब-सैक्शन 3 में, उसकी एप्लीकेशन स्वीकार हो गई और वह एप्लीकेशन की लास्ट डेट

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

थी 30 दिसम्बर, 1987 एक इन्स्टालमेंट एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते ही उसको देना था, 15 हाफ-ईयरली इन्स्टालमेंट में देना था। यह इन्स्टालमेंट भी जाकर समाप्त होंगी 1995 के अन्दर। अगर 1995 में है तो आपने दो केटेगरीज बना दी हैं? एक तो आप सब तरह के फ्री कर देंगे और जिन लोगों ने पार्ट पेमेंट आफ इन्स्टालमेंट कर दिया है, उनके साथ आपका यह ट्रीटमेंट डिस्क्रिमिनेटरी रह गया है और जब डिस्क्रिमिनेटरी है तो वह क्लेम करेंगे रिफण्ड के लिये। रिफण्ड के लिये क्लेम करेंगे तो, प्रभारी मंत्रीजी, मुझे यह बताइये कि आपने फाइनेन्शल इम्पलीकेशन्स इसकी असेस की हैं क्या? और फाइनेंशल इम्पलीकेशन्स आपने असेस की हैं तो आप वह भी सदन को जानकारी दीजिये क्योंकि आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स में आपने इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है।

इसी तरह से 1984 के अमेंडमेंट्स से पानी जब बाद में लगना शुरू होगा, कमेंसमेंट आफ द एक्ट से, उनको भी 500 रुपये तो एकदम एप्लीकेशन के साथ देने थे और बाकी इन्स्टालमेंट थीं। यह सब-सैक्शन 3 के प्रावधानों को भी वह व्यक्ति भी असेल करेगा कोर्ट के अन्दर, जब चैलेंज करेगा और यह तर्क एडवान्स करेगा कि मैं सेम क्लास आफ टीनेंट हूं, मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट प्रभारी मंत्रीजी (रेवेन्यू) ने किया है और वे जो कानून बना रहे हैं, इसके अन्दर मुझे दूसरे क्लास में रखा गया है हालांकि मेरा स्टेट्स वही है। इसलिए जिन लोगों ने आवेदन-पत्र समय पर नहीं दिया है, उनका डिफाल्ट था और जिन्होंने किश्त जमा करा दीं, वे यह कहेंगे कि हमने भी यह डिफाल्ट किया है क्योंकि हमारे साथ में फेबरेबल ट्रीटमेंट होना चाहिये, अनफेबरेबल ट्रीटमेंट हुआ है और अनफेबरेबल ट्रीटमेंट के लिये वह रिफण्ड मांगेंगे और जब वह रिफण्ड मांगेंगे तो, प्रभारी मंत्रीजी, आप तो अभी इस सैक्शन में अमेंडमेंट करवाकर वाहवाही लूटकर के रवाना हो जायेंगे लेकिन जो सक्सेसर गवर्नमेंट होगी, उसको वह रिफण्ड करना पड़ेगा, विद इण्ट्रेस्ट।

अंत में, सलेक्ट कमेटी को निर्दिष्ट करने का जो मेरा प्रस्ताव है, उसका आखिरी जो मेरा ग्राउण्ड है, वह यह है कि राजस्थान कैनाल की जगह आपने एम्स एण्ड आब्जैक्ट्स में तो लिखा है "रिनेम्ड" लेकिन जिसका जिक्र बीसों जगह हुआ है, सिर्फ एक सब्स्टीट्यूशन से दोनों को एक ही तरह से आइडेंटिफाइ भी किया जायेगा इसलिये आपको रिनेम्ड इंदिरा गांधी कैनाल यह वर्ड्स आपको यूज करना चाहिये था। क्यों करना चाहिये था? क्योंकि लॉ को आपने बहुत प्रेसाइज बना दिया था, लॉ लूज और रम्बलिंग्स नहीं रहता और जब लॉ प्रेसाइज रहता है तो किसी भी रूल के कन्स्ट्रक्शन का प्रावधान आपको डालना चाहिये था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें किसी भी कानून में, किसी भी नियम, किसी भी नोटिफिकेशन में, किसी भी आर्डर में, किसी भी इन्स्ट्रूमेंट में, कहीं पर भी रेफरेंस राजस्थान कैनाल एरिया है, वह इंदिरा गांधी एरिया

(श्री परसराम मदेरणा)

का रेफरेंस कन्स्ट्रू किया जायेगा । यह स्पेसिफिकली आपको प्रावधान डालना चाहिये था, वह आपने नहीं डाला है। इसलिये यह सब्स्टीट्यूशन भी हैप्पी नहीं है ।

इन कारणों से, सभापति महोदय, प्रभारी मंत्रीजी को उत्तर देने को तो कुछ है नहीं। मेरा प्रस्ताव बहुत वेट रखने वाला है और मैंने अनरिबटेबल आर्ग्यूमेंट्स दिये हैं। इसलिये सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, यह जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, इसमें मुख्यतः 3 प्रावधान हैं। वैसे तो इसमें क्लॉज 10 हैं लेकिन 15एएए में संशोधन, धारा 19 में संशोधन और उसके बाद में 42 और 53 लगभग एक से ही हैं। खास तौर से पहले धारा 15 एएए के बारे में निवेदन कर दूं, सभापति महोदय, सदन से। सन् 1989 में जब पहली बार यह 15एएए जोड़ा गया था, माननीय मदेरणा साहब ने भी कहा, सदन के पुराने माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं....

श्री परसराम मदेरणा: सन् 1979 में।

श्री गंगाराम चौधरी: 1979 में। गंगानगर जिले से और बहुत से राजस्थान कैनाल इलाके से जब यह मांग आई थी कि हमें खातेदारी नहीं दी गई है। 15ए के साथ में खातेदारी, जैसे कहा, छोड़ दी गई थी, छीन ली गई थी, उस वक्त भी इस बात पर गहरी चर्चा चली थी कि जैसलमेर जिले के अन्दर और बीकानेर जिले के वे गांव जो जैसलमेर रियासत के भाग थे, पहले 45 गांव इस इलाके में 1955 में रिकार्ड नहीं था और उनके अधिकार ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल, दोनों होते हुए भी माने नहीं जा रहे थे। उस वक्त भी बात चली थी और उस वक्त के राजस्व मंत्री ने यह बात मानी नहीं थी। उसके बाद में सन् 1983 में इसमें 15एएए का सब-सैक्शन 3 और जोड़ा....

(7.30 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री परसराम मदेरणा: आपने डिबेट में भाग लिया था।

श्री गंगाराम चौधरी: मैंने भाग लिया था।

श्री परसराम मदेरणा: बीकानेर टीनेंसी एक्ट के बारे में काफी चर्चा की थी और आपने कहा कि यह प्रावधान ला रहे हो। इस प्रावधान के अन्दर राइट्स उनको तब मिल सकते थे जब उसका नजराना देते थे इसलिए उनको हेरिटेबल राइट मिले हुए नहीं हैं और इसलिए जो आप ला रहे हैं यह काफी बड़ी तादाद में जिन लोगों को हेरिटेबल राइट नहीं थे उनको एनटाइटल्ड कर रहे है। उस समय तो आपने उसको असेल दिया था, 15 एएए को असेल किया था।

श्री गंगाराम चौधरी: वही बात मैं कह रहा हूं। उसके बाद में 1983 में एक

(श्री गंगाराम चौधरी)

संशोधन जरूर आया लेकिन उसमें फ्री आफ फास्ट कास्ट न देकर सेक्शन एक के अन्तर्गत जो प्रावधान थे, उसके अलावा ऐसे टीनेंट, जिनको टेम्प्रेरी टीनेंट माना गया था उनसे कुछ पैसा लेकर उनको खातेदारी देने की बात जोड़ी गई थी। लेकिन उसमें भी जैसलमेर जिले के लोग, अर्स्टवाइल जैसलमेर स्टेट के लोग फिर भी रह गए थे। क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर रियासत में किसी तरह का टीनेंसी ला या रेवेन्यू लॉ लागू था ही नहीं और जैसलमेर जिले के अन्दर सैटलमेंट नहीं हुआ था और ना उनके लैण्ड रिकार्ड्स थे। वह अपने रीति-रिवाज के हिसाब से काश्त करते थे। 15–10–1955 तक वहां पर बन्दोवस्त हुआ नहीं था। अध्यक्ष महोदय, वहां पर समरी सैटलमेंट जरूर 1957 से शुरू हुआ था और 60 तक खत्म हुआ था लेकिन फाइनल सैटलमेंट जो कायदे माफिक लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत होता है वह फाइनल सैटलमेंट 1962 से लेकर 1970 तक पूरा हुआ। इसलिए उन लोगों के पास 1955 का किसी तरह का सबूत नहीं था। अध्यक्ष महोदय, दरख्वास्तें उन्होंने 15एएए में पेश की थीं लेकिन सबूत के अभाव में वह दरख्वास्तें पड़ी रहीं और आज दिन तक भी जैसलमेर और कोलायत के उन लोगों की जो जैसलमेर रियासत के भाग के थे, उनकी सात हजार से अधिक दरख्वास्तें आज भी पैंडिंग हैं, 15एएए में डिसाइड नहीं हो पाई हैं। इसलिए उनकी तरफ से बहुत अरसे से मांग चलती आ रही है कि हमारा कुछ न कुछ निपटारा किया जाए, और लोगों को खातेदारी अधिकार मिल गए हैं और हमारे क्योंकि किसी तरह का कानून नहीं था, किसी तरह का हमारे पास रिकार्ड नहीं था और हम साबित नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने इस पर विचार किया, 4 मंत्रियों को भेजा था वहां पर। मंत्रियों ने सब से बात-चीत करके, उनकी समस्या को भी समझा था और उसके बाद में यह निर्णय लिया गया कि इन लोगों को खातेदारी अधिकार देने के लिए जो 15–10–1955 के वक्त में सैटलमेंट नहीं हुआ और बाद में भी अगर हुआ है, कायदे माफिक धारा 106 और 107 के माफिक हुआ है और रेकार्ड में टीनेंट थे उनको मान लिया जाय, उनको खातेदारी अधिकार दे दिए जायं, उनको उसी तरह से मान लिया जाए जिस तरह से धारा 15एएए (1) में माना गया था अन्य को, मोरूसीदार, खातेदार जो शब्द अभी पढ़कर सुनाए थे और फ्री आफ कास्ट। तब यह संशोधन तैयार किया। उस समय यह बात जरूर आई कि जैसलमेर अर्स्ट व्हाइल स्टेट का ही नाम रखा जाए लेकिन वही डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आड़े आ रही थी। इसलिए हम जैसलमेर स्टेट का नाम न लेकर सब के लिए लागू करने का यह प्रावधान हम लाए हैं और इससे आज के दिन पैंडिंग 60 हजार और कुछ लोग जो अब तक एप्लाई नहीं कर पाये थे उनको भी इससे काफी लाभ मिलेगा और वह भी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर संशय जरूर पैदा किया गया और श्री मदेरणा साहब ने इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई थी कि आप अब फ्री आफ कास्ट दे रहे हैं। अध्यक्ष

(श्री गंगाराम चौधरी)

महोदय, मैंने अभी जैसा निवेदन किया कि इन लोगों को हमने 15 एएए के सब–सैक्शन (3) की तरह नहीं माना है, जो टेम्प्रेरीटीनेंट थे, हमने इनको 15 एएए (1) की तरह माना है अधिकारी, इसलिए उनसे हम कास्ट नहीं ले रहे हैं, फ्री आफ कास्ट उनको खातेदारी अधिकार दे रहे हैं, सीलिंग सीमा जरूर हमने बांधी है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह भी कही गई कि इसमें प्रोविजन आपने सक्सेसर के साथ में ट्रांसफरी को हटाने का क्यों नहीं जोड़ा, श्री मदेरणा साहब ने यह बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं अभी कह रहा हूं कि इनको वही अधिकार मिल रहे हैं जो 15एएए (1) के अन्तर्गत मिल रहे थे। और जो यह 15 एएए के अन्तर्गत एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है वह 15 एएए के (3) के अन्तर्गत जोड़ा गया है जिसमें ट्रेम्प्रेरी काश्तकार हैं, इसलिए यह प्रोविजन मैंने इसके अन्दर नहीं जोड़ा है।

अब जो बात आई .. (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : सक्सेसर इन इन्ट्रेस्ट को क्यों नहीं जोड़ा ? आप ट्रांसफरी को छोड़िए सक्सेसर इन इन्ट्रेस्ट....

श्री गंगाराम चौधरी : वह अपने आप ही हो जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : कैसे हो जाएगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : सक्सेसर आफ दी इन्ट्रेस्ट.... (व्यवधान) सक्सेसर इन इन्ट्रेस्ट....

श्री परसराम मदेरणा : उनका नाम नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : सक्सेसर इन इन्ट्रेस्टटीनेंसी एक्ट में सब जगह यह है, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है वैसे। वह खातेदार खत्म हो गया तो दूसरा सक्सेसर इन इन्ट्रेस्ट अपने आप होगा। वह जनरल क्लाजेज एक्ट में भी है और हमारे इस टीनेन्सी एक्ट में भी है ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : Once he has become a tenant and....

श्री परसराम मदेरणा : जब एक्सप्लेनेशन (1) है, सब–सैक्शन 3 में एक्सप्लेनेशन (1) जो आपने डाला है वह रिडण्डेंट है, वह यों ही डाल दिया क्या, बिना सोचे समझे ?

श्री गंगाराम चौधरी : कौनसा ?

श्री परसराम मदेरणा : 15 एएए का सब–सैक्शन (3), उसका एक्सप्लेनेशन (1)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1983 का है।

श्री परसराम मदेरणा : कमेंसमेंट आफ एक्ट मींस, वह की वह बात है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, 1983 का जो 2 में ए और बी है, ए में तो वही है जो टीनेंसी एक्ट के सैक्शन 19 में है यानी 1955 में जो काबिज थे,....(व्यवधान).... सुनिए, अब जो सैक्शन 3 आया है।....

श्री परसराम मदेरणा : 15 एएए में सब सैक्शन (1) एण्ड (2) दोनों के लिए कमेंसमेंट आफ दी एक्ट है।

श्री अध्यक्ष : अब इसमें सब सैक्शन 3 और है एक।

श्री परसराम मदेरणा : अब आप 19 को सब सैक्शन (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। यह जो रेफर कर रहे हैं वह उसी के सैक्शन 3 को रेफर कर रहे हैं उस एक्ट का जिसमें यह 1979 का अमेंडमेंट है।

श्री परसराम मदेरणा : कमेंसमेंट आफ़ दी एक्ट जो है वह 15एएए के सब-सैक्शन (1) में भी है और सब सैक्शन (3) में भी है जो 1983 में अमेंडमेंट आया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, 3 को रेफर कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए उसके अन्दर जो सक्सेसर इन इन्ट्रेस्ट का प्रावधान डालना जरूरी था, क्योंकि काश्तकार तो वही माने जाएँगे जिनके रेकार्ड अब कमेंसमेंट आफ दी एक्ट है। अब आपने कमेंसमेंट आफ दी एक्ट नहीं रखा है। अब तो आपने ऐसा लिखा है....

श्री गंगाराम चौधरी : Whether recorded as such at the commencement of this Act or subsequently in the record of rights. यह शब्द इसमें रखे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : तब उसका मतलब क्या है ? इसमें अमेंडमेंट मूव किया है। मैंने अमेंडमेंट यह मूव किया है कि यह आप बिलकुल गलत रखने जा रहे हैं। एक तरफ जो कमेंसमेंट आफ दी एक्ट का रख दिया फिर सर्वे और री-सर्वे की बात रख दी। दोनों कांट्राडिक्टरी हैं।

श्री अध्यक्ष : अमेंडमेंट में हो जाएगा। आप जवाब दीजिए।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यहां पर मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में काफी कुछ कहा, बिल के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा पर वह तो कुछ और जगह ही ले गए अपने आरग्यूमेंट्स को। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगा कि हमारे इस अमेंडमेंट से जो हम राहत देने जा रहे हैं काश्तकारों को उसकी वह मनाही करने जा रहे हैं। केवल एक व्यक्ति के बारे में बात करके उन्होंने अपनी सारी बात कही। हालांकि उसका भी सारा मामला मेरे पास है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अव्वल तो यह न्याय माफिक फैसलें हैं। न्यायालय ए.सी.सी., अनूपगढ़ ने एक फैसला किया और उसकी अपील गई और अपील रिवीजन हुई, राजस्व मण्डल में वह फैसला निरस्त कर दिया गया। राजस्व मण्डल ने एक आदेश दिया उसके तहत पार्टी ने दुबारा जाकर दरख्वास्त दी। अध्यक्ष महोदय, यह बात स्पष्ट है कि 15एएए (1) ए के अन्तर्गत यह जरूरी नहीं है कि आदमी खुद डिक्लेरेटरी सूट करे, या अपनी घोषणा करे। अव्वल तो अधिकारी को अपने आप ही रेकार्ड देख कर उसका नाम खातेदारी में दर्ज कर देना चाहिए, उसको न्यायालय में जाने की आवश्यकता ही नहीं हो लेकिन ए.सी.सी. ने 1980 के अन्दर दी हुई दरख्वास्त,

(श्री गंगाराम चौधरी)

जिनके अन्दर प्रार्थी ने सारी बातें लिखी थीं, वैसे वह फैसला आज स्टेण्ड नहीं करता है लेकिन माननीय सदस्य ने कहा है इसलिए मैं भी उन्हीं के आधार पर, उसके डाकुमेंट्स के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं। उसमें प्रार्थी ने अपने सबूत में डाकुमेंट्स पेश किए थे। उन्होंने लगान की रसीद भी पेश की जिसके लिये मैंने पहले भी कहा और फिर निवेदन करता हूं कि वह लगान सम्वत् 2012 का लगान माना गया है और वह इसलिये माना गया है कि हालांकि 15.10.55 में सम्वत् 2012 था लेकिन उसकी बरसात का लगान किसी वक्त भी जमा कराओ और वह कृषि वर्ष खतम होने से पहले जमा हुआ है, मई के अन्दर जमा हुआ है तो वह लगान सम्वत् 2012 का था उस आधार पर सम्वत् 2012 की बरसात में वह व्यक्ति काश्तकार था, यह उसी से मान्य है, हालांकि उन्होंने अपना नहीं माना है। इसके अलावा एक संशयपूर्ण शब्द उन्होंने जरूर यूज किया है डाक्यूमेंट में लेकिन फर्जी रिकार्ड का कहीं शब्द अदालत में काम में नहीं लाये जो माननीय सदस्य ने कहा। संशयपूर्ण शब्द भी ऐसे रिकार्ड के लिये जो एडमीजिबल इन एवीडेंस नहीं है, अध्यक्ष महोदय, वह गिरदावरी के सम्बन्ध में है। अगर जमाबन्दी के बारे में कोई बात होती और रिकार्ड आफ राइट्स के बारे में कोई बात होती तो वह समझ में आती, गिरदावरी एडमीजिबल इन एविडेंस होती नहीं है। उसके बारे में उन्होंने जरूर कहा कोई चांस है, क्योंकि गिरदावरी पब्लिक के सामने नहीं आती है, उसके एतराज सुनने का किसी को अवसर नहीं मिलता है इसलिये गिरदावरी को हमारे कानून के अन्दर रिकार्ड आफ राइट कहीं भी नहीं माना है अगर उसके बारे में संशयपूर्ण शब्द काम में लिया भी है तो वह मान्य नहीं है, गलत है। अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ने...

श्री परसराम मदेरणा : पास बुक को रिकार्ड आफ राइट माना कि नहीं माना ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पास बुक को पास बुक एक्ट के तहत माना जरूर है लेकिन बैंक अभी तक उसको मान्यता नहीं दे रहा है। इसके बारे में राज्य सरकार सोच रही है कि किस तरह का संशोधन लाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, इसके उद्धरण मैं आपको पढ़ कर सुनाऊं तो यह स्पष्ट होगा कि इसमें कोई गलती नहीं है। अबण्डंट काशन की तौर पर उन्होंने दरख्वास्त दे दी अपने ए.सी.सी. के पास और 15एएए जब इन्ट्रोड्यूज हुआ तो गंगानगर के बहुत से काश्तकार, चाहे सारे ही खातेदार थे सभी ने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा गैर खातेदार नाम है खातेदार लिखने से रह जाये तो हर आदमी ने दरख्वास्त दे दी। इसी तरह से अमरसिंह राजवी ने भी अपनी एप्लीकेशन दे दी, 1980 में दी हुई एप्लीकेशन को 1985 में जाकर के उन्होंने डिसाइड किया और एक तरह से उसको भी आप एक तरफा ही समझिये। उनकी तरफ से कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था उन्होंने इस तरह से एस्परशन्स लिख दिये कि जैसे सूट के अन्दर 1988 के अन्दर....

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मंत्रीजी, यह कन्फ्यूजन इसलिये हुआ है कि इन्टरप्रिटेशन करने वाला व्यक्ति, जो सैक्शन 15एएए सब सैक्शन 3 है उसमें दोनों ही प्रकार के लोगों को एप्लाई करना था। उनको जो एडवोकेट मिला वह खुद लॉ नोइंग पर्सन तो है, लेकिन घर का मामला, उससे कुछ माइण्ड वर्क नहीं करता है। एडवोकेट कोई ऐसा मिल गया होगा। अभी कुछ मुझे ही टोका टोकी कर रहे थे और इसलिये वह गलतफहमी हुई है।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 15एएए तो 80 में लागू ही नहीं हुआ था, यह 1983 में हुआ था। सैक्शन 15एएए के ए और बी का मसला था केवल मात्र। उन्होंने ए में एप्लाई किया था, बी में नहीं किया था। 15एएए के 2 में सब सैक्शन बी में एप्लाई करना होता है कि नाट सो रिकार्डेड वगैरह जो शब्द हैं उसमें अपने आपको मानता है खातेदार लेकिन रिकार्ड में दर्ज नहीं है। यह तो रिकार्ड में दर्ज थे इसलिये एक में आये थे, उनको इस तरह से डिसाइड करना ही नहीं था इसलिये आखिर जाकर के बोर्ड के अन्दर वह फैसला इस बात पर निरस्त कर दिया गया कि ए.सी.सी. को इस बात का अधिकार नहीं था कि 15एएए के 1 (ए) में प्रार्थना पत्र होते हुए भी उन्होंने इसको डिसाइड किया। या तो उसको खारिज करते। एक जो गलती ए.सी.सी. ने की है वह यह की है कि उन्होंने प्रार्थना पत्र निरस्त करने के बाद में रकबा राज रिकार्ड करने का ऑर्डर कर दिया जो धारा 15 के अन्दर किसी तरह से ज्यूरिस्डिक्शन स्टेण्ड नहीं करता है। और खारिज कर सकते हैं कि खातेदार नहीं है अब, खातेदार हैं एक्सेप्ट कर सकते थे लेकिन यह जो कहना कि फलानां फलानां खसरा नम्बर पर रकबा राज और इनसे ट्रेसपासर मान लिया जाये, यह अनुचित है, बिलकुल ज्यूरिस्डिक्शन के खिलाफ था इसलिये राजस्व मण्डल ने होल्ड किया कि ए.सी.सी. का आर्डर बिल्कुल खिलाफ है। माननीय सदस्य ए.सी.सी. के सारे आर्डर को ही कोट कर रहे हैं और राजस्व मण्डल की जो धारणा है इसे कोट नहीं कर रहे हैं। राजस्व मण्डल के फैसले में एक चीज स्पष्ट है कि यह प्रार्थना पत्र 15एएए के 1 (ए) में हैं, (बी) में नहीं है। यह राजस्व मण्डल की स्पष्ट धारणा है इसलिये ज्यूरिस्डिक्शन नहीं होना माना और राजस्व मण्डल वाली बातबीच में आई, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इस बिल के इतने बड़े उद्देश्य को साइड ट्रैक करने के लिये माननीय सदस्य ने जमीन आसमान एक कर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मंत्रीजी, 1 (ए) दोनों में ही है और दोनों में ही रिकार्डेड का है। आपके सब-सैक्शन 1 में और सब-सैक्शन 3 में, 3 का 1 (ए) एएए का जो सैक्शन है....

श्री अध्यक्ष : परसराम जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह सैक्शन 3 उस समय एग्जिस्टेन्स में नहीं था। यह 79 और 80 की बात कर रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं 1980 की बात कर रहा हूं। सैक्शन 15एएए लागू हुआ 83 में यह एप्लीकेशन 1980 में दर्ज कर ली गई थी अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं सदन के सामने यह बात रख

(श्री गंगाराम चौधरी)

रहा था कि यह जो प्रार्थना पत्र अमर सिंह ने दिया उसके बारे में जो ए.सी.सी. ने फैसला दिया वह बिल्कुल गलत था। राजस्व मण्डल ने उसको निरस्त किया। उसके बाद में उन्होंने प्रार्थना पत्र 15 एएए के 'A' में सिर्फ इसलिये दिया कि मेरी अमल दरामद वापस लिया जाये। तब एस डी ओ ने जब दुबारा जो 85 से लेकर के 90 तक अराजी राज दर्ज कर दी गई थी उसको काट करके वापस खातेदारी दर्ज कर दी जैसे पहले थी और रिकार्ड देखा जाये तो सम्वत् 8 से रिकार्ड बराबर आज तक चला आ रहा है, कब्जा काश्त भी उनका चलता आ रहा है। फिर माननीय सदस्य किस तरह से कह रहे हैं कि जमीन हड़प करने की बात है, या वैसी ही बात है। बिल्कुल वाजिब चीज थी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से धारा 19 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि जयपुर में, चूरू में, सवाई माधोपुर और टौंक में अभी तक इतनी बड़ी तादाद में उप कृषक रह गये हैं खुदकाश्त जमीन के जिनको खातेदारी नहीं मिल पाई हालांकि दो दफा इसमें सशोधन किया गया था। सबसे पहले तो यह सैक्शन तब जोड़ा था ही, उसके बाद में फिर संशोधन 31-12-69 तक के कब्जे को जोड़ने के लिये 29-12-79 में फिर संशोधन किया था लेकिन फिर भी कई काश्तकार अध्यक्ष महोदय, इसमें रह गये थे जो खातेदारी प्राप्त नहीं कर सके थे। अकेला गलियाकोट एक गांव है जयपुर के अन्दर उसमें एक सौ से ज्यादा कृषक हैं जो जागीरदारों की जमीन को, खुदकाश्त जमीन को काश्त करते हैं और चालीस-पचास साल से कर रहे हैं लेकिन उनके नाम खातेदारी नहीं है सब टीनेन्ट हैं अभी तक भी और उनको बेदखली की धमकी दी जा रही है। वह कुओं से काश्त करते हैं इसलिये इस मियाद को बढ़ाना आवश्यक था। पिछली बार सदन के अन्दर मांग आई थी माननीय सदस्यों की ओर से यह जो सैक्शन हमने इसके अन्दर जोड़ा है 19 के अन्दर अब 2 (ए) और उसमें यह प्रावधान रखा है कि इस एक्ट के लागू होने के 180 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी कोई दरख्वास्त दे दे तो वह खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है। आगे सैक्शन 20 से ले करके कम्पनसेशन देने का प्रोवीजन है। इससे भी काफी बड़ी तादाद में खुदकाश्त की जमीनों के उप कृषकों को लाभ होगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर 42 ए और 53 का वैसे स्वागत ही किया गया है। इसलिये मैं लम्बी बात इसके सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता। 1989 में भी पिछली सरकार ने सशोधन करके पहले केन्द्र जो ऐसे फ्रेगमेंट, ऐसे छोटे टुकड़े जो कृषि प्रयोजनार्थ बेच दिये थे उनको भी रेगुलराइज करने का प्रोवीजन रखा था और उसमें कुछ पैसे ले करके रेगुलराइज करने की बात थी। धीरे धीरे काश्तकार, एक फ्रेग्मेंट को बेचे बिना उसका गुजारा चलता नहीं है। उसको बहुत मजबूरी में बेचना पड़ रहा है और हर सरकार इसको मानती है इसलिये यह बंदिश हटाने के लिए प्रावधान रखा गया है। बाकी तो साधारण से प्रावधान हैं तो मैं इसलिए

(श्री गंगाराम चौधरी)

निवेदन करूंगा कि जनमत जानने हेतु या सलेक्ट कमेटी हेतु जो रिजोलूशन पेश किये गये हैं उनको निरस्त किया जाये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अत्यन्त दुख है कि आज इस आगस्ट हाउस के अन्दर खड़े हो करके राजस्व मंत्रीजी ने इस तरह का लचर डिफेन्स पेश करने की कोशिश की है....

श्री अध्यक्ष : What words you are using ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : What is the bad about it ? Poor, poor.

श्री अध्यक्ष : शब्द तो शालीन प्रयोग करिये ना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Is it unparliamentary ?

श्री अध्यक्ष : लचर शब्द को हटा दीजिये। वह तो मैं देख लूंगा। अनपार्लियामेंटरी होगा तो हटा दूंगा। आप बोलिये, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल हटा दीजिये। आप चैक अप कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बड़े टिमिड तरीके से डिफेंस पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं। राजस्व मण्डल के फैसले का निरन्तर मैं हवाला दे रहा हूं। आपने ये क्यों नहीं कहा, आप क्या कहते हैं कि आवश्यक नहीं है। The petitioners, if they deem fit, shall be at liberty to seek the remedy of declaration of their Khatedari rights in respect of the said land from a court of competent jurisdiction. (व्यवधान) आप दो मिनट बिराजिये। मैंने आपको इंट्रप्ट नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : उसमें है, आप बोलते क्यों नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने आपको इंट्रप्ट नहीं किया। You kindly resume your seat.

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, देखिये। एक बात मैं, मैं इस बात पर आपको बता रहा हूं कि जो इन्होंने जवाब दिया, उसको.... (व्यवधान) सुनिये आप। आप पहले मेरी बात तो सुने। उसको, समझकर जवाब देते तो समझ में आता है लेकिन उसको तोड़ने–मरोड़ने का तो अधिकार आपको जवाब में नहीं है। इन्होंने सैक्शन 15 एएए के ए में उनको खातेदार रिकार्ड कहा है, यही रेवेन्यू बोर्ड ने माना है कि इनको सैक्शन बी में नहीं जाना चाहिये था That is without jurisdiction. इन्हें ए में जाना चाहिये था। ए में जाना चाहिये था इसलिए, यह कहने के बाद जो अन्तिम डाइरेक्शन दिया है रेवेन्यू बोर्ड ने, वो इस बात का दिया है कि यदि वो नहीं है तो वह एस.डी.ओ. के पास जाकर के अपने आपको रिकार्ड करवा लें That they have done यह हैं उसमें। यह कंट्राडिक्टरी आर्डर नहीं है रेवेन्यू बोर्ड का।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब अध्यक्ष महोदय, कृपा करके मेरी बात को समझने की चेष्टा कीजिये.... (व्यवधान) अब क्या बात है। आप सुनते क्यों नहीं । 17-10-90 के फैसले के बाद एस.डी.ओ. अगर इनको स्वविवेक से 15एएए का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ... इस बाबत फैसला हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब यूं ही टाइम ले रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं अभी कोई फैसला हुआ ...

श्री अध्यक्ष : आई एम हीयर। मैं हूं यहां।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, इनको कोई राइट नहीं है अभी।

श्री अध्यक्ष : राइट है। He has got the right to reply. बैठिये आप। नहीं होता तो मैं इनको लेता ही नहीं। इन्होंने इनिशियेट की है डिबेट and he has got the right. बैठिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले ही व्यवस्था दी है, अध्यक्ष महोदय, मैंने जनमत के लिए प्रस्ताव मूव किया है और उस समय मैंने कहा था कि मैं इसका जवाब दूंगा। उस समय आपने अध्यक्षीय व्यवस्था भी दी, सारा सदन भी था कि इसको किसी भी प्रकार का....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी ऐसी व्यवस्था कोई नहीं है। जो डिबेट इनिशियेट करता है उसको जवाब देने का राइट है। यह नयी बात मैं कैसे करूंगा। अब वो तो तापको वैसे ही कह दिया होगा, टाइम बहुत हो गया, बैठ जाइये। वह दूसरी बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को समझने की चेष्टा कीजिये। असिस्टेंट कालोनाइजेशन कमिश्नर के फैसले के लिए नहीं कह रहा हूं कि वह फैसला विद्यमान है, वह तो सैट–असाइड हो गया। रेवेन्यू बोर्ड ने अपने फैसले में टेक्नीकल ग्राउण्ड पर कि इनके खुद के, प्लीडिंग के हिसाब से इनका केस क्लाज ए में आता है और असिस्टेंट कालोनाइजेशन कमिश्नर को क्लाज बी का केस सुनने का अधिकार था, इसलिए उसने मिसयूज किया। उसको एप्लीकेशन नहीं सुनना चाहिये था, एप्लीकेशन भी मिसकन्सीव की, यहां तक कहा है कि एप्लीकेशन भी मिसकन्सीव की, इनको एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं थी और अध्यक्ष महोदय, वो इस पचड़े में नहीं पड़ कर अल्टीमेटली उन्होंने यह कह दिया कि 'The petitioners, if they deem fit, shall be at liberty to seek the remedy of declaration of their Khatedari rights from a court of competent jurisdiction according to law. अब एक बात बता दूं अध्यक्ष महोदय, कायदे से तो इनको एक रेवेन्यू सूट दायर करना चाहिये था, एक बात। अब अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए मान लीजिये कि एस.डी.ओ. स्वविवेक से, ये एप्लीकेशन देते कि साहब हम रिकार्डेड खातेदार हैं, सर्बोर्डिनेट स्टाफ हमको खातेदार रिकार्ड नहीं कर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रहा तो रेवेन्यू बोर्ड के फैसले ने तो इतना सा काम किया कि असिस्टेंट कालोनाइज़ेशन कमिश्नर के फैसले को खत्म कर दिया, अब वापस ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गये तो ये दरख्वास्त यह देते कि साहब हमको रिकार्डेड खातेदार होने के बावजूद भी खातेदारी एन्ट्री नहीं की जा रही है और एस.डी.ओ. स्वविवेक से दे देता कि इनको खातेदार अंकित करो जी। इनका रिकार्ड है। ये नहीं है अध्यक्ष महोदय। एस.डी.ओ. कहता है राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 17-10-90 की पालना में इनको खातेदार दर्ज कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह सरासर बेइमानी है...

श्री अध्यक्ष : देखिये, मेरा सवाल यह है ...(व्यवधान)

आप इसको+++मत करिये। जब रेवेन्यू बोर्ड ने अपनी शुरूआत में यह मान लिया कि चूंकि वो रिकार्डेड खातेदार हैं ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं माना है।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये आप। रीड इट। तो आप पढ़िये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : According to their mind....

श्री अध्यक्ष : In the very beginning.

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या बात हुई आपकी। अध्यक्ष महोदय, चेयर पर बैठकर के....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ लीजिये। आपने मेरे को सप्लाई किया, वो मैंने पढ़ा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने सही नहीं पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ लीजिये। इनिशियली यह माना है उन्होंने। आप पढ़ लीजिये उसको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने तो पढ़ लिया 10 दफा। आपको पूरा पढ़ दूं, साहब मैं।

श्री अध्यक्ष : पूरा नहीं, वो ही शुरू का ही पढ़ दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रिकार्डेड खाता कहीं नहीं माना। अगर रिकार्डेड खातेदार मान लेते तो झगड़ा ही कहां है, साहब। उन्होंने रिकार्डेड खातेदार नहीं माना है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज रीड इट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह तो लिमिट हो गई....

श्री अध्यक्ष : पढ़ लीजिये ना इसको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, मैंने पढ़ लिया।

श्री अध्यक्ष : ठीक है पढ़ लिया तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उन्होंने यह कहा है : According to their pleading....

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

The Government Advocate, after carefully going through the pleading, incorporated in the petitioners application has clearly conceded that the said application does not meet the requisite offer under clause-Sec. 1 (b) of sub-sec. (2) of Sec. 15-AAA of the Act does not constitute a case under (1-B) तो प्रश्न यह है कि एप्लीकेशन उनकी खुद की है, प्लीडिंग है। अब ये विवाद का विषय नहीं है, अध्यक्ष महोदय। एस. डी. ओ. यह कह देता, आपको फाइनल आर्डर पढ़कर सुनाया ना....(व्यवधान) रेवेन्यू बोर्ड ने कहां कहा है कि इनको खातेदार दर्ज कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं.... (व्यवधान) नहीं, नहीं, आप देखिये बहुमत का दुरुपयोग... ,

श्री अध्यक्ष : आप प्लीज, हीयर हिम। टाइम बहुत हो गया। हां आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, तथ्यों की बयानी गलत की है, 11 डाक्यूमेंट पेश हुए हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप क्यों, महावीर जी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं इनके जिले का हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बिराजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये मेरे नजदीक रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा है। इनका असर आप पर आ रहा है कि आपका असर इन पर आ रहा है। बैठिये आप। Let him conclude देखिये, टाइम बहुत हो गया। 8 बज गई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको नहीं लगता कि ये इस समय आर्गुमेंट करने की स्थिति में नहीं हैं। 6 बजे बाद ये आर्गुमेंट कर ही नहीं सकते....

श्री अध्यक्ष : अब आप को पता होगा ज्यादा, मुझे पता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक बात यहां पर कही गई। माननीय मंत्रीजी ने कहा, मैं आपके ध्यान में सिर्फ इतनी सी बात लाना चाहता हूं, असिस्टेंट कालोनाइजेशन कमिश्नर के फैसले का इसलिए हवाला दे रहा हूं, आपने कहा है, 11 डाक्यूमेंट पेश हुए हैं और 11 की 11 ही फोटो कापी पेश हुई है। एक भी ओरिजिनल डाक्यूमेंट पेश नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे कहता हूं। मैं इतनी सी तो बात कहता हूं कि उसकी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी हो करके ज्यूडिशियल स्क्रूटनी, ज्यूडिशियल इन्क्वायरी को भी जाने दीजिये, इनके डाक्यूमेंट्स की, इनके क्लेम की ज्यूडिशियल स्क्रूटनी होनी चाहिये लेकिन अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है....

(195)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am finishing.

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मेरे को कन्क्लूड करने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये, प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है अध्यक्ष महोदय, कि आपने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव मूव किया है और आप बहस कर रहे हैं जैसे आपसे कोई फैसला चाह रहे हैं। क्या आप सारा आर्गुमेंट सुनने के बाद भी, आप 12 बजे तक भी आर्गुमेंट करते रहे, उसके बाद भी क्या इन पाइंट्स पर आप फैसला करेंगे या केवल जनमत जानने के लिए प्रस्ताव मूव किया है, उस पर फैसला करेंगे ? और दूसरी बात यह है कि जब आपको यह ज्ञान हो जाय कि माननीय सदस्य ने इस समय जो प्रस्ताव मूव किया है, उस पाइंट पर नहीं है या वैसी स्थिति में नहीं है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हाउस का समय, सदन का समय बहुत मूल्यवान है और सारे माननीय सदस्य को आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं ? इसलिए आप अपनी व्यवस्था दें, रोकें और आगे बढ़ायें बिजनिस को।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यहीं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस की मेजोरिटी का मिसयूज करके अगर... (व्यवधान) अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप बैठ जाइये अब।

श्री टीकमचंद कांत : समझा तो सकते नहीं आप हाउस को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : +++ नहीं है आपको बात करने की।

श्री टीकमचंद कांत : आप समझा दो ना हाउस को।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मालपुरा से आने वाले सदस्य, कोई सीमा है क्या ये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हाउस में हाउस की मेजोरिटी का मिसयूज करके, अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : महावीर जी, सुनिये। प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन पर थोप रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये-बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप नियंत्रण करें, अध्यक्ष महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि हाउस की मेजोरिटी का मिसयूज किया जाता तो एक मिनट नहीं बोलने दिया जाता आपको। आप 3-4 घंटे से लगातार +++ कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या किया है आपने।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : बार-बार में बीच में खड़े हो जाते हो।

श्री अध्यक्ष : ये +++ हटा दीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : ये +++ अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप देख लें, कौन-कौनसे शब्द अनपार्लियामेंटरी हैं।

श्री मांगीलाल मेघवाल : ये हाउस का समय खराब कर रहे हैं। ये क्या मतलब है। ये बिल इसलिए लाये हैं कि भविष्य में लाखों किसानों का फायदा हो। और ये डेढ़ घंटे से हाउस को समझा नहीं पा रहे हैं। सदन का समय खराब कर रहे हैं। आप क्यों अलाउ कर रहे हैं उनको।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। इनको बोलने दीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरी प्रार्थना सुन लीजिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा हाउस को आपके माध्यम से, किसी तरह की कोई सीरियस बहस हो रही हो, इसमें आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके शोर कर रहे हो, इसका फायदा इनको होगा। आप खूब करो शोर, उसका फायदा भी इनको होगा। यानि इनकी बात नहीं सुनने का मतलब...

(8.00 रात्रि)

श्री मांगीलाल मेघवाल : यह एक व्यक्ति का मामला नहीं है। ये बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बिलकुल अड़ रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप इनकी बात ही नहीं सुनना चाहते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने समझ लिया क्या ?

श्री मांगीलाल मेघवाल : भविष्य में लाखों किसानों के हित के लिए सरकार यह बिल लाई है और ये एक व्यक्ति के मामले को लेकर समझा ही नहीं पा रहे हैं और हाउस का समय खराब कर रहे हैं। क्या मतलब है यह ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल ही नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : जस्ट ए मिनट। अब आप सुनिये। आप तो पढ़ नहीं रहे हैं। यह असिस्टेंट कमिश्नर का फैसला है, उसने कहा है कि प्रार्थीगण के अधिकार में यह भूमि जेर बहस रिकार्ड के अवलोकन से दिनांक 14-5-56 को कब्जे में आनी पाई जाती है। यह रिकार्ड की प्रति है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह डेडलाइन के लिए है। उसके आगे कहते हैं संदेहास्पद है। आप क्या बात कर रहे हैं?

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : आगे कहा है कि 55 में नहीं थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, आगे संदेहास्पद बताया है। डोकुमेंट में संदेहास्पद बताया है। यह क्या बात हुई ? अध्यक्ष महोदय, एक बात बताओ, यह आपने कब से धारण कर लिया डिफेन्ड करने का ? गवर्नमेंन्ट को डिफेन्ड करने की आपको क्या जरूरत है ? और डिफेन्ड कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है ? बहुत कम्पीटेंट लोग हैं। .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप एक मिनट सुनिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, 14–5–56 को कब्जे में आना पाई जाती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चेयर ने ही एज्युम कर लिया।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चेयर ने ही एज्युम कर लिया।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, मेरी सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस से बाहर जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप तो डिफेन्ड करने लग गए। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप साथ बोलेंगे तो...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : साथ तो नहीं बोलेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या बात हुई ?

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप बोलिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : साथ तो नहीं बोलेंगे लेकिन मैं यह निवेदन कर रही थी कि फैसले के मुताबिक 14–5–56 को कब्जे में आनी पाई जाती है। इसका मतलब उससे पहले कब्जे में नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। यही तो है और क्या है ? 1956 से है, 1990 से नहीं है। इसका अन्तर यह है आप समझिये। Atleast he has accepted that they were in possession in 1956, not in 1990. चूंकि यह डाकूमेंट्स इन्होने मेरे पास पेश किये हैं इन डाकूमेंट्स को पढ़कर मैंने अपनी व्यवस्था दी है। इसलिए इन डाकुमेंट्स के बारे में यदि ये मेरे सामने हाउस में मिसकोट करते हैं तो I want to correct him. This is my job, this is my duty. हां, बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था मानते हैं, यही मान लीजिए 1956 में नहीं थी इसलिए कानून ला रहे हैं। लेकिन 1956 की डेट से बढ़ा रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूं, 55 में तो नहीं थे ना ? डेडलाइन तो 55 की है। 55 में तो सिर्फ 25 बीघा की पेश की है, आप पूरा पढ़ें। आगे संदेहास्पद है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो खुद यह कह रहा हूं असिस्टेंट कालोनाइजेशन कमिश्नर का फैसला सैट–असाइड हो गया या रेवेन्यू

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बोर्ड ने किया। परंतु रेवेन्यू बोर्ड ने मेंडेट यह दिया कि रेवेन्यू सूट फाइल करो और अंतिम बात यह कहता हूं अध्यक्ष महोदय कि एस.डी.ओ. अपनी रिस्क पर यह कहता है कि इनको खातेदार अंकित कर दिया जाय। राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में। कौनसा आदेश है ? अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर बैठकर बात करते हैं। आपने जजमेंट पढ़ा है पूरा ? लास्ट में क्या है 'In the premise of above discussion, I hereby accept the revision petition and set aside the judgment of the Revenue Appellate Authority dated 25th May 1985, as well as the order of Assistant Colonisation Commissioner, Gharsana dated 30th April, 1985, not being maintenable under clause (B) of Sub-sec(1) of Sec 15 AAA of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 I, further, dismiss the application filed by the petitioners before Assistant Colonisation Commissioner, Gharsana, not being maintenable. The petitioners, if they deem fit, shall be at liberty to seek the declaration of their khatedari right from a court of competent jurisdiction according to law, वो नहीं किया न अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं, मैं अमेण्डमेंट पर बोलूंगा तब बताऊंगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह बात उचित नहीं है, आज मेरा कोई काश्तकारों से विरोध नहीं है, काश्तकारों को अगर आप देना चाहें लेकिन जनमत जानने के लिए मैं इसलिए प्रस्ताव करता हूं कि यहां तो सबके कमिटमेंट्स हैं, पोलिटिकल कमिटमेंट्स हैं। ये तो इस बात के लिए तैयार हैं कि यह लेजिस्लेचर का मिस-यूज होवे और मेलेसियस लेजिस्लेशन यहां पास होवे। इस बात के लिए तैयार हैं यह। लेकिन मैं पब्लिक को एजुकेट करना चाहता हूं मैं जनमत जानने के लिए राय देता हूं....

श्री टीकमचन्द कांत : आप क्या बोल रहे हैं इतनी देर से ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह संशोधन राजस्थान की जनता के लिए है इसलिए किसी व्यक्ति के यह कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

प्रवर समिति को निदिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डश: विचार

खण्ड 2 व 3। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किए जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किए गए।

खण्ड4। श्री सुरेन्द्र व्यास, संशोधन पेश करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला संशोधन प्रस्ताव है :

"In sub-sec. (2–A) as sought to be inserted in section 15-AAA of the principal Act by clause 4 (b) the expression or subsequently in the record of rights, prepared during the survey or resurvey and record of operations conducted under sec. 106 and 107 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956) shall be deleted.

यह जो सब्सिक्वेंट वर्ड है यही This is the basic+++in the draft. It has been very cunningly drafted to benefit a particular individual. I have right to speak.

श्री अध्यक्ष : कभी-कभी लॉ में+++ होती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या ?

श्री अध्यक्ष : बोलिए, बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर आपसे निवेदन करता हूं जो डेडलाइन एक्सटेंड की है, कितने ही काश्तकार हों There has to be limit. अभी भोपालगढ़ से आने वाले हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य ने पूरे सदन को बताया उसको समझिए आप। जागीरदारों के वक्त का तो ठीक था जब टीनेंसी एक्ट प्रभाव में आ गया, 15एएए के सब सेक्शन 1(बी) में इंक्वायरी का लिखा हुआ है। अब आपको सर्वे की क्या जरूरत है ? उस वक्त अगर खातेदार होता, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि आप मर्जी आये तब कर दोगे। इसलिए मेरा पहला तो संशोधन यह है कि इसको डिलिट किया जाय।

अब मेरा दूसरा और भी है अध्यक्ष महोदय, 'In sub-section (2-A) as sought to be inserted in Section

---

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

15AAA of the principal Act by clause 4(b), in between and the expression "Indira Gandhi Canal Area," and "Whether recorded as such 'the expression" in the District Jaisalmer only" shall be inserted. यह अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक्स एण्ड ग्राब्जेक्ट्स में जैसलमेर लिखा हुआ है और अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं कि आपका ख्याल दुरुस्त नहीं है कि उससे डिस्क्रिमिनेशन हो जायेगा। उल्टा यह मेलेसियस लेजिस्लेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट को, लेजिस्लेशनर को एक क्लासिफिकेशन करने का अख्तियार है: बशर्ते कि उसके पीछे रेशनल हो। अगर रेशनल नहीं है तो आपका लेजिस्लेशन बेकार है, आप किसलिए लाये हैं? और अगर उसका रेशनल है, उसका जस्टिफिकेशन है तो आपको अलग क्लास क्रियेट करने का अधिकार है। There are numerous rulings of the apex court of the country. उसके अन्दर आप कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो आप जैसलमेर लिखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा अमेण्डमेंट है After new sub-section (2-A) as sought to be inserted in Section 15AAA of the principal Act by clause 4(b) the following shall be added, namely :–

"Such Khatedari rights shall only be granted only after payment of the land claimed at the market value prevelant in the year 1992."

अध्यक्ष महोदय, यह मैंने इसलिए मूव किया है कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दिया कि 2पैसे की जमीन है। जमीन 9 करोड़ रुपये की है अध्यक्ष महोदय, और आपने तो कह दिया पहले का फैसला है। 4मार्च के बाद के दोनों फैसले हैं। रेवेन्यू बोर्ड का भी फैसला 4 मार्च के बाद का है और एस.डी.ओ. का फैसला भी बाद का है। 9 करोड़ की जमीन आप हड़प जाओ इसलिए मेरा यह अमेण्डमेंट है कि आप मुफ्त में ही जमीन पकड़ा रहे हो। आखिर उसकी कोई लिमिट तो होनी चाहिए। यानि आप सब कानून को बदल देंगे?

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अंतिम अमेण्डमेंट है।.... (व्यवधान) आप यह लेजिस्लेशन पास करोगे तो आपका यह अंतिम सैशन होगा, यह मैं आपको बता देता हूं। प्रेसीडेण्ट से असेन्ट नहीं लाने दूंगा। आप समझते हो कि मैं अकेला आदमी हूं। अकेला आदमी 6 महीने के अंदर ले आया कि नहीं ले आया? मेरे इश्यू में दम है। मेरा इश्यू मैरिट पर स्टेण्ड करता है। मैं, अध्यक्ष महोदय, प्रेसीडेंट के पास जाऊंगा।....(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : बहुत देर हो गई। कोई लिमिट तो होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप क्यों प्रवोक कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। Let him speak. ....(व्यवधान) आप बोलिये, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा अमेण्डमेंट है ....(व्यवधान)"After new sub-section (2–A) as sought to be inserted in Section 15AAA of the principal Act by clause 4(b) the following shall be added, namely : 'such Khatedari rights shall accrue to the above mentioned persons only after judicial scrutiny of their claim by a court as specified by the Government."ज्यूडिशियल इन्क्वायरी नहीं है, अध्यक्ष महोदय, ज्यूडिशियल स्क्रूटनी.... of their claim by a court as specified by the Government. गवर्नमेंट ही करेगी अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का फंक्शन गवर्नमेंट ही करेगी, मैं कहां कह रहा हूं। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने असिस्टेंट कलक्टर को नोटिफाई कर दिया, जिसको भी यह उचित समझेंगे-करेंगे और जो चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य हैं मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं, इलेबोरेटरी नहीं करें-आप देखना ही नहीं चाहते। जब एक जिन्दा मिसाल आपके सामने है और मैं उसको, रेवेन्यू बोर्ड का फैसला, यह तो ...

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात कर रहे हैं आगे....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं अध्यक्ष महोदय ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप सुन लीजिए प्लीज ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं खत्म कर रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष : जस्ट ए मिनट प्लीज....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुनिये तो सही, I am finishing. ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, एक मिनट बैठिये। मैं आपके रेवेन्यू बोर्ड के फैसले की बात खत्म कर देता हूं। इस रेवेन्यू बोर्ड ने साफ शब्दों में कहा है–In such circumstances, apparently, petitioner's application was under the sub-section (A) and not under sub-section (B).

श्री सुरेन्द्र व्यास : ठीक है, यह मैं भी मान रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष : जब रेवेन्यू बोर्ड ने (ए) में मान लिया तो How can there be a contradictory ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं–नहीं, उनका क्लेम (ए) में है, आप क्या डिस्टोर्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, Why are you becoming a party ? ऐसा क्या इन्टरेस्ट है आपका....

श्री अध्यक्ष : I am not a party. आप बार-बार रेवेन्यू बोर्ड का नाम ले रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप+++ बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आप पूरा फैसला पढ़ लीजिए। आप अध्यक्ष हैं, मैं

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सदस्य हूं, लेकिन मैं पुरजोर शब्दों में कहता हूं, आप मेरे खिलाफ कुछ भी कार्यवाही कीजिए, आप+ + + बोल रहे हैं। रेवेन्यू बोर्ड ने कभी नहीं माना खातेदार। रेवेन्यू बोर्ड ने कहा It is their own pleading मगर अध्यक्ष महोदय, आप अपने +++

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं अपनी बात पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बच्चा नहीं कह सकता यह, राजस्थान के अन्दर....यह जजमेंट पढ़कर अपील नहीं कर सकता....

श्री अध्यक्ष : कि मेरे पास जो डाकुमेंट्स आपने पेश किये हैं उन डाकुमेंट्स के बारे में मिसकोट मत करिये....

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई नहीं कह सकता....

श्री अध्यक्ष : आप मिसकोट मत करिये, मैंने उसमें से पढ़कर सुनाया है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं मिसकोट नहीं कर रहा हूं, + + + उन्होंने कहा कि यह एप्लीकेशन उनकी जो है यह रिकार्डेड खातेदार....

श्री अध्यक्ष : अब आप मर्यादा के बाहर बोल रहे हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप +++ के बाहर बोल रहे हैं। यह अध्यक्ष की +++ होती है ? आप +++ कर रहे हैं, एक घंटे से +++ कर रहे हैं गवर्नमेंट को, यह अध्यक्ष... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह आचरण, आसन को जो इस तरह की बात कहे अध्यक्ष महोदय, असहनीय बात है....

श्री अध्यक्ष : अच्छा बिराजिए। हो गया आपका ? हो गया आपका ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं फिनिश कर रहा हूं। अब अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना निवेदन करता हूं, यहां तर्क, तथ्य कोई काम नहीं करेंगे, बहुमत आपके साथ है और जहां पर जिस विधान सभा का अध्यक्ष इस तरह का कहे +++ एक इश्यू चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इस पर डिबेट चाहता था, यह दुनियां जानती है ...

श्री अध्यक्ष : यह सारे एक्सपंज कर दिये जायं। All these words should be expunged spoken against the Chair. आप करिये, आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बताइये, जो भी एक्सपंज करना हो, वह बताइये....

श्री अध्यक्ष : क्या बात कर रहे हैं आप I have simply quoted your documents, the documents which you have produced before me and I have gone through it.

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप क्या एक्सपंज करना चाहते हो, वह बताइये न आप (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : .... आसन पैरों पर है....

श्री अध्यक्ष : And you are misquoting them I want to set you right. I cannot allow you to misquote the documents which you have produced before me. I have gone through it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : +++(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपने डाकुमेंट्स के बारे में यहां मिसलीड करेंगे हाउस को, I cannot allow you to mislead the House. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने दुनिया भर को पढ़ाया है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : No, I cannot allow you to mislead the House. नहीं, चलिये,....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : यह अपने +++ में नहीं हैं। आप जा रहे हैं तो जाइये, कोई रोक नहीं रहा है आपको... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मजे से यह पास कीजिए.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, अब आप, अब मैं बोल रहा हूं। सैनीजी, बिराजिए आप। आप क्यों कर रहे हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, हाउस की गरिमा को रखा जाए। ....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, +++ यह असंसदीय है, इसको एक्सपंज किया जाय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है, ठीक है....

श्री हेतराम बेनीवाल : हाउस को इस तरह नहीं बनाया जाय। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हाउस को इस तरह बना रहे हैं, यह उचित नहीं है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप पास कर लीजिए इसको। अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....आसन पर आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....आसन पर आरोप लगा रहे हैं सीधा... (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : जो कुछ भी शब्द .. (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऑन ए पाइंट आफ ऑर्डर....(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : – आप एक आदमी को इस तरह + + +मैं बिल्कुल वाकआउट करता हूं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर....

श्री अध्यक्ष : हां, करिये-करिये। आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने एक्सपंज क्या करवाया, आपकी मर्जी आये जो एक्सपंज नहीं करा सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने दीजिए....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है....

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि अभी आसन के मुंह से निकला कि–'I want to set you right'. मतलब नहीं समझ पाये हम इसका, आपका क्या आशय था।

श्री अध्यक्ष : मैं बता देता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप कृपया इसका मतलब बता दें।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, अब मैं बता देता हूं। माननीय सदस्य ने 273 का नोटिस देने के साथ-साथ मेरे पास में, सबूत में, डोकुमेंट पेश किये। उन डोकुमेंट्स को मैंने पढ़ा, पढ़ करके मैंने अपना निर्णय दिया। अब माननीय सदस्य उन्हीं डाकुमेंट्स को, जो उन्होंने मेरे पास पेश किये, जिसको मैंने पढ़ा है, यदि उनके तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर हाउस में रखते हैं. मेम्बर्स को या हाउस को + + + करते हैं तो उनको सैट राइट करने के लिए मैंने उन्हीं के द्वारा पेश किये हुए रिकार्ड को पढ़ कर सुनाया है....(व्यवधान) चलिये, प्रश्न यह है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब फिर क्या रह गया ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक भ्रांति है, आप उन्हें करेक्ट करेंगे या इनको सैट राइट करेंगे....

श्री अध्यक्ष : Set right the record. I am setting right the record. आप समझ ही नहीं रहे हैं इसको....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रिकार्ड तो आलरेडी है उसे आप क्या सैट राइट करेंगे, रिकार्ड तो है, रिकार्ड को क्या सैट राइट करेंगे आप....

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने तो यह कहा कि मेम्बर को सैट राइट करेंगे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यदि वह मेम्बर की है तो I withdraw my words.

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, रिकार्ड आपके पास है, आप रिकार्ड को क्या सेट राइट करेंगे....

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या बात कर रहे हैं, I want to set right the record.

श्री बुलाकीदास कल्ला : .... कहते हैं + + + में नहीं है, यह नहीं है, यह तरीका ठीक नहीं है सदन में, पहले तो महावीरजी ने कहा, फिर इधर सैनीजी ने अभी कहा कि माननीय सदस्य + + + में नहीं है....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप बिराजिए। प्रश्न यह है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तरीका ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय, ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने लाइन पढ़ी है, आपने....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन सुरेन्द्र व्यास नें प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप चाहे उसकी ऊपर की लाइन पढ़ लीजिए....

श्री अध्यक्ष : दूसरा और है न....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप उसकी ऊपर की लाइन पढ़ लीजिए....

श्री अध्यक्ष : आप इस पर थोड़े बोल रहे हो, आपका अलग है अमेण्डमेंट....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप और वह, दोनों एक ही बात कह रहे हो....

श्री सुरेन्द्र व्यास : The petitioner that....(interruption).

श्री अध्यक्ष : अलग है न आपका अमेण्डमेंट, आगे है, खण्ड 5 में है आपका....

श्री सुरेन्द्र व्यास : The petitioner that....(interruption).

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव सुरेन्द्र व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन... श्री परसराम मदेरणा, आप बोल रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं बोलेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सारी बात तो हो गई, अब वाकआउट कर रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : It is simple + + + It is pure and simple + + + ...(व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, क्लाज 4 में मेरा अमेण्डमेंट इस प्रकार है ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक मेडिकल बोर्ड भी बैठा लो आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या आप इस प्रकार से ++++ करते रहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा क्लाज 4 में अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेण्डमेंट है वह क्लाज 4 के बी–में, "After sub-section (2), the following new sub–section shall be inserted, namely : '2-A-Notwithstanding anything contained in Sec. 15–A any person....'.

मेरा अमेण्डमेंट यह है-'Notwithstanding anything contained in Sec 15–A save as otherwise provided in clause (A) of sub-sec. (1);

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : मैं, प्रभारी मंत्रीजी, यह संशोधन उसी प्रकार का लाया हूं जिस प्रकार का संशोधन आपके सब-सेक्शन 3 में है। 3 की भाषा यह है कि– 'Notwithstanding anything contained in sub-sec. (1) of Section 15–A, and save as otherwise provided in sub-sec. (1)... अगर आप यह सेविंग क्लाज नहीं लायेंगे तो जैसा कि अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रवर समिति के प्रस्ताव रखते वक्त मैंने यह बात कही थी कि 15 एएए का सब-सेक्शन ए आपरेशन ऑफ लॉ से खातेदारी यह उसी दिन ही कन्फर्म कर देता है जिस दिन उसका रिकार्ड दिखा देता है। रिकार्ड में अपने आप हो जायेगी, उसको एप्लाई नहीं करना। लेकिन अभी जो सेक्शन 2 (ए) है यह आल परवेडिंग और आल एम्ब्रेसिंग है और इसमें वही जो पांच प्रकार के काश्तकार जो 15 एएए में हैं वह भी इसमें सम्मिलित कर लिये गये हैं। वह सम्मिलित कर लिये हैं वह आपरेशन ऑल लॉ से, वह तो जो है उसी वक्त ही खातेदार बन गये थे इसलिए उनको अब आप ड्रेग करके 2 (ए) में सम्मिलित करना चाहते हैं और जब 2 (ए) में सभी प्रकार के काश्तकार आपने उसमें इन्क्लूड करके रखे हैं और वह एक स्पेशल केटेगरी थी तो आपको यह सेविंग क्लाज डालना चाहिए और आपका ड्राफ्ट नहीं है, बहुत गलत ड्राफ्ट है और यह सब-सेक्शन 2 (ए) जो है, ओवरलेपिंग करेगा सब-सेक्शन एक को और ओवरलेपिंग करेगा तो आपको सेविंग का क्लाज डालना चाहिए। एक, देखिए इस अमेन्डमेन्ट का ऐसा है अध्यक्ष महोदय, क्लाजेज में जो अमेन्डमेन्ट हैं उस पर प्रभारी मंत्री जी उत्तर देते हैं और अभी आज आपने

++++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

उत्तर देने ही नहीं दिया क्योंकि हाउस में हाट डिसकशन हो गये थे। इसलिए आपने उसको वांट पर रख दिया। यहां पर सदन की परम्परा और परिपाटी यह रही है कि प्रभारी मंत्री हर एक क्लाज को क्यों रिजेक्ट करते हैं और क्यों स्वीकार नहीं करते हैं इस संबंध में अपनी कन्सीडर्ड ओपीनियन सदन में रखते हैं क्योंकि क्लाज 4 के अन्दर मेरे 3 अमेंडमेन्ट्स हैं इसलिए एक-एक अमेन्डमेन्ट का, मैं समझता था कि कन्फ्यूज हो जायेगा, मैं तीनों को अलग-अलग रखना चाहता हूं ताकि इस सेविंग क्लाज के बारे में माननीय प्रभारी मंत्री जबाव दे सकें।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लाज 2 (ए) जोड़ा गया है उसमें हमने दोनों तरह के टीनेन्ट्स को शामिल रखा है। क्लाज में 'ए' और 'बी' और दूसरे जो रेकर्डेड नहीं हैं इसलिए क्लाज 3 की तरह उन्होंने जो लिखा है कि 'ए' के अन्दर जो नहीं है उन्हें अलग रखा जाये Sub-section (1) and save as otherwise provided in Sub-section (1) यह पहले 3 में जरूर रखा है लेकिन हम इसको रखना नहीं चाहते क्योंकि सब-क्लाज (1) की केटेगरी भी साथ में ली और दूसरी भी ली। सिम्पल रीजन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सेक्शन 4 में जो सशोधन प्रस्ताव श्री परसराम जी मदेरणा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

क्लाज 5 में आपका है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं। इसी क्लाज में मेरा दूसरा है। इसी क्लाज में 3 हैं। यही बात तो मैंने निवेदन की थी कि साथ रखूं कि अलग-अलग रखूं।

श्री अध्यक्ष : साथ ही रख लें।

श्री परसराम मदेरणा : तो फिर मुझे रखने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : एक क्लाज में साथ ही रखने थे।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट प्रभारी मंत्री जी क्लाज 4 में ही है....

श्री अध्यक्ष : अब बाकी दोनों भी साथ ही रख दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तीनों ही रख देता हूं।

Clause–4

(i) In sub-section (2–A) as sought to be inserted in section 15–AAA of the principal Act by clause 4(b), in between the expression "in saction 15-*" and "any person" the expression "save as otherwise provided in clause (a) of sub-section (i)," shall be inserted.

(श्री परसराम मदेरणा)

(ii) In sub-section (2–A0) as sought to be inserted in section 15–AAA of the principal Act by clause 4 (b) for the expression "whether recorded as such at the commencement of this Act or subsequently in the record of rights prepared during the survey of resurvey and record of operations conducted under section 106 and 107 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956, shall be substituted by the expression "recorded in the record of rights current on the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Act, 1992."

(iii) After new sub-section (2–A) as sought to be inserted in section 15–AAA of the principal Act by clause 4 (b) the following explanation shall be added, namely :–

"Explanation :–For purposes of this sub-section, "tenant" includes his successor in interest, but does not include his transferee".

"Whether recorded as such at the commencement of this Act.....

मैं आपका 2 (ए) पढ़ रहा हूं: .... or subsequently in the record of rights prepared during the survey or resurevey and record of operations conducted under Section 106 and 107 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No 15 of 1956.)" इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं सब्सटीट्यूट कराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, एक नये एक्सप्रेशन से "recorded in the record of rights current on the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Act. 1992." और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह कमेन्समेन्ट एक्ट का कोई माने ही नहीं रहा है जब आपने सर्वे और रीसर्वे कर दिया तो यह जो पढ़ा जायेगा यह उस तरह से पढ़ा जायेगा : and the commencement of this Act, the date of commencement is 15th of October, 1955, in the record of rights prepared during the survey or re-survey and record of operations conducted under Section 106 and 107 and so on upto 1956, and sucsequently in the reoord of rights prepared during the survey or re-survey subsequently.... मैं अलग कर रहा हूं। वो पार्टस में डिवाइड कर रहा हूं (ए) और (बी) में in the record of rights, prepared, during the survey or re-survey or and record of operations conducted under Section

(श्री परसराम मदेरणा)

106 and 107 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956. मैं इसलिए इसलिए लाया हूं, अध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेन्ट कि यह पार्ट जो मैंने पहला पढ़ा है जो कमेन्समेंट आफ दी एक्ट वाला है जिसके साथ में भी सर्वे और रीसर्वे साथ जुड़ेगा। तो यह आपका कमेन्समेन्ट वाला बिलकुल मीनिंगलैस है। मीनिंगलेस इस माने में है कि लैण्ड रेवेन्यु एक्ट तो फोर्स में आया 1–7–56 को, इसलिए कोई भी रेकार्ड आफ राइट तैयार ही नहीं हुआ अन्डर दी लेण्ड रेवेन्यु एक्ट आन दी 15 अक्टूबर, 1955 इसलिए कमेन्समेन्ट की बात, रेफरेन्स दे रहे हो आप सर्वे और रीसर्वेसेलैण्ड रेवेन्यू एक्ट का, it came into force on the Ist of July, 1956. There were no settlement operations. और जब आपरेशन ही नहीं थे 50 में....

श्री अध्यक्ष : कहीं–कहीं थे। अपने जोधपुर में संवत् 2002 में हो गये थे। संवत् 2000 में अपने यहां सैटलमेन्ट हो गया था....सर्वे सेटलमेन्ट संवत् 2000 में हुआ था।

श्री परसराम मदेरणा : एक्ट जो 56 वाला है इसलिए जोधपुर के स्टेट में थे वे इसमें इसलिए लागू नहीं होंगे क्योंकि एक्ट का मेन्शन कर दिया सर्वे और रीसर्वे में, वह 1956 है।

श्री गंगाराम चौधरी : वह सबसीक्वेन्टली वर्ड आप देखें। उसके बाद में 106 और 107 है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मेरा अमेन्डमेन्ट है कि करेन्ट सेटलमेन्ट आपरेशन के अन्दर जो इस बिल के कमेन्समेन्ट में .. मैं तो बहुत प्रोग्रेसिव लाया हूं। मैं इतना प्रोग्रेसिव लाया हूं कि नहीं तो लोग लिटिगेशन में जायेंगे और आपने 'इफस एण्ड बट्स' जो डाला है commenement of the Bill when it becomes an Act into force. उस वक्त रैकर्ड आफ राइट की पोजीशन है वह रहनी चाहिए और उसके साथ ही रेकर्ड आफ राइट के अन्दर भी कमेन्समेन्ट आफ दी एक्ट को तो आज हो गए 37 साल और 37 साल में रिवीजन आफ सेटलमेन्ट आफ लैण्ड रेकर्डस भी रिवाइज हो गया है दो-दो दफा, कम से कम एक दफा तो ही हो गये हैं तो फिर फ्री 1955 टीनेन्ट का मेन्शन करना सक्सैशन इन इन्टरेस्ट तो आप

(8·25 रात्रि)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल सभापति, पदासीन)

मेन्शन नहीं कर रहे हैं। मैं अभी अमेन्डमेन्ट ला रहा हूं। इसलिए मेरा यह अमेन्डमेन्ट है और मैंने यह अमेन्डमेन्ट इसलिए दिया है कि सेक्शन 106 और 107 का रेफरेन्स आपने दिया है वह भी आपने गलत दिया है क्योंकि आपको रेफरेन्स चैप्टर 8 का भी देना चाहिए था और चैप्टर 8 सेटलमेन्ट आपरेशन के अन्दर जो किया जाता है उसमें रेन्ट रेट इवाल्व होती है और साइल क्लासीफिकेशन याने जमीन की किस्म भी रिवाइज होती है इसलिए वह रेन्ट रेट, साइल क्लासीफिकेशन और रेकार्ड आफ राइट में जाती है और जब रैकार्ड आफ राइट में जाती है तो 106 और 107 को

(श्री परसराम मदेरणा)

मेन्शन करना और पूरे सेटलमेन्ट आपरेशन के इस पार्ट को मेन्शन नहीं करना जो अन्तर्गत आता है लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के सैक्शन 14 के नीचे, यह आपके दो ही सैक्शन का उल्लेख करना विधि सम्मत नहीं है और इसलिए मैं सेल्फ-कन्टेन्ट यह अमेन्डमेन्ट लाया हू। आप इसको स्वीकार करेंगे तो सब प्रीपोस्ट सर्वे, रीसर्वे, जैसलमेर की जो सर्वे की बात कही थी, वह सब मीनिंगलेस हो जायेंगे और इससे लोगों को खातेदारी के अधिकार जिनका रेकार्ड आफ राइट में अजाज नाम है वह सब खातेदारी का अधिकार लेने के लिए हकदार बन जायेंगे।

तीसरा मेरा अमेन्डमेन्ट है कि एक एक्सप्लेनेशन मैंने जोड़ा है सक्सेसर इन इन्टरेस्ट के संबंध में। 2(ए) के अन्दर अंत में मैंने एनसप्लेनेशन एक रखा है। मेरा एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है: for the purposes of this Sub-section tenants includes his successor in interest, but does not include his transferee." और इस अमेन्डमेन्ट के लाने में मेरा अभिप्राय यह है कि जमाबंदी के अन्दर जो मूल खातेदारी इन्द्रराज था और उसकी मृत्यु के बाद में उसका अगर इन इन्टरेस्ट का रेकर्ड में नाम नहीं है तो सक्सेसर खातेदारी राइटसे वह वंचित रह जायेगा और सक्सेसर इन इन्टरेस्ट से वंचित रखने का मतलब यह होगा कि उसकी मौत हो गयी यह तो ईश्वर के हाथ है लेकिन इस लेजिस्लेशन का यह इन्टेन्शन था कि उसके सक्सेसर इन इन्टरेस्ट को हक नहीं दिया जाये। इस प्रकार का अभिमत अगर जनता बनाती है या सक्सेसर इन इन्टरेस्ट बनाते हैं तो यह बैड ला होगा। इसलिए आप इस पर विचार कीजियेगा।

श्री सभापति : मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, जो दूसरा अमेण्डमेण्ट है, जिसके बारे में पहले जिक्र किया है, 106 और 107 के नोटिफिकेशन, उसके सम्बन्ध में आपत्ति करते हुए इसमें जोड़ना यह चाहते हैं माननीय मदरणा साहब recorded in the record of rights current on the date of commencement of Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Act, 1992. यानि, आज तक, एक तरह से यों समझ लीजिए। आज तक के रिकाड्र्स को जोड़ना चाहते हैं। हमने इसके अन्दर 10(और 107, यानि सेटलमेण्ट विभाग द्वारा जो सर्वे और रिकार्ड तैयार किया गया उसको आधार माना है। हमारे कानून के अन्दर मूल रूप से रिकार्ड ऑफ राइट आधारित करता है सेटलमेण्ट के रिकार्ड पर, उसके बाद में सब्सीक्यु टली जिस तरह से म्यूटेशन होते रहते हैं, जुड़ता जाता है, उसमें कई गलती भी हो जायेगी और आज तक के रिकार्ड को अगर सही मानें तो उसमें ज्यादा गलतियों की सम्भावना है इसलिए इसको प्रिकॉशन के रूप में, वैसे तो कमेंसमेण्ट ऑफ दिस एक्ट 15.10.55 करना चाहिए था क्योंकि राजस्थान में जैसलमेर में सेटलमेण्ट नहीं हुआ था और पहला सेटलमेण्ट जब भी हुआ, 105, 106 और 107 के नियमों के अन्तर्गत उसको आधार मानना, वह ज्यादा सही है

(श्री गंगाराम चौधरी)

बनिस्पत इसके कि आज तक के रिकार्ड को। आज तक के रिकार्ड गलती हो जाती है।

दूसरी चीज मैं इसी सिलसिले में अर्ज यह कर रहा था कि 106 और 107 यह अलग चैप्टर के नोटिफिकेशन्स होते हैं और 8वें चैप्टर में 146 होता है, दोनों नोटिफिकेशन्स हमारे अलग-अलग होते हैं। हमारी जो आवश्यकता इसके अन्दर है वह रेण्ट की नहीं है, रिकार्ड आफ राइट्स की है। मूल रूप से मिसल बंदोबस्त जिसको हम कहते हैं वह 106 और 107 में बनते हैं। इसलिए हमने जरूरी नहीं समझा 146 वाला इसमें रखना और यह हमारा ड्राफ्ट है वह एस. एन. जोशी, हमारे पुराने सेक्रेटरी थे, जो इसमें जानते थे लॉ, उन्होंने खुद ने, डिस्कशन मेरा हुआ था उस सिलसिले में, मैं मदेरणा साहब को बताना चाहता हूं कि 148 को उन्होंने नहीं रखना ही उचित समझा इसलिए मैं इसके बारे में यही निवेदन कर रहा हूं।

अब जो दूसरा एक्सप्लेनेशन आपके जोड़ने की बात है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, यह एक्सप्लेनेशन केवल एक 15एएए के सब-सेक्शन 3 के लिए जोड़ा था जिसमें टेम्प्रेरी कल्टिवेशन वाले काश्तकार थे, उनको पैसे लेकर के खातेदारी जोड़ने में ट्रांसफरी को इंक्लूड नहीं करना चाहते थे, सदन नहीं करना चाहता था इसलिए यह एक्सप्लेनेशन जोड़ा। इस एक्सप्लेनेशन को सदन ने सब-सेक्शन वन के लिए नहीं जोड़ा है, जान-बूझकर नहीं जोड़ा। सेक्शन वन के जो खातेदार हैं, टीनेण्ट्स, उनको ट्रांसफर का अधिकार था लेकिन एक चीज और अर्ज कर दूं, इसके जोड़ने की और नहीं जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। जनरल क्लोजेज एक्ट के अन्दर और हमारे टीनेन्सी एक्ट में भी tenant includes successon in interest. यह तो हमेशा होता है। टीनेन्ट शब्द जहां भी काम में आया, उसका मतलब ही यही होता है कि उसके, लड़के, बेटे, पोते जितने भी हैं वह तो माने जायेंगे। ट्रांसफरी को एक्सक्लूड करने की बात हमने इसमें नहीं लिखी है और इसका नुकसान इसलिए नहीं है, अर्ज करूं कि कोलोनाइजेशन एक्ट के प्रोविजन जैसलमेर जिले के और कोलायत के अन्दर यह सैटलमेण्ट हुआ है उससे पहले लागू हो गये थे 1962 से और पहले लागू होने की वजह से ट्रांसफर के राइट उनके थे ही नहीं इसलिए कोई ट्रांसफर कर ही नहीं सका, बेच ही नहीं सका। सारे गैर खातेदार हैं आज दिन भी। इसलिए इन प्रोविजन्स की आवश्यकता ही नहीं है।

अब साथ में एक चीज और निवेदन करूं, सभापति महोदय, कि ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जो सन् 1952 लिखा गया है, यह प्रिंटिंग मिस्टेक है और मैं सदन से निवेदन करूंगा कि 1952 की जगह, 1962 पढ़ा जाय और जो माननीय मदेरणा साहब ने जो संशोधन मूव किये हैं, उनकी मैं आवश्यकता नहीं समझता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री परसराम

(श्री सभापति)

मदेरणा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5, श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मेरा क्लोज 5 में अमेण्डमेण्ट इस प्रकार है :

In sub-section (ii-a) as sought to be inserted in section 19 of the principal Act by clause 5 (a) in between the expression "court fee of fifty paise apply" and "to the Assistant Collector having Jurisdiction", the expression "if he is in continuous possession of the land on the date of such commencement" shall be inserted.

क्लाज 5, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के सेक्शन 19 में, चौमू से आने वाले माननीय सदस्य भी सुन रहे होंगे शायद....

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री परसराम मदेरणा : सेक्शन 19 में कमेंसमेण्ट ऑफ दी एक्ट के वक्त में जो सब-टीनेण्ट और टीनेण्ट ऑफ खुद काश्त थे, उनको अब 180 दिन का इस बिल के लॉ बनने के बाद में समय दिया जा रहा है कि वह एप्लाई करें और अपने खातेदारी अधिकार लें। मैंने इसमें अमेण्डमेण्ट, प्रभारी मंत्रीजी, जो किया है, वह क्लोज 5ए (ii) ए, लास्ट बट फोर लाइन के अन्दर जो कोर्ट फी और फिफ्टी पैसा एप्लाई, एप्लाई–एप्लाई, apply your mind to my amendment. मेरा अमेण्डमेण्ट यह है कि if he is in continuous possession of land on the date of such commencement. और मैंने यह अमेण्डमेण्ट, प्रभारी मंत्रीजी, इसलिए किया है कि 35 वर्ष के उपरान्त होल्डर ऑफ खुद काश्त और मैन टीनेण्ट्स ने इन सब-टीनेण्ट्स को और टीनेण्ट ऑफ खुद काश्त को बेदखल भी कर दिया होगा, कई केसेज में। क्योंकि मेरे पास यह मामले टोंक के आये थे, यह ठीक कह रहे थे, टोंक में बहुत ज्यादा संख्या में मामले थे, मैंने उनका सर्वे भी कराया था। जब सीलिंग लॉ एप्लाई हो रहा था, उस पर स्टे दिया था और वह इसलिए दिया था कि उन लोगों ने कुएं भी खुदवा लिये थे, मकान भी बना लिये थे और ऐसे भी सब-टीनेण्ट्स हो सकते हैं जिन्होंने अपनी भूमि को सरेण्डर कर दिया है। किन्हीं कारणों से अगर वह कन्टीन्यूअस पजेशन में नहीं रहे हैं तो फिर ऐसे तमाम मामले एण्डलैस लिटिगेशन शुरू होगा, बहुत खर्चीला बन जायेगा सारा मामला, कोर्ट में जायेगा इसलिए मेरा अमेण्डमेण्ट यह है कि अगर कन्टीन्यूअस पजेशन में वह है तो वह खाते-

(श्री परसराम मदेरणा)

दारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार बनना चाहिए।

श्री सभापति : मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, पहले जो संशोधन इसमें आये हैं, जो सब सैक्शन जोड़े हैं। 9 में, इसमें किसी में कन्टीन्यूअस पजेशन लिखा नहीं गया इसलिए मैं भी इसमें जोड़ना कोई आवश्यक नहीं समझता हूं। कभी-कभी इसमें उल्टी कठिनाई पैदा हो जाती है। कन्टीन्यूअस पजेशन में आदमी को गिरदावरी लेकर के साबित करना पड़ता है और एक सब-टीनेन्ट के हक में आजकल गिरदावरियां होती नहीं हैं। खातेदार के हक में लिखी जाती है इसलिए वह काश्तकार मारा जायेगा इस कन्टीन्यूअस वर्ड से। वह साबित नहीं कर पायेगा अपना सबूत और कन्टीन्यूअस वर्ड, मैं समझता हूं नहीं रखा जाय। चौमू से आने वाले माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में ज्यादा जानते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो शोधन प्रस्ताव श्री परसराम मदेरणा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6 से 9, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 से 9 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 से 9 स्वीकार किये गये।

खण्ड 10, श्री परसराम मदेरणा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज 10 में मेरा अमेंडमेंट थर्ड शिड्यूल में है जो निम्न प्रकार है : In the third schedule of the principal Act as sought to be amended by clause 10 in between the words" Serial No. 35-C" and "of the third schedule" the words "and 35-CC" shall be inserted. आपने जो कालम थ्री में जो सीरियल नम्बर 35 (सी) है वहां पर राजस्थान कैनाल एरिया के एक्सप्रेशन को इंदिरा गांधी कैनाल एरिया दिया है लेकिन इसी शिड्यूल में जो दूसरा कालम 35 (सी सी) है उसमें इसी प्रकार के एक्सप्रेशन हैं, राजस्थान कैनाल एरिया। इसको जो आप सबस्टीट्यूट करने का, इंदिरा गांधी कैनाल एरिया से, एक्सप्रेशन से जो अमेंडमेंट नहीं लाये हैं, यह हो सकता है कि रही तो शायद ओमीशन से रही होगी, आपकी बात या ध्यान में नहीं आया होगा लेकिन यह अमेंडमेंट निश्चित तौर पर होना चाहिये। नहीं तो वहां पर एक्सप्रेशन राजस्थान कैनाल एरिया रह जायगा।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो 35 (सी सी) में अमेंडमेंट चाहते हैं वह पहले हो चुका है। राजस्थान टीनेन्सी (अमेंडमेंट) एक्ट, 1987 (एक्ट नम्बर 1 आफ 1987) इसमें तीन-चार सैक्शन थे, क्लाज 15ए में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, क्लाज 42 में अमेंडमेंट है और जो थर्ड शिड्यूल में अमेंडमेंट है वह मैं अर्ज कर देता हूं। 35 (सी सी/ 15एएए नीचे ब्रेकिट में 3, एप्लीकेशन फार ग्रांट आफ खातेदारी राइट्स इन दी इन्दिरा गांधी कैनाल एरिया। यह पहले से ही लिखा है। आपके पास अगर दत्ता की किताब हो तो उसमें पढ़ लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास जो शिड्यूल थी वह अमेंडेड शिड्यूल नहीं थी। अगर उसमें अमेंडमेंट हो गया है तो I don't press it. I withdraw.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री परसराम मदेरणा ने प्रस्तुत किया है उसे विथड्रा करने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट वापस लेने की स्वीकृति दी गयी।

श्री परसराम मदेरणा : I withdraw it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

सदन की कार्यवाही

राजस्थान नगर निगम, विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण के समय में परिवर्तन

मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापतिजी, कार्य सलाहकार समिति के 14 वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिश सदन द्वारा स्वीकृत किये जाने पर राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992 सदन में दिनांक 28-9-92 को विचारार्थ लेकर पारण किया जाना है। लेकिन यह विधेयक अभी सदन में पुरः स्थापित नहीं हुआ है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992 पर दिनांक 28-9-92 को विचार नहीं किया जाकर इसको सदन में दिनांक 30-9-92 को विचारार्थ लेकर इसका पारण किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो

(श्री सभापति)

प्रस्ताव मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

मंत्रीजी पारित करने का प्रस्ताव करेंगे

विधेयक का पारण

राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने बहुत सी बातें कहीं, आपने रिप्लाई एक का ही नहीं दिया। अमेंडमेंट पर तो आपने रिप्लाई दी लेकिन फ्री आफ चार्ज पर आप बोले नहीं। फ्री आफ चार्ज पर जो लैण्ड जो पोस्ट 55 टीनेन्ट को देने जा रहे हैं, आपने उसका जो है....

श्री गंगाराम चौधरी : मैं अभी कह देता हूं। फ्री आफ चार्ज समझ गया। और कोई बात रह गयी तो ?

श्री परसराम मदेरणा : बस और आप भी समझ गये और मैं भी समझ गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही परसों दिनांक 28-9-92 को 1 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 8.47 बजे, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———